लोक सभा में 28 फरवरी, 2006
को पुरःस्थापित रूप में

2006 का विधेयक संख्यांक 16

इदि फाइनेंस बिल, 2006 का हिंदी अनुवादट

वित्त विधेयक, 2006

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2006 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 57 तक 1 अप्रैल, 2006 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिख्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटाकर आए ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

1961 का 43

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ख में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृख़ि-आय है, और कुल आय एक लाख रुपए से अधिक हो जाती है वहां,ॐ

(क) शुद्ध कृख़ि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात् मानो शुद्ध कृख़ि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविख़्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :ॐ

(त्) कुल आय और शुद्ध कृख़ि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिख़्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(त्त्) शुद्ध कृख़ि-आय में एक लाख रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृख़ि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिख़्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृख़ि-आय कुल आय हो ;

(त्त्त्) उपखंड (त्) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (त्त्) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (रूरू) में निर्दिख़्ट प्रत्येक स्त्री की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ख के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ख से कम आयु की है, इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो .एक लाख रुपएउ शब्दों के स्थान पर, .एक लाख पैंतीस हजार रुपएउ शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (रूरूरू) में निर्दिख़्ट प्रत्येक व्यख़्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ख के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ख का या उससे अधिक आयु का है, इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो .एक लाख रुपएउ शब्दों के स्थान पर, .एक लाख पचासी हजार रुपएउ शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर की रिबेट की रकम घटाकर इस प्रकार प्राप्त आय-कर की रकम में उस पैरा में उपबंधित रीति से प्रत्येक दशा में, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथा उपबंधित रीति से और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिख़्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है या सीमांत फायदों के संबंध में, जो धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य हैं, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि-निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, यथास्थिति, जहां कुल आय या सीमांत फायदे दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (ध्त्) में निर्दिष्ट प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115द की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उसमें—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां आय अथवा ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, और कटौती के अधीन रहते हुए, दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (ध्त्) में निर्दिष्ट प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां संगृहीत राशि या संगृहीत ऐसी कुल राशि और, संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (ध्त्) में निर्दिष्ट प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और उक्त अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटाकर आए ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, “अग्रिम कर” की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित “अग्रिम कर” की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख या धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय या धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य सीमांत फायदों के संबंध में, पहले परंतुक के अधीन संगणित .अग्रिम करउु में,%

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे .अग्रिम करउु के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (ध्त्) में निर्दिष्ट प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे .अग्रिम करउु के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे .अग्रिम करउु के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है और कुल आय एक लाख रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय .अग्रिम करउु की संगणना करने में,%

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या .अग्रिम करउु प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या .अग्रिम करउु निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :%

(त्) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या .अग्रिम करउु की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(त्त्) शुद्ध कृषि-आय में एक लाख रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या .अग्रिम करउु की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(त्त्त्) उपखंड (त्) के अनुसार अवधारित आय-कर या .अग्रिम करउु की रकम में से उपखंड (त्त्) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या .अग्रिम करउु की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या .अग्रिम करउु होगी :

परंतु ऐसी प्रत्येक स्त्री की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (ष्ष्) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो स्एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, स्एक लाख पैंतीस हजार रुपए" शब्द रखे गए थे :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (ष्ष्ष्) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष का या उससे अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो स्एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, स्एक लाख पचासी हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर या .अग्रिम करउु में से रिबेट घटाकर, इस प्रकार प्राप्त आय-कर या .अग्रिम करउु की रकम में, प्रत्येक दशा में उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित .आय-कर पर शिक्षा उपकरउु नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार से संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दी जाएगी, जिससे विश्वस्तरीय गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(12) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,%

(क) .देशी कंपनीउु से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में, ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए विहित इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) .बीमा कमीशनउु से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, .शुद्ध कृषि-आयउु से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन। 3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) खंड (24) में,—

(अ) उपखंड (iia) में,—

(क) "न्यास या संस्था द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "या उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था द्वारा या उपखंड (via) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य संस्था द्वारा" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 1999 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपमद (क) द्वारा इस प्रकार अंतःस्थापित किए गए, "या उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था द्वारा या उपखंड (via) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल "या अन्य संस्था द्वारा" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "या उपखंड (iiiad) या उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था द्वारा या उपखंड (iiiae) या उपखंड (via) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य संस्था द्वारा" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2007 से रखे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viia) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के साथ चलाए जाने वाले बैंककारी के, जिसके अंतर्गत उधार सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है, किसी कारबार के लाभ और अभिलाभ ;"

(ii) खंड (26) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(26क) "अवसंरचना पूंजी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो धारा 80झक की उपधारा (4) या धारा 80झकख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार में पूर्णतया लगे हुए किसी उद्यम या उपक्रम या धारा 80झख की उपधारा (10) में निर्दिष्ट आवास परियोजना या केंद्रीय सरकार द्वारा यथावर्गीकृत तीन सितारा प्रवर्ग से अन्यून होटल का सन्निर्माण करने की किसी परियोजना या रोगियों के लिए कम से कम एक सौ बिस्तर वाले किसी अस्पताल का सन्निर्माण करने की किसी परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले किसी उपक्रम में उसके शेयर अर्जित करने या उसे दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के रूप में विनिधान करती है ;

(26ख) "अवसंरचना पूंजी निधि" से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख के अधीन क्रियाशील ऐसी निधि अभिप्रेत है जिसे धारा 80झक की उपधारा (4) या धारा 80झकख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार में पूर्णतया लगे हुए किसी उद्यम या उपक्रम या धारा 80झख की उपधारा (10) में निर्दिष्ट आवास परियोजना या केंद्रीय सरकार द्वारा यथावर्गीकृत तीन सितारा प्रवर्ग से अन्यून होटल का सन्निर्माण करने की किसी परियोजना या रोगियों के लिए कम से कम एक सौ बिस्तर वाले किसी अस्पताल का सन्निर्माण करने की किसी परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले किसी उपक्रम में उसके शेयर अर्जित करने या दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के रूप में विनिधान के लिए न्यासियों द्वारा धन इकठ्ठा करने के लिए स्थापित किया गया है ।'; 1908 का 16

(iii) खंड (37क) के उपखंड (iii) में, "जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 90 के अधीन किए गए किसी करार में विनिर्दिष्ट की जाएं, जो भी धारा 90 के उपबंधों के आधार पर लागू हों," शब्दों और अंकों के स्थान पर, "जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 90 के अधीन किए गए किसी करार में या केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 90क के अधीन अधिसूचित किए गए किसी करार में विनिर्दिष्ट की जाएं, जो भी, यथास्थिति, धारा 90 या धारा 90क के उपबंधों के आधार पर लागू हों, " शब्द, अंक और अक्षर, 1 जून, 2006 से रखे जाएंगे;

(iv) खंड (48) में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

धारा 10 का संशोधन। 4. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) खंड (6खख) में, "या 31 मार्च, 2006 के पश्चात् किए गए और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "या 31 मार्च, 2007 के पश्चात् किए गए और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार" अंक और शब्द, 1 अप्रैल, 2007 से रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (15क) के परंतुक में, "1 अप्रैल, 2006" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2007" अंक और शब्द, 1 अप्रैल, 2007 से रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (17) में, उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2007 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) किसी व्यक्ति द्वारा किसी राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम या नियमों के अधीन उस राज्य विधान-मंडल की उसकी सदस्यता के कारण प्राप्त कोई निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता ;"

(घ) खंड (23ग) में, —

(i) ग्यारहवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2006 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि यदि पहले परंतुक में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था, 1 जून, 2006 को या उसके पश्चात् छूट की मंजूरी या उसके बने रहने के प्रयोजनों के लिए कोई आवेदन करती है, तो ऐसा आवेदन उस निर्धारण वर्ष के, जिससे छूट चाही गई है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय किया जाएगा :"

(त्त) इस प्रकार अंतःस्थापित किए गए बारहवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

.परंतु यह भी कि धारा 115खखग में निर्दिष्ट किसी अनाम संदान को, जिस पर कर उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार संदेय है, कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा ;ॢ

(ङ) खंड (23ङक) में, .कोई आयॢ शब्दों के स्थान पर, .मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों और उनके सदस्यों से प्राप्त अभिदायों के रूप में कोई आयॢ शब्द, 1 अप्रैल, 2007 से रखे जाएंगे ;

(च) खंड (23छ) का, 1 अप्रैल, 2007 से लोप किया जाएगा ;

(छ) खंड (38) में,—

(त) स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

.परंतु किसी कंपनी के दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय को धारा 115जख के अधीन बही लाभ और संदेय आय-कर की संगणना करने में हिसाब में लिया जाएगा ।ॢ

(त्त) स्पष्टीकरण के खंड (त) में, .पचास प्रतिशतॢ शब्दों के स्थान पर, .पैंसठ प्रतिशतॢ शब्द, 1 जून, 2006 से रखे जाएंगे;

(ज) खंड (41) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

.(42) किसी ऐसे निकाय या प्राधिकरण को, प्रोद्भूत होने वाली कोई विनिर्दिष्ट आय, जिसे,—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा दो या अधिक देशों के साथ की गई किसी संधि या करार या केंद्रीय सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए किसी अभिसमय के अधीन स्थापित या गठित या नियुक्त किया गया है ;

(ख) लाभ के प्रयोजनों के लिए स्थापित या गठित या नियुक्त नहीं किया गया है ;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचित किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, .विनिर्दिष्ट आयॢ से, इस खंड में निर्दिष्ट निकाय या प्राधिकरण को प्रोद्भूत होने वाली ऐसी प्रकृति की और ऐसे विस्तार तक, जो केंद्रीय सरकार, इस निमित्त अधिसूचित करे, आय अभिप्रेत है ।ॢ।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (1) में,— धारा 10ख का संशोधन।

(क) दूसरे परंतुक में, .भीॢ शब्द के स्थान पर, .औरॢ शब्द रखा जाएगा ;

(ख) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

.परंतु यह भी कि इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी ऐसे निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व अपनी आय की विवरणी नहीं देता है ।ॢ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (6) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 13 का संशोधन।

.(7) धारा 11 या धारा 12 में अंतर्विष्ट किसी बात का इस प्रकार से प्रभाव नहीं होगा, जिससे कि धारा 115खखग में निर्दिष्ट किसी अनाम संदान को, जिस पर कर उस धारा के उपबंधों के अनुसार संदेय है, उसके प्राप्तकर्ता व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय से अपवर्जित किया जा सके ।ॢ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 14क को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं, 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— धारा 14क का संशोधन।

.(2) निर्धारण अधिकारी, ऐसी आय के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, उपगत व्यय की रकम को, ऐसी पद्धति के अनुसार जो विहित की जाए, अवधारित करेगा, यदि निर्धारण अधिकारी का, निर्धारिती के लेखाओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आय के, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, संबंध में व्यय के बारे में निर्धारिती के दावे की शुद्धता का समाधान नही होता है ।

(3) उपधारा (2) के उपबंध, उस मामले के संबंध में भी लागू होंगे, जहां कोई निर्धारिती यह दावा करता है कि उस आय के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, उसके द्वारा कोई व्यय उपगत नहीं किया गया है ।ॢ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) में, उपखंड (ध) के पश्चात्, परंतुक में 1 अप्रैल, 2007 से,— धारा 17 का संशोधन।

1999 का 41 (त) खंड (त्त) में, .केंद्रीय सरकारॢ शब्दों के पश्चात्, .या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरणॢ शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

1999 का 41 (त्त) खंड (थ) में, .केंद्रीय सरकारॢ शब्दों के पश्चात्, .या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरणॢ शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में,— धारा 36 का संशोधन।

(क) खंड (त्ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2007 से, रखा जाएगा, अर्थात् :—

.(त्ख) निर्धारिती द्वारा नियोजक के रूप में,—

1972 का 57 (अ) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन बनाए गए भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा इस निमित्त बनाई गई और केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित ; या

(आ) किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा इस निमित्त बनाई गई और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, 1999 का 41

किसी स्कीम के अधीन अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए चेक द्वारा संदत्त किसी प्रीमियम की रकम ;”;

(ख) खंड (त्त्तक) में स्पष्टीकरण के खंड (त्त) का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (ध्त्त) में, स्पष्टीकरण के खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2007 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(घ) “अवसंरचना सुविधा” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(त) धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (त) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित अवसंरचना सुविधा या समान प्रकार की कोई अन्य लोक सुविधा, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित की जाए और जो उन शर्तों को पूरा करती है, जो विहित की जाएं ;

(त्त) धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (त्त) या खंड (त्त्त) या खंड (त्ध) में निर्दिष्ट कोई उपक्रम ;

(त्त्त) धारा 80झख की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कोई उपक्रम ;’।

धारा 40 का संशोधन।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (त्त) के पश्चात्,—

(क) निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए उद्‌गृहीत किसी रेट या कर के कारण संदत्त किसी राशि में, यथास्थिति, धारा 90 के अधीन कर की राहत या धारा 91 के अधीन संदेय भारतीय आय-कर से कटौती के लिए पात्र कोई रकम सम्मिलित है और सदैव सम्मिलित की गई समझी जाएगी।”;

(ख) इस प्रकार अंतःस्थापित किए गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए उद्‌गृहीत किसी रेट या कर के कारण संदत्त किसी राशि में धारा 90क के अधीन कर की राहत के लिए पात्र कोई राशि सम्मिलित है;”।

धारा 43 का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 43 के खंड (5) के परंतुक के खंड (घ) में, “(कक)” कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, “(कग)” कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 43ख का संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 43ख में,—

(क) स्पष्टीकरण 3ख के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1989 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 3ग—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी ऐसी राशि की, जो इस धारा के खंड (घ) के अधीन संदेय ब्याज है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी यदि ऐसे ब्याज का वास्तविक रूप से संदाय किया गया है और उस खंड में निर्दिष्ट किसी ब्याज के बारे में, जिसका उधार या ऋण में संपरिवर्तन किया गया है, यह नहीं समझा जाएगा कि उसका वास्तविक रूप से संदाय किया गया है ।”;

(ख) इस प्रकार अंतःस्थापित स्पष्टीकरण 3ग के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1997 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 3घ— शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी ऐसी राशि की, जो इस धारा के खंड (ङ) के अधीन संदेय ब्याज है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी, यदि ऐसे ब्याज का वास्तविक रूप से संदाय किया गया है और उस खंड में निर्दिष्ट किसी ब्याज के बारे में, जिसका उधार या अग्रिम में संपरिवर्तन किया गया है, यह नहीं समझा जाएगा कि उसका वास्तविक रूप से संदाय किया गया है ।”।

धारा 54ङग का संशोधन।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग की उपधारा (3) के पश्चात् स्पष्टीकरण के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(ख) “दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति” से ऐसा कोई बंधपत्र अभिप्रेत है, जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात्—

(त) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है और उस रूप में इस धारा के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है ; या 1988 का 68

(त्त) रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है, जारी किया गया है और उस रूप में इस धारा के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।’। 1956 का 1

धारा 54ङघ का संशोधन।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङघ की उपधारा (1) में, “अंतरण से” शब्दों के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2006 के पूर्व अंतरण से” अंक और शब्द, 1 अप्रैल, 2007 से रखे जाएंगे ।

नई धारा 80कग का अंतःस्थापन ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 80कख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

विवरणी दिए जाने तक कटौती का अनुज्ञात न किया जाना ।

“80कग. जहां किसी निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2006 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की कुल आय की संगणना करने में, धारा 80झक या धारा 80झकख या धारा 80झख या धारा 80झग के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय है, वहां उसे ऐसी कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक वह धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी नहीं देता है ।”।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 80ग की उपधारा (2) में 1 अप्रैल, 2007 से,— धारा 80ग का संशोधन।

(क) खंड (न्त) में, ‘खंड (23घ) के अधीन अधिसूचित’ शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ‘खंड (23घ) में निर्दिष्ट’ शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (न्त्त) में ‘खंड (23घ) के अधीन अधिसूचित’ शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ‘खंड (23घ) में निर्दिष्ट’ शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (न्थ) में ‘खंड (23घ) के अधीन अधिसूचित’ शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ‘खंड (23घ) में निर्दिष्ट’ शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (न्) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(न्न्त) किसी अनुसूचित बैंक में पांच वर्ष से अन्यून किसी नियत अवधि के लिए सावधि निक्षेप के रूप में ।

1955 का 23 स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ‘अनुसूचित बैंक’ से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन
1959 का 38 गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक
1970 का 5 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी
1980 का 40 (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्समान नया बैंक या ऐसा कोई
1934 का 2 अन्य बैंक अभिप्रेत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक है ।’।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगग की उपधारा (1) में, ‘दस हजार रुपए’ शब्दों के स्थान पर, ‘एक लाख रुपए’ शब्द 1 अप्रैल, 2007 से रखे जाएंगे । धारा 80गगग का संशोधन।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) में, 1 अप्रैल, 2007 से,— धारा 80झक का संशोधन।

(क) खंड (त्त) में, परतुंक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘परंतु यह और कि ऐसे किसी उपक्रम की दशा में, जो किसी ओद्यौगिक पार्क का विकास करता है, विकास और प्रचालन करता है या अनुरक्षण या प्रचालन करता है, इस खंड के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो ‘31 मार्च, 2006’ अंकों और शब्द के स्थान पर, ‘31 मार्च, 2009’ अंक और शब्द रखे गए हों;’;

(ख) खंड (त्थ) में,—

(त्) उपखंड (क) में, ‘31 मार्च, 2006’ अंकों और शब्द के स्थान पर, ‘31 मार्च, 2010’ अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(त्त) उपखंड (ख) में, ‘31 मार्च, 2006’ अंकों और शब्द के स्थान पर, ‘31 मार्च, 2010’ अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(त्त्त) उपखंड (ग) में, ‘31 मार्च, 2006’ अंकों और शब्द के स्थान पर, ‘31 मार्च, 2010’ अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 80त की उपधारा (3) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2007 से, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 80त का संशोधन।

‘(4) इस धारा के उपबंध किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न, किसी सहकारी बैंक के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

1949 का 10 (क) ‘सहकारी बैंक’ और ‘प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी’ के वही अर्थ होंगे जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग 5 में क्रमशः उनके हैं ;

(ख) ‘प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक’ से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसके प्रचालन का क्षेत्र किसी ताल्लुक तक सीमित है और जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण विकास क्रियाकलापों के लिए दीर्घकालिक उधार उपलब्ध कराना है।’।

20. आय-कर अधिनियम के अध्याय 9 में, धारा 90 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 90क का अंतःस्थापन।

‘90क. (1) भारत में विनिर्दिष्ट कोई संगम भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट संगम के साथ करार कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,— केन्द्रीय सरकार द्वारा दोहरी कराधान राहत के लिए विनिर्दिष्ट संगमों के बीच करारों का अंगीकृत किया जाना।

(क) निम्नलिखित के संबंध में राहत प्रदान करने के लिए,—

(त्) आय, जिस पर इस अधिनियम के अधीन आय-कर और भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में आय-कर, दोनों का संदाय किया गया है ; या

(त्त) पारस्परिक आर्थिक संबंधों, व्यापार और विनिधान के संवर्धन के लिए इस अधिनियम के अधीन और भारत के बाहर उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन प्रभार्य आय-कर, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन और भारत के बाहर उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आय के दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन या भारत के बाहर उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन प्रभार्य आय-कर के अपवंचन या परिवर्जन को रोकने के लिए या ऐसे अपवचंन या परिवर्जन के मामलों के अन्वेषण के लिए सूचना के आदान-प्रदान के लिए, या

(घ) इस अधिनियम के अधीन और भारत के बाहर उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आय-कर की वसूली के लिए,

ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो ऐसे करार को अंगीकृत और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) जहां भारत में विनिर्दिष्ट संगम ने उपधारा (1) के अधीन भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के विनिर्दिष्ट संगम के साथ कोई करार किया है और ऐसे करार को, यथास्थिति, कर की राहत प्रदान करने या दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए उस उपधारा के अधीन अधिसूचित किया गया है, वहां उस निर्धारिती के संबंध में, जिसको ऐसा करार लागू होता है, इस अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक लागू होंगे, जहां तक वे उस निर्धारिती के लिए अधिक फायदेमंद हैं ।

(3) ऐसे किसी पद का, जिसे इस अधिनियम या उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में प्रयुक्त किया गया है किन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो और वह इस अधिनियम या करार के उपबंधों से असंगत न हो, वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में जारी अधिसूचना में उसका है ।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में निगमित किसी कंपनी के संबंध में उस दर से, जिस पर कोई देशी कंपनी प्रभार्य है, अधिक दर पर कर का प्रभारण, ऐसी कंपनी के संबंध में कम अनुकूल प्रभार या कर का उद्ग्रहण नहीं समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) ‘विनिर्दिष्ट संगम’ पद से ऐसी कोई संस्था, संगम या निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, अभिप्रेत है, जो भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की विधियों के अधीन कार्य कर रहा है और जिसे इस धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया जाए ;

(ख) ‘विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र’ पद से भारत के बाहर कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे इस धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया जाए ।’।

धारा 92ग का संशोधन।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 92ग की उपधारा (4) के पहले परंतुक में, ‘धारा 10क या धारा 10ख’ शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ‘धारा 10क या धारा 10कक या धारा 10ख’ शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2007 से रखे जाएंगे ।

नई धारा 115खखग का अंतःस्थापन ।

22. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 में, धारा 115खखख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में अनाम संदानों पर कर लगाया जाना ।

‘115खखग. (1) जहां किसी निर्धारिती की, जो धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकघ) या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (iiiकङ) या उपखंड (via) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य संस्था या उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था या धारा 11 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था की ओर से आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, कुल आय में अनाम संदान के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा :—

(i) किसी अनाम संदान के रूप में आय पर तीस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

(ii) आय-कर की वह रकम, जिसके लिए निर्धारिती प्रभार्य होता, यदि उसकी कुल आय में से खंड (i) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी जाती ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध किसी अनाम संदान को लागू नहीं होंगे जो :—

(क) पूर्णतया धार्मिक प्रयोजनों के लिए सृजित या स्थापित किसी न्यास या संस्था द्वारा ;

(ख) पूर्ण रूप से धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए सृजित या स्थापित किसी न्यास या संस्था द्वारा ऐसे किसी अनाम संदान से भिन्न जो इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ प्राप्त किया गया है कि ऐसा संदान किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल अथवा ऐसे न्यास या संस्था द्वारा चलाई जा रही अन्य चिकित्सा संस्था के लिए है,

प्राप्त किया गया है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ‘अनाम संदान’ से धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (iiक) में निर्दिष्ट कोई स्वैच्छिक अभिदाय अभिप्रेत है, जहां ऐसा अभिदाय प्राप्त करने वाला व्यक्ति विहित रीति में ऐसा अभिदाय करने वाले व्यक्ति का नाम और पता तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, दर्शाने वाली पहचान का कोई अभिलेख नहीं रखता है ।’।

धारा 115जकक का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 115जकक की उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं, 1 अप्रैल, 2007 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

‘(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात किया जाने वाला कर संबंधी प्रत्यय, धारा 115जक की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए संदत्त कर और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित निर्धारिती की कुल आय पर उसके द्वारा संदेय कर की रकम का अंतर होगा :

परंतु उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कर संबंधी प्रत्यय पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा ।

(2क) उपधारा (1क) के अधीन अनुज्ञात किया जाने वाला कर संबंधी मुजरा धारा 115जख की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए संदत्त कर और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित निर्धारिती की कुल आय पर उसके द्वारा संदेय कर की रकम का अंतर होगा :

परंतु उपधारा (1क) के अधीन अनुज्ञात कर संबंधी प्रत्यय पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अवधारित कर संबंधी प्रत्यय की रकम को उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार अग्रनीत किया जाएगा और उसका मुजरा किया जाएगा, किंतु ऐसा अग्रनयन उस निर्धारण वर्ष के, जिसमें कर संबंधी प्रत्यय उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञेय हो जाता है, ठीक उत्तरवर्ती पांचवें निर्धारण वर्ष के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(3क) उपधारा (2क) के अधीन अवधारित कर संबंधी प्रत्यय की रकम को उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार अग्रनीत किया जाएगा और उसका मुजरा किया जाएगा, किंतु ऐसा अग्रनयन उस निर्धारण वर्ष के, जिसमें कर संबंधी प्रत्यय उपधारा (1क) के अधीन अनुज्ञेय हो जाता है, ठीक उत्तरवर्ती सातवें निर्धारण वर्ष के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।’।

धारा 115जख का संशोधन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख में, 1 अप्रैल, 2007 से,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) ‘1 अप्रैल, 2001’ अंकों और शब्द के स्थान पर, ‘1 अप्रैल, 2007’ अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) ‘साढ़े सात प्रतिशत’ शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं ‘दस प्रतिशत’ शब्द रखे जाएंगे ;

(त्त) उपधारा (2) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण में,—

(क) खंड (च) में, .धारा 10 इ्रउसके खंड (23छ) में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्नट या धारा 10क या धारा 10ख या धारा 11 या धारा 12 लागू होती होु शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, .धारा 10 इ्रउसके खंड (38) में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्नट या धारा 10क या धारा 10ख या धारा 11 या धारा 12 लागू होती होु शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (च) के पश्चात्,—

(अ) निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

.(छ) अवक्षयण की रकम ;ु

(आ) .यदि खंड (क)ु शब्दों से आरंभ होने वाले और .घटा दिए गए हैं,—ु शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

.यदि खंड (क) से खंड (छ) में निर्दिष्ट कोई रकम लाभ-हानि लेखा में विकलित की जाती है और उसमें से निम्नलिखित घटा दिए गए हैं,—ु

(ग) खंड (त्त) में, .धारा 10 इ्रउसके खंड (23छ) में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्नटु शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, .धारा 10 इ्रउसके खंड (38) में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्नटु शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (त्त) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

.(त्तक) लाभ-हानि लेखा में विकलित अवक्षयण की रकम (आस्तियों के पुनः मूल्यांकन के कारण अवक्षयण को छोड़कर); या

(त्तख) पुनः मूल्यांकन आरक्षिती से वापस ली गई और लाभ-हानि लेखा में जमा की गई रकम, उस सीमा तक जब तक वह खंड (त्तक) में निर्दिष्ट आस्तियों के पुनः मूल्यांकन के कारण अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होती है ; या ु।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (6) में, .धारा 10 के खंड (23छ) के अंतर्गत न आने वालेु शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर का, 1 अप्रैल, 2007 से लोप किया जाएगा । धारा 115ण का संशोधन।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (2) के परंतुक के खंड (ख) में, .खुलीु शब्द का, 1 जून, 2006 से लोप किया जाएगा । धारा 115द का संशोधन।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 115न के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में, 1 जून, 2006 से,— धारा 115न का संशोधन।

(त) .खुलीु शब्द का लोप किया जाएगा ;

(त्त) उपखंड (त्त) में, .पचास प्रतिशतु शब्दों के स्थान पर, .पैंसठ प्रतिशतु शब्द रखे जाएंगे ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 115बख में, 1 अप्रैल, 2007 से,— धारा 115बख का संशोधन।

(क) उपधारा (2) में,—

(त) खंड (घ) के परंतुक में,—

(अ) खंड (ध) के अंत में आने वाले, .औरु शब्द का लोप किया जाएगा ;

(आ) खंड (ध्त) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

.(ध्त्त) डाक्टरों को निःशुल्क ओषधियों के या चिकित्सा उपस्करों के नमूनों के वितरण पर व्यय है ; और

(ध्त्त्त) निर्धारिती के, जो नियोजक है, कारबार के माल या सेवाओं के विक्रय का संवर्धन करने के लिए ख्यातिप्राप्त किसी व्यक्ति को संदाय के रूप में व्यय है ;ु

(त्त) खंड (च) में, .पर्यटन और यात्रा (जिसके अंतर्गत विदेश यात्रा भी है)ु शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(त्त्त) खंड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

.(थ) पर्यटन और यात्रा (जिसके अंतर्गत विदेश यात्रा भी है) ।ु

(ख) उपधारा (3) में, .या वह संदेय हैु शब्दों के पश्चात्, .या निःशुल्क या सहायता प्राप्त परिवहन की प्रकृति की कोई प्रसुविधा या सुख-सुविधा या कोई ऐसा भत्ता, जिसका नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए उनके निवास-स्थान से कार्य के स्थान तक या ऐसे कार्य के स्थान से निवास-स्थान तक की यात्राओं के लिए उपबंध किया जाता हैु शब्द रखे जाएंगे।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 115बग में, 1 अप्रैल, 2007 से,— धारा 115बग का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(त) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

.(ख) धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट अभिदाय की रकम, जो प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में एक लाख रुपए से अधिक है ;ु

(त्त) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

.(ङ) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (थ) में निर्दिष्ट व्ययों का पांच प्रतिशत ;ु

(ख) उपधारा (2) में,–

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

‘(कक) वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में लगे हुए किसी नियोजक की दशा में, धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सीमांत फायदों का मूल्य, उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट “बीस प्रतिशत” के स्थान पर “पांच प्रतिशत” होगा ;

(कख) पोत द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में लगे हुए किसी नियोजक की दशा में, धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सीमांत फायदों का मूल्य, उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट “बीस प्रतिशत” के स्थान पर “पांच प्रतिशत” होगा ;’;

(ii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

‘(घक) वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में लगे हुए किसी नियोजक की दशा में, धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (छ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सीमांत फायदों का मूल्य, उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट “बीस प्रतिशत” के स्थान पर “पांच प्रतिशत” होगा ;

(घख) पोत द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में लगे हुए किसी नियोजक की दशा में, धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (छ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सीमांत फायदों का मूल्य, उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट “बीस प्रतिशत” के स्थान पर “पांच प्रतिशत” होगा ;’।

धारा 120 का संशोधन। 30. आय-कर अधिनियम की धारा 120 की उपधारा (1) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1988 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :–

“स्पष्टीकरण–शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कोई आय-कर प्राधिकारी, जो उच्चतर पंक्ति का प्राधिकारी है, यदि बोर्ड द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए तो निम्नतर पंक्ति के आय-कर प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन कर सकेगा और बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऐसा कोई निदेश, उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया निदेश समझा जाएगा ।”।

धारा 139 का संशोधन। 31. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में,–

(i) उपधारा (1) के पहले परंतुक के खण्ड (ii) के पश्चात् “पूर्ववर्ष के दौरान” शब्दों के स्थान पर “1 अप्रैल, 2005 के पूर्व समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष के दौरान” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (9) के स्पष्टीकरण में,–

(अ) खंड (ग) के उपखंड (i) में,–

(क) “स्रोत पर काटे जाने का” शब्दों के स्थान पर, “स्रोत पर काटे जाने या संगृहीत किए जाने का” शब्द, 1 अप्रैल, 2007 से रखे जाएंगे ;

(ख) “1 अप्रैल, 2006” अंकों और शब्द के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2008” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) परंतुक में, 1 अप्रैल, 2007 से,–

(i) “जिसके स्रोत पर काटे जाने का” शब्दों के स्थान पर, “जिसके स्रोत पर काटे जाने या संगृहीत किए जाने का” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, रखा जाएगा, अर्थात् :–

“(क) कटौती किए गए या संगृहीत किए गए कर का कोई प्रमाणपत्र धारा 203 या धारा 206ग के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया गया था ;”;

(आ) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“परंतु बोर्ड, उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा,–

(क) किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों के व्यक्तियों को, खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त से अभिमुक्ति दे सकेगा; या

(ख) इस स्पष्टीकरण के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त को इस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (6) के अधीन विहित विवरणी के रूप में सम्मिलित कर सकेगा ।”।

धारा 139क का संशोधन। 32. आय-कर अधिनियम की धारा 139क में,–

(क) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

“(1ख) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसी सूचना के, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी या उनसे सुसंगत हो सकती है, संग्रहण के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो स्थायी लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेंगे और ऐसे व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर जो उस अधिसूचना में उल्लिखित किया गया हो स्थायी लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेंगे ।”;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2006 से रखी जाएगी, अर्थात् :–

“(2) निर्धारण अधिकारी ऐसे संव्यवहारों की, जो विहित किए जाएं, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य व्यक्ति को भी (चाहे उसके द्वारा कर संदेय हो या नहीं) ऐसी रीति में और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, स्थायी लेखा संख्यांक आबंटित कर सकेगा ।”;

(ग) उपधारा (5ख) में, खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) धारा 200 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए और परिदत्त किए गए या परिदत्त कराए गए सभी तिमाही विवरणों में ;”;

(घ) उपधारा (5ग) में, “विक्रेता” शब्द के स्थान पर, “कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति” शब्द, 1 अप्रैल, 2007 से, रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (5घ) में,—

(अ) आरंभिक भाग में, “विक्रेता” शब्द के स्थान पर, “व्यक्ति” शब्द, 1 अप्रैल, 2007, से रखा जाएगा ;

(आ) खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) धारा 206ग की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए और परिदत्त किए गए या परिदत्त कराए गए सभी तिमाही विवरणों में ।”।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 139क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 139ख का अंतःस्थापन ।

“139ख. (1) बोर्ड, किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों को आय की विवरणियां तैयार करने और देने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, धारा 139 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक स्कीम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह उपबन्ध करते हुए बना सकेगा कि ऐसे व्यक्ति अपनी आय की विवरणियों को स्कीम के अधीन उस रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर विवरणी तैयारकर्ता के माध्यम से दे सकेंगे। कर विवरणी प्रस्तुतकर्ता के माध्यम से विवरणियों को प्रस्तुत करने की स्कीम।

(2) प्रत्येक कर विवरणी तैयारकर्ता आय की विवरणी देने वाले व्यक्तियों की, ऐसी रीति से, जो इस धारा के अधीन बनाई गई स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, सहायता करेगा और ऐसी विवरणी पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कर विवरणी तैयारकर्ता” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 288 की उपधारा (2) के खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या “विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों” का कोई कर्मचारी नहीं है, जिसे इस धारा के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ख) “विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के व्यक्ति” से किसी कंपनी या किसी व्यक्ति से भिन्न ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके लेखाओं की धारा 44कख के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लेखापरीक्षा की जाने की अपेक्षा की जाती है, जिससे इस अधिनियम के अधीन आय की विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है।

(4) इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा बनाई गई स्कीम में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह रीति, जिसमें और वह अवधि जिसके लिए कर विवरणी तैयारकर्ताओं को उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत किया जाएगा ;

(ख) कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं और पूरा किए जाने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण और अन्य शर्तें ;

(ग) कर विवरणी तैयारकर्ता के लिए आचार संहिता ;

(घ) कर विवरणी तैयारकर्ता के कर्तव्य और बाध्यताएं ;

(ङ) वे परिस्थितियां जिनके अधीन कर विवरणी तैयारकर्ता को दिया गया प्राधिकार वापस लिया जा सकता है ;

(च) कोई अन्य विषय, जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस स्कीम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित है या किया जा सके ।

(5) इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा बनाई गई प्रत्येक स्कीम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस स्कीम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह स्कीम नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी । किंतु स्कीम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।”।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 140क में, 1 अप्रैल, 2007 से,— धारा 140क का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, “इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन पहले ही संदत्त की गई कर की रकम, यदि कोई हो, हिसाब में लेने के पश्चात्” शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(i) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन पहले ही संदत्त की गई कर की रकम, यदि कोई हो ;

(ii) स्रोत पर कटौती किए गए या संगृहीत किसी कर;

(iii) भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर के संबंध में धारा 90 या धारा 91 के अधीन दावा की गई कर की राहत या कर की कटौती ;

(iv) उस धारा में निर्दिष्ट भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर के संबंध में धारा 90क के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत ; और

(v) धारा 115जकक के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए दावा किए गए किसी कर प्रत्यय,

को हिसाब में लेने के पश्चात्—;

(ख) उपधारा (1क) में, खंड (?) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) धारा 234क के अधीन संदेय ब्याज की विवरणी में घोषित कुल आय के संबंध में कर की रकम पर की जाएगी, जिसमें से,—

(क) संदत्त अग्रिम कर, यदि कोई हो ;

(ख) स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कोई कर ;

(ग) भारत के बाहर किसी देश में संदत्त कर के संबंध में धारा 90 या धारा 91 के अधीन दावाकृत कर, या कर की राहत या कर की कटौती ;

(घ) उस धारा में निर्दिष्ट भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट देश में संदत्त कर के संबंध में धारा 90क के अधीन दावाकृत कर की कोई राहत ; और

(ङ) धारा 115जकक के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए दावाकृत कोई कर,

घटा दिया जाएगा ।

(ग) उपधारा (1ख) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "निर्धारित कर" से विवरणी में घोषित कुल आय के संबंध में कर अभिप्रेत है, जिसमें से,—

(i) ऐसी किसी आय पर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण के अधीन है, और जिसे ऐसी कुल आय की संगणना करने में हिसाब में लिया जाता है, अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कटौती किए गए या संगृहीत कर ;

(ii) भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर के संबंध में धारा 90 या धारा 91 के अधीन दावा की गई कोई कर-राहत या कर-कटौती;

(iii) उस धारा में निर्दिष्ट भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर के संबंध में धारा 90क के अधीन दावा की गई कर की किसी राहत; और

(iv) धारा 115जकक के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए दावा किए गए किसी कर प्रत्यय,

को घटा दिया जाएगा ।'।

धारा 142 का संशोधन। 35. आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) में,—

(क) "धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से पूर्व" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1990 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु जहां किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसने धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से पूर्व विवरणी नहीं दी है, 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत के पश्चात् इस खंड के प्रयोजनों के लिए, इस उपधारा के अधीन किसी सूचना की तामील की गई है, वहां उसे जारी की गई किसी ऐसी सूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि उसकी इस उपधारा के उपबंधों के अनुसार तामील कर दी गई है।"।

धारा 148 का संशोधन। 36. आय-कर अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) में,—

(i) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अक्तूबर, 1991 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'परंतु यह कि किसी मामले में,—

(क) जहां, इस धारा के अधीन तामील की गई किसी सूचना के उत्तर में 1 अक्तूबर, 1991 को आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई विवरणी दी गई है ; और

(ख) तत्पश्चात् धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना की, धारा 143 की उपधारा (2) के परंतुक में, जैसा वह वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उक्त उपधारा के संशोधन से ठीक पूर्व था, विनिर्दिष्ट बारह मास के अवसान के पश्चात्, किंतु धारा 153 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनः संगणना करने के लिए समय-सीमा के अवसान से पूर्व, तामील की गई है, वहां इस खंड में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी सूचना को विधिमान्य सूचना समझा जाएगा : 2002 का 20

परंतु यह और कि किसी मामले में,—

(क) जहां, इस धारा के अधीन तामील की गई किसी सूचना के उत्तर में 1 अक्तूबर, 1991 को आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई विवरणी दी गई है, और

(ख) तत्पश्चात् धारा 143 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन किसी सूचना की, धारा 143 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट बारह मास के अवसान के पश्चात्, किंतु धारा 153 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनः संगणना करने के लिए समय-सीमा के अवसान से पूर्व, तामील की गई है, वहां इस खंड में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी सूचना विधिमान्य सूचना समझी जाएगी ।';

(ii) खंड (i) द्वारा इस प्रकार अंतःस्थापित किए गए दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अक्तूबर, 2005 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि पहले परंतुक या दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी विवरणी को, जो इस धारा के अधीन तामील की गई किसी सूचना के उत्तर में 1 अक्तूबर, 2005 को या उसके पश्चात् दी गई है, लागू नहीं होगी ।"।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 153 में, 1 जून, 2006 से,— धारा 153 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु यदि ऐसा निर्धारण वर्ष, जिसमें आय प्रथम बार निर्धारणीय थी, 1 अप्रैल, 2004 से आरंभ होने वाला निर्धारण वर्ष या कोई पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष है तो खंड (क) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “इक्कीस मास” शब्द रखे गए हों ;’;

(ख) उपधारा (1क) में, “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “इक्कीस मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (1ख) में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “नौ मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु यह और कि जहां धारा 148 के अधीन सूचना की तामील 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् की गई थी, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “नौ मास” शब्द रखे गए हों ;’;

(ङ) उपधारा (2क) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु यह और कि जहां, यथास्थिति, धारा 254 के अधीन आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् आयुक्त द्वारा पारित किया जाता है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “नौ मास” शब्द रखे गए हों ।’।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख की उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 153ख का संशोधन।

‘परंतु यह और कि उस दशा में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार, 1 अप्रैल, 2004 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था, वहां,—

(i) इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर “इक्कीस मास” शब्द रखे गए हों ;

(ii) धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने के लिए परिसीमा की अवधि, उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, इक्कीस मास की या उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें अधिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां धारा 153ग के अधीन ऐसे दूसरे व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती हैं, नौ मास की, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी ।’।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 155 की उपधारा (14) में, 1 अप्रैल, 2007 से,— धारा 155 का संशोधन।

(क) “धारा 199 के उपबंधों के अनुसार, कटौती किए गए कर के लिए प्रत्यय” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “यथास्थिति, धारा 199 या धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार, कटौती किए गए या संगृहीत कर के लिए प्रत्यय” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) “धारा 203” शब्द और अंकों के स्थान पर, “धारा 203 या धारा 206ग” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) परंतुक में, “उस आय को, जिससे कर की कटौती कर ली गई है” शब्दों के स्थान पर, “उस आय को, जिससे कर की कटौती कर ली गई है या उस आय को, जिस पर कर संगृहीत कर लिया गया है” शब्द रखे जाएंगे ।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 2 का, लोप किया जाएगा । धारा 194क का संशोधन।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 199 की उपधारा (3) में, “1 अप्रैल, 2006” अंकों और शब्द के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2008” अंक और शब्द रखे जाएंगे । धारा 199 का संशोधन।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (1क) के अंत में आने वाले “साधारण ब्याज संदत्त करने के दायित्वाधीन होगी” शब्दों के पश्चात्, “और ऐसे ब्याज का संदाय धारा 200 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक तिमाही के लिए तिमाही विवरण प्रस्तुत किए जाने से पूर्व किया जाएगा” शब्द, अंक और कोष्ठक, 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 201 का संशोधन।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (3) में, “1 अप्रैल, 2006” अंकों और शब्द के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2008” अंक और शब्द रखे जाएंगे । धारा 203 का संशोधन।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 203क की उपधारा (2) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2006 से अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 203क का संशोधन

“(खक) धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए और परिदत्त किए गए या परिदत्त करवाए गए सभी तिमाही विवरणों में ;” ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 203कक में, “1 अप्रैल, 2005” अंकों और शब्द के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2008” अंक और शब्द रखे जाएंगे । धारा 203कक का संशोधन।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 206 की उपधारा (1) में “कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी” शब्दों के स्थान पर “1 अप्रैल, 2005 के पूर्व कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी” अंक और शब्द रखे जाएंगे । धारा 206 का संशोधन।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में,— धारा 206ग का संशोधन।

(क) उपधारा (4) के परंतुक में, “1 अप्रैल, 2006” अंकों और शब्द के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2008” अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) में,—

(i) पहले परंतुक में, “1 अप्रैल, 2006” अंकों और शब्द के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2008” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दूसरे परंतुक में, “प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्” शब्दों के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्” अंक और शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2005 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (5क), में “संग्रहण करने वाला” शब्दों के स्थान पर “1 अप्रैल, 2005 के पूर्व संग्रहण करने वाला” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

.(6क) यदि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण नहीं करता है या संग्रहण करने के पश्चात् इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित रूप में कर का संदाय करने में असफल रहता है तो वह, किसी अन्य परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो वह उपगत करे, कर के संबंध में व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा :

परंतु ऐसे व्यक्ति पर धारा 221 के अधीन कोई शास्ति तब तक प्रभारित नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारण अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि व्यक्ति उचित और पर्याप्त कारणों के बिना कर का संग्रहण और संदाय करने में असफल रहा है ।ऽ

(ङ) उपधारा (7) में,—

(i) .विक्रेताऽ शब्द के स्थान पर, .कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तिऽ शब्द 1 अप्रैल, 2007 से रखे जाएंगे;

(ii) अंत में आने वाले .साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगाऽ शब्दों के पश्चात्, .और ऐसे ब्याज का संदाय उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक तिमाही के लिए तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व किया जाएगाऽ शब्द, कोष्ठक और अंक, 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(च) उपधारा (8) में, .विक्रेताऽ शब्द के स्थान पर, .कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तिऽ शब्द 1 अप्रैल, 2007 से रखे जाएंगे ।

धारा 234क का संशोधन।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 234क की उपधारा (1) में खंड (ख) के पश्चात्, .धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन या नियमित निर्धारण पर अवधारित कुल आय पर कर की रकम पर, जैसा कि वह संदत्त अग्रिम कर, यदि कोई हो, और स्रोत पर कटौती किए गए या संगृहीत किसी कर को घटाकर आए, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।ऽ अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2007 से निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

.धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन यथा अवधारित कुल आय के संबंध में कर की रकम पर और जहां कोई नियमित निर्धारण किया गया है वहां नियमित निर्धारण के अधीन अवधारित कुल आय के संबंध में कर की रकम पर जैसा कि वह,—

(i) संदत्त अग्रिम कर , यदि कोई हो ;

(ii) स्रोत पर कटौती किए गए या संगृहीत किसी कर ;

(iii) भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर मद्दे धारा 90 के अधीन अनुज्ञात कर की किसी राहत ;

(iv) धारा 90क में निर्दिष्ट भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर मद्दे उस धारा के अधीन अनुज्ञात कर की किसी राहत ;

(v) भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर मद्दे धारा 91 के अधीन अनुज्ञात संदेय भारतीय आय-कर से किसी कटौती ; और

(vi) धारा 115जकक के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात किसी कर प्रत्यय,

की रकम को घटाकर आए, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।ऽ।

धारा 234ख का संशोधन।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 234ख की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2007 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण 1—इस धारा में .निर्धारित करऽ से अभिप्रेत है धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित कुल आय पर कर और जहां कोई नियमित निर्धारण किया जाता है वहां ऐसे नियमित निर्धारण के अधीन अवधारित कुल आय पर कर, जैसा कि वह,—

(i) किसी आय पर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण के अध्यधीन है और जिसको ऐसी कुल आय की संगणना करने में हिसाब में लिया जाता है, अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए किसी कर ;

(ii) भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर मद्दे धारा 90 के अधीन अनुज्ञात कर की किसी राहत ;

(iii) धारा 90क में निर्दिष्ट भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर के संबंध में उस धारा के अधीन अनुज्ञात कर की किसी राहत ;

(iv) भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर के संबंध में धारा 91 के अधीन अनुज्ञात संदेय भारतीय आय-कर से किसी कटौती; और

(v) धारा 115जकक के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात किसी कर प्रत्यय,

की रकम को घटा कर आए ।ऽ।

धारा 234ग का संशोधन।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 234ग की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2007 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण—इस धारा में .विवरणी में दी गई आय पर देय करऽ से अभिप्रेत है उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अग्रिम कर का संदाय किया जाता है या वह संदेय है, ठीक पश्चात्वर्ती 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा दी गई आय की विवरणी में घोषित कुल आय पर प्रभार्य कर, जैसा कि वह,—

(i) किसी आय पर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण के अध्यधीन है और जिसको ऐसी कुल आय की संगणना करने में हिसाब में लिया गया है, अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कटौती योग्य या संग्रहण योग्य किसी कर ;

(ii) भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर के संबंध में धारा 90 के अधीन अनुज्ञात कर की किसी राहत ;

(iii) धारा 90क में निर्दिष्ट भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर के संबंध में उस धारा के अधीन अनुज्ञात कर की किसी राहत ;

(थ) भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर के संबंध में धारा 91 के अधीन अनुज्ञात संदेय भारतीय आय-कर से किसी कटौती; और

(ध) धारा 115जकक के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात किसी कर प्रत्यय,

की रकम को घटा कर आए ।ः।

धारा 246क का संशोधन।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) के खंड (ढ) में, .धारा 271गः शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर .धारा 271ग, धारा 271गकः शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2007 से, अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 271गक का अंतःस्थापन।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 271ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

स्रोत पर कर का संग्रहण करने में असफलता के लिए शास्ति।

.271गक. (1) यदि कोई व्यक्ति अध्याय 17खख के उपबंधों द्वारा अपेक्षित रूप में या उनके अधीन संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में ऐसे कर की, जिसका ऐसा व्यक्ति यथापूर्वोक्त संग्रहण करने में असफल रहता है, रकम के बराबर राशि का संदाय करने का दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय कोई शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।ः।

धारा 272क का संशोधन।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 272 की उपधारा (2) के परन्तुक में .धारा 206 और धारा 206ग के अधीन विवरणीः शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात् .और धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन विवरणोंः शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 272खख का संशोधन।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 272खख में, 1 जून, 2006 से,—

(i) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

.(1क) यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 203क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट चालानों या प्रमाणपत्रों या विवरणों या अन्य दस्तावेजों में, यथास्थिति, अपना रूकर कटौती लेखा संख्यांक- या रूकर संग्रहण लेखा संख्यांक- या रूकर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक- उद्धृत करने की अपेक्षा की गई है, ऐसा संख्यांक उद्धृत करता है, जो मिथ्या है और जो उसकी जानकारी या विश्वास से मिथ्या है या जिसके बारे में वह यह जानता है कि वह सही नहीं है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा ।ः

(ii) उपधारा (2) में, .उपधारा (1)ः शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, .या उपधारा (1क)ः शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 273ख का संशोधन।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 273ख में,—

(क) .धारा 271गः शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर .धारा 271ग, धारा 271गकः शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) .धारा 272खख की उपधारा (1)ः शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, .धारा 272खख की उपधारा (1) या उपधारा (1क)ः शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक, 1 जून, 2006 से रखे जाएंगे ।

चौथी अनुसूची का संशोधन।

56. आय-कर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क में, 1 अप्रैल, 2007 से,—

(क) नियम 3 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

.परंतु जहां किसी भविष्य निधि को 31 मार्च, 2006 को या उसके पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और ऐसी भविष्य निधि नियम 4 के खंड (डक) में उपवर्णित शर्तों को पूरा नहीं करती है तो ऐसी निधि की मान्यता को, यदि ऐसी निधि 31 मार्च, 2007 को या उससे पूर्व उक्त खंड में उपवर्णित शर्तों और ऐसी किसी अन्य शर्त को, जो बोर्ड इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पूरा नहीं करती है, वापस ले लिया जाएगा ।ः

(ख) नियम 4 में, खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1952 का 19

.(डक) किसी ऐसे स्थापन की निधि, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंध लागू होते हैं और ऐसे स्थापन को उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन, उस धारा में निर्दिष्ट किसी स्कीम के सभी या किसी उपबंध के प्रवर्तन से छूट प्रदान की गई है ;ः।

धन-कर

57. धन-कर अधिनियम की धारा 17क में, 1 जून, 2006 से,— 1957 के अधिनियम 27 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि यदि वह निर्धारण वर्ष, जिसमें शुद्ध धन पहली बार निर्धारणीय था, 1 अप्रैल, 2004 को आरंभ होने वाला निर्धारण वर्ष या कोई पश्चात्वर्ती वर्ष है तो इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो ‘दो वर्ष’ शब्दों के स्थान पर ‘इक्कीस मास’ शब्द रखे गए हों ।”;

(ख) उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि जहां धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् की गई थी वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो ‘एक वर्ष’ शब्दों के स्थान पर ‘नौ मास’ शब्द रखे गए हों ।”;

(ग) उपधारा (3) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि, यथास्थिति, जहां आदेश धारा 23क या धारा 24 के अधीन मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया गया है या आदेश धारा 25 के अधीन आयुक्त द्वारा 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् पारित किया गया है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो ‘एक वर्ष’ शब्दों के स्थान पर ‘नौ मास’ शब्द रखे गए हों ;”;

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 23 का संशोधन। 58. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1962 का 52

‘परंतु किसी ऐसे आयातित माल के स्वामी को, ऐसे माल पर अपने हक का त्याग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है ।’।

धारा 68 का संशोधन। 59. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 68 में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु यह और कि ऐसे किसी भांडागारित माल के स्वामी को, ऐसे माल पर अपने हक का त्याग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है ।’।

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का संशोधन। 60. (1) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 423(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1992 और सा.का.नि. 619(अ), तारीख 17 सितंबर, 2004 दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में, उनमें से प्रत्येक के सामने यथाविनिर्दिष्ट रीति में भूतलक्षी रूप से उस अनुसूची के स्तंभ (4) में वर्णित तत्स्थानी तारीख से ही संशोधित हो जाएगी और संशोधित की गई समझी जाएगी और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचनाओं के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या किसी बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है या सदैव की गई है मानो इस उपधारा द्वारा यथासंशोधित अधिसूचनाएं सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रही हों ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं की समाप्ति के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की इस प्रकार शक्ति होगी और समझी जाएगी मानो केंद्रीय सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन भूतलक्षी रूप से सभी तात्त्विक समयों पर उक्त अधिसूचनाओं का संशोधन करने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आती ।

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 9 का संशोधन। 61. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 में,— 1975 का 51

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, ‘निर्यात या उत्पादन करने वाले देश के राज्यक्षेत्र के भीतर’ शब्दों के स्थान पर, ‘निर्यात या उत्पादन करने वाले देश या राज्यक्षेत्र में’ शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘(7क) जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, शुल्क की दर, अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, प्रतिदाय, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों के अवधारण की तारीख से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, यथासाध्य, उस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्कों के संबंध में लागू होंगे ।’। 1962 का 52

धारा 9क का संशोधन। 62. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (?) में, ‘उपभोग के लिए है’ शब्दों के स्थान पर, ‘उपभोग के लिए नियत है’ शब्द रखे जाएंगे ।

पहली अनुसूची का संशोधन। 63. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,—

(क) तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ख) 1 जनवरी, 2007 से चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से भी संशोधन किया जाएगा ।

उत्पाद-शुल्क

धारा 12ग का संशोधन।

64. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 12ग की उपधारा (2) के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1944 का 1

“(घ) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73क की उपधारा (6) में निर्दिष्ट अधिशेष रकम ।”। 1994 का 32

धारा 23ग का संशोधन।

65. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23ग की उपधारा (2) के खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(च) इस अधिनियम के अधीन किसी माल पर उत्पाद-शुल्क का संदाय करने के दायित्व का अवधारण ।”।

तीसरी अनुसूची का संशोधन।

66. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का,—

(क) 1 जनवरी, 2007 से, पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा;

(ख) उस तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उक्त पांचवीं अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट रीति से भी संशोधन किया जाएगा।

उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 के अधिनियम 5 की पहली अनुसूची का संशोधन।

67. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची का,—

(क) छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ख) 1 जनवरी, 2007 से, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से भी संशोधन किया जाएगा ।

सेवा कर

68. वित्त अधिनियम, 1994 में,ᕀ 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

(अ) धारा 65 में, उस तारीख से, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,ᕀ

(1) खंड (3) में, रुरुवाणिज्यिक समुत्थान॒ शब्दों के स्थान पर, रुरुव्यक्ति॒ शब्द रखा जाएगा ;

(2) खंड (3ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :ᕀ

रु(3ख) रुरुवायुयान प्रचालक॒ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो वायुयान द्वारा माल या यात्रियों के परिवहन की सेवा प्रदान करता है ;ॅ;

(3) खंड (7) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :ᕀ

रु(7क) रुरुसंपत्ति की नीलामी॒ के अन्तर्गत संपत्ति की नीलामी के संबंध में नीलामी का आह्वान करना या कोई सुविधा, विज्ञापन या दृष्टांत सेवाएं, नीलामी पूर्व कीमत प्राक्कलनों, अल्पकालिक भंडारण सेवाओं, मरम्मत या पुनःस्थापन सेवाओं को उपलब्ध कराना भी है ;ॅ;

(4) खंड (9) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :ᕀ

रु(9क) रुरुस्वचालित टेलर मशीन॒ से ऐसी परस्पर क्रियात्मक स्वचालित मशीन अभिप्रेत है जो नकदी का वितरण करने, नकद निक्षेप स्वीकार करने, बैंक खातों के बीच धन का अंतरण करने और अन्य वित्तीय संव्यवहारों को सुकर बनाने के लिए परिकल्पित की गई है ;

(9ख) रुरुस्वचालित टेलर मशीन प्रचालन, अनुरक्षण या प्रबंध सेवा॒ से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है, जो स्वचालित टेलर मशीनों के संबंध में प्रदान की गई है और जिसमें स्थल चयन, अवस्थान की संविदा करना, अर्जन, वित्तपोषण, प्रतिष्ठापन, प्रमाणन, संबंध, अनुरक्षण, संव्यवहार प्रसंस्करण, नकदी-पूर्वानुमान, पुनः पूर्ति, समाधान और मूल्य वर्द्धित सेवाएं सम्मिलित हैं;

1934 का 2

(9ग) रुरुकिसी निर्गम का बैंककार॒ से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित ऐसा कोई बैंक अभिप्रेत है, जो किसी निर्गम से संबंधित क्रियाकलाप कर रहा है, जिसके अंतर्गत आवेदन, आवेदन धन, आबंटन राशि और मांग राशि को स्वीकार करना, आवेदन धन का प्रतिदाय करना, लाभांश और ब्याज वारंटों का संदाय करना भी है ;ॅ;

(5) खंड (12) के उपखंड (क) में,ᕀ

(क) रुरुवाणिज्यिक समुत्थान॒ शब्दों के स्थान पर, रुरुकोई अन्य व्यक्ति॒ शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) मद (??) का लोप किया जाएगा ;

(ग) मद (=???) के स्थान पर, निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :ᕀ

रु(=???) निर्गम संबंधी सेवाओं के लिए बैंकार ; और

(?!) अन्य वित्तीय सेवाएं, अर्थात् उधार देना, संदाय आदेश, मांग देय ड्राफ्ट, चेक, प्रत्यय-पत्र और विनिमय पत्र जारी करना, धन का अंतरण करना जिसके अंतर्गत टेलीग्राफिक अंतरण, डाक अंतरण और इलैक्ट्रानिक अंतरण सम्मिलित है; बैंक गारंटी, अधिड्राफ्ट सुविधा, बिल डिस्काउंट सुविधा देना, सुरक्षित निक्षेप लाकर, सेफवाल्ट, बैंक खातों का प्रचालन करना भी है;ॅ;

(6) खंड (19) के स्पष्टीकरण के पैरा (ख) में, रुरुउसका विकास या अनुरक्षण करने या कंप्यूटरीकृत डाटा प्रसंस्करण॒ शब्दों के स्थान पर, रुरुया कंप्यूटर साफ्टवेयर का विकास करने॒ शब्द रखे जाएंगे ;

(7) खंड (31) में, रुरुइंजीनियरी फर्म॒ शब्दों के स्थान पर, रुरुकोई निगमित निकाय या कोई अन्य फर्म॒ शब्द रखे जाएंगे ;

(8) खंड (33) में, रुरुऐसा वाणिज्यिक समुत्थान॒ शब्दों के स्थान पर, रुरुकोई व्यक्ति॒ शब्द रखे जाएंगे ;

(9) खंड (33) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :ᕀ

रु(33क) रुरुक्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य संदाय कार्ड सेवा॒ के अंतर्गत कोई ऐसी सेवा भी है, जोᕀ

(?) किसी बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था, जिसमें गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् निर्गम बैंक कहा गया है) सम्मिलित है, द्वारा किसी कार्डधारक को ऐसा कार्ड जारी करके ;

(??) किसी व्यक्ति द्वारा, किसी निर्गम बैंक को ऐसे कार्ड कारबार के संबंध में जिसमें आवेदन की प्राप्ति और प्रसंस्करण, निर्गम बैंक के वैयक्तीकरण अभिकरण को उत्कीर्णन डाटा का अंतरण, स्वःचालित टेलर मशीन वैयक्तिक पहचान संख्यांक जनन कार्ड का नवीकरण या बदला जाना, पते में परिवर्तन, उधार सीमा की वृद्धि, संदाय अद्यतन करना और विवरण तैयार करना सम्मिलित है ;

(???) किसी व्यक्ति द्वारा, जिसमें कोई निर्गम बैंक और कोई अर्जक बैंक सम्मिलित है, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे कार्ड के माध्यम से संव्यवहृत किसी रकम के परिनिर्धारण के संबंध में,

दी जाती है।

स्पष्टीकरणश्इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, रूरूअर्जक बैंक्र से अभिप्रेत है ऐसी कोई बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था है, जिसके अंतर्गत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को संदाय करता है, जिसने ऐसा कार्ड स्वीकार किया है ;

(?=) संयुक्त प्रोत्साहन संबंधी कार्ड, संबंध-कार्ड या सह-ब्रांड युक्त कार्ड के संबंध में ;

(=) ऐसे कार्ड के माध्यम से माल के संवर्धन और विपणन तथा सेवाओं के संबंध में ;

(=?) किसी व्यक्ति द्वारा किसी निर्गम बैंक या ऐसे कार्ड के धारक को ऐसे व्यक्ति की स्वचालित टेलर मशीनों का उपयोग करने के लिए ; और

(=??) व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम के स्वामी द्वारा किसी करार के अधीन निर्गम बैंक को व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम के उपयोग और ऐसे कार्ड के संबंध में अन्य सेवाओं के लिए, चाहे ऐसा स्वामी कोई क्लब या संगम हो या नहीं और निर्गम बैंक ऐसे क्लब या संगम का सदस्य हो या नहीं ।

प्रदान की जाती है ।

स्पष्टीकरणश्इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, किसी जारीकर्ता बैंक और व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम के स्वामी को पृथक् व्यक्ति माना जाएगा ।Rॅ;

(10) खंड (34) में, रूरूवाणिज्यिक समुत्थान्र शब्दों के स्थान पर, रूरूव्यक्ति्र शब्द रखा जाएगा ;

(11) खंड (35) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :श्

रू(35क) रूरूसीमाशुल्क विमानपत्तन्र से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उस रूप में नियत कोई विमानपत्तन अभिप्रेत है ;्र; 1962 का 52

(12) खंड (38) में, रूरूवाणिज्यिक समुत्थान्र शब्दों के स्थान पर, रूरूव्यक्ति्र शब्द रखा जाएगा ;

(13) खंड (39क) के उपखंड (?) में, रूरूमशीनरी या उपस्कर्र शब्दों के स्थान पर, रूरूमशीनरी, उपस्कर, या संरचना, चाहे पूर्व निर्मित हो या अन्यथा्र शब्द रखे जाएंगे ;

(14) खंड (50ख) में, रूरूवाणिज्यिक समुत्थान जो्र शब्दों के स्थान पर, रूरूव्यक्ति, जो्र शब्द रखे जाएंगे ;

(15) खंड (56) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :श्

रू(56क) किसी यात्री के संबंध में, रूरूअंतरराष्ट्रीय यात्रा्र से किसी सीमाशुल्क विमानपत्तन से किसी वायुयान में भारत से बाहर किसी स्थान की उसकी यात्रा अभिप्रेत है ;

(56ख) रूरूइन्टरनेट्र से कोई ऐसी विश्वव्यापी सूचना प्रणाली अभिप्रेत है, जो ऐसे विश्वव्यापी विशिष्ट पते द्वारा तार्किक रूप से एक साथ जुड़ी हुई है, जो किसी इन्टरनेट प्रोटोकाल या उसके पश्चात्वर्ती संवर्धनों या उन्नयनों पर आधारित है और पारेषण नियंत्रण प्रोटोकाल या इन्टरनेट प्रोटोकाल सूट या उसके पश्चात्वर्ती संवर्धनों या उन्नयनों और सभी अन्य इन्टरनेट प्रोटोकाल अनुरूप प्रोटोकालों का प्रयोग करते हुए संचारों में सहायता देने योग्य है ;्र;

(16) खंड (57) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :श्

रू(57क) रूरूइन्टरनेट टेलीफोनी्र से इन्टरनेट के माध्यम से दूर-संचार सेवा अभिप्रेत है और जिसमें फैक्स, आडियो कान्फ्रेंसिंग और वीडियों कान्फ्रेंसिंग सम्मिलित है ;्र;

(17) खंड (58) में, रूरूअभिप्रेत है्र शब्दों के पश्चात्, रूरूऔर इसके अंतर्गत कोई पुनःबीमाकर्ता भी है्र शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(18) खंड (59) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :श्

रू(59क) रूरूनिर्गम्र से जनता या प्रतिभूतियों के धारक को या उससे प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय की कोई प्रस्थापना अभिप्रेत है ;्र;

(19) खंड (64) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :श्

रू(64) रूरूप्रबंध, अनुरक्षण या मरम्मत्र से,श्

(?) किसी संविदा या करार के अधीन किसी व्यक्ति ; या

(??) किसी विनिर्माता या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा,श्

(क) संपत्तियों के, चाहे स्थावर हो या नहीं प्रबंध ;

(ख) संपत्तियों के, चाहे स्थावर हो या नहीं अनुरक्षण या मरम्मत ;

(ग) अनुरक्षण या मरम्मत, जिसके अंतर्गत मोटर यान को छोड़कर किसी माल का पुनर्नुकूलन या पुनरुद्धार या सर्विसिंग भी है,

के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है;्र;

(20) खंड (65) में, रूरूकिसी संगठन की किसी कार्यप्रणाली की संकल्पना, अभिकल्पना, विकास, उपांतरण, परिष्करण या उन्नयन से संबंधित्र शब्दों के स्थान पर, रूरूसूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों या प्रबंध के अन्य समरूप क्षेत्रों के वित्तीय प्रबंध, मानव संसाधन प्रबंध, विपणन प्रबंध, उत्पादन प्रबंध, तर्कसंगत प्रबंध, उपापन और प्रबंध से संबंधित्र शब्द रखे जाएंगे ;

(21) खंड (68) और खंड (69) में, रूरूवाणिज्यिक समुत्थान− शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, रूरूव्यक्ति− शब्द रखा जाएगा ;

(22) खंड (77ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :ॐ

रू(77ग) रूरूयात्री− से कोई अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने के लिए किसी सीमाशुल्क विमानपत्तन पर किसी वायुयान में चढ़ने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किंतु जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है,ॐ

(?) ऐसा व्यक्ति, जो भारत से बाहर किसी स्थान से ऐसे सीमाशुल्क विमानपत्तन पर पहुंच चुका है और जो भारत से होते हुए अभिवहन में है, परंतु यह तब जबकि वह उसी वायुयान द्वारा भारत से बाहर किसी स्थान के लिए अपनी यात्रा जारी रखता है और उड़ान की संख्या वही है जिसके द्वारा वह पहुंचा है ; और

(??) वायुयान में सवार उसके कारबार के संबंध में किसी भी हैसियत में नियोजित या लगा हुआ कोई व्यक्ति ;−;

(23) खंड (79) में, रूरूकोई वाणिज्यिक समुत्थान− शब्दों के स्थान पर, रूरूकोई व्यक्ति− शब्द रखे जाएंगे ;

(24) खंड (86ख) में, रूरूवाणिज्यिक समुत्थान− शब्दों के स्थान पर, रूरूव्यक्ति− शब्द रखे जाएंगे ;

(25) खंड (86ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :ॐ

रू(86ग) रूरूलोक संपर्क− में उद्योग, मीडिया और प्रत्यक्ष ज्ञान अनुसंधान, कारपोरेट छवि प्रबंध, मीडिया संबंध, मीडिया प्रशिक्षण, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस सम्मेलन, वित्तीय लोक संबंधों, ब्रांड समर्थन, ब्रांड समारंभ, फुटकर समर्थन और संवर्धन, वृत्तांतों और संचार, संकट संचारों पर आधारित नीतिगत परामर्श देना सम्मिलित है ;−;

(26) खंड (89ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात् :ॐ

रू(89ग) रूरूकिसी निर्गम के लिए रजिस्ट्रार− से किसी निर्गम के संबंध में क्रियाकलाप करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत विनिधानकर्ताओं से आवेदन पत्रों का संग्रहण करना, आवेदनों और विनिधानकर्ताओं से प्राप्त और प्रतिभूति विक्रेताओं को संदत्त धन का अभिलेख रखना, प्रतिभूतियों के आबंटन के आधार के अवधारण में सहायता करना, प्रतिभूतियों के आबंटन के हकदार व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप देना और आबंटन पत्रों, प्रतिदाय आदेशों या प्रमाणपत्रों और अन्य संबंधित दस्तावेजों पर कार्यवाही करना और उन्हें प्रेषित करना ;−;

(27) खंड (94) में, रूरूवाणिज्यिक समुत्थान− शब्दों के स्थान पर, रूरूव्यक्ति− शब्द रखे जाएंगे ;

(28) खंड (95) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :ॐ

रू(95क) रूरूशेयर अंतरण अभिकर्ता− से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रतिभूति धारकों का अभिलेख रखता है और प्रतिभूतियों के अंतरण और उन्मोचन से सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक क्रियाकलाप से सभी विषयों पर कार्यवाही करता है ;−;

(29) खंड (96) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :ॐ

रू(96क) रूरूपोत प्रबंध सेवा− में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,ॐ

(?) पोत के अनुरक्षण, सर्वेक्षण और मरम्मत का पर्यवेक्षण ;

(??) कर्मीदलों को लगाना या उपलब्ध कराना ;

(???) स्वामी की ओर से किराया या भाड़ा प्रभार प्राप्त करना ;

(?=) लदाई और उतराई की व्यवस्थाएं ;

(=) पोत की रसद या भंडारण की व्यवस्था करना ;

(=?) बंकर ईंधन और स्नेहक तेल के लिए संविदाओं पर बातचीत करना ;

(=??) सेवाएं उपलब्ध कराने या पोत के प्रबंध के संबंध में उपगत व्यय का स्वामी की ओर से संदाय ;

(=???) किसी संरक्षण या क्षतिपूर्ति संगम में पोत का प्रवेश ;

(?!) बीमा, कबाड़ और अन्य दावों के संबंध में कार्यवाही करना ; और

(!) पोत के संबंध में बीमे की व्यवस्था करना ;−;

(30) खंड (99) में, रूरूवाणिज्यिक समुत्थान− शब्दों के स्थान पर, रूरूव्यक्ति− शब्द रखा जाएगा ;

(31) खंड (99) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :ॐ

रू(99क) रूरूप्रायोजन− के अंतर्गत प्रायोजक के पश्चात् किसी वृतान्त का नाम रखना, प्रायोजक कंपनी के प्रतीक चिह्न या व्यापार नाम को प्रदर्शित करना, प्रायोजक को अनन्य या पूर्विकता बुकिंग अधिकार देना, प्रतिस्पर्धा के लिए पुरस्कार या ट्राफियों का प्रायोजन करना है, किंतु इसमें दाताओं द्वारा दिए गए संदानों या दानों के रूप में दी गई कोई वित्तीय या अन्य सहायता इस शर्त के अधीन रहते हुए सम्मिलित नहीं है कि सेवा प्रदाता ऐसे दाताओं को बदले में कुछ प्रदान करने की बाध्यता के अधीन नहीं है ;−;

(32) खंड (104ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :ॐ

रु(104ग) रुरुकारबार या वाणिज्य की सहायक सेवाओं॓ से कारबार या वाणिज्य के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत भावी ग्राहकों का मूल्यांकन, टेली विपणन, क्रय आदेशों और पूर्ति सेवाओं के संबंध में कार्यवाही करना, परिदान अनुसूचियों की सूचना और उनका पता लगाना, प्रबंध वितरण और तर्क, ग्राहक संबंध प्रबंधन सेवाएं, संव्यवहारों का लेखा रखना और उन पर कार्यवाही करना, विपणन के लिए संक्रियात्मक सहायता, ग्राहक सेवा और कीमत, नीतियां बनाना, अवसंरचना संबंधी सहायक सेवाएं, और अन्य संव्यवहार कार्यवाही भी है ;

स्पष्टीकरण॰इस खंड के प्रयोजनों के लिए, रुरुअवसंरचना संबंधी सहायक समर्थन सेवाओं॓ में कार्यालय संबंधी उपयोगिताओं, विश्राम कक्ष, संदेशों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए सक्षम कार्मिकों सहित स्वागत कक्ष, सचिवालय सेवाओं, इंटरनेट और दूरसंचार सुविधाओं, पैन्ट्री और सुरक्षा के साथ कार्यालय उपलब्ध कराना सम्मिलित है ;॓;

(33) खंड (105) में,॰

(क) रुरुपालिसीधारक॓ शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, रुरुपालिसीधारक या कोई व्यक्ति॓ शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) रुरुबीमाकर्ता॓ शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, रुरुबीमाकर्ता, जिसमें पुनःबीमाकर्ता सम्मिलित है॓ शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपखंड (यग) में, रुरुवाणिज्यिक समुत्थान॓ शब्दों के स्थान पर, रुरुव्यक्ति॓ शब्द रखा जाएगा ;

(घ) उपखंड (यज) में, रुरुकिसी वाणिज्यिक समुत्थान॓ शब्दों के स्थान पर, रुरुकिसी व्यक्ति॓ शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपखंड (यड) में, रुरुवाणिज्यिक समुत्थान॓ शब्दों के स्थान पर, रुरुकोई अन्य व्यक्ति॓ शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपखंड (ययख) में, रुरुकिसी वाणिज्यिक समुत्थान॓ शब्दों के स्थान पर, रुरुकिसी व्यक्ति॓ शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) उपखंड (ययछ) में, रुरुअनुरक्षण या मरम्मत॓ शब्दों के स्थान पर, रुरुप्रबंध, अनुरक्षण या मरम्मत॓ शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) उपखंड (ययथ) में, रुरुकिसी वाणिज्यिक समुत्थान॓ शब्दों के स्थान पर, रुरुकिसी अन्य व्यक्ति॓ शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) उपखंड (यययज) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :॰

रु(यययझ) किसी व्यक्ति को प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय के संबंध में, किसी निर्गम रजिस्ट्रार द्वारा ;

(यययञ) किसी व्यक्ति को प्रतिभूतियों के संबंध में, किसी शेयर अंतरण अभिकर्ता द्वारा ;

(यययट) किसी व्यक्ति को, किसी भी रीति में, स्वचालित टेलर मशीन प्रचालन, अनुरक्षण या प्रबंध सेवा के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(यययठ) किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था (जिसके अंतर्गत कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है) या किसी अन्य निगमित निकाय या किसी फर्म को, किसी भी रीति में ऐसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या किसी अन्य निगमित निकाय या फर्म को शोध्य किसी राशि की वसूली के संबंध में, किसी व्यक्ति द्वारा ;

(यययड) किसी व्यक्ति को, किसी रीति में विज्ञापन के स्थान या समय के विक्रय के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किंतु जिसमें प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन के लिए स्थान का विक्रय और किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन द्वारा समय स्लाटों का विक्रय नहीं है ।

स्पष्टीकरण 1॰इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, स्रविज्ञापन के लिए स्थान या समय का विक्रय॓ में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,॰

(?) दृश्य कार्यक्रमों, दूरदर्शन कार्यक्रमों या चलचित्रों या संगीत एलबमों में या इश्तिहार पट्टों, लोक स्थानों, भवनों, वाहनों, सैलफोनों, स्वचालित टेलर मशीनों, इन्टरनेट पर किसी उत्पाद या सेवा को प्रदर्शित, विज्ञापित, प्रदर्शन केस में प्रदर्शित करने के लिए, यथास्थिति, स्थान या समय उपलब्ध कराना;

(??) किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेडियो या टेलीविजन पर समय स्लाट का विक्रय ; और

(???) हवाई विज्ञापन ।

स्पष्टीकरण 2॰इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, स्रप्रिंट मीडिया॓ से प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 1 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित रुरुपुस्तक॓ और रुरुसमाचार पत्र॓ अभिप्रेत है ; 1867 का 25

(यययढ) किसी निगमित निकाय या फर्म को, किसी रीति में प्रायोजन के संबंध में ऐसा प्रायोजन प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, किंतु इसमें खेल वृत्तांत प्रायोजन के संबंध में सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं ;

(यययण) किसी यात्री को, किसी वायुयान प्रचालक द्वारा ऐसे यात्री के समयबद्ध या असमयबद्ध वायुमार्ग द्वारा परिवहन के संबंध में, जो मितव्ययी श्रेणी से भिन्न किसी श्रेणी में वायुयान द्वारा अंतरराष्ट्रीय यात्रा भारत में आरंभ कर रहा है ।

स्पष्टीकरण 1॰इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, वायुमार्ग द्वारा यात्रियों के समयबद्ध वायुमार्ग द्वारा परिवहन के लिए आशयित किसी विमान में मितव्ययी श्रेणी से निम्नलिखित अभिप्रेत है,॰

(?) जहां यात्रा की एक से अधिक श्रेणी है, वहां न्यूनतम मानक भाड़े को आकर्षित करने वाली श्रेणी ; या

(??) जहां यात्रा की केवल एक श्रेणी है, वहां वह श्रेणी ।

स्पष्टीकरण 2॰इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, यात्रियों के असमयबद्ध वायुमार्ग द्वारा परिवहन के लिए आशयित किसी वायुयान में यात्रा की किसी श्रेणी को मितव्ययी श्रेणी नहीं माना जाएगा ;

(यययत) किसी व्यक्ति को, किसी रीति में रेल द्वारा, आधानों में माल के परिवहन के संबंध में, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (20) में यथापरिभाषित सरकारी रेल से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ; 1989 का 24

(ययथ) किसी व्यक्ति को, किसी रीति में कारबार या वाणिज्य की सहायक सेवाओं के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययद) किसी व्यक्ति को, किसी रीति में, जंगम या स्थावर, मूर्त या अमूर्त संपत्ति की नीलामी के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किंतु इसमें किसी न्यायालय के निदेशों या आदेशों के अधीन संपत्ति की नीलामी या सरकार द्वारा नीलामी सम्मिलित नहीं है ;

(ययध) किसी व्यक्ति को, किसी रीति में ऐसे व्यक्ति के लोक संबंधों के प्रबंध के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ययन) किसी व्यक्ति को, किसी संविदा या किसी करार के अधीन पोत प्रबंध सेवा के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययप) किसी व्यक्ति को, इंटरनेट टेलीफोनी के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययफ) किसी व्यक्ति को, किसी पर्यटन पोत द्वारा भारत में किसी पत्तन या अन्य पत्तन से ऐसे व्यक्तियों के परिवहन के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ।

स्पष्टीकरण श्इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, स्र्पर्यटन पोत− से आमोद-प्रमोद या सुखद पर्यटन उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त कोई पोत या जलयान अभिप्रेत है, किंतु इसमें निजी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कोई पोत या जलयान अथवा पन्द्रह या उससे कम शुद्ध टनभार का कोई पोत या जलयान सम्मिलित नहीं है ;

(ययभ) किसी व्यक्ति को, किसी रीति में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य संदाय कार्ड सेवा के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;−;

(ञ) अंत में, आने वाले स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(34) खंड (106) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :श्

स्र्स्पष्टीकरणश्शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण, के अंतर्गत ओषधि के नैदानिक परीक्षण और निर्माण के प्रयोजन के लिए किया गया परीक्षण और विश्लेषण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत रोगी की दशा की प्रकृति के अवधारण, किसी रोग की पहचान, मानवों या पशुओं में किसी रोग या विकृति के निवारण के प्रयोजन के लिए परीक्षण या विश्लेषण नहीं है ;−;

(35) खंड (121) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :श्

स्र्स्पष्टीकरणश्इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कराधेय सेवा के अंतर्गत किसी अनिगमित संगम या व्यक्ति निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली कोई कराधेय सेवा भी है ।−;

(आ) धारा 66 में,श्

(1) स्र्दस प्रतिशत− शब्दों के स्थान पर, स्र्बारह प्रतिशत− शब्द रखे जाएंगे ;

(2) ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, स्र्और (ययज)− शब्द, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, स्र्(ययज), (ययझ), (ययञ), (ययट), (ययठ), (ययड), (ययढ), (ययण), (ययत), (ययथ), (ययद), (ययध), (ययन), (ययप), (ययफ) और (ययब)− कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) धारा 66 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :श्

भारत के बाहर से प्राप्त की गई सेवाओं पर सेवा कर का प्रभार।

स्66क. (1) जहां धारा 65 के खंड (105) में विनिर्दिष्ट कोई सेवा,श्

(क) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई है या उपलब्ध कराई जानी है, जिसने कोई ऐसा कारबार स्थापित किया है या जिसका ऐसा स्थायी स्थापन है, जिससे सेवा उपलब्ध कराई गई है या उपलब्ध कराई जानी है या उसका स्थायी पता या प्रायिक निवास का स्थान भारत से भिन्न किसी देश में है, और

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राप्तिकर्ता कहा गया है) द्वारा प्राप्त की गई है जिसका कारबार का स्थान, नियत स्थापन, स्थायी पता या प्रायिक निवास का स्थान भारत में है,

वहां ऐसी सेवा इस धारा के प्रयोजनों के लिए कराधेय सेवा होगी और ऐसी कराधेय सेवा को इस प्रकार माना जाएगा मानो प्राप्तिकर्ता ने भारत में स्वयं सेवा उपलब्ध कराई हो और इस अध्याय के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे :

परंतु जहां सेवा का प्राप्तिकर्ता कोई व्यष्टि है और उसके द्वारा प्राप्त की गई ऐसी सेवा किसी कारबार या वाणिज्या में प्रयोग के प्रयोजन से अन्यथा प्रयोजन के लिए है वहां इस उपधारा के उपबंध लागू नहीं होंगे :

परंतु यह और कि यदि सेवा प्रदाता का अपना कारबार स्थापन उस देश में और कहीं अन्यत्र, दोनों स्थानों पर है तो उस देश को, जिसमें सेवा के उपबंध से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध सेवा प्रदाता का स्थापन अवस्थित है, ऐसा देश माना जाएगा, जिससे सेवा उपलब्ध कराई गई है या उपलब्ध कराई जानी है ।

(2) जहां कोई व्यक्ति भारत में किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से और भारत से भिन्न किसी देश में किसी अन्य स्थायी स्थापन के माध्यम से कोई कारबार कर रहा है वहां ऐसे स्थायी स्थापनों को इस धारा के प्रयोजनों के लिए पृथक् व्यक्ति के रूप में माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1श्किसी देश में किसी शाखा या अभिकरण के माध्यम से कारबार करने वाले किसी व्यक्ति को उस देश में कारबार स्थापन वाला व्यक्ति माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—किसी निगमित निकाय के संबंध में प्रायिक निवास-स्थान से वह स्थान अभिप्रेत है जहां वह निगमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है ।’;

(ई) धारा 67 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

सेवा कर प्रभारित करने के लिए कराधेय सेवाओं का मूल्यांकन।

‘67. (1) जहां इस अध्याय के अधीन सेवा कर किसी ऐसी कराधेय सेवाओं पर उसके मूल्य के प्रति निर्देश से प्रभार्य है वहां ऐसा मूल्य, इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय,—

(?) ऐसी दशा में, जहां सेवा का उपबंध धन के रूप में किसी प्रतिफल के लिए है वहां सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के लिए उसके द्वारा प्रभारित सकल रकम होगा ;

(??) ऐसी दशा में, जहां सेवा का उपबंध ऐसे प्रतिफल के लिए है जो पूर्णतया या भागतः धन से मिलकर नहीं बना है वहां धन के रूप में ऐसी रकम होगा जो प्रभारित सेवाकर के साथ जोड़कर प्रतिफल के समतुल्य है ;

(???) ऐसी दशा में, जहां सेवा का उपबंध ऐसे किसी प्रतिफल के लिए है, जो अभिनिश्चित नहीं है, वहां ऐसी रकम होगा जो विहित रीति में अवधारित की जाए ;

(2) जहां किसी सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के लिए प्रभारित सकल रकम में संदेय सेवा कर सम्मिलित है वहां ऐसी कराधेय सेवा का मूल्य ऐसी रकम होगा, जो संदेय कर के साथ मिलाकर प्रभारित सकल रकम के बराबर है ।

(3) कराधेय सेवा के लिए प्रभारित सकल रकम में ऐसी सेवा के उपबंध के पूर्व, दौरान या पश्चात् कराधेय सेवा के संबंध में प्राप्त कोई रकम सम्मिलित होगी ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए मूल्य का अवधारण ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “प्रतिफल” के अंतर्गत कोई ऐसी रकम भी है, जो उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली कराधेय सेवाओं के लिए संदेय है ;

(ख) “धन” के अंतर्गत कोई मुद्रा, चेक, वचनपत्र, प्रत्ययपत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चेक, मनीआर्डर, डाक विप्रेषणादेश और अन्य समान लिखतें भी हैं किन्तु इसके अंतर्गत ऐसी मुद्रा नहीं है जो उसके मुद्रा संबंधी मूल्य के कारण धारित की गई है ;

(ग) “प्रभारित सकल रकम” के अंतर्गत चेक, क्रेडिट कार्ड द्वारा संदाय, खाते से कटौती और प्रत्यय पत्रों या नामे पत्रों को जारी करके और बही समायोजन द्वारा संदाय का कोई रूप भी है ।’;

(उ) धारा 73 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘(1क) जहां किसी सेवा कर का कपट, दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाकर या सेवा कर के संदाय से बचने के आशय से इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण ऐसे व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा, जिस पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के परंतुक के अधीन सूचना की तामील की गई है, उद्ग्रहण नहीं किया गया है या संदाय नहीं किया गया है या कम उद्ग्रहण या कम संदाय किया गया है या भूलवश प्रतिदाय किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति या अभिकर्ता पूर्णतः या भागतः ऐसे सेवा कर का, जो उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो और धारा 75 के अधीन उस पर संदेय ब्याज तथा उस सूचना में विनिर्दिष्ट सेवा कर या ऐसे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार स्वीकृत सेवा कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का, सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर संदाय कर सकेगा ।’;

(ख) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु जहां ऐसे व्यक्ति ने सेवा कर का पूर्ण रूप से उपधारा (1क) के अधीन ब्याज और शास्ति के साथ संदाय कर दिया है वहां ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्तियों, जिनको उपधारा (1) के अधीन सूचनाओं की तामील की गई है, के संबंध में कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी :

परंतु यह और कि यदि ऐसे व्यक्ति ने सेवा कर का भागतः उपधारा (1क) के अधीन ब्याज और शास्ति के साथ संदाय कर दिया है वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी सेवा कर या ब्याज की रकम का अवधारण करेगा, जो ऐसे व्यक्ति से भागतः शोध्य रकम से अधिक नहीं होगी ।”;

(ऊ) धारा 73 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

किसी व्यक्ति से संगृहीत सेवा कर का केन्द्रीय सरकार के पास जमा किया जाना।

‘73क. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी है और जिसने सेवा कर के रूप में किसी रीति में कराधेय सेवा के प्राप्तिकर्ता से इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन किसी कराधेय सेवा के संबंध में निर्धारित या अवधारित तथा संदत्त सेवा कर से अधिक कोई रकम संगृहीत की है, इस प्रकार संगृहीत रकम का तुरंत केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करेगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति, जिसने सेवा कर के रूप में किसी रीति में किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी कोई रकम संगृहीत की है, जो संगृहीत किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं है वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार संगृहीत रकम का तुरंत केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करेगा ।

(3) जहां किसी रकम का उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त किया जाना अपेक्षित है और उसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति पर उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना की तामील कर सकेगा कि उक्त रकम का, जो सूचना में विनिर्दिष्ट है उसके द्वारा केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिसे उपधारा (3) के अधीन सूचना की तामील की गई है, किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का अवधारण करेगा जो सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और तदुपरान्त ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा ।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त रकम निर्धारण या उपधारा (1) में निर्दिष्ट कराधेय सेवा के संबंध में सेवा कर के अवधारण के लिए किसी अन्य कार्यवाही को अंतिम रूप दिए जाने पर व्यक्ति द्वारा संदेय सेवा कर मद्दे समायोजित की जाएगी ।

(6) जहां उपधारा (5) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई अधिशेष रह जाता है वहां ऐसे अधिशेष की रकम को, यथास्थिति,
1944 का 1
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 12ग में निर्दिष्ट उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा किया जाएगा या उक्त अधिनियम की धारा 11ख के उपबंधों के अनुसार उस व्यक्ति को, जिसने ऐसी रकम का आपतन वहन किया है, प्रतिदाय किया जाएगा और ऐसा व्यक्ति ऐसे मामलों में ऐसी अधिशेष रकम के प्रतिदाय के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा जारी की जाने वाली सार्वजनिक सूचना की तारीख से छह मास के भीतर उस धारा के अधीन आवेदन कर सकेगा।

अधिक संगृहीत रकम के संबंध में ब्याज।

73ख. जहां इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी कराधेय सेवा के लिए निर्धारित या अवधारित और संदत्त कर से अधिक रकम का ऐसी सेवा के प्राप्तिकर्ता से संग्रहण किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति, जो धारा 73क की उपधारा (4) के अधीन यथा अवधारित ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी है, उस रकम के अतिरिक्त ऐसी दर पर, जो दस प्रतिशत से कम नहीं होगी और छत्तीस प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी, जो तत्समय केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत की जाए, उस मास के, जिसमें रकम का इस अध्याय के अधीन, यदि धारा 73क की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंध न होते तो, संदाय किया जाना चाहिए था, उत्तरवर्ती मास के प्रथम दिन से ऐसी रकम के संदाय की तारीख तक, ब्याज का संदाय करने का दायी होगा :

1944 का 1
परंतु ऐसे मामलों में, जहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37ख के अधीन बोर्ड द्वारा किसी आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने के परिणामस्वरूप रकम संदेय हो जाती है और संदेय ऐसी रकम का पश्चात्वर्ती किसी प्रक्रम में ऐसे संदाय के विरुद्ध अपील के किसी अधिकार का आरक्षण किए बिना, यथास्थिति, ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर पूर्णतः स्वैच्छिक रूप से संदाय कर दिया जाता है वहां कोई ब्याज संदेय नहीं होगा और अन्य मामलों में संपूर्ण रकम पर, जिसके अंतर्गत पहले से संदत्त रकम भी है, ब्याज संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण 1—जहां धारा 73क की उपधारा (4) के अधीन अवधारित रकम, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा घटा दी जाती है वहां इस धारा के अधीन उस पर संदेय ब्याज ऐसी घटाई गई रकम के संबंध में होगा ।

स्पष्टीकरण 2—जहां धारा 73क की उपधारा (4) के अधीन अवधारित रकम, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा बढ़ा दी जाती है वहां इस धारा के अधीन उस पर संदेय ब्याज ऐसी बढ़ाई गई रकम के संबंध में होगा।

कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनन्तिम कुर्की।

73ग. (1) जहां धारा 73 या धारा 73क के अधीन किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की यह राय है कि राजस्व के हित के संरक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है वहां वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से लिखित आदेश द्वारा उस व्यक्ति की, जिस पर, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 73क की उपधारा (3) के अधीन सूचना की तामील की गई है, किसी संपत्ति को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक ऐसी अनंतिम कुर्की का उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभाव नहीं रहेगा :

परंतु मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, पूर्वोक्त अवधि को ऐसी और अवधि या अवधियों तक बढ़ा सकेगा जो वह ठीक समझे, फिर भी विस्तारण की कुल अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

कतिपय मामलों में व्यक्तियों के संबंध में सूचना का प्रकाशन।

73घ. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में किसी व्यक्ति का नाम और ऐसे व्यक्ति के संबंध में इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही से संबंधित किसी अन्य विशिष्टियों को प्रकाशित करना आवश्यक या समीचीन है तो वह ऐसे नामों और विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित करा सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के संबंध में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक, यथास्थिति, धारा 85 के अधीन आयुक्त (अपील) या धारा 86 के अधीन अपील अधिकरण को अपील प्रस्तुत करने के लिए समय, अपील प्रस्तुत किए बिना, समाप्त नहीं हो गया है या यदि अपील प्रस्तुत की गई है तो उसका निपटारा नहीं कर दिया गया है ।

स्पष्टीकरण—किसी फर्म, कंपनी या अन्य व्यक्ति संगम की दशा में, यथास्थिति, फर्म के भागीदारों, कंपनी के निदेशकों, प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों या संगम के सदस्यों के नाम भी प्रकाशित किए जाएंगे, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत है ।';

(ऋ) धारा 76 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

सेवा कर का संदाय करने में असफलता के लिए शास्ति।

'76. धारा 68 या इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी कोई व्यक्ति, जो ऐसे कर का संदाय करने में असफल रहता है, धारा 75 के उपबंधों के अनुसार ऐसे कर और उस कर पर ब्याज का संदाय करने के अतिरिक्त, देय तिथि के पश्चात् प्रथम दिन से आरंभ होने वाले और सेवा कर की बकाया रकम के वास्तविक संदाय की तारीख तक प्रतिमास ऐसी शास्ति का जो प्रत्येक उस दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है दो सौ रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर पर, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा :

परंतु इस धारा के निबन्धनों के अनुसार संदेय शास्ति की कुल रकम संदेय सेवा कर से अधिक नहीं होगी ।

दृष्टांत

ङ् निर्धारिती, 5 मार्च तक संदेय दस लाख रुपए के सेवा कर का संदाय करने में असफल रहता है । ङ रकम का संदाय 15 मार्च को करता है । व्यतिक्रम 10 दिन के लिए जारी रहा है । ङ द्वारा संदेय शास्ति की संगणना निम्नानुसार की जाएगी:ॐ

10 दिन के लिए व्यतिक्रम की रकम का 2ऽ उ 3न्10,000.00न्10/31उ 6,451.61 रु0

10 दिन के लिए 200 रु0 प्रतिदिन की दर से परिकलित शास्ति उ 2,000 रु0

संदाय किए जाने के लिए दायी शास्ति रु0 6,452.00 पैसे है ;=;

(ए) धारा 83 में, रुरू11= और रुरू11घ= अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

(ऐ) धारा 86 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :ॐ

केन्द्रीय सरकार को शोध्य किसी रकम की वसूली।

रुरू87. जहां इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के अधीन केन्द्रीय सरकार के खाते में किसी व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम का संदाय नहीं किया जाता है वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी नीचे उल्लिखित एक या अधिक पद्धति द्वारा रकम की वसूली के लिए कार्यवाही आरंभ करेगा :ॐ

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी स्वयं या किसी अन्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी या सीमाशुल्क के किसी अधिकारी से ऐसे व्यक्ति को, जो उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी या किसी सीमाशुल्क अधिकारी के नियंत्रणाधीन हो, देय किसी धनराशि से इस प्रकार संदेय रकम की कटौती कर सकेगा या उसकी कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ख) (?) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, लिखित में सूचना द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे ऐसे व्यक्ति को धन शोध्य है या शोध्य हो जाए या जो ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके संबंध में धन धारण करता है या बाद में धारण करे या तो धन के शोध्य होने या धारित होने पर तुरंत या सूचना में विनिर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर न कि धन के शोध्य होने या धारित करने से पूर्व उतने धन का, जो ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त है या संपूर्ण धन का, जब वह उस रकम के बराबर या उससे कम है, केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(??) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन कोई सूचना जारी की गई है, ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा और विशिष्ट रूप से, जहां कोई ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की गई है वहां किसी नियम, परिपाटी या प्रतिकूल अपेक्षा के होते हुए भी संदाय किए जाने से पूर्व किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या उसी तरह के प्रयोजन के लिए किसी पासबुक, निक्षेप रसीद, पॉलिसी या किसी अन्य दस्तावेज का पेश किया जाना आवश्यक नहीं होगा ;

(???) ऐसी किसी दशा में, जहां कोई व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन सूचना भेजी गई है, उसके अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को संदाय करने में असफल रहता है वहां वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा और इस अध्याय के सभी परिणामों का अनुपालन किया जाएगा ।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा प्राधिकार दिए जाने पर ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का विनिग्रहण कर सकेगा और संदेय रकम का संदाय किए जाने तक उसे रोक सकेगा और यदि संदेय उक्त रकम या संपत्ति के विनिग्रहण या उसे रखने के खर्च का कोई भाग ऐसे किसी विनिग्रहण के पश्चात् आगामी तीस दिन की अवधि के लिए असंदत्त रहता है तो उक्त संपत्ति का विक्रय करा सकेगा और ऐसे विक्रय के आगमों से संदेय रकम और खर्चों की, जिसके अंतर्गत असंदत्त रह गए विक्रय का खर्च भी है, तुष्टि करेगा और अधिशेष को, यदि कोई है, ऐसे व्यक्ति को देगा ;

(घ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी ऐसे व्यक्ति से देय रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए उसके द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र तैयार करेगा और उसे उस जिले के कलक्टर को भेजेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन कोई संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार चलाता है और उक्त कलक्टर ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर उसके अधीन विनिर्दिष्ट रकम की ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार वसूली करने की कार्यवाही करेगा मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो ।=;

(ओ) धारा 94 की उपधारा (2) में,ॐ

(1) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :ॐ

रुरू(कक) धारा 67 के अधीन रकम का अवधारण और कराधेय सेवा का मूल्य;=;

(2) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :ॐ

रुरू(गग) धारा 73ग की उपधारा (1) के अधीन संपत्ति की अनंतिम कुर्की की रीति;

(गगग) धारा 73घ की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के नाम और किसी कार्यवाही से संबंधित विशिष्टियों का प्रकाशन;=;

(3) खंड (ङङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :ॐ

रुरू(ङङङ) धारा 87 के अधीन केन्द्रीय सरकार को देय किसी रकम की वसूली की रीति;=;

(औ) धारा 95 में उपधारा (1ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :ॐ

रुरू(1ग) यदि वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा इस अध्याय में समाविष्ट किसी कराधेय सेवा के मूल्य के कार्यान्वयन वर्गीकरण, या निर्धारण के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ;—;

(अं) धारा 96ग की उपधारा (2) में खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘‘(च) अध्याय 5 के उपबंधों के अधीन किसी कराधेय सेवा के संबंध में सेवा कर का संदाय करने के दायित्व का अवधारण।’’।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

69. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में,:— 1899 के अधिनियम 2 का संशोधन।

(क) धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) में, “संविधान की सप्तम अनुसूची” शब्दों के स्थान पर, “उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिख़्ट विख़्रय-वस्तु के सिवाय, संविधान की सातवीं अनुसूची” शब्द, कोख़्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 35 के परंतुक के खंड (क) में “जो केवल दस नए पैसे से अनधिक शुल्क से प्रभार्य होने वाली लिखत नहीं है या जो विनिमय पत्र या वचनपत्र नहीं है, ऐसे सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, वह शुल्क” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे शुल्क के” शब्द रखे जाएंगे ।

70. वचनपत्र (स्टाम्प) अधिनियम, 1926 इसके द्वारा निरसित किया जाता है : 1926 के अधिनियम 11 का निरसन।

परंतु ऐसे निरसन का,:—

(क) उक्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात ;

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेख़ाधिकार, बाध्यता या दायित्व ;

(ग) उक्त अधिनियम के अधीन किसी वचनपत्र के निख़्पादन के विधिमान्यकरण,

पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

71. केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में, खंड (=) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 1956 के अधिनियम 74 की धारा 14 का संशोधन।

“(=क) घरेलू उपयोग के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस;”।

72. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेख़ महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में, 1 जनवरी, 2007 से प्रथम अनुसूची का आठवीं अनुसूची में विनिर्दिख़्ट रीति से संशोधन किया जाएगा । 1957 के अधिनियम 58 की प्रथम अनुसूची का संशोधन।

73. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की अनुसूची में, अपरिख़्कृत तेल से संबंधित क्र0 सं0 1 के सामने, स्तंभ 3 में की प्रविख़्टि के स्थान पर, “दो हजार पांच सौ रुपए प्रति टन” प्रविख़्टि रखी जाएगी । 1974 के अधिनियम 47 की अनुसूची का संशोधन।

74. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 में, 1 जनवरी, 2007 से अनुसूची का नौवीं अनुसूची में विनिर्दिख़्ट रीति से संशोधन किया जाएगा । 1978 के अधिनियम 40 की अनुसूची का संशोधन।

75. वित्त अधिनियम, 2001 में, 1 जनवरी, 2007 से सातवीं अनुसूची का दसवीं अनुसूची में विनिर्दिख़्ट रीति से संशोधन किया जाएगा। 2001 के अधिनियम 14 की सातवीं अनुसूची का संशोधन।

76. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 में, 1 जून, 2006 से,:— 2004 के अधिनियम 23 का संशोधन।

(क) धारा 97 के खंड (5) के उपखंड (?) में, “पचास प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “पैंसठ प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 98 की सारणी में,:—

(?) दर से संबंधित स्तंभ (3) के अधीन क्रम सं0 1 के सामने, “0.1 प्रतिशत” अंकों और शब्द के स्थान पर, “0.125 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(??) दर से संबंधित स्तंभ (3) के अधीन क्रम सं0 2 के सामने, “0.1 प्रतिशत” अंकों और शब्द के स्थान पर, “0.125 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(???) दर से संबंधित स्तंभ (3) के अधीन क्रम सं0 3 के सामने, “0.02 प्रतिशत” अंकों और शब्द के स्थान पर, “0.025 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(?=) दर से संबंधित स्तंभ (3) के अधीन क्रम सं0 4 के सामने, “0.0133 प्रतिशत” अंकों और शब्द के स्थान पर, “0.017 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(=) दर से संबंधित स्तंभ (3) के अधीन क्रम सं0 5 के सामने, “0.2 प्रतिशत” अंकों और शब्द के स्थान पर, “0.25 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोख़णा

यह घोख़ित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 63(क), खंड 67(क) और खण्ड 73 के उपबंध, अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे । 1931 का 16

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(स्र्) इस पैरा की मद (त्त) और मद (त्त्त) में निर्दिख़्ट व्यख़्टि से भिन्न प्रत्येक व्यख़्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यख़्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (ध्त्त) में निर्दिख़्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,ॐ

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	5,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	25,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(स्र्स्र्) प्रत्येक ऐसे व्यख़्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ख़ के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ख़ से कम आयु की हैॐ

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,35,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 1,35,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,35,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,500 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	21,500 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(स्र्स्र्स्र्) प्रत्येक ऐसे व्यख़्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ख़ के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ख़ या अधिक आयु का हैॐ

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,85,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 1,85,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,85,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	13,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में से,ॐ

(त) ऐसे प्रत्येक व्यख़्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यख़्टि-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(त्त) मद (त) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (त) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस लाख रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,ॐ

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दर

ऱ. देशी कंपनी की दशा में	कुल आय का 30 प्रतिशत ;
ऱऱ. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—	
(त्) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—	
(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व, अथवा	
(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से, तकनीकी सेवाएं देने के लिए प्राप्त फीस,	
और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(त्त्) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा,—

(त्) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(त्त्) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ढाई प्रतिशत की दर से ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी:—

	आय-कर की दरें
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(त्) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(त्त्) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(त्त्त्) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(त्ध्) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ध्) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर —	10 प्रतिशत ;
(अ) केंद्रीय या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं	
(ध्त्) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(त) अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर “जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं”	20 प्रतिशत ;
(उ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उपगत उधार लिए गए धन या ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ऊ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है—	
(क) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है,	10 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में “जो उपमद (ख)(त)(च) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है,” आय पर,—	
(क) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु, 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया जाता है,	10 प्रतिशत ;
(ए) सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह वहां भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(क) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु, 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है,	10 प्रतिशत ;
(ऐ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(थ) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है—	
(क) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया जाता है,	10 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह तत्समय प्रवृत्त भारत सरकार की औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में “जो उपमद (ख) (त)(ऊ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है,” आय पर,—	
(क) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया जाता है,	10 प्रतिशत ;

आय-कर की दर

(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह तत्समय प्रवृत्त भारत सरकार की औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विꣳय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय पर,श्

(रु) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है, — 20 प्रतिशत ;

(रुरु) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है, — 10 प्रतिशत ;

(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(ऋ) धारा 111क में निर्दिꣳट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ;

(ए) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर झ्जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिꣳट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैट — 20 प्रतिशत ;

(ऐ) अन्य सम्पूर्ण आय पर — 30 प्रतिशत ;

2. किसी कंपनी की दशा में,श्

(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,श्

(त्) .प्रतिभूतियों पर ब्याजउ से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर — 20 प्रतिशत ;

(त्त्) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(त्त्त्) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(त्ध्) किसी अन्य आय पर — 20 प्रतिशत ;

(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,श्

(त्) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(त्त्) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(त्त्त्) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर — 20 प्रतिशत ;

(त्ध्) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिꣳट विꣳय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिꣳट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में हैश्

(अ) जहां करार 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है — 30 प्रतिशत ;

(आ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है — 20 प्रतिशत ;

(इ) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है — 10 प्रतिशत ;

(ध्) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विꣳय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर झ्जो उपमद (ख)(त्ध्) में निर्दिꣳट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं हैटश्

(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है — 50 प्रतिशत ;

(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है — 30 प्रतिशत ;

(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है — 20 प्रतिशत ;

(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है — 10 प्रतिशत ;

(ध्त्) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विꣳय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,श्

(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है — 50 प्रतिशत ;

(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है — 30 प्रतिशत ;

(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है — 20 प्रतिशत ;

(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है — 10 प्रतिशत ;

(ध्त्त्) धारा 111क में निर्दिꣳट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ;

(ध्त्त्त्) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर झ्जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिꣳट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैट — 20 प्रतिशत ;

(त्न्) किसी अन्य आय पर — 40 प्रतिशत।

स्पꣳटीकरणश्इस भाग की मद 1(ख)(त्) के प्रयोजन के लिए, .विनिधान से आयउ और .अनिवासी भारतीयउ के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,ः

(अ) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए ः

(त) प्रत्येक व्यझ्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यझ्टि-निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस लाख रुपए से अधिक है ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(त्त) प्रत्येक फर्म और आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (ध्त्) में निर्दिझ्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ;

(आ) इस भाग की मद 2 में, संघ के प्रयोजनों के लिए,ः

(त) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(त्त) किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, .वेतनङ्ग शीर्झ के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और .अग्रिम करङ्ग की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा .वेतनङ्ग शीर्झ के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय .अग्रिम करङ्ग की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या .अग्रिम करङ्ग झ्जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज के अधीन प्रभार्य सीमांत फायदे या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिझ्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में .अग्रिम करङ्ग नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115ङ या धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे .अग्रिम करङ्ग पर अधिभार नहीं है या धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य सीमांत फायदा हैट निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :ः

पैरा क

(रू) इस पैरा की मद (रूरू) और मद (रूरूरू) में निर्दिझ्ट व्यझ्टि से भिन्न प्रत्येक व्यझ्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यझ्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (ध्त्) में निर्दिझ्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,ः

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	5,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	25,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(रूरू) प्रत्येक ऐसे व्यझ्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्झ के दौरान किसी समय पैंसठ वर्झ से कम आयु की हैः

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,35,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 1,35,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,35,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,500 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	21,500 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(रूरूरू) प्रत्येक ऐसे व्यझ्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्झ के दौरान किसी समय पैंसठ वर्झ या अधिक आयु का हैः

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,85,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 1,85,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,85,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	13,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में से,—

(त्) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटाकर आए आय-कर में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(त्त्) मद (त्) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (त्) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है, किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

रु. देशी कंपनी की दशा में	कुल आय का 30 प्रतिशत ;
रुरु. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—	
(त्) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—	
(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व,; या	
(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,	
और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(त्त्) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, निम्नलिखित दर से,—

(त्) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(त्त्) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ढाई प्रतिशत की दर से;

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

भाग 4

इधारा 2(12)(ग) देखिएट

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

*नियम 1*श्आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन .अन्य स्रोतों से आयउ शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतर के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

*नियम 2*श्आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इजो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता होट इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन .कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभउ शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क इउसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) को छोड़करट धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

*नियम 3*श्आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन .गृह-संपत्ति से आयउ शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

*नियम 4*इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा मेंश्

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबर के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबर के सेंटिफ्यूज़ लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

*नियम 5*श्जहां निर्धारिती (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

*नियम 6*श्जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी।

*नियम 7*श्राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

*नियम 8*श्(1) जहां निर्धारिती की, 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,श्

(त) 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(त्त) 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(त्त्त) 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(त्ध) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(धे) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए कृख़ि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ध्ऐ) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए कृख़ि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ध्त्ते) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए कृख़ि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ध्त्त्ते) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए निर्धारिती की कृख़ि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ख़ से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृख़ि-आय है और 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ों से सुसंगत पूर्ववर्ख़ों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृख़ि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,श्

(ते) 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए कृख़ि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(त्ते) 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए कृख़ि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(त्त्ते) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए कृख़ि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(त्धे) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए कृख़ि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(धे) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए कृख़ि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ध्ऐ) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए कृख़ि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ध्त्ते) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए कृख़ि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ध्त्त्ते) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ख़ से सुसंगत पूर्ववर्ख़ के लिए निर्धारिती की कृख़ि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृख़ि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2000 (2000 का 10) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विख़्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी।

*नियम 9*श्जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृख़ि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

*नियम 10*श्आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृख़ि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

*नियम 11*श्निर्धारिती की शुद्ध कृख़ि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 60 देखिए)

क्रम सं0	अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सा.का.नि. 423 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 1992 (160/1992-सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 1992)	उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, खंड (त्थ) का लोप किया जाएगा ।	28 दिसंबर, 1992
2.	सा.का.नि. 619 (अ), तारीख 17 सितंबर, 2004 (96/2004-सीमाशुल्क, तारीख 17 सितंबर, 2004)	उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में .30 सितंबर, 2005ऋ अंकों और शब्द के स्थान पर, .3 अक्तूबर, 2005ऋ अंक और शब्द रखे जाएंगे ।	17 सितंबर, 2004

तीसरी अनुसूची

इधारा 62(क) देखिएट

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,ॐ

(1) अध्याय 4 में टैरिफ मद 0409 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .60%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 25 में,ॐ

(त्) सभी टैरिफ मदों (शीर्ष 2504 और 2510 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त्) शीर्ष 2504 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, .12.5%ङ और .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 26 में, टैरिफ मद 2620 11 00, 2620 19 00, 2620 30 10 और 2620 30 90 में, प्रत्येक मद के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 27 में,ॐ

(त्) शीर्ष 2701 (टैरिफ मद 2701 12 00 के सिवाय) सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त्) शीर्ष 2702, 2703 और 2704 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त्त्) टैरिफ मद 2705 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्थ्) शीर्ष 2706, 2707 और 2708 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ध्) टैरिफ मद 2709 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्) शीर्ष 2710, 2712, 2713 और 2715 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .10%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 28 में,ॐ

(त्) सभी टैरिफ मदों (शीर्ष 2801, 2802, 2803, 2804, 2805 और 2814 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त्) शीर्ष 2801, 2802, 2803, 2804 और 2805 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .10%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(6) अध्याय 29 में,ॐ

(त्) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 2902 43 00, 2905 43 00, 2905 44 00, 2917 37 00, 2933 71 00, 2936 10 00, 2936 21 00, 2936 22 10, 2936 22 90, 2936 23 10, 2936 23 90, 2936 24 00, 2936 25 00, 2936 26 10, 2936 26 90, 2936 27 00, 2936 28 00, 2936 29 10, 2936 29 20, 2936 29 30, 2936 29 40, 2936 29 50, 2936 29 90, 2936 90 00, 2937 11 00, 2937 12 00, 2937 19 00, 2937 21 00, 2937 22 00, 2937 23 00, 2937 29 00, 2937 31 00, 2937 39 00, 2937 40 00, 2937 50 00, 2937 90 00, 2939 41 10, 2939 41 20, 2939 41 90, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00, 2939 59 00, 2941 10 10, 2941 10 20, 2941 10 30, 2941 10 40, 2941 10 50, 2941 10 90, 2941 20 10, 2941 20 90, 2941 30 10, 2941 30 20, 2941 30 90, 2941 40 00, 2941 50 00, 2941 90 11, 2941 90 12, 2941 90 13, 2941 90 14, 2941 90 19, 29412 90 20, 2941 90 30, 2941 90 40, 2941 90 50, 2941 90 60 और 2941 90 90 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त्) टैरिफ मद 2917 37 00 और 2933 71 00 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में प्रत्येक मद के सामने आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः, .12.5%ङ और .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त्त्) शीर्ष 2936 और 2937 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, .12.5%ङ और .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्थ्) टैरिफ मद 2939 41 10, 2939 41 20, 2939 41 90, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00 और 2939 59 00 में प्रत्येक मद के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, .12.5%ङ और .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ध्) शीर्ष 2941 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, .12.5%ङ और .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 30 में,ॐ

(त्) सभी टैरिफ मदों (शीर्ष 3005 और 3006 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, .12.5%ङ और .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त्) शीर्ष 3005 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त्त्) टैरिफ मद 3006 10 10, 3006 10 20, 3006 20 00, 3006 30 00, 3006 40 00, 3006 50 00, 3006 70 00 और 3006 80 00 में प्रत्येक मद के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 31 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3102 21 00, 3102 50 00, 3104 30 00, 3105 20 00, 3105 30 00, 3105 40 00, 3105 51 00, 3105 59 00, 3105 60 00, 3105 90 10 और 3105 90 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 32 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 33 में,—

(त) उपशीर्ष 3302 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त) शीर्ष 3303, 3304, 3305, 3306 और 3307 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 34 में,—

(त) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3402 11 10, 3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त) टैरिफ मद 3402 11 10, 3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, .12.5%ु और .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(12) अध्याय 35 में, शीर्ष 3506 और 3507 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(13) अध्याय 36 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 37 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 38 में,—

(त) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3801 10 00, 3802 10 00, 3809 10 00, 3812 10 00, 3815 11 00, 3815 12 10, 3815 12 90, 3818 00 10, 3818 00 90, 3823 11 11, 3823 11 12, 3823 11 19, 3823 11 90, 3823 12 00, 3823 13 00, 3823 19 00, 3823 70 10, 3823 70 20, 3823 70 30, 3823 70 40, 3823 70 90, 3824 60 10 और 3824 60 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी;

(त्त) टैरिफ मद 3801 10 00, 3802 10 00, 3812 10 00, 3815 11 00, 3815 12 10 और 3815 12 90 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः, .12.5%ु और .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 39 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 40 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 4001 10 10, 4001 10 20, 4001 21 00, 4001 22 00, 4001 29 10, 4001 29 20, 4001 29 30, 4001 29 40, 4001 29 90 और 4011 30 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(18) अध्याय 41 में, सभी टैरिफ मदों (शीर्ष 4101, 4102 और 4103 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(19) अध्याय 42 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(20) अध्याय 43 में,—

(त) शीर्ष 4302 के सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 4302 13 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त) शीर्ष 4303 और 4304 के सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(21) अध्याय 44 में, सभी टैरिफ मदों (शीर्ष 4401, 4402 और 4403 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(22) अध्याय 45 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(23) अध्याय 46 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(24) अध्याय 47 में, शीर्ष 4707 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(25) अध्याय 48 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(26) अध्याय 49 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 4902 10 10, 4902 10 20, 4902 90 10, 4902 90 20, 4904 00 00, 4905 10 00, 4905 91 00, 4905 99 10 और 4905 99 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(27) अध्याय 50 में, शीर्ष 5004, 5005, 5006 और 5007 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(28) अध्याय 51 में,—

(त) शीर्ष 5104 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त) शीर्ष 5105 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 5105 29 10 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त्त) शीर्ष 5106, 5107, 5108, 5109 और 5110 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्ध) उपशीर्ख 5111 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 135 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध) उपशीर्ख 5111 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त) उपशीर्ख 5111 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्त) उपशीर्ख 5111 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्त्त) उपशीर्ख 5111 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 90 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्न) उपशीर्ख 5112 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न) उपशीर्ख 5112 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 155 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त) उपशीर्ख 5112 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 85 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त) उपशीर्ख 5112 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 110 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्त) उपशीर्ख 5112 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 135 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध) शीर्ख 5113 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(29) अध्याय 52 में,—

(त) शीर्ख 5204, 5205, 5206 और 5207 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(त्त) उपशीर्ख 5208 11, 5208 12, 5208 13, 5208 19, 5208 21, 5208 22, 5208 23, 5208 29, 5208 31, 5208 32 और 5208 33 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त्त) उपशीर्ख 5208 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्ध) उपशीर्ख 5208 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध) उपशीर्ख 5208 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 37 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त) उपशीर्ख 5208 43 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्त) उपशीर्ख 5208 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 200 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्त्त) उपशीर्ख 5208 51 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 27 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्न) उपशीर्ख 5208 52 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 23 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न) उपशीर्ख 5208 53 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त) उपशीर्ख 5208 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त) उपशीर्ख 5209 11 और 5209 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्त) टैरिफ मद 5209 19 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध) उपशीर्ख 5209 21, 5209 22 और 5209 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध) उपशीर्ख 5209 31, 5209 32 और 5209 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त) उपशीर्ख 5209 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 32 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्) टैरिफ मद 5209 42 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्त्) उपशीर्ख़ 5209 43 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्त्न्) उपशीर्ख़ 5209 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्) उपशीर्ख़ 5209 51 और 5209 52 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्) उपशीर्ख़ 5209 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्त्) उपशीर्ख़ 5210 11 और 5210 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऊ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(न्न्त्त्त्) टैरिफ 5210 19 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्ध्) उपशीर्ख़ 5210 21, 5210 22, 5210 29, 5210 31 और 5210 32 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्) उपशीर्ख़ 5210 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्) उपशीर्ख़ 5210 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्त्) उपशीर्ख़ 5210 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्त्त्) उपशीर्ख़ 5210 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 185 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्न्) उपशीर्ख़ 5210 51, 5210 52 और 5210 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्न्) उपशीर्ख़ 5211 11 और 5211 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऊ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(न्न्न्त्) टैरिफ मद 5211 19 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्न्त्त्) उपशीर्ख़ 5211 21, 5211 22 और 5211 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्न्त्त्त्) उपशीर्ख़ 5211 31, 5211 32 और 5211 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्न्त्ध्) उपशीर्ख़ 5211 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 44 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्) टैरिफ मद 5211 42 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 18 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्त्) उपशीर्ख़ 5211 43 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्त्त्) उपशीर्ख़ 5211 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्त्त्त्) उपशीर्ख़ 5211 51, 5211 52 और 5211 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 18 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्न्त्न्) टैरिफ मद 5212 11 00, 5212 12 00, 5212 13 00 और 5212 14 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऊ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(न्थ्) टैरिफ मद 5212 15 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 165 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(न्थ्त्) टैरिफ मद 5212 21 00, 5212 22 00 और 5212 23 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्त्त्) टैरिफ मद 5212 24 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(न्थ्त्त्त्) टैरिफ मद 5212 25 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 165 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(30) अध्याय 53 में, सभी टैरिफ मदों (शीर्ख़ 5301 और 5302 की टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(31) अध्याय 54 में,ः

(त्) शीर्ख़ 5401, 5402, 5403 और 5404 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऊ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(त्त्) टैरिफ मद 5405 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऊ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त्त्) शीर्ष 5406 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्थ्) उपशीर्ष 5407 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 115 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ध्) उपशीर्ष 5407 20 और 5407 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्) उपशीर्ष 5407 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्त्) उपशीर्ष 5407 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्त्त्) टैरिफ मद 5407 43 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी;

(त्न्) उपशीर्ष 5407 44 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 58 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्) उपशीर्ष 5407 51 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 11 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्त्) उपशीर्ष 5407 52 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्) टैरिफ मद 5407 53 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी;

(न्त्त्त्) उपशीर्ष 5507 54 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्त्ध्) उपशीर्ष 5407 61 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्) टैरिफ मद 5407 69 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी;

(न्ध्त्) उपशीर्ष 5407 71 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्त्) टैरिफ मद 5407 72 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्त्त्) टैरिफ मद 5407 73 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्त्न्) टैरिफ मद 5407 74 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी;

(न्न्) उपशीर्ष 5407 81 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्) उपशीर्ष 5407 82 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 42 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्त्) टैरिफ मद 5407 83 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्त्त्) उपशीर्ष 5407 84 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्ध्) उपशीर्ष 5407 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्) टैरिफ मद 5407 92 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्त्) टैरिफ मद 5407 93 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्त्त्) टैरिफ मद 5407 94 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्त्त्त्) टैरिफ मद 5408 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्न्) उपशीर्ष 5408 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्न्) उपशीर्ष 5408 22 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्न्त्) टैरिफ मद 5408 23 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 47 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्त) उपशीर्ख़ 5408 24 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 87 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्त्त) उपशीर्ख़ 5408 31 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्ध) उपशीर्ख़ 5408 32 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 44 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध) टैरिफ मद 5408 33 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्) उपशीर्ख़ 5408 34 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 11 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(32) अध्याय 55 में,श्

(त्) शीर्ख़ 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509 और 5510 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त्) टैरिफ मद 5511 10 00 और 5511 20 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 31 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त्त्) उपशीर्ख़ 5511 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 30 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्ध्) उपशीर्ख़ 5512 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्) उपशीर्ख़ 5512 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 42 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्) उपशीर्ख़ 5512 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्त्) उपशीर्ख़ 5512 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 47 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्त्त्) उपशीर्ख़ 5512 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्न्) उपशीर्ख़ 5512 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 65 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्) उपशीर्ख़ 5513 11, 5513 12, 5513 13 और 5513 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्) टैरिफ मद 5513 21 00 और 5513 22 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्) टैरिफ मद 5513 23 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 125 रुपए प्रति किलोग्राम या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिकतम होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्त्) टैरिफ मद 5513 29 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 185 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्ध्) टैरिफ मद 5513 31 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 21 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्ध्) टैरिफ मद 5513 32 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 170 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्ध्त्) टैरिफ मद 5513 33 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 22 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्ध्त्त्) टैरिफ मद 5513 39 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 125 रुपए प्रति किलोग्राम या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिकतम होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्त्त्) टैरिफ मद 5513 41 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्न्) टैरिफ मद 5513 42 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्न्) टैरिफ मद 5513 43 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्न्त्) टैरिफ मद 5513 49 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 185 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्त्) उपशीर्ख़ 5514 11, 5514 12, 5514 13 और 5514 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्त्त्) टैरिफ मद 5514 21 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 100 रुपए प्रति किलोग्राम या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिकतम होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्ध्) टैरिफ मद 5514 22 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 140 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्) टैरिफ मद 5514 23 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 160 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्) टैरिफ मद 5514 29 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 170 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्त्) टैरिफ मद 5514 31 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 64 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्त्त्) टैरिफ मद 5514 32 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 43 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्त्न्) टैरिफ मद 5514 33 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 180 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्) टैरिफ मद 5514 39 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 31 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्) टैरिफ मद 5514 41 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 26 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्त्) टैरिफ मद 5514 42 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 140 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्त्त्) टैरिफ मद 5514 43 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 31 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्ध्) टैरिफ मद 5514 49 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 160 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्) उपशीर्ष 5515 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्त्) उपशीर्ष 5515 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 95 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्त्त्) उपशीर्ष 5515 13 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्त्त्त्) उपशीर्ष 5515 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्न्) उपशीर्ष 5515 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 79 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्) उपशीर्ष 5515 22 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 140 रुपए प्रतिकिलो ग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्त्) उपशीर्ष 5515 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्त्त्) उपशीर्ष 5515 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 57 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्त्त्त्) उपशीर्ष 5515 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्त्ध्) उपशीर्ष 5515 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्ध्) उपशीर्ष 5516 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्ध्त्) टैरिफ मद 5516 12 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्ध्त्त्) टैरिफ मद 5516 13 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्ध्त्त्त्) उपशीर्ष 5516 14 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्त्न्) उपशीर्ष 5516 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्) टैरिफ मद 5516 22 00 और 5516 23 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होऱ्ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्) टैरिफ मद 5516 24 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी;

(थ्त्) उपशीर्ष 5516 31 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्त्त्) टैरिफ मद 5516 32 00, 5516 33 00 और 5516 34 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्ध्) उपशीर्ष 5516 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्ध्) टैरिफ मद 5516 42 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्ध्त्) टैरिफ मद 5516 43 00 और 5516 44 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्ध्त्त्) उपशीर्ष 5516 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्ध्त्त्त्) टैरिफ मद 5516 92 00 की स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्त्न्) टैरिफ मद 5516 93 00 की स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 21 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी;

(थ्न्) टैरिफ मद 5516 94 00 की स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी;

(33) अध्याय 56 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(34) अध्याय 57 में,ः

(त्) शीर्ष 5701 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त्) टैरिफ मद 5702 10 00 की स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्त्त्) उपशीर्ष 5702 20 और 5702 31 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्ध्) उपशीर्ष 5702 32 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 105 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ध्) उपशीर्ष 5702 39 और 5702 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्) उपशीर्ष 5702 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्त्) उपशीर्ष 5702 49 और 5702 51 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्त्त्) उपशीर्ष 5702 52 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 105 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्न्) उपशीर्ष 5702 59 और 5702 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्) उपशीर्ष 5702 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 110 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्त्) उपशीर्ष 5702 99 और 5703 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्) उपशीर्ष 5703 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्त्) उपशीर्ष 5703 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्) उपशीर्ष 5703 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्) टैरिफ मद 5704 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्) उपशीर्ष 5704 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्त्) शीर्ष 5705 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5%ऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(35) अध्याय 58 में,ः

(त्) टैरिफ मद 5801 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 210 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी;

(त्त्) टैरिफ मद 5801 21 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी;

(त्त्त्) उपशीर्ष 5801 22 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(त्ध्) टैरिफ मद 5801 23 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ध्) टैरिफ मद 5801 24 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 135 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ध्त्) टैरिफ मद 5801 25 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 120 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ध्त्त्) टैरिफ मद 5801 26 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 180 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ध्त्त्त्) टैरिफ मद 5801 31 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5% या 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होऱ् प्रविष्टि रखी जाएगी;

(त्) टैरिफ मद 5801 32 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 180 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्) टैरिफ मद 5801 33 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्त्) उपशीर्ख़ 5801 34 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 140 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्) टैरिफ मद 5801 35 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 68 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्त्त्त्) उपशीर्ख़ 5801 36 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 130 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्) उपशीर्ख़ 5801 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्) टैरिफ मद 5802 11 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्) उपशीर्ख़ 5802 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्त्) टैरिफ मद 5802 20 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्त्त्) टैरिफ मद 5802 30 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्) शीर्ख़ 5803 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्) शीर्ख़ 5804 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 200 रुपए प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्) शीर्ख़ 5805, 5806, 5807, 5808 और 5809 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्त्) टैरिफ मद 5810 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5% या 200 रुपए प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक होउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्त्त्) टैरिफ मद 5810 91 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5%उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्) उपशीर्ख़ 5810 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्) टैरिफ मद 5810 99 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्त्) शीर्ख़ 5811 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(36) अध्याय 59 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .12.5ऽउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(37) अध्याय 60 में,॰

(त्) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 6001 92 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त्) टैरिफ मद 6001 92 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .12.5ऽ या 100 रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो,उ प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(38) अध्याय 61 में,॰

(त्) उपशीर्ख़ 6101 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 700 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त्) टैरिफ मद 6101 20 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 540 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त्त्) उपशीर्ख़ 6101 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 530 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्ध्) उपशीर्ख़ 6101 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्) टैरिफ मद 6102 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 595 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्) टैरिफ मद 6102 20 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 425 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,उ प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(ध्त्त्) उपशीर्ख़ 6102 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 475 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्त्त्) उपशीर्ख़ 6102 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्न्) शीर्ख़ 6103 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्) टैरिफ मद 6104 11 00, 6104 12 00 और 6104 13 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्) उपशीर्ख़ 6104 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 460 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,उ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्) टैरिफ मद 6104 21 00, 6104 22 00 और 6104 23 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्त्) उपशीर्ख़ 6104 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्ध्) टैरिफ मद 6104 31 00, 6104 32 00 और 6104 33 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽउ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्) उपशीर्ख़ 6104 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्) टैरिफ मद 6104 41 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 255 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्ध्त्त्) टैरिफ मद 6104 42 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्त्त्) टैरिफ मद 6104 43 00 और 6104 44 00 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 255 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्) उपशीर्ख़ 6104 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 220 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्) टैरिफ मद 6104 51 00, 6104 52 00 और 6104 53 00 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 110 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्) उपशीर्ख़ 6104 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 110 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्) टैरिफ मद 6104 61 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्त्) टैरिफ मद 6104 62 00 और 6104 63 00 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 98 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्ध्) उपशीर्ख़ 6104 69 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्) उपशीर्ख़ 6105 10 और 6105 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 83 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्) उपशीर्ख़ 6105 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 90 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्) टैरिफ मद 6106 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 90 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्ध्त्त्) उपशीर्ख़ 6106 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 25 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्) उपशीर्ख़ 6106 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्) टैरिफ मद 6107 11 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 24 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्न्त्) उपशीर्ख़ 6107 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 30 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्त्) उपशीर्ख़ 6107 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्त्त्) टैरिफ मद 6107 21 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्ध्) उपशीर्ख़ 6107 22, 6107 29, 6107 91, 6107 92 और 6107 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्) उपशीर्ख़ 6108 11 और 6108 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्न्ध्त्) टैरिफ मद 6108 21 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 25 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्न्ध्त्त्) उपशीर्ख़ 6108 22 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 25 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्त्त्त्) उपशीर्ख़ 6108 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्न्त्) टैरिफ मद 6108 31 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्) उपशीर्ख़ 6108 32 और 6108 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्थ्त्) टैरिफ मद 6108 91 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .12.5ऽ या 65 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्थ्त्त्) उपशीर्ख़ 6108 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 60 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्त्त्त्) उपशीर्ख़ 6108 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्त्ध्) टैरिफ मद 6109 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 45 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्थ्ध्) उपशीर्ख़ 6109 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 50 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्ध्त्) उपशीर्ख़ 6110 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 275 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्ध्त्त्) टैरिफ मद 6110 12 00 और 6110 19 00 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 275 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्ध्त्त्त्) टैरिफ मद 6110 20 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 85 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ऱु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्थ्न्) उपशीर्ख़ 6110 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 110 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्) टैरिफ मद 6110 90 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 105 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्त्) शीर्ख़ 6111 और 6112 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्त्त्) टैरिफ मद 6113 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्त्त्त्) शीर्ख़ 6114, 6115, 6116 और 6117 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(39) अध्याय 62 में,ः

(त्) टैरिफ मद 6201 11 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 385 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त्) उपशीर्ख़ 6201 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 385 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त्त्) उपशीर्ख़ 6201 13 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 320 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्ध्) उपशीर्ख़ 6201 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्) टैरिफ मद 6201 91 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 220 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(ध्त्) टैरिफ मद 6201 92 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 210 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(ध्त्त्) टैरिफ मद 6201 93 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 180 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(ध्त्त्त्) उपशीर्ख़ 6201 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्न्) उपशीर्ख़ 6202 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 385 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्) टैरिफ मद 6202 12 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 210 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्त्) टैरिफ मद 6202 13 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 385 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्त्त्) उपशीर्ख़ 6202 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्त्) उपशीर्ख़ 6202 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 220 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्ध्) उपशीर्ख़ 6202 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 160 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्) उपशीर्ख़ 6202 93 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 220 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक होु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्) उपशीर्ख़ 6202 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्त्त्) टैरिफ मद 6203 11 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 1100 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्ध्त्त्त्) टैरिफ मद 6203 12 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 720 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्त्न्) उपशीर्ख़ 6203 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 1110 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्) टैरिफ मद 6203 21 00, 6203 22 00, 6203 23 00 और 6203 29 00 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 145 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्) टैरिफ मद 6203 31 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 815 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्न्त्त्) टैरिफ मद 6203 32 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 440 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्न्त्त्त्) टैरिफ मद 6203 33 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 320 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्न्त्ध्) उपशीर्ख़ 6203 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 755 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्) टैरिफ मद 6203 41 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 285 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्न्ध्त्) टैरिफ मद 6203 42 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्न्ध्त्त्) टैरिफ मद 6203 43 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 110 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्न्ध्त्त्त्) उपशीर्ख़ 6203 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 110 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्न्) टैरिफ मद 6204 11 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 550 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्न्न्) टैरिफ मद 6204 12 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्न्न्त्) टैरिफ मद 6204 13 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 550 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(न्न्त्त्) उपशीर्ष 6204 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 500 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्त्त्) टैरिफ मद 6204 21 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्त्ध्) उपशीर्ष 6204 22 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्) टैरिफ मद 6204 23 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्त्) उपशीर्ष 6204 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्न्ध्त्त्) टैरिफ मद 6204 31 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 370 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(न्न्ध्त्त्त्) टैरिफ मद 6204 32 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 650 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(न्न्त्न्) टैरिफ मद 6204 33 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 390 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(न्थ्) उपशीर्ष 6204 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 350 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्त्) उपशीर्ष 6204 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 145 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्त्त्) उपशीर्ष 6204 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 116 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्त्त्त्) उपशीर्ष 6204 43 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 145 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्त्ध्) टैरिफ मद 6204 44 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 145 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(न्थ्ध्) उपशीर्ष 6204 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 145 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्ध्त्) टैरिफ मद 6204 51 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 485 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(न्थ्ध्त्त्) टैरिफ मद 6204 52 00 और 6204 53 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्ध्त्त्त्) उपशीर्ष 6204 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(न्थ्त्न्) उपशीर्ष 6204 61 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 285 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्) टैरिफ मद 6204 62 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्त्) टैरिफ मद 6204 63 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्त्त्) उपशीर्ष 6204 69 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्त्त्त्) टैरिफ मद 6205 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 200 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(थ्त्ध्) टैरिफ मद 6205 20 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 85 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(थ्ध्) टैरिफ मद 6205 30 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 120 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(थ्ध्त्) उपशीर्ष 6205 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 95 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्ध्त्त्) उपशीर्ष 6206 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्ध्त्त्त्) टैरिफ मद 6206 20 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(थ्त्न्) टैरिफ मद 6206 30 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 95 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(थ्न्) टैरिफ मद 6206 40 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 120 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(थ्न्त्) टैरिफ मद 6206 90 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्त्त्) टैरिफ मद 6207 11 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 28 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी;

(थ्न्त्त्त्) उपशीर्ष 6207 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 30 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,ॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्त्ध्) टैरिफ मद 6207 21 00, 6207 22 00 और 6207 29 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्ध्) उपशीर्ष 6207 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्ध्त्) टैरिफ मद 6207 92 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, .12.5ऽॢ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्ध्त्त) उपशीर्ख 6207 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 70 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्ध्त्त्त) टैरिफ मद 6208 11 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 80 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(थ्न्त्न) उपशीर्ख 6208 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 60 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्) टैरिफ मद 6208 21 00 और 6208 22 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽरु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्त्) उपशीर्ख 6208 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽरु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्त्त) उपशीर्ख 6208 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 95 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्त्त्त) उपशीर्ख 6208 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 65 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्त्ध) उपशीर्ख 6208 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽरु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्ध) शीर्ख 6209 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽरु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्ध्त) टैरिफ मद 6210 10 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽरु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्ध्त्त) उपशीर्ख 6210 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 365 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्ध्त्त्त) उपशीर्ख 6210 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 305 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्त्न) उपशीर्ख 6210 40 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 65 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्न) टैरिफ मद 6210 50 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 65 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(थ्न्न्त) टैरिफ मद 6211 11 00, 6211 12 00, 6211 20 00 और 6211 31 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽरु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्न्त्त) टैरिफ मद 6211 32 00 और 6211 33 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक होरु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्न्त्त्त) टैरिफ मद 6211 39 00 और 6211 41 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽरु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्न्त्ध) उपशीर्ख 6211 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्न्ध) टैरिफ मद 6211 43 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 135 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(थ्न्न्ध्त) टैरिफ मद 6211 49 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽरु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्न्ध्त्त) शीर्ख 6212 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 30 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्न्ध्त्त्त) शीर्ख 6213 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽरु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(थ्न्न्त्न) उपशीर्ख 6214 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 390 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ह) उपशीर्ख 6214 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 180 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्हत) टैरिफ मद 6214 30 00 और 6214 40 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽरु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्हत्त) उपशीर्ख 6214 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 75 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्हत्त्त) शीर्ख 6215 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 55 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्हत्ध) शीर्ख 6216 और 6217 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽरु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(40) अध्याय 63 में,९

(त) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मदें 6301 20 00, 6302 21 00 और 6302 31 00 के सिवाय) के सामने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽरु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त) टैरिफ मद 6301 20 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 275 रु. प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो,रु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त्) टैरिफ मद 6302 21 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 108 रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो,ऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(त्ध्) टैरिफ मद 6302 31 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ या 96 रु. प्रति किग्रा, इनमें से जो भी अधिक हो,ऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(41) अध्याय 64 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(42) अध्याय 65 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(43) अध्याय 66 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(44) अध्याय 67 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(45) अध्याय 68 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(46) अध्याय 69 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(47) अध्याय 70 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(48) अध्याय 71 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(49) अध्याय 73 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(50) अध्याय 74 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(51) अध्याय 75 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(52) अध्याय 76 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(53) अध्याय 78 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(54) अध्याय 79 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(55) अध्याय 80 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(56) अध्याय 81 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(57) अध्याय 82 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(58) अध्याय 83 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(59) अध्याय 84 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8407 21 00, 8456 91 00, 8469 11 00, 8470 10 00, 8470 21 00, 8470 29 00, 8470 30 00, 8470 40 10, 8470 40 20, 8470 50 10, 8470 50 20, 8470 90 10, 8470 90 20, 8471 10 00, 8471 30 10, 8471 30 90, 8471 41 10, 8471 41 20, 8471 41 90, 8471 49 00, 8471 50 00, 8471 60 10, 8471 60 21, 8471 60 22, 8471 60 23, 8471 60 24, 8471 60 25, 8471 60 26, 8471 60 27, 8471 60 29, 8471 60 30, 8471 60 40, 8471 60 50, 8471 60 60, 8471 60 90, 8471 70 10, 8471 70 20, 8471 70 30, 8471 70 40, 8471 70 50, 8471 70 60, 8471 70 70, 8471 70 90, 8471 80 00, 8471 90 00, 8473 21 00, 8473 29 00, 8473 30 10, 8473 30 20, 8473 30 30, 8473 30 40, 8473 30 50, 8473 30 60, 8473 30 91, 8473 30 92, 8473 30 99 और 8473 50 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(60) अध्याय 85 में,श्

(त्) शीर्ख़ 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8518 और 8519 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त्) शीर्ख़ 8520 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8520 20 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त्त्) शीर्ख़ 8521 और 8522 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्ध्) टैरिफ मद 8523 30 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ . प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्) शीर्ख़ 8524 में की सभी टैरिफ मदों (उपशीर्ख़ 8524 31, 8524 40 और 8524 91 के सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्) शीर्ख़ 8525 में की सभी टैरिफ मदों (उपशीर्ख़ 8525 20 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्त्) शीर्ख़ 8526, 8527, 8528, 8529 और 8530 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्त्त्) शीर्ख़ 8531 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8531 20 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्न्) शीर्ख़ 8535, 8536, 8537, 8538, 8539 और 8540 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8540 40 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्) शीर्ख़ 8543 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8543 11 00 और 8543 81 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्) शीर्ख़ 8544 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मदों 8544 70 10 और 8544 70 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्) शीर्ख़ 8545, 8546, 8547 और 8548 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽऋ प्रविख़्टि रखी जाएगी;

(61) अध्याय 86 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(62) अध्याय 87 में,श्

(त्) शीर्ख़ 8701 और 8702 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त्) शीर्ख़ 8704, 8705, 8706, 8707, 8708 और 8709 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त्त्) शीर्ख़ 8712, 8713, 8714, 8715 और 8716 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(63) अध्याय 88 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मदों 8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00, 8803 10 00, 8803 20 00 और 8803 30 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(64) अध्याय 89 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(65) अध्याय 90 में,श्

(त्) शीर्ख़ 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007 और 9008 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त्) टैरिफ मद 9009 12 00, 9009 22 00 और 9009 30 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्त्त्) शीर्ख़ 9010 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मदों 9010 41 00, 9010 42 00 और 9010 49 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्ध्) शीर्ख़ 9011 और 9012 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्) शीर्ख़ 9013 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मदों 9013 80 10 और 9013 90 10 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्) शीर्ख़ 9014, 9015, 9016, 9017, 9018 और 9019 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्त्) टैरिफ मद 9020 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ . प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(ध्त्त्त्) शीर्ख़ 9021, 9022, 9023, 9024 और 9025 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(त्न्) टैरिफ मद 9027 10 00, 9027 40 00, 9027 90 10, 9027 90 20 और 9027 90 90 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्) शीर्ख़ 9028 और 9029 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्) शीर्ख़ 9030 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मदों 9030 40 00 और 9030 82 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्) शीर्ख़ 9031 में की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मदों 9031 41 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्त्त्त्) शीर्ख़ 9032 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(न्ध्) टैरिफ मद 9033 00 00 में स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ . प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(66) अध्याय 91 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(67) अध्याय 92 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(68) अध्याय 93 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(69) अध्याय 94 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(70) अध्याय 95 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(71) अध्याय 96 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(72) अध्याय 97 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मदों 9704 00 10, 9704 00 20 और 9704 00 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(73) अध्याय 98 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 9803 00 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, .12.5ऽ३ु प्रविख़्टि रखी जाएगी ।

चौथी अनुसूची

इधारा 62(ख) देखिएट

भाग 1

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में,ः

(1) अध्याय 1 के शीर्ष 0105 में, टैरिफ मद 0105 92 00 और 0105 93 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः

रू0105 94 00	--	गैलस डोमोस्टिक्स जाति के मुर्गे	इ0	30%	–=;

(2) अध्याय 2 में,ः

(?) शीर्ष 0208 में, टैरिफ मद 0208 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 0210 में, टैरिफ मद 0210 20 00 के पश्चात् आने वाली स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, रूमांस और मांस अवशिष्ट–शब्दों के स्थान पर, रूमांस या मांस अवशिष्ट– शब्द रखे जाएंगे ;

(3) अध्याय 3 में,ः

(?) शीर्ष 0301 में, टैरिफ मद 0301 93 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:ः

रू0301 94 00	--	ब्लूफिन टूनास (थुन्नुस थाईनस)	कि0ग्रा0	30%	-
0301 95 00	--	दक्षिणी ब्लूफिन टूनास (थुन्नुस मैकोई)	कि0ग्रा0	30%	–=;

(??) शीर्ष 0302 में, टैरिफ मद 0302 66 00 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:ः

रू0302 67 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लैडियस)	कि0ग्रा0	30%	-
0302 68 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस स्प)	कि0ग्रा0	30%	–=;

(???) शीर्ष 0303 में, टैरिफ मद 0303 50 00 और 0303 60 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः

	रू-	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पालासी) और कोड (गैडस मॉरथुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस), जिनके अंतर्गत यकृत और मिनांडक नहीं है :			
0303 51 00	--	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पालासी)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 52 00	--	कोड (गैडस मॉरथुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि0ग्रा0	30%	-
	--	स्वोर्डफिस (जिफियास ग्लैडियस) और टूथफिस (डिसोसटिकस स्प), जिनके अंतर्गत यकृत और मिनांडक नहीं है			
0303 61 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लैडियस)	कि0ग्रा0	30%	-
0303 62 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस स्प)	कि0ग्रा0	30%	–=;

(?=) शीर्ष 0304 में, टैरिफ मद 0304 10 00, उपशीर्ष 0304 20, टैरिफ मद 0304 20 10 से 0304 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और टैरिफ मद तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः

	रू-	ताजा या द्रुतशीतित			
0304 11 00	--	स्वोर्डफिस (जिफियास ग्लैडियस)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 12 00	--	टूथफिस (डिसोसटिकस स्प)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 19 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	-	हिमशीतित कतले :			
0304 21 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लैडियस)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 22 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस स्प)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 29	--	अन्यः			
0304 29 10	---	हिल्सा	कि0ग्रा0	30%	-
0304 29 20	---	शार्क	कि0ग्रा0	30%	-
0304 29 30	---	सियर	कि0ग्रा0	30%	-
0304 29 40	---	टूना	कि0ग्रा0	30%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
0304 29 50	---	कटल फिश	कि0ग्रा0	30%	-
0304 29 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-
	--	अन्यः			
0304 91 00	--	स्वोर्डफिश (जिफियास ग्लैडियस)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 92 00	--	टूथफिश (डिसोसटिकस स्प)	कि0ग्रा0	30%	-
0304 99 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-=;

(4) अध्याय 4 में,&

(?) हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ;

(??) टैरिफ मद 0406 40 00 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :&

रूरू- नीली-शीरामय पनीर और पेनिसिलीन रोकफोर्टी द्वारा उत्पादित शीराओं वाला अन्य पनीर=;

(5) अध्याय 5,&

(?) टैरिफ मद 0503 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 0509, उपशीर्ष 0509 00, टैरिफ मद 0509 00 10 और 0509 00 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(6) अध्याय 6 के शीर्ष 0603 में टैरिफ मद 0603 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:&

	रूरू-	ताजा :			
0603 11 00	--	गुलाब	कि0ग्रा0	60%	-
0603 12 00	--	पर्णसमूह	कि0ग्रा0	60%	-
0603 13 00	--	ओरचिडस	कि0ग्रा0	60%	-
0603 14 00	--	गुलदाऊदी	कि0ग्रा0	60%	-
0603 19 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	60%	-=;

(7) अध्याय 7,&

(?) शीर्ष 0709 में, टैरिफ मद 0709 10 00 और 0709 52 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 0711 में, टैरिफ मद 0711 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(8) अध्याय 8 में,&

(?) टिप्पण 3 के खंड (क) और खंड (ख) में रूरूअर्थात्= शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, रूरूउदाहरणार्थ= शब्द रखा जाएगा ;

(??) शीर्ष 0802 में टैरिफ मद 0802 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :&

रूरू0802 60 00	--	माकाडामिया नट्स	कि0ग्रा0	30%	20%=;

(???) शीर्ष 0805 में, टैरिफ मद 0805 40 00 में स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर रूरू अंगूर फल, जिसके अंतर्गत पोमेलोस भी है= प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(?=) शीर्ष 0810 में, टैरिफ मद 0810 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(9) अध्याय 9 में,&

(?) शीर्ष 0906 में, उपशीर्ष 0906 10, टैरिफ मद 0906 10 10 से 0906 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :&

	रूरू-	जो संदलित या दलित नहीं हैं :			
0906 11	--	दालचीनी (सीनामोमम जेलानिकम ब्लूम):			
0906 11 10	---	दालचीनी छाल	कि0ग्रा0	30%	22.5%
0906 11 20	---	दालचीनी वृक्ष पुष्प	कि0ग्रा0	30%	22.5%
0906 11 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	22.5%
0906 19	--	अन्य :			
0906 19 10	---	कैसिया	कि0ग्रा0	30%	22.5%
0906 19 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	30%	22.5%=;

(??) शीर्ष 0910, उपशीर्ष 0910 40, टैरिफ मद 0910 40 10 से 0910 50 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(10) अध्याय 10 के टिप्पण 1 में रूरू(क)= और रूरू(ख)= कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, रूरू(अ)= और रूरू(आ)= कोष्ठक और अक्षर रखे जा

टैरिफ मद	माल का वर्णन		इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)

(11) अध्याय 11 के शीर्ख़ 1102 में, टैरिफ मद 1102 30 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(12) अध्याय 12 में,ऽ

(?) शीर्ख़ 1207 में,ऽ

(क) उपशीर्ख़ 1207 10, टैरिफ मद 1207 10 10 और 1207 10 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ख़ 1207 30, टैरिफ मद 1207 30 10 और 1207 30 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपशीर्ख़ 1207 60, टैरिफ मद 1207 60 10 और 1207 60 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 1209 में, टैरिफ मद 1209 26 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ख़ 1211 में, टैरिफ मद 1211 10 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ख़ 1212 में,ऽ

(क) उपशीर्ख़ 1212 10, टैरिफ मद 1212 10 10 और 1212 10 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ख़ 1212 30, टैरिफ मद 1212 30 10 और 1212 30 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(13) अध्याय 13 में,ऽ

(?) शीर्ख़ 1301 में,ऽ

(क) उपशीर्ख़ 1301 10, टैरिफ मद 1301 10 10 से 1301 10 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 1301 90 49 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख़्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :ऽ

	रू---	अन्य :			
1301 90 99	----	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-=;

(??) शीर्ख़ 1302 में, टैरिफ मद 1302 14 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(14) अध्याय 14 में,ऽ

(?) टिप्पण 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :ऽ

रू3. शीर्ख़ 1404 काख़्ठ ऊन (शीर्ख़ 4405) और झाडु या ब्रुश (शीर्ख़ 9603) बनाने के लिए निर्मित गांठों या गुच्छों को लागू नहीं होता है ।=;

(??) टैरिफ मद 1402 00 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ख़ 1403, उपशीर्ख़ 1403 00, टैरिफ मद 1403 00 10 और 1403 00 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ख़ 1404, उपशीर्ख़ 1404 10, टैरिफ मद 1404 10 11 और 1404 10 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(15) अध्याय 15 के शीर्ख़ 1515 में, टैरिफ मद 1515 40 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(16) अध्याय 19 में, टिप्पण 3 में, रूविलेपित= शब्द के स्थान पर, रूपूर्णतः विलेपित= शब्द रखे जाएंगे ;

(17) अध्याय 20 में,ऽ

(?) टिप्पण 1 में,ऽ

(क) खंड (ख) में, अंत में आने वाले रूया= शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :ऽ

रू(ग) शीर्ख़ 1905 के बेकर के बर्तन और अन्य उत्पाद ; या

(घ) शीर्ख़ 2104 की समांगीकृत समिश्रित खाद्य निर्मितियां ।=;

(??) शीर्ख़ 2005 में, टैरिफ मद 2005 90 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ऽ

	रू-	अन्य वनस्पतियां और वनस्पतियों का मिश्रण :			
2005 91 00	--	बांस की कोंपलें	कि0ग्रा0	30%	-
2005 99 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	30%	-=;

(???) शीर्ख़ 2009 में, टैरिफ मद 2009 19 00 के पश्चात् स्तंभ (2) में की प्रविख़्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविंख़्टि रखी जाएगी, अर्थात् :ऽ

रू- अंगूर फल (जिसके अंतर्गत पोमेलो भी है) रस :=

(18) अध्याय 22 में,ऽ

(?) टिप्पण 1 के खंड (ग) में, रूशीर्ख़ 2851= शब्द और अंकों के स्थान पर, रूशीर्ख़ 2853= शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(??) शीर्ख़ 2208 में उपशीर्ख़ 2208 40, टैरिफ मद 2208 40 11 और 2208 40 12 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद और उनसे संबंधित प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ऽ

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
रूरू2208 40	-	किण्वित गन्ना उत्पादों के आसवन से प्राप्त रम और अन्य स्पिरिट :			
	---	2 लिटर या कम के आदानों में :			
2208 40 11	----	रम	लि0	182%	-
2208 40 12	----	अन्य	लि0	182%	-
	---	अन्य :			
2208 40 91	----	रम	लि0	182%	-
2208 40 92	----	अन्य	लि0	182%	-=;

(19) अध्याय 23,ﾘ

(?) शीर्ष 2302 में, उपशीर्ष 2302 20, टैरिफ मद 2302 20 10 से 2302 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 2306 में, टैरिफ मद 2306 70 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(20) अध्याय 25 में,ﾘ

(?) शीर्ष 2506 में टैरिफ मद 2506 10 20, उपशीर्ष 2506 21, टैरिफ मद 2506 21 10 से 2506 29 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और उनसे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ﾘ

रूरू2506 10 20	---	चूर्ण में	कि0ग्रा0	12.5%	-
2506 20	-	क्वार्टजाइट :			
2506 20 10	---	ढेलों में	कि0ग्रा0	12.5%	-
2506 20 20	---	चूर्ण में	कि0ग्रा0	12.5%	-
2506 20 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(??) शीर्ष 2508 में, उपशीर्ष 2508 20 टैरिफ मद 2508 20 10 और 2508 20 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 2513 में टैरिफ मद 2513 11 00 और 2513 19 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, टैरिफ मद और उनसे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ﾘ

रूरू2513		झांवा पत्थर ; रेगमार ; प्राकृतिक कुरूविद, प्राकृतिक गार्नेट और अन्य प्राकृतिक अपघर्षी, चाहे उष्मा उपचारित हो या नहीं			
2513 10 00	-	झांवा पत्थर	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(?=) शीर्ष 2516 में टैरिफ मद 2516 12 00 से 2516 22 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और उनसे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ﾘ

रूरू2516 12 00	--	आरी द्वारा चीरकर या अन्यथा आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) आकार के ब्लाकों या सिल्लियों में मात्र कर्तित	कि0ग्रा0	12.5%	-
2516 20 00	--	बलुकाश्म	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(=) शीर्ष 2524 में, उपशीर्ष 2524 00, टैरिफ मद 2524 00 11 से 2524 00 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ﾘ

रूरू2524 10 10	---	क्रोसिडोलाइट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2524 90	-	अन्य :			
	---	चट्टान रूप में :			
2524 90 11	----	क्राइसोटाइल	कि0ग्रा0	12.5%	-
2524 90 12	----	एम्फीबोल	कि0ग्रा0	12.5%	-
2524 90 13	----	क्राइसोलाइट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2524 90 14	----	एमोसाइट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2524 90 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	---	कच्चे फाइबर, लंबाई में तोड़े गए या धोए गए या श्रेणीकृत :			
2524 90 21	----	क्राइसोटाइल	कि0ग्रा0	12.5%	-
2524 90 22	----	एम्फीबोल	कि0ग्रा0	12.5%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2524 90 23	----	क्राइसोलाइट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2524 90 24	----	एमोसाइट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2524 90 29	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	---	पत्रक या चूर्ण :			
2524 90 31	----	क्राइसोटाइल	कि0ग्रा0	12.5%	-
2524 90 32	----	एम्फीबोल	कि0ग्रा0	12.5%	-
2524 90 33	----	क्राइसोलाइट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2524 90 34	----	एमोसाइट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2524 90 39	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	---	अन्य :			
2524 90 91	----	अपशिख़्ट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2524 90 99	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(=) शीर्ख़ 2529 में,%

(क) स्तंभ (2) में की प्रविख़्टि में, रूरूफेलस्पार= शब्द के स्थान पर, रूरूफेल्डस्पार= शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपशीर्ख़ 2529 10 में, स्तंभ (2) में की प्रविख़्टि में, रूरूफेलस्पार= शब्द के स्थान पर, रूरूफेल्डस्पार= शब्द रखा जाएगा ;

(21) अध्याय 26 में,%

(?) टिप्पण 3 में, रूरूभस्म= शब्द के स्थान पर जहां-जहां वह आता है, रूरूधातुमल, भस्म= शब्द रखे जाएंगे ;

(??) उपशीर्ख़ के टिप्पण 2 में, रूरूभस्म= शब्द के स्थान पर, रूरूधातुमल, भस्म= शब्द रखे जाएंगे ;

(???) शीर्ख़ 2620 में, स्तंभ (2) में की प्रविख़्टि में, रूरूभस्म= शब्द के स्थान पर, रूरूधातुमल, भस्म= शब्द रखे जाएंगे ;

(22) अध्याय 27 में,%

(?) उपशीर्ख़ टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़ टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :%

रूरू3. टैरिफ मद 2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00 और 2707 40 00 के प्रयोजनों के लिए रूरूबेंजोल (बेंजीन)=, रूरूटोलूओल (टॉलुइन)=, रूरूजाइलोल (जाइलीन)= और रूरूनेपथलीन=शब्द उन उत्पादों को लागू होते हैं जिनमें क्रमशः बेंजीन, टोलून, जाइलीन या नेपथलीन भार के आधार पर 50% से अधिक है ।=;

(??) शीर्ख़ 2707 में टैरिफ मद 2707 60 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(23) अनुभाग ж के टिप्पण 1 में,%

(?) पैरा (क) में, रूरू(क)= कोख़्ठक और अक्षर के स्थान पर रूरू(अ)= शब्द रखे जाएंगे ;

(??) पैरा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :%

रूरू(आ) पैरा (अ) के अधीन रहते हुए शीर्ख़ 2843, 2846 या 2852 में वर्णन के माल को उन शीर्ख़ों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है और न कि इस धारा के अन्य शीर्ख़ में ।=;

(24) अध्याय 28 में,%

(?) टिप्पण 2 में,%

(क) रूरूअकार्बनिक आधार (शीर्ख़ 2838), शीर्ख़ 2843 से 2846 में सम्मिलित कार्बनिक उत्पाद= शब्दों, अंकों और कोख़्ठकों के स्थान पर, रूरूअकार्बनिक आधार (शीर्ख़ 2842), शीर्ख़ 2843 से 2846 और 2852 में सम्मिलित कार्बनिक उत्पाद= शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ङ) में, रूरूशीर्ख़ 2851= शब्द और अंकों के स्थान पर, रूरूशीर्ख़ 2853= शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(??) शीर्ख़ 2811, टैरिफ मद 2811 23 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ख़ 2824, टैरिफ मद 2824 20 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ख़ 2826 में,%

(क) उपशीर्ख़ 2826 11, टैरिफ मद 2826 11 10 और 2826 11 20 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ख़ 2826 20, टैरिफ मद 2826 20 10 और 2826 20 20 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ख़ 2827, टैरिफ मद 2827 33 00, 2827 34 00 और 2827 36 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) शीर्ख़ 2830, टैरिफ मद 2830 20 00 और 2830 30 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=??) शीर्ख़ 2833 में,%

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(क) टैरिफ मद 2833 23 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 2833 26, टैरिफ मद 2833 26 10 और 2833 26 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=???) शीर्ष 2835, टैरिफ मद 2835 23 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?!) शीर्ष 2836, टैरिफ मद 2836 10 00 और 2836 70 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!) शीर्ष 2838, उपशीर्ष 2838 00 टैरिफ मद 2838 00 10 से 2838 00 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!?) शीर्ष 2839, टैरिफ मद 2839 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!??) शीर्ष 2841, उपशीर्ष 2841 10 टैरिफ मद 2841 10 10, 2841 10 90, उपशीर्ष 2841 20 टैरिफ मद 2841 20 10 और 2841 20 20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!???) शीर्ष 2851, उपशीर्ष 2851 00 टैरिफ मद 2851 00 10 से 2851 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और टैरिफ मद तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

रू्र2852 00 00		यौगिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, पारद का, जिसके अंतर्गत अमलगम नहीं हैं	कि0ग्रा0	12.5%	-
2853		अन्य अकार्बनिक यौगिक (जिसके अंतर्गत आसुत या चालकता जल और उसी शुद्धता का जल भी है); द्रव्य वायु (चाहे उसमें से दुर्लभ गैसें निकाल दी गई हों या नहीं); संपीडित वायु; अमलगम, बहुमूल्य धातु के अमलगम से भिन्न			
2853 00	-	अन्य अकार्बनिक यौगिक (जिसके अंतर्गत आसुत या चालकता जल और उसी शुद्धता का जल भी है); द्रव्य वायु (चाहे उसमें से दुर्लभ गैसें निकाल दी गई हों या नहीं); संपीडित वायु; अमलगम, बहुमूल्य धातु के अमलगम से भिन्न :			
2853 00 10	---	आसुत या चालकता जल और उसी शुद्धता का जल	कि0ग्रा0	12.5%	-
2853 00 20	---	द्रव्य वायु, चाहे उसमें से दुर्लभ गैसों का भाग निकाल दिया गया हो या नहीं	कि0ग्रा0	12.5%	-
2853 00 30	---	संपीडित वायु	कि0ग्रा0	12.5%	-
2853 00 40	---	अमलगम, बहुमूल्य धातु के अमलगम से भिन्न	कि0ग्रा0	12.5%	-
	---	अन्यः			
2853 00 91	----	साएनोजन क्लोराइड ङ(सीएन) सीआईट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2853 00 99	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(25) अध्याय 29 में,–

(?) टिप्पण 5 में,–

(क) रू्र(क)=, रू्र(ख)=, रू्र(ग)=, रू्र(घ)= और रू्र(ङ)= कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, क्रमशः रू्र(अ)=, रू्र(आ)=, रू्र(इ)=, रू्र(ई)= और रू्र(उ)= कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) इस प्रकार पुनःअक्षरांकित पैरा (इ) में,–

(अ) रू्र(अ)= और रू्र(आ)= कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, क्रमशः रू्र(1)= और रू्र(2)= कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

=(3) उप अध्याय 11 या शीर्ष 2941 में वर्गीकृत उत्पादों से भिन्न समन्वय यौगिकों को उस शीर्षक में वर्गीकृत किया जाना है जिसमें वे अध्याय 29 में संख्याक्रम में अंत में आते हैं जो धातु कार्बन बंधों से भिन्न सभी धातुबंधों के रू्रविदारन= द्वारा रचित भाग के समुचित हैं ।=;

(??) टिप्पण 6 में, रू्रमारद= शब्द का लोप किया जाएगा ;

(???) उपशीर्ष टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :–

रू्रउपशीर्ष टिप्पण :

1 . इस अध्याय के किसी एक शीर्ष के अंतर्गत आने वाले किसी रासायनिक यौगिक के व्युत्पन्नों (या रासायनिक यौगिकों का समूह) उसी उपशीर्ष में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें यौगिक (या यौगिकों का समूह) किया गया है परन्तु यह तब जब कि वे किसी अन्य उपशीर्ष के अंतर्गत किसी विशिष्ट रूप से नहीं आते हैं और यह कि संबंधित उपशीर्षों की श्रृंखला में अन्य नाम से किसी अवशिष्ट उपशीर्ष को नामित नहीं किया गया है ।

2. इस अध्याय का टिप्पण 3 इस अध्याय के उपशीर्षों को लागू नहीं होगा ।=;

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(?=) शीर्ष 2903 में,ः%

(क) टैरिफ मद 2903 15 00 में स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :ः%

रूरू-- एथिलीन डाइक्लोराइड (आईएसओ) (1, 2-डाइक्लोरोथेन)रूरू;

(ख) उपशीर्ष 2903 30, टैरिफ मद 2903 30 11 से 2903 30 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः%

	रूरू-	फ्लूरीनेटित, ब्रोमिनेटित या आयोडिनेटित, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न :			
2903 31 00	--	एथिलीन डाइब्रोमाईड (आईएसओ) (1, 2-डाइब्रोमोइथेन)	कि0ग्रा0	12.5%	-
2903 39	--	अन्यः			
	---	फ्लूरीनेटित व्युत्पन्नः			
2903 39 11	----	1-प्रोपेन,1,1,3,3,3 पेंटाफ्लूरो - 2 -(ट्राइफ्लूरोमेथिल) (पीएफआईबी)	कि0ग्रा0	12.5%	-
2903 39 19	----	अन्य			
2903 39 20	---	ब्रोमिनेटित व्युत्पन्न			
2903 39 30	---	आयोडिनेटित व्युत्पन्न			
2903 39 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-;

(ग) टैरिफ मद 2903 51 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :ः%

रूरू2903 51 00	--	1,2,3,4,5,6-हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ¼एचसीएच (आईएसओ)½, जिसके अंतर्गत लिंडेन (आईएसओ, आईएनएन) भी है	कि0ग्रा0	12.5%	-
2903 52 00	--	एल्ड्रीन(आईएसओ), क्लोरडेन (आईएसओ) और हेप्टाक्लोर(आईएसओ)	कि0ग्रा0	12.5%	-;

(घ) उपशीर्ष 2903 62, टैरिफ मद 2903 62 10 से 2903 62 29 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः%

रूरू2903 62	--	हेक्साक्लोरोबेंजीन(आईएसओ) और डीडीटी(आईएसओ) ¼क्लोफेनोटेन(आईएनएन)½ 1,1,1-ट्राईक्लोरो-2, 2-बिस ¼(पी-क्लोरोफिनाइल)इथेन½ :			
2903 62 10	---	हेक्साक्लोरोबेंजीन(आईएसओ)	कि0ग्रा0	12.5%	-
	---	डीडीटी(आईएसओ) ¼क्लोफेनोटेन(आईएनएन)½ 1,1, 1-ट्राईक्लोरो-2, 2-बिस ¼(पी-क्लोरोफिनाइल)इथेन½ :			
2903 62 21	----	डीडीटी- तकनीकी 75 डब्ल्यूडीपी	कि0ग्रा0	12.5%	-
2903 62 29	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-;

(=) शीर्ष 2905 में, टैरिफ मद 2905 15 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) शीर्ष 2906 में, टैरिफ मद 2906 14 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=??) शीर्ष 2907 में, टैरिफ मद 2907 14 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=???) शीर्ष 2908 में, टैरिफ मद 2908 10 00, उपशीर्ष 2908 20, टैरिफ मद 2908 20 10 से 2908 20 29, उपशीर्ष 2908 90, टैरिफ मद 2908 90 10 से 2908 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः%

	रूरू-	व्युत्पन्न जिनमें केवल हेलोजन प्रतिस्थापी हैं और उनके लवणः			
2908 11 00	--	पेंटाक्लोरोफिनोल (आईएसओ)	कि0ग्रा0	12.5%	-
2908 19 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	अन्य :			
2908 91 00	--	डाइनोसेब (आइएसओ) और उसके लवण	कि0ग्रा0	12.5%	-
2908 99	--	अन्य :			

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2908 99 10	---	पैरा नाइट्रोफिनोल	कि0ग्रा0	12.5%	-
2908 99 20	---	मस्क जाइलोल	कि0ग्रा0	12.5%	-
2908 99 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-”;

(?!) शीर्ष 2909 में, टैरिफ मद 2909 42 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!) शीर्ष 2910 में, टैरिफ मद 2910 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ :-

“2910 40 00	-	डाइलेड्रिन (आई.एस.ओ., आई.एन.एन.)	कि0ग्रा0	12.5%	-”;

(!?) शीर्ष 2912 में, टैरिफ मद 2912 13 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!??) शीर्ष 2915 में,-

(क) टैरिफ मद 2915 22 00 और 2915 23 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 2915 34 00 और 2915 35 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌ :-

“2915 36 00	--	डाइनोसेब (आई.एस.ओ.) एसिटेड	कि0ग्रा0	12.5%	-”;

(!???) शीर्ष 2916 में, टैरिफ मद 2916 35 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ :-

“2916 36 00	--	बिनापाक्राइल (आई.एस.ओ.)	कि0ग्रा0	12.5%	-”;

(!?=) शीर्ष 2917 में, टैरिफ मद 2917 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!=) शीर्ष 2918 में,-

(क) टैरिफ मद 2918 16 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌ :-

“2918 18 00	--	क्लोरोबेन्जिलेट (आई.एस.ओ.)	कि0ग्रा0	12.5%	-”;

(ख) टैरिफ मद 2918 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌ :-

	“-	अन्य :			
2918 91 00	--	2,4,5-टी (आई.एस.ओ.) (2,4 5- ट्रिक्लोरोफेनौक्सीएसेटिक एसिड) इसके लवण और एस्टर	कि0ग्रा0	12.5%	-
2918 99 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-”;

(!=?) शीर्ष 2919 में, उपशीर्ष 2919 00 में, टैरिफ मद 2919 00 10 से टैरिफ मद 2919 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌ :-

“2919		फास्फोरिक एस्टर और उनके लवण, जिनमें लैक्टोफास्फेट हैं; उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनिकृत, नाइट्रेटिकृत या नाइट्रोसेटिकृत व्युत्पन्न			
2919 10 00	-	ट्रिस (2, 3 डाइब्रोमोप्रोपायल) फास्फेट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2919 90	-	अन्य :			
2919 90 10	---	ग्लीसरोफासफोरिक अम्ल	कि0ग्रा0	12.5%	-
2919 90 20	---	कैल्शियम ग्लीसरोफासफेट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2919 90 30	---	लौह ग्लीसरोफासफेट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2919 90 40	---	सोडियम ग्लीसरोफासफेट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2919 90 50	---	ट्राइकीसिल फासफेट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2919 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	- ”;

(!=??) शीर्ष 2920 में, टैरिफ मद 2920 10 10 और 2920 10 20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌ :-

“2920		अधातु के अन्य अकार्बनिक अम्लों के एस्टर (जिनके अंतर्गत हाइड्रोजन हैलाइड के एस्टर नहीं हैं) और उनके लवण; उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनिकृत, नाइट्रेटिकृत या नाइट्रोसेटिकृत व्युत्पन्न			
	-	थायोफास्फोरिक एस्टर (फास्फोरोथायोएट्स) और उनके लवण; उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनिकृत, नाइट्रेटिकृत या नाइट्रोसेटिकृत व्युत्पन्न :			

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2920 11 00	--	पैराथिओन (आई.एस.ओ.) और पैराथिओन-मिथाइल (आई.एस.ओ.) (मिथाइलपैराथिओन)	कि0ग्रा0	12.5%	-
2920 19	--	अन्य :			
2920 19 10	---	फास्फोरोथायोएट्स अम्ल, एस ‡2 - (डाइएथिल अमीनों) एथिल‡ ओ,ओ- डाइएथिल एस्टर	कि0ग्रा0	12.5%	-
2920 19 20	---	थायोफास्फोरिक एस्टर (फास्फोरोथायोएट्स) और उनके लवण; उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनिकृत, नाइट्रेटिकृत या नाइट्रोसेटिकृत व्युत्पन्न	कि0ग्रा0	12.5%	-
2920 19 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(!=???) शीर्ख 2921 में, टैरिफ मद 2921 12 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!?!) शीर्ख 2922 में, उपशीर्ख 2922 22 में, टैरिफ मद 2922 22 10 से 2922 22 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!!) शीर्ख 2924 में, टैरिफ मद 2924 11 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख़्टियां अतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः—

रू2924 12 00	--	फ्ल्यूरोठएसेटामाइड (आई.एस.ओ.), मोनोक्रोटोफोस (आई.एस.ओ.) और फासफामिडल (आई.एस.ओ)	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(!!?) शीर्ख 2925 में, उपशीर्ख 2925 20 में, टैरिफ मद 2925 20 10 और 2925 20 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख, टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

	रू-	इमाइन और उनके व्युत्पन्न; उनके लवण			
2925 21 00	--	क्लोरडाइमेफार्म (आई.एस.ओ.)	कि0ग्रा0	12.5%	-
2925 29	-	अन्य :			
2925 29 10	-	ग्वानिडीन नाइट्रेट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2925 29 90	-	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(!!??) शीर्ख 2930 में,—

(क) टैरिफ मद 2930 10 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 2930 40 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख़्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

रू2930 50 00	-	कैप्टाफोल (आई.एस.ओ.) और मेथामिडोफोस (आई.एस.ओ.)	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(!!???) शीर्ख 2936 में, टैरिफ मद 2936 10 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!!?=) शीर्ख 2939 में, टैरिफ मद 2939 19 00, उपशीर्ख 2939.21, टैरिफ मद 2939 21 10 से 2939 29 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख, टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

रू2939 19 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
2939 20	-	सिनकना के एलकेलाइड और उनके व्युत्पन्न, उनके लवणः			
2939 20 10	---	कुनैन एलकेलाइड	कि0ग्रा0	12.5%	-
2939 20 20	---	कुनैन हाइड्रोक्लोराइड	कि0ग्रा0	12.5%	-
2939 20 30	---	कुनैन सल्फेट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2939 20 40	---	क्लोरोक्वीन फास्फेट	कि0ग्रा0	12.5%	-
2939 20 50	---	बेन्जेनिएसेटिक अम्ल, अल्फा, हाइड्रौक्सी-अल्फा-फिनाइल, 1-अजाबाइसाइक्लो ‡2.2.2.‡ आक्ट-3-वाई.एल. एस्टर	कि0ग्रा0	12.5%	-
2939 20 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(26) अध्याय 30 में,—

(?) टिप्पण 4 में,—

(क) खंड (क) में रूरूसीवन सामग्री= शब्दों के स्थान पर, रूरूसीवन सामग्री (जिसके अंतर्गत निर्जीवाणु अवशोख़्य शल्य सीवन सामग्री या सूत) भी है= शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ग) में, रूरूरक्त स्तंभक= शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	शुल्क की दर अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

रूरूनिर्जीवाणु शल्य सीवन या तंत्र आसंजन रोक, चाहे अवशोष्य हो या नहीं ;=;

(ग) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :ऽ

रूरू(ट) आस्टामी प्रयोग अर्थात् कालोस्टोमी, इलियोस्टोमी और यूनोस्टोमी पाउचों में काटे जाने के लिए पहचाने जाने वाले साधित्र और उनके आसंजक पटलिका और मुख पट्टिका =;

(??) शीर्ष 3001 में उपशीर्ष 3001 10 की टैरिफ मद 3001 10 10 से 3001 10 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 3004 में, टैरिफ मद 3004 32 00 में, स्तंभ (2) में रूरूऔर= शब्द के स्थान पर, रूरूया= शब्द रखा जाएगा ;

(?=) शीर्ष 3006 में,ऽ

(क) उपशीर्ष 3006 10, टैरिफ मद 3006 10 10 और 3006 10 20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ऽ

रूरू3006 10	–	निर्जीवाणु शल्य चिकित्सीय बिडाल दंत, वैसी ही निर्जीवाणु शल्य सीवन सामग्री (जिसके अंतर्गत निर्जीवाणु अवशोष्य शल्य चिकित्सीय या दंत सूत भी है) और निर्जीवाणु उत्तक आसंजक चिकित्सीय घाव बंद करने के लिए; निर्जीवाणु लेमिनेरिया और निर्जीवाणु लेमिनेरिया टेन्ट; निर्जीवाणु अवशोष्य शल्य चिकित्सीय या दंत रक्त स्तंभक; निर्जीवाणु शल्य चिकित्सीय या दंत आसंजन रोक, चाहे अवशोष्य हों या नहीं :			
3006 10 10	---	निर्जीवाणु, चिकित्सीय बिडाल दंत और वैसी ही निर्जीवाणु शल्य सीवन सामग्री, (जिसके अंतर्गत निर्जीवाणु अवशोष्य चिकित्सीय या दंत सूत भी है) और घाव बंद करने के लिए निर्जीवाणु उत्तक आसंजक	कि0ग्रा0	12.5%	-
3006 10 20	---	निर्जीवाणु लेमिनेरिया और निर्जीवाणु लेमिनेरिया टेन्ट, निर्जीवाणु अवशोष्य चिकित्सीय या दंत रक्त स्तंभक, निर्जीवाणु चिकित्सीय या दंत आसंजन रोक, चाहे अवशोष्य हो या नहीं	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(ख) टैरिफ मद 3006 80 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ऽ

	रूरू-	अन्य :			
3006 91 00	--	ओसटोमी प्रयोग के लिए पहचाने जाने वाले साधित्र	कि0ग्रा0	12.5%	-
3006 92 00	--	अपशिष्ट भेषजी	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(27) अध्याय 31 में,ऽ

(?) टिप्पण 1 में के खंड (ख) में, रूरू(अ) कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, रूरू(क)= कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(??) टिप्पण 2 में, रूरू(अ)=, रूरू(आ)=, रूरू(इ) और (ई)= कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः रूरू(क)=, रूरू(ख)=, रूरू(ग)= और रू(घ कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(???) टिप्पण 3 में, रूरू(अ)=, रूरू(आ)=, और रूरू(इ)= कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः रूरू(क)=, रूरू(ख)= और रूरू(ग)= कोष्ठक अक्षर रखे जाएंगे ;

(?=) टिप्पण 4 में, रूरू(अ)= और रूरू(आ)= कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः रूरू(क)= और रूरू(ख)= कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे

(=) शीर्ष 3102 में, टैरिफ मद 3102 70 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) शीर्ष 3103 में, टैरिफ मद 3103 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=??) शीर्ष 3104 में, टैरिफ मद 3104 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(28) अध्याय 32 में, शीर्ष 3206 की टैरिफ मद 3206 30 00 और 3206 43 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(29) अध्याय 33 में,ऽ

(?) शीर्ष 3301 में,ऽ

(क) टैरिफ मद 3301 11 00, 3301 14 00 और 3301 21 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 3301 22 में, टैरिफ मद 3301 22 10, 3301 22 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 3301 23 00 और 3301 26 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(30) अध्याय 34 में,ऽ

(?) टिप्पण 5 में,ऽ

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(क) रूरू(अ)=, रूरू(आ)= और रूरू(इ)= कोख़्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः रूरू(क)=, रूरू(ख)= और रूरू(ग)= कोख़्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) रूरू(अ)=, रूरू(आ)=, रूरू इरूरू और रूरू(ई)= कोख़्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः रूरू(?)=, रूरू(??)=, (???) और रूरू(?=)= कोख़्ठक अंक रखे जाएंगे ;

(??) शीर्ख़ 3404 में, टैरिफ मद 3404 10 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(31) अध्याय 37 में,༄

(?) शीर्ख़ 3702 में, टैरिफ मद 3702 20 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 3705 में, टैरिफ मद 3705 20 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(32) अध्याय 38 में,༄

(?) टिप्पण 1 के खंड (ग) में, रूरूभस्म= शब्द के स्थान पर, रूरूकचरा, भस्म= शब्द रखे जाएंगे ;

(??) उपशीर्ख़ टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ख़ टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :༄

रूउपशीर्ख़ टिप्पण

1. टैरिफ मद 3808 50 00 के अंतर्गत केवल शीर्ख़ 3808 आएगा जिसके अंतर्गत एक या एक या अधिक निम्नलिखित पदार्थ सम्मिलित हैं: एल्ड्रिन (आई.एस.ओ.); बिनापैक्राइल (आई.एस.ओ.); कैम्फेक्लोर (आई.एस.ओ.); (टोक्साफेन); कैप्टाफोल (आई.एस.ओ.); क्लौरडैन (आई.एस.ओ.); क्लोरडाइमेफार्म (आई.एस.ओ.); क्लोरोबेन्जिलेट (आई.एस.ओ.); डी.डी.टी.(आई.एस.ओ.) ड्क्लोफेनोटेन (आई.एल.एल.), 1,1,1-ट्रिक्लोरा-2-2-विस (पी-क्लोरफेनाइल) इथानेट; डाइल्ड्रिन (आई.एस.ओ.,आई.एन.एन.), डाइनोसेब (आई.एस.ओ.), इसके लवण और इसके एस्टर; एथिलीन डिब्रोमाइड (आई.एस.ओ.) (1,2-डिब्रोमोएथेन); एथिलीन डिक्लोराइड (आई.एस.ओ.) (1,2- डिक्लोरोएथेन); फ्लूरोएक्टामाइड (आई.एस.ओ.); हेप्टाक्लोर (आई.एस.ओ.); हेक्साक्लोरोबेन्जीन (आई.एस.ओ.); 1,2,3,4,5,6 - हेक्साक्लोसाइक्लोहेक्सेन (एच.सी.एच. (आई.एस.ओ.), लिन्डाने (आई.एस.ओ., आई.एल.एल) के साथ; मर्करी कंपाउंड; मेथामिडोफोस (आई.एस.ओ.); मोनोक्रोटोफोस (आई.एस.ओ.); आक्सीरैन (एथिलीन आक्साइड) ; पैराथियन (आई.एस.ओ.); पैराथियन-मिथाइल (आई.एस.ओ.); (मिथाइल-पैराथियन); (2,4,5-ट्रिक्लोरोफेनौक्सीएसेटिक अम्ल), इसके लवण और इसके एस्टर ।

2. टैरिफ मद 3825 41 00 और 3825 49 00 के प्रयोजनों के लिए, रूरूअपशिख़्ट कार्बनिक विलायक= ऐसे अपशिख़्ट हैं, जिनमें मुख्य रूप से कार्बनिक विलायक होते हैं, जो प्राईमरी उत्पाद के रूप में, चाहे विलायकों की वसूली के लिए आशयित हों या नहीं, यथाप्रस्तुत और प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है ;=;

(???) शीर्ख़ 3805, टैरिफ मद 3805 20 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ख़ 3808 के उपशीर्ख़ 3808 10 में, टैरिफ मद 3808 10 11 से 3808 10 99, उपशीर्ख़ 3808 20 में, टैरिफ मद 3808 20 10 से 3808 20 90, उपशीर्ख़ 3808 30 में, टैरिफ मद 3808 30 10 से 3808 40 00 उपशीर्ख़ 3808 90, टैरिफ मद 3808 90 10 और 3808 90 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :༄

रूरू3808 50	- एल्ड्रिन (आई.एस.ओ.); बनापैक्राइल (आई.एस.ओ.); कैम्फेक्लोर (आई.एस.ओ.); (टोक्साफेन); कैप्टाफोल (आई.एस.ओ.); क्लौरडैन (आई.एस.ओ.); क्लोरडाइमेफार्म (आई.एस.ओ.); क्लोरोबेन्जिलेट (आई.एस.ओ.); डी.डी.टी.(आई.एस.ओ.) ड्क्लोफेनोटेन (आई.एल.एल.), 1,1,1-ट्रिक्लोरा-2-2-विस (पी-क्लोरफेनाइल) इथानेट ; डाइल्ड्रिन (आई.एस.ओ.,आई.एन.एन.), डाइनोसेब (आई.एस.ओ.), इसके लवण और इसके एस्टर; एथिलीन डिब्रोमाइड (आई.एस.ओ.) (1,2-डिब्रोमोएथेन); एथिलीन डिक्लोराइड (आई.एस.ओ.) (1,2- डिक्लोरोएथेन); फ्लूरोएक्टामाइड (आई.एस.ओ.); हेप्टाक्लोर (आई.एस.ओ.); हेक्साक्लोरोबेन्जीन (आई.एस.ओ.); 1,2,3,4,5,6 - हेक्साक्लोसाइक्लोहेक्सेन (एच.सी.एच. (आई.एस.ओ.), लिन्डाने (आई.एस.ओ., आई.एल.एल) के साथ; मर्करी कंपाउंड; मेथामिडोफोस (आई.एस.ओ.); मोनोक्रोटोफोस (आई.एस.ओ.); आक्सीरैन (एथिलीन आक्साइड); पैराथियन (आई.एस.ओ.); पैराथियन-मिथाइल (आई.एस.ओ.); (मिथाइल-पैराथियन); (2,4,5-ट्रिक्लोरोफेनौक्सीएसेटिक अम्ल), इसके लवण और इसके एस्टर			
3808 50 00	एल्ड्रिन (आई.एस.ओ.); बनापैक्राइल (आई.एस.ओ.); कैम्फेक्लोर (आई.एस.ओ.); (टोक्साफेन); कैप्टाफोल (आई.एस.ओ.); क्लौरडैन (आई.एस.ओ.); क्लोरडाइमेफार्म (आई.एस.ओ.); क्लोरोबेन्जिलेट (आई.एस.ओ.); डी.डी.टी.(आई.एस.ओ.) ड्क्लोफेनोटेन (आई.एल.एल.), 1,1,1-ट्रिक्लोरा-2-2-विस (पी-क्लोरफेनाइल) इथानेट; डाइल्ड्रिन (आई.एस.ओ.,आई.एन.एन.), डाइनोसेब (आई.एस.ओ.), इसके लवण और इसके एस्टर ; एथिलीन			

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		डिब्रोमाइड (आई.एस.ओ.) (1,2-डिब्रोमोएथेन); एथिलीन डिक्लोराइड (आई.एस.ओ.) (1,2- डिक्लोरोएथेन); फ्लूरोएक्टामाइड (आई.एस.ओ.); हेप्टाक्लोर (आई.एस.ओ.); हेक्साक्लोरोबेन्जीन (आई.एस.ओ.); 1,2,3,4,5,6 - हेक्साक्लोसाइक्लोहेक्सेन इएच.सी.एच. (आई.एस.ओ.)ट, लिन्डाने (आई.एस.ओ., आई.एल.एल.) के साथ; मर्करी कंपाउंड; मेथामिडोफोस (आई.एस.ओ.); मोनोक्रोटोफोस (आई.एस.ओ.); आक्सीरैन (एथिलीन आक्साइड); पैराथियन (आई.एस.ओ.); पैराथियन-मिथाइल (आई.एस.ओ.); (मिथाइल-पैराथियन); (2,4,5-ट्रिक्लोरोफेनौक्सीएसेटिक अम्ल),इसके लवण और इसके एस्टर	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	अन्य :			
3808 91	--	कीटनाशी :	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 11	----	एलुमिनियम फास्फ्रेट (उदाहरण के लिए फास्टोक्सिंग)	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 12	----	कैल्शियम साइनाइट	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 13	----	डी.डी.वी.पी. (डाइमिथाइल - डाइक्लोरो-विनाइल-फास्फेट)	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 21	----	डाइ जिनल	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 22	----	मिथाइल ब्रोमाइड	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 23	----	डाइ मैथोए, तकनीकी श्रेणी	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 24	----	मैलाथिओन	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 31	----	एन्डोसल्फेन तकनीकी श्रेणी	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 32	----	क्वीनान फास	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 33	----	आईसोप्रोटुरोन	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 34	----	फैन्थिओन	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 35	----	साइपरमैथिरीन, तकनीकी श्रेणी	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 36	----	टेलेथिरीन	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 37	----	सिन्थेटिक पाइरेथ्रेम	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 39	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 91	----	मक्खियों, मच्छरों आदि कीड़ों के लिए प्रतिकर्ख़ी	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 92	----	कीटनाशी संसेचित या लेपित कागज उदाहरणार्थ डीडीटी लेपित	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 91 99	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 92	--	कवकनाशीः			
3808 92 10	---	मानिब	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 92 20	---	सोडियम पेंटाक्लोरोफेनिड (सेंटोब्राइट)	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 92 30	---	थिराम (ट्रेटामिथाइल थ्यूरम डाइसल्फाइड)	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 92 40	---	जीनिब	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 92 50	---	ताम्र आक्सीक्लोराइड	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 92 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 93	---	शाकनाशी अंकुरणरोधी उत्पाद और पादपवृद्धि विनियामक :			
3808 93 10	---	क्लोरोमिथाइल फेनोजी एसेटिक अम्ल (एम.सी.पी.ए.)	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 93 20	---	2 : 4 डाइक्लोरो फेनोजी एसेटिक अम्ल और उसके एस्टर	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 93 30	---	डेब्रेनिक अम्ल	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 93 40	---	पादप वृद्धि विनियामक	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 93 50	---	खरपतवार नाशी और खरपतवार मारक कर्मक	कि0ग्रा0	12.5%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
3808 93 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 94 00	--	विसंक्रामक	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 99	--	अन्य :			
3808 99 10	---	नाशक मार्ग जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट और सम्मिलित नहीं हैं	कि0ग्रा0	12.5%	-
3808 99 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-

(=) टैरिफ मद 3821 00 00 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्‌:—

“सूक्ष्म जीवों (जिसके अंतर्गत वायरस और उसी प्रकार के सम्मिलित हैं) या पादप, मानव या पशु सेल के विकास या अनुरक्षण के लिए तैयार संवर्ध मीडिया कोशिकाओं”;

(=?) शीर्ष 3824 में,—

(क) उपशीर्ष 3824 20, टैरिफ मद 3824 20 10 से 3824 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 3826 60 90, उपशीर्ष 3824 71, टैरिफ मद 3824 71 10, 3824 71 90, उपशीर्ष 3824 79, टैरिफ मद 3824 79 10 और 3824 79 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌ :—

“3824 60 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	मिथेन इथेन या प्रोपोन के हेलोजेनेटेड व्युत्पन्न वाले मिश्रण :			
3824 71 00	--	क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले, चाहे उनमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन (एच.सी.एफ.सी.), परफ्लोरो कार्बन (पी.एफ.सी.) या हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (एच.एफ.सी) हो या न हो	कि0ग्रा0	12.5%	-
3824 72 00	--	ब्रोमोक्लोरोडिफ्लुओरोमेथेन वाले, ब्रोमोक्लोरोडिफ्लुओरोमेथेन, या डिब्रोमोटेट्राफ्लुरोथेन	कि0ग्रा0	12.5%	-
3824 73 00	--	हाइड्रोब्रोमोफ्लुओरोकार्बन (एच.बी.एफ.सी.) वाले	कि0ग्रा0	12.5%	-
3824 74 00	--	हाइड्रोब्रोमोफ्लुओरोकार्बन (एच.बी.एफ.सी.) वाले, चाहे जाफ्लुओरोकार्बन वाले या नहीं (पी.एफ.सी.) या हाइड्रोफ्लुओरोकार्बन (एच.एफ.सी.), किंतु क्लोरोफ्लुओरोकार्बन (सी.एफ.सी.) के बिना	कि0ग्रा0	12.5%	-
3824 75 00	--	कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले	कि0ग्रा0	12.5%	-
3824 76 00	--	1,1,1- ट्रिक्लोरोएथेन वाले (मिथाइल क्लोरोफार्म)	कि0ग्रा0	12.5%	-
3824 77 00	--	ब्रोमोमेथेन (मिथाइल ब्रोमाइड) वाले या ब्रोमोक्लोरोमेथेन	कि0ग्रा0	12.5%	-
3824 78 00	--	पाफ्लूओरोकार्बन (पी.एफ.सी) वाले या हाइड्रोफ्लूओरोकार्बन (एच.एफ.सी.) वाले, किंतु क्लोरोफ्लुओरोकार्बन (सी.एफ.सी.) के बिना या हाइड्रोक्लोरोफ्लुओरोकार्बन (एच.सी.एफ.सी.)	कि0ग्रा0	12.5%	-
3824 79 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	--	आक्सीरेन (इथिलेन आक्साइड), पालीग्रोमिनेटेड बाइफिनाइल (पी.बी.बी.):			
3824 81 00	--	आक्सीरेन वाले (इथाइलीन आक्साइड)	कि0ग्रा0	12.5%	-
3824 82 00	--	पोलीक्लोरोनेटिड बाईफिनाइल (पी.सी.टी.) या पालीब्रोमाइनेटिड बाईफिनाइल (पीबीबी) फास्फेट	कि0ग्रा0	12.5%	-
3824 83 00	--	ट्रिस के साथ (2,3-डाइब्रोमोप्रोपिल) फास्फेट	कि0ग्रा0	12.5%	-”;

(33) अध्याय 39 में,—

(?) टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्‌ :—

“2. इस अध्याय में निम्नलिखित नहीं आते हैं;—

(क) शीर्ष 2710 या 3403 की स्नेहक निर्मितियां ;

(ख) शीर्ष 2712 या 3404 के मोम ;

(ग) पृथक्‌ रासायनिक रूप से परिभाषित कार्बनिक योग (अध्याय 29) ;

(घ) हर्पिन और उसके लवण (शीर्ष 3001);

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ङ) घोल (कोलोडिइनस से भिन्न) जिसके वाष्पशील कार्बनिक विलायक में शीर्ष 3901 से 3913 में विनिर्दिष्ट कोई उत्पाद हो जब विलायक का भार घोल के भार से 50% अधिक हो (शीर्ष 3208) ; शीर्ष 3212 का स्टांपिंग पण्य ;

(च) कार्बनिक पृष्ठ सक्रिय कर्मक या शीर्ष 3402 की विनिर्मितियां ;

(छ) रन गोंद और एस्टर गोंद (शीर्ष 3806) ;

(ज) खनिज तेलों के लिए निर्मित योज्यम (जिसके अंतर्गत गैसोलीन है) या वैसे ही प्रयोजनों जैसे कि खनिज तेल के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य द्रवों के लिए निर्मित योज्यम (शीर्ष 3811) ;

(झ) पालीग्लीकोल्स पर आधारित हाइड्रोलिक द्रव्य विनिर्मिति, अध्याय 39 के सिलिकोन या अन्य पालीमर (शीर्ष, 3819) ;

(ट) प्लास्टिकों के पृष्ठक पर नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक (शीर्ष सं. 3822) ;

(ठ) अध्याय 40 के प्रयोजनों के लिए यथा परिभाषित संश्लिष्ट रबड़ या उसकी वस्तुएं ;

(ड) जीनसाजी या साज (शीर्ष 4201) या शीर्ष 4202 के ट्रंक, सूटकेस, हैंडबैग या अन्य आधान ;

(ढ) अध्याय 46 के संग्रंथ, खपची की चीजें या अन्य वस्तुएं ;

(ण) शीर्ष 4814 के भित्ति आच्छद ;

(त) अनुभाग 11 के माल (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तुएं) ;

(थ) अनुभाग 12 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ जूतादि, सिर का पहनावा, छाते, धूपछाते, टहलने के लिए छड़ियां, चाबुक, घोड़े के चाबुक और उनके भाग) ;

(द) शीर्ष 7117 के नकली आभूषण ;

(ध) अनुभाग 16 की वस्तुएं (मशीनें और यांत्रिक या विद्युत साधित्र) ;

(न) अध्याय 17 के वायुयानों या यानों के पुर्जे ;

(प) अध्याय 90 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ, प्रकाशिक अवयव, चश्मे के फ्रेम, ड्राइंग यंत्र) ;

(फ) अध्याय 91 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ बड़ी घड़ी या घड़ी केस) ;

(ब) अध्याय 92 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ वाद्ययंत्र या उनके पुर्जे) ;

(भ) अध्याय 94 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ फर्नीचर, लैंप और प्रकाश फिटिंगें, प्रदीप्त चिह्न, पूर्व संविरचित निर्माण) ;

(म) अध्याय 95 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ खिलौने, खेल, क्रीड़ा के सामान) ; या

(य) अध्याय 96 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ ब्रुश, बटन, स्लाइड, बंधाक, कंघे, धूम्रपान पाइपों के लिए मुखिकाएं या दंडिका, सिगरेट होल्डर या वैसी ही निर्वात फ्लाक्स के भाग, पैन, नोदन पेंसिलें) ।";

(??) उपशीर्ष टिप्पण 1 में के खंड (क) के उपखंड (1) में, "अर्थात्" शब्द के स्थान पर, "उदाहरणार्थ" शब्द रखा जाएगा ;

(???) शीर्ष, 3907 में, टैरिफ मद 3907 60 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"3907 70 00	-- बहु (लेक्टिक अम्ल)	कि0ग्रा0	12.5%	- ";

(?=) शीर्ष 3920 के उपशीर्ष 3920 72 की टैरिफ मदों 3920 72 10 से 3920 72 90 तक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ष 3924 के स्तंभ (2) में, "प्रसाधन" शब्द के स्थान पर, "स्वास्थ्य संबंधी या प्रसाधन" शब्द रखे जाएंगे ;

(34) अध्याय 40 में,-

(?) टिप्पण 4 के खंड (क) में, "5(ख)" अंक, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर "5 (आ)" अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(??) टिप्पण 5 में, "(क)" और "(ख)" कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "(अ)" और "(आ)" कोष्ठक और अक्षर क्रमशः रखे जाएंगे

(???) शीर्ष 4010 के उपशीर्ष 4010 13 में, टैरिफ मदों 4010 13 10 और 4010 13 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(35) अध्याय 41 में,-

(?) टिप्पण 1 के खंड (ग) में, "कुरंग के" शब्दों के पश्चात्, "ऊंटों के (जिनके अंतर्गत ड्रौमेडरी भी है)" शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(??) शीर्ष 4103 के उपशीर्ष 4103 10 में, टैरिफ मदों 4103 10 10 से 4103 10 90 तक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(36) अध्याय 42 में,-

(?) शीर्ष 4204 के उपशीर्ष 4204 00 की टैरिफ मदों 4204 00 10 से 4204 00 99 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(??) शीर्ष 4206 के उपशीर्ष 4206 10 की टैरिफ मदों 4206 10 10 से 4206 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"4206 तांत (रेशम कीट तांत से भिन्न) की बर्क साजी चर्म, वस्ति या कंडरा की वस्तुएं

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
4206 00 10	---	रैकिटों के लिए	कि0ग्रा0	12.5%	-
4206 00 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	- रू;

(37) अध्याय 43 में,%

(?) शीर्ख़ 4301 में, टैरिफ मद 4301 70 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 4302 में, टैरिफ मद 4302 13 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(38) अध्याय 44 में,%

(?) उपशीर्ख़ टिप्पण में,%

(क) उपशीर्ख़ रू4403 41 से 4403 49 तक, 4407 24 से 4407 29 तक, 4408 31 से 4408 39 तक और 4412 13 से 4412 99 तक= शब्दों तथा अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जांएगें, अर्थात् :%

रूटैरिफ मद 4403 41 00, उपशीर्ख़ 4403 49, टैरिफ मद 4407 21 00 से 4407 28 00, उपशीर्ख़ 4407 29, 4408 31, 4408 39 और 4412 31=;

(ख) रूसागवान, तवारी,= शब्दों के स्थान पर, रूतवारी, सागवान,= शब्द रखे जाएंगे ;

(??) शीर्ख़ 4402 के उपशीर्ख़ 4402 00 में, टैरिफ मद 4402 00 10 और 4402 00 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ख़ और टैरिफ मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :%

रू4402 10	-	काख़्ठ चारकोल (जिसके अंतर्गत कोश या दृढ़फल चारकोल है) चाहे संपीडित है या नहीं :			
4402 10 10	---	बांस के	मी.	5%	-
4402 90	-	अन्य :			
4402 90 10	---	नारियल कोश	मी.	5%	-
4402 90 90	---	अन्य	मी.	5%	- रू;

(???) शीर्ख़ 4407 में,%

(क) टैरिफ मद 4407 24 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

रू4407 21 00	--	महोगनी (स्विटेनिया सभी जातियां)	घ.मी.	12.5%	-
4407 22 00	--	विरोला, इंबुइआ और बल्सा	घ.मी.	12.5%	- रू;

(ख) मद 4407 26 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविख़्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :%

रू4407 27 00	--	सपेली	घ.मी.	12.5%	-
4407 28 00	--	इरोको	घ.मी.	12.5%	- रू;

(ग) मद 4407 92 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविख़्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :%

रू4407 93 00	--	मैपिल के (एसर एस.पी.पी.)	घ.मी.	12.5%	-
4407 94 00	--	चेरी के (प्रुनुस एस.पी.पी.)	घ.मी.	12.5%	-
4407 95 00	--	भख़्म के (फैक्सीनस एस.पी.पी.)	घ.मी.	12.5%	- रू;

(?=) शीर्ख़ 4408 में, प्रविख़्टि के स्तंभ (2) में, रू अन्य समान प्रकार की पटलित काख़्ठ= शब्दों के स्थान पर, रू समान प्रकार की पटलित काख़्ठ= शब्द रखे जाएंगे;

(=) शीर्ख़ 4409 के उपशीर्ख़ 4409 20 में, टैरिफ मद 4409 20 10 से 4409 20 90 तक और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मदें और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

	रू-	अशंकुधारीः			
4409 21 00	--	बांस के	कि0ग्रा0	12.5%	-
4409 29	--	अन्य :			
4409 29 10	---	समतलित, जिव्हित,खांचित, रिबेटित, मिस्पेतित्र, वी-रूप में जुड़ा हुआ और उसी प्रकार के किंतु जो और संचित नहीं किए गए हैं	कि0ग्रा0	12.5%	-
4409 29 20	---	बीडिंग और सांचित (जिसमें सांचित, स्कर्टिंग और अन्य सांचित बोर्ड हैं)	कि0ग्रा0	12.5%	-
4409 29 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	- रू;

(=?) शीर्ख़ 4410 में, टैरिफ मद 4410 21 00, 4410 29 00 उपशीर्ख़ 4410 31 की टैरिफ मद 4410 31 10 से 4410 31 90, उपशीर्ख़ 4410 32 की टैरिफ मद 4410 32 10 से 4410 32 90, उपशीर्ख़ 4410 33 की टैरिफ मद 4410 33 10 से 4410 33 90 उपशीर्ख़ 4410 39, टैरिफ मद 4410 39 10 से 4410 39 90, उपशीर्ख़ 4410 90 की टैरिफ मद 4410 90 10 से 4410 90 99 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ख़, उपशीर्ख़, टैरिफ मदें और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
रु्र4410		काष्ठ या अन्य काष्ठ सामग्री के कण बोर्ड और इसी प्रकार के बोर्ड (उदाहरणार्थ, चमकदार स्ट्रैंड रेशा बोर्ड और वेफर बोर्ड) चाहे वे रेजिन या अन्य कार्बनिक बंधन पदार्थ से संपीडित हैं या नहीं			
	-	काष्ठ का :			
4410 11	--	कण बोर्ड :			
4410 11 10	---	सपाट कण बोर्ड	कि0ग्रा0	12.5%	-
4410 11 20	---	रोधन बोर्ड और हार्ड बोर्ड	कि0ग्रा0	12.5%	-
4410 11 30	---	बेनिर कण बोर्ड जिसके किसी अग्रभाग पर सजावटी बेनिर नहीं है	कि0ग्रा0	12.5%	-
4410 11 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
4410 12	--	ओरिएन्टेड स्ट्रैंड बोर्ड (ओ.एस.बी.):			
4410 12 10	---	अकर्मित या बालू से चमकाए गए या अन्यथा और कर्मित नहीं	कि0ग्रा0	12.5%	-
4410 12 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
4410 19 00	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
4410 90	---	अन्य :			
4410 90 10	---	सपाट कण बोर्ड	कि0ग्रा0	12.5%	-
4410 90 20	---	रोधन बोर्ड और हार्ड बोर्ड	कि0ग्रा0	12.5%	-
4410 90 30	---	बेनिर कण बोर्ड जिसके किसी अग्रभाग पर सजावटी बेनिर नहीं है	कि0ग्रा0	12.5%	-
4410 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	–=;

(=??) शीर्ख़ 4411 में, उपशीर्ख़ 4411 11 की टैरिफ मद 4411 11 10, 4411 11 90, उपशीर्ख़ 4411 19 की टैरिफ मद 4411 19 10, 4411 19 90, उपश 4411 21 की टैरिफ मद 4411 21 10, 4411 21 90, उपशीर्ख़ 4411 29 की टैरिफ मद 4411 29 10, 4111 29 90, उपशीर्ख़ 4411 31 की टैरिफ मद 4411 31 10, 4411 31 90, उपशीर्ख़ 4411 39 की टैरिफ मद 4411 39 10, 4411 39 90, उपशीर्ख़ 4411 91 की टैरिफ मद 4411 91 10 से 4411 91 90, उपशीऱ् 4411 99 की टैरिफ मद 4411 99 10 से 4411 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ख़, उपशीर्ख़, टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:%

रु्र4411		काष्ठ के या अन्य लिग्नियस सामग्री के फाइबर बोर्ड, चाहे रेजिन या अन्य कार्बनिक पदार्थों से बंधित हैं या नहीं			
	-	मध्यम सघनता वाले फाइबर बोर्ड (एम.बी.एफ.):			
4411 12 00	--	5 मिमी0 से अनधिक मोटाई के	कि0ग्रा0	12.5%	-
4411 13 00	--	5 मिमी0 से अधिक किंतु 9 मिमी से अनधिक मोटाई के	कि0ग्रा0	12.5%	-
4411 14 00	--	9 मिमी0 से अधिक मोटाई के	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	अन्य :			
4411 92	--	0.8 ग्राम/घन सेमी. से अधिक घनत्व के जो यंत्र कर्मित या तल आच्छादित नहीं हैं:			
4411 92 11	--	हार्डबोर्ड	कि0ग्रा0	12.5%	-
4411 92 19	-	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	अन्य :			
4411 92 21	--	हार्डबोर्ड	कि0ग्रा0	12.5%	-
4411 92 29	-	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
4411 93	--	0.5 ग्राम/घन सेमी से अधिक किंतु 0.8 ग्राम/घन सेमी. से अनधिक घनत्व के:			
	---	जो यंत्र कर्मित या तल आच्छादित नहीं हैं:			
4411 93 11	----	प्रतिरोधन बोर्ड	कि0ग्रा0	12.5%	-
4411 93 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	---	अन्य :			
4411 93 21	----	प्रतिरोधन बोर्ड	कि0ग्रा0	12.5%	-
4411 93 29	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
4411 94	--	0.5 ग्राम /घन सेमी से अधिक घनत्व के जो यंत्र कर्मित या तल आच्छादित नहीं हैं			
4411 94 11	----	प्रतिरोधन बोर्ड	कि0ग्रा0	12.5%	-
4411 94 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	---	अन्य :			
4411 94 21	----	प्रतिरोधन बोर्ड	कि0ग्रा0	12.5%	-
4411 94 29	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-”;

(=???) शीर्ष 4412, उपशीर्ष 4412 13, टैरिफ मद 4412 13 10 से 4412 13 90, उपशीर्ष 4412 14, टैरिफ मद 4412 14 10 से 4412 14 90, उपशीर्ष 4412 19, टैरिफ मद 4412 19 10 से 4412 19 90, उपशीर्ष 4412 22, टैरिफ मद 4412 22 10 से 4412 22 90, उपशीर्ष 4412 23, टैरिफ मद 4412 23 10 से 4412 23 90, उपशीर्ष 4412 29, टैरिफ मद 4412 29 10 से 4412 29 90, उपशीर्ष 4412 92, टैरिफ मद 4412 92 10 से 4412 92 90, उपशीर्ष 4412 93, टैरिफ मद 4412 93 10 से 4412 93 90, उपशीर्ष 4412 99, टैरिफ मद 4412 99 10 से 4412 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“4412		प्लाइवुड, पृष्ठावृत्त पैनल और वैसे ही पट्टित काष्ठ			
4412 10 00	-	बांस के	घ.मी.	12.5%	-
	-	अन्य प्लाइवुड, जिसमें केवल काष्ठ की चादरें हैं (बांस से भिन्न) प्रत्येक प्लाई की मोटाई 6 मिमी से अधिक नहीं है:;			
4412 31		उपशीर्ष टिप्पण 1 से इस अध्याय में विनिर्दिष्ट कटिबंधीय काष्ठ की कम से कम एक प्लाई वाली, अर्थात्:- अबुरा, अकाजौ, डीयफ्रिक, एफरोर्मोसिया, अको, अलान, अंडीरोबा, एनिग्रे, एवोडिर, एजोब, बार्लो, बाल्सा, बोस क्लेयर, बोस फोन्से, कटिवो, सेड्रो, दबेमा, गहरी लाल मेरंती, डिबेटु, डौजी, फ्रेमाइर, फ्रीजो, फ्रोमेजर, फुमा, जिरोगगांग, लोम्बा, इम्बुइया, ईपे, इरोको, जेबोटी, जेलुटांग, जेक्विटिबा, जोंगकांग, कपुर, केम्पास, केर्युंग, फोसिपो, कोटिबे, कोटो, हल्का लाल मेरंटी, लिंबा, लौरो, मक्रंदुबा, महगोनी, मकोरे, मंडियोग्विरा, मेनसोनिया, मेंगकुलंग, मेरंटी बकऊ, मेरावान, मेरबाओ, मेरपोह, मेरसवा, मोआबी, नियागांव, न्याटोह, ओबेची, ओकौमे, ओंजाबिली, ओरै, ओवनकोल, ओजिबो, पडौक, पालडऊ, पालिस्साद्रे दी गुवाटेमाला, पालिस्सांद्रे दी पारा, पालिस्सांद्रे दी रियो, पालिस्सांद्रे दी रोज, पाऊ एमोरेतो, पाऊ मार्फिम, पुलई, पुनाह, क्वारूबा, रेमिन, सपेली, साक्वी-साक्वी, सेपेटिर, सिपो, सुकुपिरा, सुरेन, तौरी, टीक, टियामा, तोला, विरोला, सफेद लाऊन, सफेद मेरंती, सफेद सेरेया, पीला मेरंतीः			
4412 31 10	---	सजावटी प्लाइवुड	घ.मी.	12.5%	-
4412 31 20	---	टी चेस्ट पैनल या सूप, सेट में पैक किए हुए	घ.मी.	12.5%	-
4412 31 30	---	अन्य टी चेस्ट पैनल	घ.मी.	12.5%	-
4412 31 40	---	सामुद्रिक और वायुयान प्लाइवुड	घ.मी.	12.5%	-
4412 31 50	---	ऐसे प्लाइवुड की कटिंग और सजावट जिसकी चौड़ाई 5 से. मी. से अधिक नहीं है	घ.मी.	12.5%	-
4412 31 90	---	अन्य	घ.मी.	12.5%	-
4412 32	--	अन्य, जिसमें अशंकुधारी काष्ठ की कम से कम एक बाह्य इकाई है :			
4412 32 10	---	सजावटी प्लाइ	घ.मी.	12.5%	-
4412 32 20	---	टी चेस्ट पैनल या सूप, सेट में पैक किए हुए	घ.मी.	12.5%	-
4412 32 30	---	सामुद्रिक और वायुयान प्लाइवुड	घ.मी.	12.5%	-
4412 32 40	---	ऐसे प्लाइवुड की कटिंग और सजावट जिसकी चौड़ाई 5 से. मी. से अधिक नहीं है	घ.मी.	12.5%	-
4412 32 90	---	अन्य	घ.मी.	12.5%	-
4412 39	--	अन्य :			
4412 39 10	---	सजावटी प्लाइवुड	घ.मी.	12.5%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
4412 39 20	---	टी चेस्ट पैनल या सूप, सेट में पैक किए हुए	घ.मी.	12.5%	-
4412 39 30	---	सामुद्रिक और वायुयान प्लाइवुड	घ.मी.	12.5%	-
4412 39 40	---	ऐसे प्लाइवुड की कटिंग और सजावट जिसकी चौड़ाई 5 सेमी. से अधिक नहीं है	घ.मी.	12.5%	-
4412 39 90	---	अन्य	घ.मी.	12.5%	-
	-	अन्य :			
4412 94 00	--	ब्लौक बोर्ड, लेमन बोर्ड और बैटन बोर्ड	घ.मी.	12.5%	-
4412 99	--	अन्य :			
4412 99 10	---	सजावटी प्लाइवुड	घ.मी.	12.5%	-
4412 99 20	---	टी चेस्ट पैनल या सूप, सेट में पैक किए हुए	घ.मी.	12.5%	-
4412 99 30	---	सामुद्रिक और वायुयान प्लाइवुड	घ.मी.	12.5%	-
4412 99 40	---	ऐसे प्लाइवुड की कटिंग और सजावट जिसकी चौड़ाई 5 सेमी. से अधिक नहीं है	घ.मी.	12.5%	-
4412 99 90	---	अन्य	घ.मी.	12.5%	-

(?!) शीर्ख 4418 में,श्

(क) स्तंभ (2) के सामने प्रविख्टि में रूरूसजावटी काख्ठ पैनल− शब्दों के स्थान पर, रूरूफर्श के पैनल− शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 4418 30 00 और उससे संबंधित प्रविख्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 4418 50 00 और उससे संबंधित प्रविख्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :श्

रूरू4418 60 00	-	पोस्ट और बीम	कि0ग्रा0	12.5%	-
	--	समंजित फर्श पैनलः			
4418 71 00	--	मोजाइक फर्श के लिए	कि0ग्रा0	12.5%	-
4418 72 00	--	अन्य बहुपर्त वाली	कि0ग्रा0	12.5%	-
4418 79 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-−;

(39) अध्याय 46 में,श्

(?) टिप्पण 1 में, रूरूबांस− शब्द के स्थान पर, रूरूबांस, रैटेन− शब्द रखे जाएंगे;

(??) शीर्ख 4601 में, उपशीर्ख 4601 20 की टैरिफ मद 4601 20 10 से 4601 91 00 और उनसे संबंधित प्रविख्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :श्

	रूरू-	वनस्पति सामग्री के पायदान, चटाई और पर्दे :			
4601 21 00	--	बांस के	कि0ग्रा0	12.5%	-
4601 22 00	--	रैटेन के	कि0ग्रा0	12.5%	-
4601 29 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
4601 92 00	--	बांस के	कि0ग्रा0	12.5%	-
4601 93 00	--	रैटेन के	कि0ग्रा0	12.5%	-
4601 94 00	--	अन्य वनस्पति सामग्री के	कि0ग्रा0	12.5%	-

(???) शीर्ख 4602 में, उपशीर्ख 4602 10 की टैरिफ मद 4602 10 11 से 4602 10 90 और उनसे संबंधित प्रविख्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :श्

	रूरू-	वनस्पति सामग्री के :			
रूरू4602 11 00	--	बांस के	कि0ग्रा0	12.5%	-
4602 12 00	--	रेटैन के	कि0ग्रा0	12.5%	-
4602 19	--	अन्य :			
	---	ताड़ की पत्तियों के:			
4602 19 11	----	टोकरियां	कि0ग्रा0	12.5%	-
4602 19 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
4602 19 90	---	अन्य	कि0ग्रा0.	12.5%	-−;

टैरिफ मद	माल का वर्णन		इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)

(40) अध्याय 47 में, शीर्ख़ 4706 में, टैरिफ मद 4706 20 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्ः\

रूरू4706 30 00	-	बांस के, अन्य	कि0ग्रा0	5%	-=;

(41) अध्याय 48 में,\

(?) टिप्पण 2 में, खंड (ढ) में रूरू(अनुभाग 15)= कोख़्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर रूरू(साधारणतया अनुभाग 14 या 15)= कोख़्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(??) टिप्पण 4 में, रूरू65%= अंकों के स्थान पर, रूरू50%= अंक रखे जाएंगे ;

(???) टिप्पण 9 में,\

(क) खंड (क) के उपखंड (?) में, रूरूअर्थात्= शब्द के स्थान पर, रूरूउदाहरणार्थ= शब्द रखा जाएगा ;

(ख) रूरूउत्पाद= शब्द से आरंभ होने वाले और रूरूशीर्ख़ 4815= शब्द और अंकों पर समाप्त होने वाले पैरा में, रूरू4815= अंकों के स्थान पर रूरू4823= अंक रखे जाएंगे ;

(?=) शीर्ख़ 4802 में, टैरिफ मद 4802 30 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ख़ 4809 में, उपशीर्ख़ 4809 10 की टैरिफ मद 4809 10 10 और 4809 10 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) शीर्ख़ 4814 में, टैरिफ मद 4814 30 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=??) टैरिफ मद 4815 00 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=???) शीर्ख़ 4816 में, टैरिफ मद 4816 10 00 और 4816 30 00 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?!) शीर्ख़ 4823 में, टैरिफ मद 4823 12 00 और 4823 19 00 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ख़ और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्ः\

रूरू4823		अन्य कागज, पेपर बोर्ड, सेलुलोस बैडिंग और सेलुलोस फाइबर के जाल जो आमाप या आकृति कर्तित में हैं ; कागजी लुगदी, कागज, पेपर बोर्ड, सेलुलोस बैडिंग या सेलुलोस फाइबर के जाल की अन्य वस्तुएं=;			

(!) उपशीर्ख़ 4823 में टैरिफ मद 4823 60 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :\

	रूरू-	ट्रे, डिश, प्लेट, कप और पेपर या पेपर बोर्ड की वैसी ही वस्तुएं			
4823 61 00	--	बांस के	कि0ग्रा0	12.5%	-
4823 69 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(42) अनुभाग 11 में,\

(?) टिप्पण 1 में,\

(क) खंड (क) में, रूरूशीर्ख़ 0503= शब्द और अंकों के स्थान पर, रूरूशीर्ख़ 0511= शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ड) में, रूरू (उदाहरणार्थ वैडी, राजपट्टियां और वैसी ही वस्तुएं जो चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय, दंत चिकित्सीय या पशु चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए है, निर्जीवाणु शल्य चिकित्सीय सीवन सामग्री)= कोख़्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(??) टिप्पण 13 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :\

रूरू13. इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, इस संपूर्ण अनुसूची में जहां लागू हो रूरू प्रत्यावर्तित सूत= पद से फिलामेंट सूत अभिप्रेत है इसके अंतर्गत संव्यूढ़ित सूत से भिन्न संश्लिख़्ट टैक्सटाइल सामग्री के मोनो फिलामेंट भी हैं जो इसकी मूल लंबाई के तीन गुना तक विस्तारित करने पर टूटता नहीं है और जो इसकी मूल लंबाई के दोगुने तक इसकी मूल लंबाई के डेढ़ गुना से अनधिक विस्तारित किए जाने के पश्चात् पांच मिनट के भीतर उसी रूप में आ जाता है ।

14. जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, विभिन्न शीर्ख़ों के टैक्सटाइल वस्त्रों को चाहे वे फुटकर विक्रय के लिए सेटों में रखे गए हों उनके अपने शीर्ख़ों में वर्गीकृत किया जाना है । इस टिप्पण के प्रयोजनों के लिए रूरूटैक्सटाइल वस्त्र= पद से शीर्ख़ 6101 से 6114 और शीर्ख़ 6201 से 6211 के वस्त्र अभिप्रेत हैं ।

(???) उपशीर्ख़ टिप्पण 1 में,\

(क) खंड (क) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (क) से खंड (ट) को खंड (क) से खंड (झ्र) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(ग) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (ज) में (ड) से (झ्र) में रूरूपरिभाख़ा= शब्दों, कोख़्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, रूरू(घ) से (ज) में= रूरूपरिभाख़ा= शब्द कोख़्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(43) अध्याय 50 में, शीर्ख़ 5003, उपशीर्ख़ 5003 10, टैरिफ मद 5003 10 10 से 5003 10 90, उपशीर्ख़ 5003 90, टैरिफ मद 5003 90 10 से 5003 90 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :\

रू5003 00	--	रेशम अपशिख़्ट (जिसके अंतर्गत रीलन के लिए अनुपयुक्त काया, अपशिख़्ट सूत और गार्नेटित स्टाक है):			

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	शुल्क की दर अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
5003 00 10	---	शहतूत रेशम अपशिष्ट	कि0ग्रा0	15%	-
5003 00 20	---	टसर अपशिष्ट	कि0ग्रा0	15%	-
5003 00 30	---	एरी अपशिष्ट	कि0ग्रा0	15%	-
5003 00 40	---	मोंगा अपशिष्ट	कि0ग्रा0	15%	-
5003 00 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	15%	-”;

(44) अध्याय 51 के टिप्पण 1 में,—

(क) खंड (ख) में, “ऊंट” शब्द के स्थान पर, “ऊंट (जिसके अंतर्गत एकककुद्र उष्ट्र भी है)” कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ग) में, “शीर्ष 0503” शब्द और अंकों के स्थान पर, “शीर्ष 0511” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(45) अध्याय 52 में,—

(i) शीर्ष 5208 में, उपशीर्ष 5208 53, टैरिफ मद 5208 53 10 से 5208 53 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष, 5210 में,—

(क) उपशीर्ष 5210 12, टैरिफ मद 5210 12 10 और 5210 12 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 5210 22, टैरिफ मद 5210 22 11 से 5210 22 29 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपशीर्ष 5210 42, टैरिफ मद 5210 42 10 से 5210 42 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपशीर्ष 5210 52, टैरिफ मद 5210 52 10 से 5210 52 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iii) शीर्ष 5211 में, टैरिफ मद 5211 19 00, उपशीर्ष 5211 21, टैरिफ मद 5211 21 10 से 5211 21 90, उपशीर्ष 5211 22, टैरिफ मद 5211 22 10, 5211 22 90, उपशीर्ष 5211 29, टैरिफ मद 5211 29 10 से 5211 29 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“5211 19 00	--	अन्य फैब्रिक	व.मी.	12.5%	-
5211 20	-	विरंजित :			
5211 20 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	12.5%	-
5211 20 20	---	धूनित या कंकतकृत सूत के कैनवेस (जिसके अंतर्गत डक भी है)	व.मी.	12.5%	-
5211 20 30	---	फ्लानेलेट	व.मी.	12.5%	-
5211 20 40	---	साड़ी	व.मी.	12.5%	-
5211 20 50	---	क्रेप फैब्रिक जिसके अंतर्गत क्रेप चेक भी है	व.मी.	12.5%	-
5211 20 60	---	ट्वील फैब्रिक	व.मी.	12.5%	-
	--	अन्य :			
5211 20 91	----	जरी बार्डर की साड़ी	व.मी.	12.5%	-
5211 20 92	----	डेढ़सूती, दो सूती, सेरेटोनस और ओसमबर्ग	व.मी.	12.5%	-
5211 20 99	----	अन्य	व.मी.	12.5%	-”;

(46) अध्याय 53 में,—

(i) शीर्ष 5304, उपशीर्ष 5304 10, टैरिफ मद 5304 10 10 से 5304 90 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष 5305 में उपशीर्ष 5305 11 की टैरिफ मद 5305 11 10 से 5305 29 00, उपशीर्ष 5305 90, टैरिफ मद 5305 90 10 से 5305 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“5305		नारियल, अकाबा (मनीला हेंप या म्यूजा टेक्सटाइल भी), रेमी और अन्य वनस्पति टेक्सटाइल फाइबर जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, अपरिष्कृत या प्रसंस्कृत किंतु अनकते; इन फाइबरों के टो, नायल और अपशिष्ट (जिसके अंतर्गत सूत अपशिष्ट और गार्नेटित स्टाक हैं)			
5305 00	-	नारियल, अकाबा (मनीला हेंप या म्यूजा टेक्सटाइल भी), रेमी और अन्य वनस्पति टेक्सटाइल फाइबर जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, अपरिष्कृत या प्रसंस्कृत किंतु अनकते; इन फाइबरों के टो, नायल और अपशिष्ट (जिसके अंतर्गत सूत अपशिष्ट और गार्नेटित स्टाक हैं) :			

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
5305 00 10	---	कयर के ब्रिस्टल फाइबर	कि0ग्रा0	12.5%	-
5305 00 20	---	कयर के मैट्रेस फाइबर	कि0ग्रा0	12.5%	-
5305 00 30	---	कर्लड या मशीन टिनस्टेड कयर के फाइबर	कि0ग्रा0	12.5%	-
5305 00 40	---	कयर के पिथ	कि0ग्रा0	12.5%	-
5305 00 50	---	अबाका के	कि0ग्रा0	12.5%	-
5305 00 90	---	अन्य के	कि0ग्रा0	12.5%	-”;

(47) अध्याय 54 में,—

(i) शीर्ष, अध्याय शीर्ष “मानव निर्मित फिलामेंट,” के स्थान पर “मानव निर्मित फिलामेंट ; पट्टियां और वैसी ही मानव निर्मित टेक्सटाइल सामग्री” रखा जाएगा;

(ii) टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“1. इस पूरी अनुसूची में “मानव निर्मित फाइबर” पद से कार्बनिक बहुलकों के स्टेपल फाइबर या फिलामेंट अभिप्रेत हैं जो या तो—

(क) पालीमाइन, पालिएस्टर, पालियोलेफिल या पालीयूरेथेन जैसे पालीमर उत्पादों के कार्बनिक विकल्पों के बहुलकक से या पाली के (फिनाइल एसीटेट) हाइड्रोलिसेस से निर्मित इस प्रक्रिया से उत्पादित पालीमर के रासायनिक रूपांतरण (उदाहरणार्थ पाली विनाइल एल्कोहल) की विनिर्माण प्रक्रियाओं से उत्पादित किए गए हैं ; या

(ख) क्यूपरा मोनियम रेयन (क्यूपरो) या विस्कोस रेयन जैसे पालीमर उत्पादों के कार्बनिक बहुलकों (उदाहरणार्थ सेलुलोस) के विघटन या रासायनिक अभिक्रिया या सेलुलोस एसीटेट या एलीनेट जैसे पालीमर उत्पादों के प्राकृतिक, कार्बनिक बहुलकों के रासायनिक रूपांतरण (उदाहरणार्थ सेलुलोस सेसीन और अन्य प्रोटीन या एल्जीनिक ऐसीड) की,

विनिर्माण प्रक्रियाओं से उत्पादित किए गए हैं ;

फाइबर के संबंध में प्रयुक्त “संश्लिष्ट” और “कृत्रिम” पदों से (क) में यथा परिभाषित संश्लिष्ट “फाइबर”; (ख) में यथा परिभाषित कृत्रिम फाइबर अभिप्रेत हैं । पट्टियां और 5404 या 5405 की वैसी ही मदों को मानव निर्मित फाइबर के रूप में नहीं समझा जाता है ।

“मानव निर्मित”, “संश्लिष्ट” और “कृत्रिम” पदों के “टेक्सटाइल सामग्री” संबंध में प्रयुक्त किए जाने पर वही अर्थ होंगे।”;

(iii) शीर्ष 5402 में,—

(क) उपशीर्ष 5402 10, टैरिफ मद 5402 10 10 और 5402 10 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

	“--	नायलान या अन्य पालिएमाइड्स का उच्च लगिष्णुता सूत :			
5402 11 10	---	एरामाइड के	कि0ग्रा0	12.5%	-
5402 19	-	अन्य :			
5402 19 10	---	नायलान टायर सूत	कि0ग्रा0	12.5%	-
5402 19 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	- ”;

(ख) टैरिफ मद 5402 33 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“5402 34 00	--	पालीप्रोपीलीन के	कि0ग्रा0	12.5%	-”;

(ग) टैरिफ मद 5402 41 00 से 5402 49 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“5402 44 00	--	इलास्टोमेरिक	कि0ग्रा0	12.5%	-
5402 45 00	--	अन्य, नायलान या अन्य पालिएमाइड्स का	कि0ग्रा0	12.5%	-
5402 46 00	--	अन्य पालिएस्टर का, भागतः अभिविन्यस्त	कि0ग्रा0	12.5%	-
5402 47 00	--	अन्य पालिएस्टर का	कि0ग्रा0	12.5%	-
5402 48 00	--	अन्य, पालिप्रोपीलीन का	कि0ग्रा0	12.5%	-
5402 49 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	- ”;

(iv) शीर्ष 5403 में, टैरिफ मद 5403 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(v) शीर्ष 5404 में, टैरिफ मद 5404 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

	“--	मोनोफिलामेंट :			
5404 11 00	--	इलास्टोमैरिक	कि0ग्रा0	12.5%	-
5404 12 00	--	अन्य, पालीप्रोपीलीन का	कि0ग्रा0	12.5%	-
5404 19	--	अन्यः			
5404 19 10	---	संश्लिष्ट सूत का कैटगट अनुकृति, रोगाणुरहित न की गई	कि0ग्रा0	12.5%	-
5404 19 20	---	पट्टी और संश्लिष्ट फाइबर की वैसी ही सामग्री	कि0ग्रा0	12.5%	-
5404 19 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-”;

टैरिफ मद	माल का वर्णन		इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(=?) शीर्ष 5406, टैरिफ मद 5406 10 00 और 5406 20 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“5406 00	-	मानवनिर्मित फिलामेंट सूत (सिलाई के धागे से भिन्न) फुटकर विक्रय के लिए रखा गयाः			
5406 00 10	---	संश्लिष्ट फिलामेंट सूत	कि0ग्रा0	12.5%	-
5406 00 20	---	कृत्रिम फिलामेंट सूत	कि0ग्रा0	12.5%	-”;

(48) अध्याय 55 में,-

(?) शीर्ष 5501 में, टैरिफ मद 5501 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“5501 40 00	-	पालीप्रोपीलीन के	कि0ग्रा0	12.5%	-”;

(??) शीर्ष 5503 में, टैरिफ मद 5503 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

	“-	नायलान के या अन्य पालिएमाइड के			
5503 11 00	--	एरामिड्स के	कि0ग्रा0	12.5%	-
5503 19 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-”;

(???) शीर्ष 5513 में, टैरिफ मद 5513 22 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 42 00 और 5513 43 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ष 5514 में,-

(क) उपशीर्ष 5514 13 की टैरिफ मद 5514 13 10 और 5514 13 20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 5514 29 00 से 5514 39 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“5514 29 00	--	अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	12.5% या 170 रु. प्रति कि0ग्रा0 जो भी अधिक है	-
5514 30	-	विभिन्न रंगों के सूत के :			
5514 30 11	----	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का 3-धागा या 4-धागा ट्वील जिसके अंतर्गत क्रास है	व.मी.	12.5% या 64 रु. प्रति व.मी. जो भी अधिक है	-
5514 30 12	----	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर, सादा व्यूति, के	व.मी.	12.5% या 43 रु. प्रति व.मी. जो भी अधिक है	-
5514 30 13	----	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	12.5% या 180 रु. प्रति कि0ग्रा0 जो भी अधिक है	-
5514 30 19	----	अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	12.5% या 31 रु. प्रति व.मी. जो भी अधिक है	-”;

(=) शीर्ष 5515 में, उपशीर्ष 5515 92 की टैरिफ मद 5515 92 10 से 5515 92 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(49) अध्याय 56 में,-

(?) टिप्पण 1 के खंड (ड) में, “(अनुभाग 15)” कोष्ठकों, शब्द और अंकों के स्थान पर, “(साधारणतया अनुभाग 14 और अनुभाग 15)” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(??) शीर्ष 5604 में, उपशीर्ष 5604 20 की टैरिफ मद 5604 20 10 और 5604 20 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 5607 में, उपशीर्ष 5607 10 की टैरिफ मद 5607 10 10 और 5607 10 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(50) अध्याय 57 में,-

(?) शीर्ष 5702 में, टैरिफ मद 5702 49 90, उपशीर्ष 5702 51, टैरिफ मद 5702 51 10 से 5702 51 40, उपशीर्ष 5702 52 की टैरिफ मद 5702 52 10 से 5702 52 90, उपशीर्ष 5702 59 की टैरिफ मद 5702 59 10 से 5702 59 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“5702 49 90	---	अन्य, जो रोंआ सन्निर्माण के नहीं हैं, जो अनिर्मित हैं,	व.मी.	12.5%	-
5702 50	-	अन्य :			
	-	मानव निर्मित टेक्सटाइल सामग्री के :			

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
5702 50 21	----	कालीन, कारपेटिंग और रग	व.मी.	12.5% या 105 रु. प्रति व.मी. जो भी अधिक है	-
5702 50 22	----	पायदान और चटाई	व.मी.	12.5% या 105 रु. प्रति व.मी. जो भी अधिक है	-
5702 50 29	----	अन्य	व.मी.	12.5% या 105 रु. प्रति व.मी. जो भी अधिक है	-
	---	अन्य टेक्सटाइल सामग्री के :			
5702 50 31	----	दरी और अन्य फर्श बिछायतें, दरियों से भिन्न सूती	व.मी.	12.5%	-
5702 50 32	----	रेशम की दरियां और अन्य फर्श बिछायतें	व.मी.	12.5%	-
5702 50 33	----	पायदान और अन्य वैसे ही माल	व.मी.	12.5%	-
5702 50 39	----	अन्य	व.मी.	12.5%	-”;

(51) अध्याय 58 में, शीर्ष 5803 के उपशीर्ष 5803 10 की टैरिफ मद 5803 10 10 से 5803 10 90, उपशीर्ष 5803 90 की टैरिफ मद 5803 90 10 से 5803 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“5803 00	-	गाज, 5806 शीर्ष के संकीर्ण फैब्रिक से भिन्न :			
	---	सूत की :			
5803 00 11	----	अविरंजित	व.मी.	12.5%	-
5803 00 12	----	विरंजित	व.मी.	12.5%	-
5803 00 13	----	रंजित थान	व.मी.	12.5%	-
5803 00 14	----	रंजित सूत	व.मी.	12.5%	-
5803 00 15	----	छपे हुए	व.मी.	12.5%	-
5803 00 19	----	अन्य	व.मी.	12.5%	-
	---	अन्य टेक्सटाइल सामग्री के :			
5803 00 91	----	रेशम या रेशम अपशिष्ट के	व.मी.	12.5%	-
5803 00 92	----	संश्लिष्ट फाइबर के	व.मी.	12.5%	-
5803 00 93	----	कृत्रिम फाइबर के	व.मी.	12.5%	-
5803 00 99	----	अन्य	व.मी.	12.5%	-”;

(52) अध्याय 59 में, टिप्पण 5 के खंड (ज) में, “(अनुभाग 15)” कोष्ठकों, शब्द और अंकों के स्थान पर, “(साधारणतया अनुभाग 14 या अनुभाग 15)” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(53) अध्याय 60 में, शीर्ष 6005 की टैरिफ मद 6005 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(54) अध्याय 61 में,—

(?) शीर्ष 6101 में, उपशीर्ष 6101 10 की टैरिफ मद 6101 10 10 से 6101 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 6103 में, टैरिफ मद 6103 11 00, 6103 12 00, उपशीर्ष 6103 19 की टैरिफ मद 6103 19 10 से 6103 21 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“6103		पुरुषों और लड़कों के सूट, जोड़ा, जेकेट, ब्लेजर, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवर आल, ब्रीच और निकर (तरण परिधान से भिन्न बुने या क्रोशियाकृत)			
6103 10	-	सूट :			
6103 10 10	---	रेशम के	इ.	12.5%	-
6103 10 20	---	सूत के	इ.	12.5%	-
6103 10 30	---	कृत्रिम फाइबर के	इ.	12.5%	-
6103 10 90	---	अन्य	इ.	12.5%	-”;

(???) शीर्ष 6104 में, टैरिफ मद 6104 11 00, 6104 12 00 और 6104 21 00 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ष 6107 में, उपशीर्ष 6107 92 की टैरिफ मद 6107 92 10 और 6107 92 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ष 6111 में, टैरिफ मद 6111 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) शीर्ष 6114 में, टैरिफ मद 6114 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(=??) शीर्ष 6115 में, टैरिफ मद 6115 11 00, 6115 12 00, उपशीर्ष 6115 19 की टैरिफ मद 6115 19 10 से 6115 19 90, उपशीर्ष 6115 20 की टैरिफ मद 6115 20 10 से 6115 93 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

रूरू6115		पेंटी हौज, टाइट, स्टाकिंग, मोजे और अन्य हौजरी, जिनके अन्तर्गत ग्रेजुएटेड संप्रेशन हौजरी है (उदाहरणार्थ बेरीकोश वीन के लिए स्टाकिंग) और न लगे तलों के जूतादि हैं, बुने या क्रोशियाकृत			
6115 10 00	-	ग्रेजुएटेड कंप्रेशन हौजरी उदाहरणार्थ वेरीकोश वीन के लिए स्टाकिंग	इ.	12.5%	-
6115 21	-	अन्य पेंटी हौज और टाइटः			
6115 21 00	--	संश्लिष्ट फाइबर के, जिसके प्रति एकल सूत का माप 67 डेसीटैक्स से कम है	इ.	12.5%	-
6115 22 00	--	संश्लिष्ट फाइबर के, जिसके प्रति एकल सूत का माप 67 डेसीटैक्स से कम है	इ.	12.5%	-
6115 29	-	अन्य टेक्सटाइल सामग्री के :			
6115 29 10	---	रेशम के	इ.	12.5%	-
6115 29 20	---	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के	इ.	12.5%	-
6115 29 30	---	कृत्रिम फाइबर के	इ.	12.5%	-
6115 29 90	---	अन्य	इ.	12.5%	-
6115 30 00	-	अन्य स्त्रियों की पूरी लंबाई या घुटने तक की लंबाई की हौजरी जिसके प्रति एकल सूत का माप 67 डेसीटैक्स से कम है	इ.	12.5%	-
6115 94 00	--	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के	पी.ए.	12.5%	-
6115 95 00	--	सूत के	पी.ए.	12.5%	-
6115 96 00	--	संश्लिष्ट फाइबर के	पी.ए.	12.5%	-”;

(=??) शीर्ष 6117 में, उपशीर्ष 6117 20 की टैरिफ मद 6117 20 10 से 6117 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(55) अध्याय 62 में,—

(?) शीर्ष 6203 में, टैरिफ मद 6203 21 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 6205 में, टैरिफ मद 6205 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 6207 में, टैरिफ मद 6207 92 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ष 6209 में, टैरिफ मद 6209 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ष 6211 में, टैरिफ मद 6211 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) शीर्ष 6213 में, टैरिफ मद 6213 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(56) अध्याय 63 में,—

(?) शीर्ष 6302 में टैरिफ मद 6302 52 00 और 6302 92 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 6303 में टैरिफ मद 6303 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 6306 में,—

(क) टैरिफ मद 6306 11 00 और 6306 21 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 6306 29 90, 6306 31 00, उपशीर्ष 6306 39 की टैरिफ मद 6306 39 10 से 6306 49 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

रूरू6306 29 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
6306 30 00	---	पाल	कि0ग्रा0	12.5%	-
6306 40 00	---	वातिल गद्दे	इ.	12.5%	-”;

(57) अध्याय 64 में,—

(?) शीर्ष 6401 में, उपशीर्ष 6401 91 की टैरिफ मद 6401 91 10 और 6401 91 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 6402 में, उपशीर्ष 6402 30 की टैरिफ मद 6402 30 10 और 6402 30 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(???) शीर्ष 6403 में, टैरिफ मद 6403 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(58) अध्याय 65 में,%

(?) टैरिफ मद 6503 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 6506 में, टैरिफ मद 6506 92 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(59) अध्याय 66 में, शीर्ष 6603 के उपशीर्ष 6603 10 में, टैरिफ मद 6603 10 10 और 6603 10 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(60) अध्याय 68 में,%

(?) शीर्ष 6802 में, टैरिफ मद 6802 22 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 6811 में, टैरिफ मद 6811 10 00, उपशीर्ष 6811 20 की टैरिफ मद 6811 20 10 से 6811 20 90, उपशीर्ष 6811 30 की टैरिफ मद 6811 30 10 से 6811 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

रू6811 40	-	जिसमें एसबेस्टास है :			
6811 40 10	---	एसबेस्टास - सीमेंट की चादरें	कि0ग्रा0	12.5%	-
6811 40 20	---	एसबेस्टास - सीमेंट की टाइलें	कि0ग्रा0	12.5%	-
6811 40 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	जिसमें एसबेस्टास नहीं है :			
6811 81 00	--	नालीदार चादरें	कि0ग्रा0	12.5%	-
6811 82 00	--	अन्य चादरें, पैनल, टाइलें और वैसी ही वस्तुएं	कि0ग्रा0	12.5%	-
6811 83 00	--	ट्यूब, पाइप और ट्यूब या पाइप फिटिंग	कि0ग्रा0	12.5%	-
6811 89 00	--	अन्य वस्तुएं	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(???) शीर्ष 6812 में, टैरिफ मद 6812 50 00, उपशीर्ष 6812 60 की टैरिफ मद 6812 60 11 से 6812 70 00, उपशीर्ष 6812 90 की टैरिफ मद 6812 90 11 से 6812 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

रू6812 80 00	-	क्रोसीडोलाइट के	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	अन्य :			
6812 91 00	--	वस्त्र, वस्त्र उपसाधन, जूतादि और सिर के पहनावे	कि0ग्रा0	12.5%	-
6812 92	---	पेपर, मिलबोर्ड और फेल्ट :			
	---	मिलबोर्ड :			
6812 92 11	----	एसबेस्टेस	कि0ग्रा0	12.5%	-
6812 92 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
6812 92 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
6812 93 00	--	संपीडित एसबेस्टेस फाइबर जोड, चादरों या रोलों में	कि0ग्रा0	12.5%	-
6812 99	--	अन्य :			
	---	लैगिंग यौगिक :			
6812 99 11	----	एसबेस्टेस	कि0ग्रा0	12.5%	-
6812 99 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	---	एसबेस्टेस पैकिंग जोड़ और गास्केट			
6812 99 21	----	पैकिंग जोड़	कि0ग्रा0	12.5%	-
6812 99 22	----	गास्केट	कि0ग्रा0	12.5%	-
6812 99 90	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(?=) शीर्ष 6813 में, टैरिफ मद 6813 10 00, उपशीर्ष 6813 90 की टैरिफ मद 6813 90 10 और 6813 90 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

रू6813 20	--	जिसमें एसबेस्टेस है :			
6813 20 10	---	ब्रेक लाइनिंग्स और पैड	कि0ग्रा0	12.5%	-
6813 20 90	---	एसबेस्टेस की घर्षण सामग्री	कि0ग्रा0	12.5%	-
	--	जिसमें एसबेस्टेस नहीं है :			

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
6813 81 00	--	ब्रेक लाइनिंग्स और पैड	कि0ग्रा0	12.5%	-
6813 89 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-¬;

(61) अध्याय 70 में,%

(?) उपशीर्ष टिप्पण में, रूरूउपशीर्ष 7013 21 और 7013 31¬ शब्दों और अंकों के स्थान पर, रूरूउपशीर्ष 7013 22, 7013 33, 7013 41¬ शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(??) टैरिफ मद 7012 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 7013, टैरिफ मद 7013 10 00 से 7013 39 00, उपशीर्ष 7013 91, टैरिफ मद 7013 91 10, 7013 91 90, उपशीर्ष 7013 99, टैरिफ मद 7013 99 10 और 7013 99 90, और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

रू7013		इस प्रकार के कांच का, जिसका उपयोग मेज, रसोईघर, प्रसाधन, कार्यालय आन्तरिक सजावट या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता हो (उनसे भिन्न जो शीर्ष 7010 या 7018 में हैं)			
7013 10 00	-	कांच सिरेमिक का	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	कांच सिरेमिक से भिन्न स्टेमवेयर पीने के गिलास :			
7013 22 00	--	शीशा क्रिस्टल के	कि0ग्रा0	12.5%	-
7013 28 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	अन्य पीने के गिलास, कांच सिरेमिक से भिन्न :			
7013 33 00	--	शीशा क्रिस्टल के	कि0ग्रा0	12.5%	-
7013 37 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	कांच सिरेमिक से भिन्न मेज पर (पीने के ग्लासों से भिन्न) या रसोई प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले किस्म के कांच का सामान :			
7013 41 00	--	शीशा क्रिस्टल	कि0ग्रा0	12.5%	-
7013 42 00	--	ऐसा कांच जिसके फुलाव का रेखीय, नियतांक 5 × 10^6 प्रति कैल्विन से अधिक नहीं और तापमान 0 डिग्री सें.ग्रे. से 300 डिग्री सें.ग्रे. की रेंज में हो	कि0ग्रा0	12.5%	-
7013 49 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	अन्य कांच का सामान :			
7013 91 00	-	शीशा क्रिस्टल के	कि0ग्रा0	12.5%	-
7013 99 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-¬;

(62) अध्याय 71 में,%

(?) टिप्पण 2 में रूरू(क)¬ और रूरू(ख)¬ कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, रूरू(अ)¬ और रूरू(आ)¬ कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(??) टिप्पण 4 में रूरू(क)¬, रूरू(ख)¬ और रूरू(ग)¬, रूरू2(ख)¬ को छोड़कर, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, रूरू(अ)¬, रूरू(आ)¬ और रूरू(इ)¬ कोष्ठक और अ रखे जाएंगे ;

(???) टिप्पण 9 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :%

¬9. शीर्ष 7113 के प्रयोजनों के लिए रूरूआभूषण की वस्तुएं¬ पद से अभिप्रेत हैं :%

(क) वैयक्तिक श्रृंगार की कोई छोटी चीज (उदाहरणार्थ अंगूठी, ब्रासलेट, हार, ब्रुच, कान की बाली, घड़ी की चेन, फोब, पेन्डेंट, टाई पिन, कफलिंक, पोशाक स्टड, धार्मिक या अन्य मेडल और अधिचिह्न) ; और

(ख) वैयक्तिक उपयोग की इस प्रकार की वस्तुएं जिन्हें सामान्य रूप से जेब में, हैंड बैग में या शरीर पर वहन किया जाता है (उदाहरणार्थ सिगार या सिगरेटकेस या स्नफ बाक्स, कैचो या पिलबाक्स, पाउडर बाक्स, चेन पर्स या जपने की माला)।

इन वस्तुओं को उदाहरणार्थ प्राकृतिक या कलचरी मोती, बहुमूल्य या अर्धबहुमूल्य रत्नों, संश्लिष्ट या पुनर्निर्मित बहुमूल्य या अर्धमूल्य रत्नों, कछुए के खोल, सीपी, हाथी दांत, प्राकृतिक या पुनर्निर्मित अम्बर, जेट या शंख के साथ संयुक्त या सेट किए जा सकते हैं ।¬;

(?=) उपशीर्ष टिप्पण 2 में रूरू4 (ख)¬ अंक, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, रूरू4(आ)¬ अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(63) अध्याय 72 में,%

(?) शीर्ष 7225 में, उपशीर्ष 7225 20, टैरिफ मद 7225 20 11 से 7225 20 29 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 7226 में, टैरिफ मद 7226 93 00 और 7226 94 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ख़ 7229 में, टैरिफ मद 7229 10 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(64) अध्याय 73 में,‑

(?) शीर्ख़ 7304 में, उपशीर्ख़ 7304 10, टैरिफ मद 7304 10 11 से 7304 10 29, उपशीर्ख़ 7304 21, टैरिफ मद 7304 21 10, 7304 21 90, उपशीर्ख़ 7304 29, टैरिफ मद 7304 29 10, 7304 29 90, उपशीर्ख़ 7304 31, टैरिफ मद 7304 31 11 से 7304 31 39, उपशीर्ख़ 7304 39, टैरिफ मद 7304 39 11 से 7304 49 00, उपशीर्ख़ 7304 51, टैरिफ मद 7304 51 10 से 7304 51 30, उपशीर्ख़ 7304 59, टैरिफ मद 7304 59 10 से 7304 90 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद तथा प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :‑

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	‑	इस प्रकार की लाइन पाइप जिसका उपयोग तेल और गैस पाइप लाइन के लिए किया जाता है :			
7304 11	--	जंगरोधी इस्पात के :			
7304 11 10	---	नलिकाएं और पाइप	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 11 20	---	नलिकाओं और पाइपों के लिए ब्लैंक	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 11 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 19	--	अन्य :			
7304 19 10	---	नलिकाएं और पाइप	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 19 20	---	नलिकाओं और पाइपों के लिए ब्लैंक	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 19 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	इस प्रकार की केसिंग, नलिका और प्रवेधन पाइप जिसका प्रयोग तेल या गैस के प्रवेधन के लिए किया जाता है :			
7304 22 00	--	जंगरोधी इस्पात के प्रवेधन पाइप	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 23	-	अन्य प्रवेधन पाइप :			
7304 23 10	---	लौह	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 23 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 24 00	--	अन्य, जंगरोधी इस्पात	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 29	--	अन्य :			
7304 29 10	---	लौह	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 29 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	अन्य, गोलाकार अनुप्रस्थ काट के लौह या अमिश्रातु इस्पात के :			
7304 31	--	शीत कर्ख़ण या शीत वेल्लित (शीत पुनर्परिवर्तित) :			
	---	114.3 मिमी बाह्य व्यास तक के :			
7304 30 11	----	लौह	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 31 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	---	114.3 मिमी से ऊपर किन्तु 219.1 मिमी तक बाह्य व्यास के:			
7304 31 21	----	लौह	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 31 29	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	---	219.1 मिमी से अधिक व्यास के :			
7304 31 31	----	लौह	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 31 39	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 39	--	अन्य :			
	---	114.3 बाह्य व्यास तक के :			
7304 39 11	----	लौह	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 39 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	---	114.3 मिमी से ऊपर किन्तु 219.1 मिमी तक बाह्य व्यास के :			
7304 39 21	----	लौह	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 39 29	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	शुल्क की दर अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	---	219.1 मिमी. से अधिक व्यास के :			
7304 39 31	----	लौह	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 39 39	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	अन्य, गोलाकार अनुप्रस्थ काट के लोहे या अमिश्रातु इस्पात केः			
7304 41 00	--	शीत कर्ख़ण या शीत वेलित (शीत पुनर्परिवर्तित)ः	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 49 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	अन्य, अमिश्रातु इस्पात के गोलाकार अनुप्रस्थ काट के :			
7304 51	--	शीत कर्ख़ण या शीत वेलित (शीत पुनर्परिवर्तित)ः			
7304 51 10	---	114.3 मिमी. बाह्य व्यास तक के	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 51 20	---	114.3 मिमी. से ऊपर किन्तु 219.1 मिमी. तक बाह्य व्यास के	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 51 30	---	219.1 मिमी. से अधिक बाह्य व्यास	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 59	--	अन्यः			
7304 59 10	---	114.3 मिमी. बाह्य व्यास तक के	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 59 20	---	114.3 मिमी. से ऊपर किन्तु 219.1 मिमी. तक बाह्य व्यास के	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 59 30	---	219.1 मिमी. से अधिक बाह्य व्यास	कि0ग्रा0	12.5%	-
7304 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-";

(??) शीर्ख़ 7306 में, उपशीर्ख़ 7306 10, टैरिफ मद 7306 10 11 से 7306 10 29, उपशीर्ख़ 7306 20, टैरिफ मद 7306 20 10 से 7306 20 90, उपशीर्ख़ 7306 30, टैरिफ मद 7306 30 10 से 7306 50 00, उपशीर्ख़ 7306 60, टैरिफ मद 7306 60 10 और 7306 60 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद तथा प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :"

	"-	इस प्रकार की लाइन पाइप जिसका उपयोग तेल और गैस पाइप लाइन के लिए किया जाता है :			
7306 11 00	--	वेल्ड की गई जंगरोधी इस्पात की	कि0ग्रा0	12.5%	-
7306 19	--	अन्य :			
	---	गाल्वनिकृत पाइप :			
7306 19 11	----	लौह	कि0ग्रा0	12.5%	-
7306 19 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	---	अगाल्वनिकृत पाइप :	कि0ग्रा0	12.5%	-
7306 19 21	----	लौह	कि0ग्रा0	12.5%	-
7306 19 29	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	इस प्रकार की केसिंग और नलिका जिसका उपयोग तेल या गैस के प्रवेधन के लिए किया जाता हैः			
7306 21 00	--	वेल्ड की गई जंगरोधी इस्पात की	कि0ग्रा0	12.5%	-
7306 29	---	अन्य :			
7306 29 11	----	लौह	कि0ग्रा0	12.5%	-
7306 29 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
7306 30	--	अन्य, वेल्ड की गई लोहे या अभिश्रातु इस्पात की गोलाकार अनुप्रस्थ काटः			
7306 30 10	---	लौह	कि0ग्रा0	12.5%	-
7306 30 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
7306 40 00	-	अन्य, वेल्ड की गई जंगरोधी इस्पात की गोलाकार अनुप्रस्थ काट की	कि0ग्रा0	12.5%	-
7306 50 00	-	अन्य, वेल्ड की गई, अन्य अमिश्रातु इस्पात की गोलाकार अनुप्रस्थ काट की	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	अन्य, वेल्ड की गई, अगोलाकार अनुप्रस्थ काटः			
7306 61 00	--	वर्गाकार या आयताकार अनुप्रस्थ काट की	कि0ग्रा0	12.5%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
7306 69 00	--	अन्य, अगोलाकार अनुप्रस्थ काट	कि0ग्रा0	12.5%	-
7306 90	---	अन्यः			
7306 90 11	----	लौह	कि0ग्रा0	12.5%	-
7306 90 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
7306 90 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(???) शीर्ख़ 7314 में, टैरिफ मद 7314 13 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ख़ 7319 में, उपशीर्ख़ 7319 10 टैरिफ मद 7319 10 10 से 7319 10 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ख़ 7321 में, उपशीर्ख़ 7321 13, टैरिफ मद 7321 13 10 से 7321 13 90, उपशीर्ख़ 7321 83, टैरिफ मद 7321 83 10 और 7321 83 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद तथा प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :श्

रूरू7321 19	--	अन्य, जिसके अंतर्गत ठोस ईंधन के लिए साधित्र भी है :			
7321 19 10	---	कुकर और रसोई के स्टोव	इ0	12.5%	-
7321 19 90	---	अन्य स्टोव और साधित्र	इ0	12.5%	-
7321 89	-	अन्य, जिसके अंतर्गत ठोस ईंधन के लिए साधित्र भी हैं :			
7321 89 10	---	चीनी मिट्टी के तंदूर (लोहे या इस्पात की बॉडी वाले ओवन और मिट्टी के ग्रेट्स)	कि0ग्रा0	12.5%	-
7321 89 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(65) अध्याय 74 में,श्

(?) टिप्पण 1 के खंड (च) में, रूरूकिन्तु= शब्द से आरंभ होने वाले और रूरूअधिक नहीं हैं= शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 7401 में, टैरिफ मद 7401 10 00 और 7401 20 00 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद तथा प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :श्

रूरू7401 00	--	तांबे के मैट ; सिमेंट तांबा (पूर्वक्षेपित तांबा)ः			
7401 00 10	---	तांबे के मैट	कि0ग्रा0	12.5%	-
7401 00 90	---	सिमेंट तांबा (पूर्वक्षेपित तांबा)	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(???) शीर्ख़ 7403 में, उपशीर्ख़ 7403 23, टैरिफ मद 7403 23 10 और 7403 23 20 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ख़ 7407 में, उपशीर्ख़ 7407 22, टैरिफ मद 7407 22 10 और 7407 22 20 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ख़ 7414 में, उपशीर्ख़ 7414 20, टैरिफ मद 7414 20 10 से 7414 20 90, उपशीर्ख़ 7414 90 टैरिफ मद 7414 90 10 से 7414 90 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) टैरिफ मद 7416 00 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=??) शीर्ख़ 7417 में, उपशीर्ख़ 7417 00, टैरिफ मद 7417 00 11 से 7417 00 99 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(66) अध्याय 78 में,श्

(?) शीर्ख़ 7803 में, उपशीर्ख़ 7803 00, टैरिफ मद 7803 00 11 से 7803 00 30 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 7805 में, उपशीर्ख़ 7805 00, टैरिफ मद 7805 00 10 और 7805 00 20 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(67) अध्याय 79 में, शीर्ख़ 7906 में, उपशीर्ख़ 7906 00, टैरिफ मद 7906 00 10 और 7806 00 20 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(68) अध्याय 80 में,श्

(?) टिप्पण 1 के खंड (घ) में, रूरूशीर्ख़ 8004= शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाले और रूरूनहीं कर लेते हैं= शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा;

(??) शीर्ख़ 8004 में, उपशीर्ख़ 8004 00, टैरिफ मद 8004 00 11 और 8004 00 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) टैरिफ मद 8005 00 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ख़ 8006 में, उपशीर्ख़ 8006 00, टैरिफ मद 8006 00 10 और 8006 00 20 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(69) अध्याय 81 में,श्

(?) शीर्ख़ 8101 में, उपशीर्ख़ 8101 95, टैरिफ मद 8101 95 10 और 8101 95 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 8112 में, उपशीर्ख़ 8112 30, टैरिफ मद 8112 30 10 से 8112 30 90, उपशीर्ख़ 8112 40, टैरिफ मद 8112 40 10 से 8112 40 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(70) अध्याय 83 में, टैरिफ मद 8311 90 00 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में रू्रजिनके अंतर्गत पूर्जे हैं¬ शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(71) अनुभाग 16 में,%

(?) टिप्पण 1 के खंड (ख) में रू्रशीर्ष 4204¬ शब्द और अंकों के स्थान पर रू्रशीर्ष 4205¬ शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(??) टिप्पण 2 के खंड (क) और (ग) में रू्र8485¬ अंकों के स्थान पर रू्र8487¬ अंक रखे जाएंगे ;

(72) अध्याय 84 में,%

(?) टिप्पण 1 में खंड (ङ) और (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :%

रू्र(ङ) शीर्ष 8508 के वैक्यूम क्लीनर ;

(च) शीर्ष 8509 के विद्युत यांत्रिक घरेलू साधित्र ; शीर्ष 8525 के अंकीय कैमरे ; या

(छ) हस्तप्रचालित यांत्रिक माजित्र जिसमें मोटर नहीं लगी है (शीर्ष 9603) ।¬;

(??) टिप्पण 2 में,%

(क) रू्रअनुभाग 16¬ शब्दों से आरंभ होने वाले और रू्रसमूह के¬ शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के लिए निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :%

¬अनुभाग 16 के टिप्पण 3 के प्रवर्तन के अधीन रहते हुए और इस अध्याय के टिप्पण के अधीन रहते हुए ऐसी किसी मशीन या साधित्र को जो शीर्ष 8401 से 8424 तक या शीर्ष 8486 के किसी एक या अधिक शीर्ष में के वर्णन के और उसके साथ ही शीर्ष 8425 से 8480 तक में से किसी एक या अन्य के शीर्ष में के वर्णन के अनुरूप है, यथास्थिति, शीर्ष 8401 से 8424 के समुचित शीर्ष के अधीन या शीर्ष 8486 के अधीन और न कि 8425 से 8480 के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा ।¬ ;

(ख) रू्र(शीर्ष 8443 या 8471)¬ कोष्ठक, शब्द और अंकों के स्थान पर, रू्र (शीर्ष 8443)¬ कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(???) टिप्पण 5 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :%

5. (अ) शीर्ष 8471 के प्रयोजनों के लिए रू्रस्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीन¬ पद से अभिप्रेत है ऐसी मशीन जो :%

(?) प्रक्रमण प्रोग्राम या प्रोग्रामों को और कम से कम उस डाटा को जो प्रोग्राम के निष्पादन के लिए तुरंत आवश्यक है संग्रहण करने के लिए समर्थ है;

(??) उपयोक्ता की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रोग्रामित किए जाने के लिए सक्षम है ;

(???) उपयोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट अंकगणितीय संगणना करने के लिए समर्थ है ; और

(?=) मानव मध्यक्षेप के बिना ऐसे प्रक्रमण प्रोग्राम को जो प्रक्रमण कार्य के दौरान तर्कसंगत विनिश्चय द्वारा उनके निष्पादन को उपांतरित करने की अपेक्षा करते हैं, निष्पादित करने के लिए समर्थ है ।¬;

(आ) स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीनें ऐसे तंत्र के रूप में हो सकती हैं जिनमें पृथक् इकाइयों की परिवर्ती संख्या है ;

(इ) पैरा (ई) और (उ) के अधीन रहते हुए कोई इकाई किसी स्वचालित डाटा प्रक्रमण तंत्र का भाग समझी जाएगी, यदि वह निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करती है :%

(?) वह किसी स्वचालित डाटा प्रक्रमण तंत्र में एकमात्र रूप से या मुख्यतः उपयोग की जाने वाली किस्म की है ;

(??) वह केन्द्रीय प्रक्रमण यूनिट से या प्रत्यक्षतः अथवा एक या अधिक अन्य यूनिटों के माध्यम से संयुक्त होने योग्य है ;

(???) वह ऐसे रूप (कोड या संकेत) में जो उस तंत्र द्वारा उपयोग मे लाया जा सकता है डाटा प्रतिगृहीत या परिदत्त करने मे समर्थ है,

पृथक्ता प्रस्तुत ऐसी स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीनों की यूनिटें शीर्ष 8471 में वर्गीकृत की जाएंगी ।

तथापि, की-बोर्ड, एक्स-वाई समन्वय निवेश युक्तियां और डिस्क भंडारण यूनिटें, जो ऊपर शर्त (??) और (???) का समाधान करती हैं, सभी दशाओं में शीर्ष 8471 की यूनिटों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे ;

(ई) शीर्ष 8471 के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं जब वे पृथक्तः प्रस्तुत किए जाते हैं भले ही वे पैरा (इ) में उपवर्णित शर्तों को पूरा करते हों :

(?) प्रिंटर, प्रतिलिपि मशीन, अनुलिपि मशीन, चाहे वे संयुक्त हों या नहीं ;

(??) पारेषण या ध्वनि, छाया या अन्य डाटा के प्रतिग्रहण के लिए उपस्कर जिसके अंतर्गत तार या बेतार नेटवर्क में संचार के लिए उपस्कर भी हैं (जैसे किसी स्थानीय या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क) ;

(???) लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन ;

(?=) टेलीविजन कैमरा, अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर ;

(=) मोनिटर और प्रक्षेपित्र, जिनमें टेलीविजन प्रतिग्रहण उपस्कर न लगे हों ;

(उ) मशीनें जिनमें कोई स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीन लगी हो या उसके सहयोग से कार्य कर रही हों और डाटा प्रक्रमण से भिन्न कोई विनिर्दिष्ट कृत्य कर रही हों, अपने कृत्यों से समुचित शीर्षों में वर्गीकृत किया जाएगा या उसके न हो सकने पर शेष शीर्षों में वर्गीकृत किया जाएगा।¬;

(?=) टिप्पण 8 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :%

¬9.(अ) अध्याय 85 के टिप्पण 8 के खंड (क) और (ख), इस टिप्पण और शीर्ष 8486 में उपयोग किए गए रू्रअर्धचालक युक्तियां¬ और रू्रलैक्ट्रोनिक एकीकृत

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

परिपथ= पदों को भी क्रमशः लागू होंगे । तथापि इस टिप्पण और शीर्ष 8486 के प्रयोजनों के लिए, रूरूअर्धचालक युक्तियां= के अंतर्गत फोटो सुग्राही अर्धचालक युक्तियां और प्रकाश उत्सर्जन डायोड भी आते हैं ;

(आ) इस टिप्पण और शीर्ष 8486 के प्रयोजनों के लिए रूरूचपटे पैनल प्रदर्शों का विनिर्माण= पद के अंतर्गत किसी चपटे पैनल में सबस्ट्रेट का निर्माण आता है । इसके अंतर्गत कांच का विनिर्माण या चपटे पैनल में मुद्रित परिपथ बोर्डों या अन्य इलैक्ट्रोनिक संघटकों का संयोजन नहीं आता है ।

रूरूचपटे पैनल प्रदर्श=पद के अंतर्गत कैथोड-रे टयूब नहीं आती है ;

(इ) शीर्ष 8486 में निम्नलिखित के लिए उपयोग की जाने वाली एकमात्र रूप से या मुख्यतः उपयोग की जाने वाली किस्म की मशीने और उपस्कर सम्मिलित नहीं हैं :

(?) मास्क और रेटिकल का विनिर्माण और मरम्मत ;

(??) अर्धचालक या इलैक्ट्रानिक एकीकृत परिपथों का संयोजन ; और

(???) बाउल, वेफर, अर्धचालक युक्तियों, इलेक्ट्रानिक एकीकृत परिपथों और चपटे पैनल प्रदर्शों को उठाना, संभलाइ करना, लदाई या उतराई करना ;

(ई) अनुभाग 16 के टिप्पण 1 और अध्याय 84 के टिप्पण 1 के अधीन रहते हुए शीर्ष 8486 में वर्णन की मशीनें और उपस्कर उस शीर्ष में वर्गीकृत किए जाएंगे न कि इस अनुसूची के किसी अन्य शीर्ष में ।=;

(=) उपशीर्ष टिप्पण 1 में रूरूटिप्पण 5(आ)= शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, रूरूटिप्पण 5(इ)= शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(=?) शीर्ष 8418 में,%

(क) टैरिफ मद 8418 22 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 8418 50 00 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :%

=भंडारण और प्रदर्शन के लिए अन्य फर्नीचर (चेस्ट, कैबिनेट, प्रदर्शन काउंटर, शोकेस और उसी प्रकार की वस्तुएं जो प्रशीतन या शीतन उपस्कर से सहयुक्त है) रूरू ;

(ग) टैरिफ मद 8418 61 00 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :%

=शीर्ष 8415 की वायु शीतन मशीनों से भिन्न उष्मा पम्प रूरू ;

(=??) शीर्ष 8425 में टैरिफ मद 8425 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=???) शीर्ष 8428 में उपशीर्ष 8428 50, टैरिफ मद 8428 50 10 से 8428 50 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?!) शीर्ष 8442 में,%

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :%

रूरूप्लेटें, मुद्रण संघटकों को तैयार करने या बनाने के लिए मशीनरी, उपकरण और उपस्कर (शीर्ष 8456 से 8465 की मशीनों और साधित्रों से भिन्न); प्लेटें, बेलन और अन्य मुद्रण संघटक ; मुद्रण प्रयोजनों के लिए तैयार की गई प्लेटें, बेलन और लिथोमुद्रण परस्तर (उदाहरणार्थ समतल, कणित या पालिशकृत)रूरू;

(ख) टैरिफ मद 8442 10 00, उपशीर्ष 8442 20, टैरिफ मद 8442 20 10 से 8442 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपशीर्ष 8442 30 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, रूरूअन्य मशीनरी= शब्दों के स्थान पर, रूरूमशीनरी= शब्द रखा जाएगा ;

(घ) उपशीर्ष 8442 50, टैरिफ मद 8442 50 10 से 8442 50 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

रूरू8442 50		प्लेटें, बेलन और अन्य मुद्रण संघटक ; मुद्रण प्रयोजनों के लिए तैयार की गई प्लेटें, बेलन और लिथो मुद्रण प्रस्तर (उदाहरणार्थ समतल, कणित या पालिशकृत)			
8442 50 10	---	प्लेटें और बेलन	कि0ग्रा0	12.5%	-
8442 50 20	---	लिथो मुद्रण प्लेटें	कि0ग्रा0	12.5%	-
	---	मुद्रण प्रयोजनों के लिए तैयार की गई प्लेटें, बेलन और लिथो मुद्रण परस्तर			
8442 50 31	----	वस्त्र मुद्रण मशीन के लिए प्लेट और बेलन	कि0ग्रा0	12.5%	-
8442 50 39	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
8442 50 40	---	ब्लौक बनाने के लिए उच्च पालिशकृत तांबे के चादर	कि0ग्रा0	12.5%	-
8442 50 50	---	प्रसंस्करण ब्लाक बनाने के लिए उच्च पालिशकृत जस्ते के चादर	कि0ग्रा0	12.5%	-
8442 50 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-=;

(!) शीर्ष 8443, टैरिफ मद 8443 11 00 से 8443 51 00, उपशीर्ष 8443 59, टैरिफ मद 8443 59 10 से 8443 59 90, उपशीर्ष 8443 60 टैरिफ मद 8443 60 10 से 8443 60 90, उपशीर्ष 8443 90, टैरिफ मद 8443 90 10 और 8443 90 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
"8443		शीर्ख़ 8442 के प्लेटों, बेलनों और अन्य मुद्रण संघटकों के द्वारा मुद्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुद्रण मशीनरी; अन्य प्रिंटर, प्रतिलिपि मशीनें और अनुलिपि मशीनें चाहे वे सहयुक्त हों या नहीं उसके पूर्जे और उपसाधन			
	-	शीर्ख़ 8442 के प्लेटों, बेलनों और अन्य मुद्रण संघटकों के द्वारा मुद्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुद्रण मशीनरी :			
8443 11 00	--	ऑफसेट मुद्रण मशीनरी, रील चढ़ी	इ0	12.5%	-
8443 12 00	--	ऑफसेट मुद्रण मशीनरी, चादर चढ़ी कार्यालय की किस्म की (22 सें.मी. से अनधिक एक भुजा की और 36 सें.मी. से अनधिक अन्य भुजा की चादरें उपयोग करने के लिए बिना मुड़ी अवस्था में)	इ0	12.5%	-
8443 13 00	--	अन्य ऑफसेट मुद्रण मशीनरी	इ0	12.5%	-
8443 14 00	--	लेटरप्रेस मुद्रण मशीनरी, रील चढ़ी, फ्लेक्सोग्राफी मुद्रण को छोड़कर	इ0	12.5%	-
8443 15 00	--	लेटरप्रेस मुद्रण मशीनरी, रील चढ़ी से भिन्न, फ्लेक्सोग्राफी मुद्रण को छोड़कर	इ0	12.5%	-
8443 16 00	--	फ्लेक्सोग्राफिक्स मुद्रण मशीनरी	इ0	12.5%	-
8443 17 00	--	ग्रवूर मुद्रण मशीनरी	इ0	12.5%	-
8443 19 00	--	अन्यः			
	-	अन्य प्रिंटर, प्रतिलिपि मशीन और अनुलिपि मशीन चाहे संयुक्त हो या नहीं :			
8443 31 00	--	मशीनें जो मुद्रण, प्रतिलिपि या अनुलिपि पारेख़ण के दो या दो से अधिक कृत्य करती हैं, किसी स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीन या किसी नेटवर्क से संबंध जोड़ने में समर्थ हैं	इ0	12.5%	-
8443 32 00	--	अन्य, किसी स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीन या किसी नेटवर्क से संबंध जोड़ने में समर्थ हैं	इ0	12.5%	-
8443 39	--	अन्य :			
8443 39 10	---	फ्लैट बेड प्रिंटिंग प्रेस	इ0	12.5%	-
8443 39 20	---	प्लेटन प्रिंटिंग प्रेस	इ0	12.5%	-
8443 39 30	---	प्रूफ प्रेस	इ0	12.5%	-
	---	पुनरावृत शब्दों या डिजाइन या रंग के लिए मशीनरी :			
8443 39 41	----	सूती वस्त्र की	इ0	12.5%	-
8443 39 49	----	अन्य	इ0	12.5%	-
	---	मुद्रण के लिए उपसाधन के उपयोग के लिए मशीनें:			
8443 39 51	----	स्वचालित पोख़क और चादर परिदान मशीन	इ0	12.5%	-
8443 39 52	----	श्रृंखला संख्यांकन मशीन	इ0	12.5%	-
8443 39 53	----	फोल्डर, गुजमनोज परफोरेटर और स्टेपलर	इ0	12.5%	-
8443 39 59	----	अन्य	इ0	12.5%	-
	-	पूर्जे और उपसाधन			
8443 91 00	--	शीर्ख़ 8442 के प्लेटों, बेलनों और अन्य मुद्रण संघटकों के द्वारा मुद्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुद्रण मशीनरी के पुर्जे और उपसाधन :	कि0ग्रा0	12.5%	-
8443 99 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-";

(!?) शीर्ख़ 8448 में उपशीर्ख़ 8448 41 टैरिफ मद 8448 41 10 से 8448 41 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!??) शीर्ख़ 8456, टैरिफ मद 8456 30 00, 8456 91 00, उपशीर्ख़ 8456 99, टैरिफ मद 8456 99 10 और 8456 99 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद तथा प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
रूऱ8456 30 00	--	विद्युत उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा प्रचालित	इ0	12.5%	-
8456 90	-	अन्य :			
8456 90 10	---	अर्धचालक सामग्री पर शुष्क निक्षारण पैटर्न के लिए	इ0	निःशुल्क	-
8456 90 20	---	विद्युत रासायनिक मशीन	इ0	12.5%	-
8456 90 90	---	अन्य	इ0	12.5%	-ऱ;

(!???) शीर्ष 8469, टैरिफ मद 8469 11 00, 8469 12 00, उपशीर्ष 8469 20, टैरिफ मद 8469 20 10, 8469 20 90, उपशीर्ष 8469 30, टैरिफ मद 8469 30 10 और 8469 30 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ॎ

रूऱ8469		शीर्ष 8443 के प्रिंटरों से भिन्न टाइपराइटर; शब्द प्रसंस्करण मशीनें			
8469 00	-	शीर्ष 8443 के प्रिंटरों से भिन्न टाइपराइटर ; शब्द प्रसंस्करण मशीनें:			
8469 00 10	---	शब्द प्रसंस्करण मशीन	इ0	निःशुल्क	-
8469 00 20	---	स्वचालित टाइपराइटर	इ0	12.5%	-
8469 00 30	---	ब्रेल टाइपराइटर विद्युत	इ0	12.5%	-
8469 00 40	---	ब्रेल टाइपराइटर गैरविद्युत	इ0	12.5%	-
8469 00 90	---	अन्य टाइपराइटर विद्युत या गैरविद्युत	इ0	12.5%	-ऱ;

(!?=) शीर्ष 8470 में उपशीर्ष 8470 40, टैरिफ मद 8470 40 10 और 8470 40 20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!=) शीर्ष 8471 में,ॎ

(क) टैरिफ मद 8471 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 8471 30 में और टैरिफ मद 8471 30 90 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के पश्चात् रूऱअंकीयऱ शब्द, जहां-जहां वह आता है, का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 8471 50 00 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के पश्चात् रूऱअंकीयऱ शब्द का लोप किया जाएगा ;

(!=?) शीर्ष 8472 में, टैरिफ मद 8472 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!=??) शीर्ष 8485, टैरिफ मद 8485 10 00 और 8485 90 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, टैरिफ मद तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ॎ

रूऱ8486		अर्धचालक बाउल या वेफर, अर्धचालक युक्तियों, इलेक्ट्रानिक एकीकृत परिपथ या चपटे पैनल प्रदर्शो के विनिर्माण के लिए एकमात्र रूप से या मुख्यतः प्रयोग किए जाने वाले प्रकार की मशीनें और उपस्कर; इस अध्याय के टिप्पण 9(ग) में विनिर्दिष्ट मशीनें और उपस्कर; पुर्जे और उपसाधन			
8486 10 00	-	बाउल या वेफर के विनिर्माण के लिए मशीनें और उपस्कर	इ0	12.5%	-
8486 20 00	-	अर्धचालक युक्तियों, इलेक्ट्रानिक एकीकृत परिपथ के विनिर्माण के लिए मशीने और उपस्कर	इ0	12.5%	-
8486 30 00	-	चपटे पैनल प्रदर्शो के विनिर्माण के लिए	इ0	12.5%	-
8486 40 00	-	इस अध्याय के टिप्पण 9(ग) में विनिर्दिष्ट मशीनें और उपस्कर	इ0	12.5%	-
8486 90 00	-	पुर्जे और उपसाधन	कि0ग्रा0	12.5%	-
8487		मशीनरी के पुर्जे जिनमें विद्युत संबंधक, प्रतिरोधक, कुंडलियां, संबंध या अन्य विद्युत की वस्तुएं अंतर्विष्ट न हों, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं			
8487 10 00	-	पोत या नौका नोदक और उसके लिए ब्लेड	इ0	12.5%	-
8487 90 00	-	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-ऱ;

(73) अध्याय 85 में,ॎ

(?) टिप्पण 1 में,ॎ

(क) खंड (ख) के अंत में आने वाले रूऱयाऱ शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :ॎ

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

रूरू(ग) शीर्ष 8486 की मशीनें और उपस्कर,

(घ) चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले किस्म के निवात उपस्कर (अध्याय 90) ; या

(ङ) अध्याय 94 का विद्युत उपचारित फर्नीचर । रूरू

(??) टिप्पण 3 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :ॐ

=(क) किसी भार के फर्श पालिशकरित्र, खाद्य पेषणित्र और मिश्रण और रस या वनस्पति रस निष्कर्षित्र ;=

(???) टिप्पण 4,5,6 और 7 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :ॐ

=4. शीर्ष 8523 के प्रयोजनों के लिए :=

(क) ठोस अवस्था ; अवाष्पशील भंडारण युक्तियां (उदाहरणार्थ ; रूरूफ्लैश मेमोरी कार्डरूरू या रूरूफ्लैश इलैक्ट्रानिक भंडारण कार्ड=) किसी मुद्रित परिपथ बोर्ड पर आरूढ़ स्वीकृत परिपथों के रूप में एक या अधिक फ्लैश मेमोरी (उदाहरणार्थ रूरूफ्लैश इपीआरओएम=)वाले उसी कक्ष में अंतर्विष्ट साकेट से जुड़ने वाली भंडारण युक्तियां है । उनमें किसी एकीकृत परिपथ के रूप में कोई नियंत्रक और विविक्त अक्रियाशील संघटक जैसे-संधारित और प्रतिरोधक, सम्मिलित है;

(ख) रूरूस्मार्ट कार्ड= पद से ऐसे कार्ड अभिप्रेत हैं जिन पर चिपों के रूप में एक या अधिक इलैक्ट्रानिक एकीकृत परिपथों में ङकोई माइक्रोप्रोसेसर, संयोगी पहुंच मेमोरी (आरएएम) या रीड ओनली मेमोरी (आरओएम)ट से एक उन पर आरूढ़ है । इन कार्डों में संबंध कोई चुंबकीय पट्टी या कोई आरूढ़ एनटीना हो सकेगा किन्तु कोई अन्य क्रियाशील या अक्रियाशील परिपथ अवयव न हो ।

5. शीर्ष 8534 के प्रयोजनों के लिए रूरूमुद्रित परिपथ= वे परिपथ हैं जो किसी मुद्रण प्रक्रिया (उदाहरणार्थ, समुदभरण, लेपन, निक्षारण) द्वारा अथवा फिल्म परिपथ तकनीक चालक अवयवों, संबंधों या अन्य मुद्रित संघटकों (उदाहरणार्थ प्रेरकत्व, प्रतिरोधित संधारित्र) द्वारा किसी विद्युतरोधी आधार पर अकेले या किसी पूर्वनिश्चित पैटर्न के अनुसार उन अवयवों से भिन्न जो किसी विद्युत संकटों से उत्पन्न, दिष्कृत, मांडुलित या प्रवर्धित कर सकते हैं (उदाहरणार्थ अर्धचालक अवयव) अभिप्राप्त किए जाते हैं ।

रूरूमुद्रित परिपथ= पद के अंतर्गत ऐसे परिपथ नहीं हैं जो उन अवयवों से भिन्न, जो मुद्रण प्रक्रिया के दौरान अभिप्राप्त होते हैं, अवयवों से संयुक्त है और न ही इसके अंतर्गत व्यक्तिगत, विविक्त प्रतिरोधक, संधारित्र या प्रेरकत्व नहीं है । तथापि, मुद्रित परिपथों में अमुद्रित संबंधन अवयव फिर हो सकेंगे ।

पतले या मोटे फिल्म परिपथ, जिनमें एक ही प्रौद्योगिक प्रक्रिया के दौरान अभिप्राप्त अक्रिय और सक्रिय अवयव समाविष्ट हैं शीर्ष 8542 में वर्गीकृत किए जाने वाले।

6. शीर्ष 8536 के प्रयोजन के लिए, रूरूप्रकाशीय फाइबरों= प्रकाशीय फाइबर बंडलों या केबलों के लिए संबंधक से ऐसे संबंधक अभिप्रेत हैं जो किसी अंकीय लाइन प्रणाली में अंत से अंत तक प्रकाशीय फाइबरों के साथ यांत्रिक रूप से संयुक्त हैं । वे, कोई अन्य कृत्य जैसे किसी संकेत का प्रवर्धन, पुनरूत्पन्न या उपान्तरण, नहीं करते हैं ।

7. शीर्ष 8537 के अंतर्गत टेलीविजन प्रतिग्राहियों या अन्य विद्युत उपस्कर (शीर्ष 8543) के दूरस्थ नियंत्रण के लिए कार्डलेस इन्फ्रारेड युक्तियां सम्मिलित नहीं हैं ।

8. शीर्ष 8541 और 8542 के प्रयोजनों के लिए :

(क) डायोड, ट्रांजिस्टर और उसी प्रकार की अर्धचालक युक्तियां वे अर्धचालक युक्तियां हैं जिनका प्रचलन किसी विद्युत क्षेत्र के उपयोजन पर प्रतिरोधकता में परिवर्तनों पर आधारित हैं ;

(ख) रूरूइलैक्ट्रानिक एकीकृत परिपथ= हैं :ॐ

(?) मोनोलिथिक एकीकृत परिपथ, जिनमें परिपथ अवयव (डायोड, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र, प्रेरकत्व आदि) अधिक संख्या में (अनिवार्य रूप से) और किसी अर्धचालक या यौगिक अर्धचालक सामग्री (उदाहरणार्थ डोप्ड, सिलिकान, गैलियम, आरसीनाइड, सिलिकान जर्ममेनियम, इंडियम फास्फाइड) की सतह पर सृजित किए जाते हैं और अपृथक् रूप से सहयोजित होते हैं ;

(??) संकर एकीकृत परिपथ, जिनमें पतली या मोटी फिल्मी प्रौद्योगिकी द्वारा अभिप्रेत अक्रिय अवयव (प्रतिरोधित्र, संधारित्र, प्रेरकत्व आदि) और सक्रिय अवयव (डायोड, ट्रांजिस्टर, मोनोलिथिक एकीकृत परिपथ आदि) अर्धचालक प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त, अंतर संबंधों या अंतरसंबंधन केबलों द्वारा किसी एकल प्रतिरोधक सबस्ट्रेट (कांच, सैरेमिक आदि) पर सभी अभाज्य आशयों और प्रयोजनों से संयुक्त हैं । इन परिपथों में विविक्त संघटक भी सम्मिलित हो सकते हैं ;

(???) सभी अमान्य आशयों और प्रयोजनों से संयुक्त, चाहे एक या अधिक प्रतिरोधक सबस्ट्रेट से हों या नहीं, सीसे के फ्रेम के साथ या उसके बिना, किन्तु किसी अन्य सक्रिय या अक्रिय परिपथ अवयव सहित दो या अधिक अंतर संबंधित मानोलिथक एकीकृत परिपथों से अंतर्विष्ट बहुचिपस्कीकृत परिपथ।

इस टिप्पण में परिभाषित वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए शीर्ष 8541 और 8542 इस अनुसूची में किसी अन्य शीर्ष पर, शीर्ष 8523 की दशा के सिवाय, जो उन्हें किसी प्रतिनिर्देश द्वारा विशिष्ट रूप से उनके कृत्य में अंतर्गत लाया जा सकेगा, अधिमानता लेंगे ।

9. शीर्ष 8548 के प्रयोजनों के लिए रूरूभुक्तशेष प्राथमिक सेल, भुक्तशेष प्राथमिक बैटरियां और भुक्तशेष विद्युत संचायक वे हैं जो उनके टूटने, कर्तन या टूटने-फूटने या अन्य कारणों से उस रूप में न तो उपयोग किए जाने के लिए और न ही पुनः चार्ज किए जाने के लिए सक्षम हैं ।=;

(?=) उपशीर्ष टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :ॐ

रूरूउपशीर्ष टिप्पण

उपशीर्ष 8527 12 के अंतर्गत केवल अंतःनिर्मित प्रवर्धक सहित, अंतःनिर्मित लाउडस्पीकर के बिना ऐसे कैसेट प्लेयर आते हैं जो विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत के बिना चलने में असमर्थ हैं और जिनकी विमाएं 170मिमी = 100मिमी = 45मिमी से अधिक नहीं है ।=;

(=) अनुपूरक टिप्पण में, रूरू8524= अंकों के स्थान पर, रूरू8523= अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(=?) शीर्ष 8505 में, टैरिफ मद 8505 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(=??) टैरिफ मद 8507 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :ॐ

रुरु8508	वैक्यूम क्लीनर			
	- स्वतः अंतर्विष्ट विद्युत मोटर सहित :			
8508 11 00	-- 1,500 वाट से अनधिक शक्ति का और 20 लिटर से अनधिक क्षमता के एक धूल थैले या अन्य पात्र सहित	इ0	12.5%	-
8508 19 00	-- अन्य	इ0	12.5%	-
8508 60 00	-- अन्य वैक्यूम क्लीनर	इ0	12.5%	-
8508 70 00	-- पूर्जे	कि0ग्रा0	12.5%	-ञ्;

(=???) शीर्ष 8509 में,ॐ

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :ॐ

ञ्शीर्ष 8508 के वैक्यूम क्लीनरों से भिन्न विद्युत यांत्रिक घरेलू साधित्र, स्वतः अंतर्विष्ट विद्युत मोटर सहितञ्;

(ख) टैरिफ मद 8509 10 00 से 8509 30 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?!) शीर्ष 8517 में, उपशीर्ष 8517 11, टैरिफ मद 8517 11 10, 8517 11 90 उपशीर्ष 8517 19, टैरिफ मद 8517 19 11 से 8517 30 00, उपशीर्ष 8517 50, टैरिफ मद 8517 50 10 से 8517 50 99 उपशीर्ष 8517 80, टैरिफ मद 8517 80 10 से 8517 80 90, उपशीर्ष 8517 90, टैरिफ मद 8517 90 10 और 8517 90 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ॐ

रुरु8517	टेलीफोन सेट, जिसके अंतर्गत सेलूलर नेटवर्क के लिए या अन्य बेतार नेटवर्क के लिए टेलीफोन भी हैं; पारेषण या आवाज छाया या अन्य डाटा को ग्रहण करने के लिए अन्य उपस्कर जिसके अंतर्गत तार या बेतार नेटवर्क में संचार के लिए उपस्कर भी हैं (जैसे स्थानीय या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क), शीर्ष 8443, 8525, 8527 या 8528 के पारेषण या ग्रहण करने के उपस्कर से भिन्न			
	- टेलीफोन सेट, जिसके अंतर्गत सेलूलर नेटवर्क के लिए या अन्य बेतार नेटवर्क के लिए टेलीफोन भी हैं :			
8517 11	-- कोर्डलेस हैंडसेट सहित लाइन टेलीफान सेट :			
8517 11 10	--- पुश बटन टाइप	इ0	निःशुल्क	
8517 11 90	--- अन्य	इ0	निःशुल्क	
8517 12	-- सेलूलर नेटवर्क के लिए या अन्य बेतार नेटवर्क के लिए टेलीफोनः			
8517 12 10	--- पुश बटन टाइप	इ0	निःशुल्क	
8517 12 90	--- अन्य	इ0	निःशुल्क	
8517 18	-- अन्य :			
8517 18 10	--- पुश बटन टाइप	इ0	निःशुल्क	
8517 18 90	--- अन्य	इ0	निःशुल्क	
	- पारेषण या आवाज छाया या अन्य डाटा को ग्रहण करने के लिए अन्य उपस्कर जिसके अंतर्गत तार या बेतार नेटवर्क में संचार के लिए उपस्कर भी हैं (जैसे स्थानीय या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क) :			
8517 61 00	-- आधार केन्द्र	इ0	निःशुल्क	
8517 62	-- आवाज, छाया या अन्य आंकड़ों को ग्रहण करने, संपरिवर्तन करने और पारेषण या पुनरुत्पादन के लिए मशीनें जिसके अंतर्गत स्वीचिंग और रूटिंग उपस्कर भी हैं :			
8517 62 10	--- पीएलसीसी उपकरण	इ0	निःशुल्क	
8517 62 20	--- आवाज प्रबलता टेलीग्राफी	इ0	निःशुल्क	
8517 62 30	--- मोडेम (मोडुलेटर-डिमोडुलेटर)	इ0	निःशुल्क	
8517 62 40	--- उच्च बिट दर अंकीय अभिदाता लाइन प्रणाली (एचडीएसएल)	इ0	निःशुल्क	
8517 62 50	--- अंकीय लूप वाहक प्रणाली (डीएलसी)	इ0	निःशुल्क	
8517 62 60	ॐ तुल्यकालिक अंकीय अनुक्रम प्रणाली (एसडीएच)	इ0	निःशुल्क	

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
8517 62 70	---	बहुविधिक अंकीय बहुविधिक	इ0	निःशुल्क	
8517 62 90	---	अन्य	इ0	निःशुल्क	
8517 69	---	अन्य :			
8517 69 10	---	आईएसडीएन प्रणाली	इ0	निःशुल्क	
8517 69 20	---	आईएसडीएन टर्मिनल अडेप्टर	इ0	निःशुल्क	
8517 69 30	---	राऊटर्स	इ0	निःशुल्क	
8517 69 40	---	ङ्25 पैडस	इ0	निःशुल्क	
8517 69 50	---	अभिदाता अंतिम उपस्कर	इ0	निःशुल्क	
8517 69 60	---	इंटरनेट का लाभ लेने के लिए सेट टॉप बॉक्स	इ0	निःशुल्क	
8517 69 70	---	टेलीफोन के लिए संलग्नक	इ0	निःशुल्क	
8517 69 90	---	अन्य	इ0	निःशुल्क	
8517 70	--	पूर्जे :			
8517 70 10	---	पोपुलेटेड भारित या भरित मुद्रित सर्किट बोर्ड	इ0	निःशुल्क	
8517 70 90	---	अन्य	इ0	निःशुल्क≈;	

(!) शीर्ख 8519 में, टैरिफ मद 8519 10 00 से 8519 93 00, उपशीर्ख 8519 99, टैरिफ मद 8519 99 10 से 8519 99 90 और उनसे संबंधित प्रविख्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ख, उपशीर्ख, टैरिफ मद तथा प्रविख्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ःरु

रूरू8519		ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण			
8519 20 00	-	सिक्कों, बैंक नोट, बैक कार्डो, टोकनों या संदाय की अन्य युक्ति द्वारा प्रचालित उपकरण	इ0	12.5%	-
8519 30 00	-	टर्नटेबल (रिकार्ड डेक)	इ0	12.5%	-
8519 50 00	-	टेलीफोन उत्तरण मशीन	इ0	निःशुल्क	-
	-	अन्य उपकरणः			
8519 81 00	--	चुंबकीय, प्रकाशीय या अर्धचालक माध्यम का उपयोग करते हुए	इ0	12.5%	-
8519 89	--	अन्य :			
8519 89 10	---	आडियो काम्पेक्ट डिस्क प्लेयर	इ0	12.5%	-
8519 89 20	---	काम्पेक्ट डिस्क चेंजर जिसके अंतर्गत मिनी डिस्क प्लेयर या लेसर डिस्क प्लेयर भी है	इ0	12.5%	-
8519 89 30	---	टाइम कार्ड रिकार्डर	इ0	12.5%	-
8519 89 40	---	एमपी-3 प्लेयर	इ0	12.5%	-
8519 89 90	---	अन्य	इ0	12.5%	-≈;

(!?) शीर्ख 8520 में, टैरिफ मद 8520 10 00 से 8520 32 00, उपशीर्ख 8520 33, टैरिफ मद 8520 33 10, 8520 33 90, उपशीर्ख 8520 39, टैरिफ मद 8520 39 10, 8520 39 90, उपशीर्ख 8520 90, टैरिफ मद 8520 90 10 और 8520 90 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!??) शीर्ख 8523 में, उपशीर्ख 8523 11, टैरिफ मद 8523 11 11 से 8523 11 29, उपशीर्ख 8523 12, टैरिफ मद 8523 12 11 से 8523 12 29, उपशीर्ख 8523 13, टैरिफ मद 8523 13 11 से 8523 13 29, उपशीर्ख 8523 20, टैरिफ मद 8523 20 10 से 8523 30 00, उपशीर्ख 8523 90, टैरिफ मद 8523 90 10 से 8523 90 90 और उनसे संबंधित प्रविख्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ख, उपशीर्ख, टैरिफ मद तथा प्रविख्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ःरु

रूरू8523		ध्वनि अभिलेखन या अन्य परिघटनाओं के अन्य परिघटनाओं के लिए चाहे अभिलिखित किया गया हो या नहीं डिस्क, टेप, ठोस अवस्था अचल भंडारण युक्तियां रूरू स्मार्ट कार्डउु और अन्य मीडिया, जिसके अंतर्गत डिस्कों के उत्पादन के लिए मेट्रिसिस और मास्टर्स भी हैं किन्तु जिसमें अध्याय 37 के उत्पाद नहीं हैं			
	-	चुंबकीय मीडिया :			
8523 21 00	--	चुंबकीय पट्टियों से युक्त कार्ड	इ0	12.5%	
8523 29	--	अन्य :			
8523 29 10	---	ऑडियो कैसेट	इ0	12.5%	

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
8523 29 20	---	वीडियो कैसेट	इ0	12.5%	
8523 29 30	---	वीडियो चुंबकीय टेप जिसके अंतर्गत वे भी हैं जिनमें हब और रील, रोल, पेन केक्स और जुंबोरोल में हों	इ0	12.5%	
8523 29 40	---	3/4" और 1" वीडियो कैसेट	इ0	12.5%	
8523 29 50	---	वीटाकैम, वीटाकैम एसपी/एम ऋ वीएचएस टाइप वीसीआर के साथ कार्य करने के लिए समुचित 1/2" वीडियो कैसेट	इ0	12.5%	
8523 29 60	---	अन्य वीडियो कैसेट और टेप 3/4" और 1" वीडियो कैसेट	इ0	12.5%	
8523 29 70	---	सभी किस्म की चुंबकीय डिस्क	इ0	12.5%	
8523 29 80	---	कार्ट्रिज टेप	इ0	12.5%	
8523 29 90	---	अन्य	इ0	12.5%	
8523 40	-	प्रकाशीय मीडिया :			
8523 40 10	---	अभिलेख के उत्पादन के लिए मैट्रिसेस ; तैयार अभिलेख ब्लैंक	इ0	12.5%	
8523 40 20	---	कार्ट्रिज टेप	इ0	12.5%	
8523 40 30	---	अंकीय वीसीआर के साथ कार्य करने के लिए समुचित 1/2" वीडियो कैसेट	इ0	12.5%	
8523 40 40	---	काम्पेक्ट डिस्क (ऑडियो)	इ0	12.5%	
8523 40 50	---	काम्पेक्ट डिस्क (वीडियो)	इ0	12.5%	
8523 40 60	---	काम्पेक्ट डिस्क के लिए स्टेम्पर उत्पादन के लिए ब्लैंक मास्टर डिस्क (अर्थात् सबस्ट्रेट)	इ0	12.5%	
8523 40 70	---	सीडी ऑडियो, सीडी वीडियो और सीडी रोम के लिए स्टेम्पर	इ0	12.5%	
8523 40 80	---	अंकीय वीडियो डिस्क	इ0	12.5%	
8523 40 90	---	अन्य	इ0	12.5%	
	-	अर्धचालक मीडिया :			
8523 51 00	--	ठोस अवस्था अवाष्पशील भंडारण युक्ति	इ0	12.5%	
8523 52 00	--	स्मार्ट कार्ड	इ0	12.5%	
8523 59 00	--	अन्य	इ0	12.5%	
8523 80	-	अन्य :			
8523 80 10	---	ग्रामोफोन रिकार्ड	इ0	12.5%	
8523 80 20	---	सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर	इ0	12.5%	
8523 80 30	---	आडियो-विजुअल न्यूज या आडियो-विजुअल वियूज	इ0	12.5%	-
8523 80 40	---	बालकों की वीडियो फिल्म	इ0	12.5%	-
8523 80 50	---	शैक्षिक प्रकृति की वीडियो टेप	इ0	12.5%	-
8523 80 60	---	2-डी/3-डी कंप्यूटर ग्राफिक्स	इ0	12.5%	-
8523 80 90	---	अन्य	इ0	12.5%	-";

(!???) शीर्ष 8524 में, उपशीर्ष 8524 10, टैरिफ मद 8524 10 10, 8524 10 90, उपशीर्ष 8524 31, टैरिफ मद 8524 31 11 से 8524 31 90, उपशीर्ष 8524 32, टैरिफ मद 8524 32 10, 8524 32 90, उपशीर्ष 8524 39, टैरिफ मद 8524 39 10 से 8524 39 90, उपशीर्ष 8524 40, टैरिफ मद 8524 40 11 से 8524 40 90, उपशीर्ष 8524 51, टैरिफ मद 8524 51 11 से 8524 51 90, उपशीर्ष 8524 52, टैरिफ मद 8524 52 11 से 8524 52 90, उपशीर्ष 8524 53, टैरिफ मद 8524 53 11 से 8524 60 00, उपशीर्ष 8524 91, टैरिफ मद 8524 91 11 से 8524 91 90, उपशीर्ष 8524 99, टैरिफ मद 8524 99 10 से 8524 99 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!?=) शीर्ष 8525 में, उपशीर्ष 8525 10, टैरिफ मद 8525 10 10 से 8525 10 90, उपशीर्ष 8525 20, टैरिफ मद 8525 20 11 से 8525 20 40 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ङ्क

रू8525	रेडियो प्रसारण या टेलीविजन के लिए पारेषण उपस्कर, चाहे उसमें ग्रहण उपस्कर या ध्वनि अभिलेखन और पुनरुत्पादन उपस्कर लगा हो या नहीं ; टेलीविजन कैमरा, अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा			

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
8525 50	-	पारेख़ण उपस्कर :			
8525 50 10	---	रेडियो प्रसारण पारेख़क	इ0	12.5%	-
8525 50 20	---	टीवी प्रसारण पारेख़क	इ0	12.5%	-
8525 50 30	---	प्रसारण उपकरण उपप्रणाली	इ0	12.5%	-
8525 50 40	---	संचार जैमिंग उपकरण	इ0	12.5%	-
8525 50 50	---	बेतार माइक्रोफोन	इ0	12.5%	-
8525 50 90	---	अन्य	इ0	12.5%	
8525 60	-	पारेख़ण उपस्कर जिसमें ग्रहण उपस्कर लगा हो :			
	---	दुतरफा रेडियो संचार उपस्कर :			
8525 60 11	----	वाकी टाकी सेट	इ0	निःशुल्क	
8525 60 12	----	समुद्री रेडियो संचार उपस्कर	इ0	निःशुल्क	
8525 60 13	----	अव्यवसायी रेडियो उपस्कर	इ0	निःशुल्क	
8525 60 19	----	अन्य	इ0	निःशुल्क	
	---	अन्य :			
8525 60 91	----	वीएसएटी टर्मिनल्स	इ0	निःशुल्क	
8525 60 92	----	अन्य सैटेलाइट संचार उपकरण	इ0	निःशुल्क	
8525 60 99	----	अन्य	इ0	निःशुल्क	
8525 80	--	टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर :			
8525 80 10	---	टेलीविजन कैमरा	इ0	12.5%	-
8525 80 20	---	अंकीय कैमरा	इ0	12.5%	-
8525 80 30	---	वीडियो कैमरा रिकार्डर	इ0	12.5%	-
8525 80 90	---	अन्य	इ0	12.5%	-=;

(!=) शीर्ख़ 8527 में, टैरिफ मद 8527 12 00 से 8527 39 00, उपशीर्ख़ 8527 90, टैरिफ मद 8527 90 11 से 8527 90 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ख़, उपशीर्ख़, टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :&

रूर्र8527		रेडियो प्रसारण के लिए ग्रहण उपस्कर चाहे वह ध्वनि अभिलेखन के साथ या पुनरुत्पादन उपस्कर के साथ या किसी घड़ी के साथ उसी स्थान में संयुक्त हो या नहीं			
	-	शक्ति की बाह्य स्रोत के बिना चलने में समर्थ रेडियो प्रसारण ग्राहीः			
8527 12 00	--	जेबाकार रेडियो कैसेट प्लेयर	इ0	12.5%	-
8527 13 00	--	ध्वनि अभिलेखन या पुनरूत्पादन उपकरण के साथ संयुक्त अन्य उपकरण	इ0	12.5%	-
8527 19 00	--	अन्य	इ0	12.5%	-
	-	बाह्य स्रोत शक्ति के बिना चलने में असमर्थ इस प्रकार के रेडियो प्रसारण ग्राही जिनका उपयोग मोटर यानों में किया जाता है :			
8527 21 00	--	जो ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण के साथ संयुक्त हैं	इ0	12.5%	-
8527 29 00	--	अन्य	इ0	12.5%	-
	-	अन्य :			
8527 91 00	--	जो ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण के साथ संयुक्त हैं	इ0	12.5%	-
8527 92 00	--	जो ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण के साथ संयुक्त नहीं है किन्तु घड़ी के साथ संयुक्त है	इ0	12.5%	-
8527 99	-	अन्य :			

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	--- रेडियो संचार ग्राही :			
8527 99 11	---- रेडियो पेजर	इ0	12.5%	-
8527 99 12	---- डिमोड्यूलेटर्स	इ0	12.5%	-
8527 99 19	---- अन्य	इ0	12.5%	-
8527 99 90	--- अन्य	इ0	12.5%	-=;

(!=?) शीर्ष 8528 में, उपशीर्ष 8528 12, टैरिफ मद 8528 12 11 से 8528 12 99, उपशीर्ष 8528 13, टैरिफ मद 8528 13 10 से 8528 13 90, उपशीर्ष 8528 21, टैरिफ मद 8528 21 10 से 8528 22 00, उपशीर्ष 8528 30, टैरिफ मद 8528 30 10 से 8528 30 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	मानक	अधिमानी क्षेत्र
रु8528	मोनिटर और प्रक्षेपित्र, जिनमें टेलीविजन ग्राही उपस्कर न लगे हों; टेलीविजन के लिए ग्राही उपस्कर, चाहे उसमें रेडियो प्रसारण ग्राही या ध्वनि या वीडियो अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपस्कर लगे हों या नहीं			
	- कैथोड-रे ट्यूब मोनिटरः			
8528 41 00	-- शीर्ष 8471 की किसी स्वचालित आंकड़ा प्रसंस्करण प्रणाली में एकमात्र रूप से या मुख्यतः उपयोग की गई प्रकार की	इ0	12.5%	-
8528 49 00	-- अन्य	इ0	12.5%	-
	-- अन्य मोनिटर्स :			
8528 51 00	-- शीर्ष 8471 की किसी स्वचालित आंकड़ा प्रसंस्करण प्रणाली में एकमात्र रूप से या मुख्यतः उपयोग की गई प्रकार की	इ0	12.5%	-
8528 59 00	-- अन्य	इ0	12.5%	-
	-- प्रक्षेपित्र :			
8528 61 00	-- शीर्ष 8471 की किसी स्वचालित आंकड़ा प्रसंस्करण प्रणाली में एकमात्र रूप से या मुख्यतः उपयोग की गई प्रकार की	इ0	12.5%	-
8528 69 00	-- अन्य	इ0	12.5%	-
	-- टेलीविजन के लिए ग्राही उपस्कर चाहे उसमें रेडियो प्रसारण ग्राही या ध्वनि या वीडियो अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपस्कर लगा हो या नहीं:			
8528 71 00	-- जो वीडियो प्रदर्शन या स्क्रीन को सम्मिलित किए जाने के लिए अभिकल्पित नहीं है ।	इ0	12.5%	-
8528 72	- अन्य, रंगीन :			
8528 72 11	---- 36 से0मी0 तक के स्क्रीन आकार के टेलीविजन सैट	इ0	12.5%	-
8528 72 12	---- 36 से0मी0 से अधिक किंतु 54 से0मी0 से अनधिक स्क्रीन आकार के टेलीविजन सैट	इ0	12.5%	-
8528 72 13	---- 54 से0मी0 से अधिक किंतु 68 से0मी0 से अनधिक स्क्रीन आकार के टेलीविजन सैट	इ0	12.5%	-
8528 72 14	---- 68 से0मी0 से अधिक किंतु 74 से0मी0 से अनधिक स्क्रीन आकार के टेलीविजन सैट	इ0	12.5%	-
8528 72 15	---- 74 से0मी0 से अधिक किंतु 87 से0मी0 से अनधिक स्क्रीन आकार के टेलीविजन सैट	इ0	12.5%	-
8528 72 16	---- 87 से0मी0 से अधिक किंतु 105 से0मी0 से अनधिक स्क्रीन आकार के टेलीविजन सैट	इ0	12.5%	-
8528 72 17	---- 105 से0मी0 से अधिक स्क्रीन आकार के टेलीविजन सैट	इ0	12.5%	-
8528 72 18	---- 63 से0मी0 से कम स्क्रीन आकार के लिक्विड क्रिस्टिल प्रदर्श टेलीविजन सैट	इ0	12.5%	-
8528 72 19	---- अन्य	इ0	12.5%	-
8528 73	- अन्य, श्वेत और श्याम या अन्य एकवर्ण :			
8528 73 10	--- 25 से0मी0 से कम स्क्रीन आकार के लिक्विड क्रिस्टिल प्रदर्श टेलीविजन सैट	इ0	12.5%	-
8528 73 90	--- अन्य	इ0	12.5%	-=;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(!=??) शीर्ष 8535 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, रूरूफ्यूज– शब्द के स्थान पर, रूरूफ्यूज और अन्य संबंधक– शब्द रखे जाएंगे ;

(!=???) शीर्ष 8536 में,ः

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :ः

रूरूविद्युत परिपथों के स्विचन या संरक्षण के लिए या विद्युत परिपथों तक या उनमें संबंधन के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरणार्थ स्विच, रिले, फ्यूज, प्रोत्कर्ष निरोधक, प्लग, सोकट, लैम्पहोल्डर, जंक्शन बाक्स) जो 1,000 वोल्ट से अनधिक वोल्टता के लिए है ; आप्टिकल फाइबर, आप्टिकल फाइबर बंडल या केबल के लिए संबंधन ।–;

(ख) टैरिफ मद 8536 69 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :ः

रूरू8536 70 00	-	आप्टिकल फाइबर, आप्टिकल फाइबर बंडल या केबल के लिए संबंधन	कि0 ग्रा0	12.5%	–;

(!?!) शीर्ष 8542, उपशीर्ष 8542 10, टैरिफ मद 8542 10 10 से टैरिफ मद 8542 21 00, उपशीर्ष 8542 29, टैरिफ मद 8542 29 10 से टैरिफ मद 8542 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः

रूरू8542		इलैक्ट्रानिक एकीकृत परिपथ			
	-	इलैक्ट्रानिक एकीकृत परिपथ :			
8542 31 00	--	प्रोसेसर और कन्ट्रोलर, चाहे मैमोरी से जुड़े हों या नहीं, संपरिवर्तक, लोजिक सर्कट, प्रवर्धक, क्लाक और समय सर्कट या अन्य सर्कट	इ0	निःशुल्क	
8542 32 00	--	मैमोरी	इ0	निःशुल्क	
8542 33 00	--	प्रवर्धक	इ0	निःशुल्क	
8542 39	--	अन्य :			
8542 39 10	---	सिम कार्ड	इ0	निःशुल्क	
8542 39 20	---	मैमोरी कार्ड	इ0	निःशुल्क	
8542 39 90	---	अन्य	इ0	निःशुल्क	
8542 90 00	-	पुर्जे	कि0ग्रा0	निःशुल्क–;	

(!!) शीर्ष 8543 में, टैरिफ मद 8543 11 00, उपशीर्ष 8543 19 और टैरिफ मद 8543 19 10 से टैरिफ मद 8543 19 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः

रूरू8543		ऐसी विद्युत मशीनें और उपकरण, जिनके विशेष कृत्य हैं और जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं			
8543 10	-	कण त्वरक :			
8543 10 10	---	अर्धचालक सामग्री के स्नेहन के लिए आयोन रोपक	इ0	निःशुल्क	-
8543 10 20	---	वेन ग्राफ, काक-क्राफ्ट, वाल्टन त्वरक	इ0	12.5%	-
8543 10 30	---	सायको सायक्लोट्रान्स, सायक्रोट्रान्स	इ0	12.5%	-
8543 10 90	---	अन्य, जिसमें सायक्रोट्रान्स है	इ0	12.5%	–;

(!!?) शीर्ष 8543 में टैरिफ मद 8543 40 00, 8543 81 00, उपशीर्ष 8543 89 और टैरिफ मद 8543 89 10 से टैरिफ मद 8543 89 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः

रूरू8543 70	-	अन्य मशीन और उपकरण :			
8543 70 11	----	सामीप्य कार्ड और टैग	इ0	निःशुल्क	-
8543 70 12	----	धातु डिटेक्टर	इ0	12.5%	-
8543 70 13	----	खान डिटेक्टर	इ0	12.5%	-
8543 70 19	----	अन्य	इ0	12.5%	-
	---	श्रव्य विशेष प्रभावी उपस्कर :			
8543 70 21	----	डिजिटल रिवरविरेटर्स	इ0	12.5%	-
8543 70 22	----	मिक्सिंग प्रणाली या कंसोल्स	इ0	12.5%	-
8543 70 29	----	अन्य	इ0	12.5%	-
	---	वीडियो विशेष प्रभावी उपकरण :			

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर मानक	शुल्क की दर अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
8543 70 31	----	वीडियो मिश्रित तंत्र या कंसोल्स	इ0	12.5%	-
8543 70 32	----	वीडियो प्रभावी तंत्र	इ0	12.5%	-
8543 70 33	----	अंकीय परत मशीन	इ0	12.5%	-
8543 70 34	----	पेन्ट बाक्स	इ0	12.5%	-
8543 70 35	----	वीडियो टाइपराइटर	इ0	12.5%	-
8543 70 36	----	वीडियो मैटिंग मशीन	इ0	12.5%	-
8543 70 39	----	अन्य	इ0	12.5%	-
	---	संपादन नियंत्रण यूनिट :			
8543 70 41	----	तीन वीडियो संपादन मशीन से अधिक कंप्यूटरीकृत संपादन तंत्र	इ0	12.5%	-
8543 70 42	----	अन्य वीडियो नियंत्रण मशीन	इ0	12.5%	-
8543 70 49	----	अन्य	इ0	12.5%	-
8543 70 50	----	रंगीन सुधारक	इ0	12.5%	-
	----	प्रवर्धकः			
8543 70 61	----	प्रसारण प्रवर्धक	इ0	12.5%	-
8543 70 62	----	मर्यादित प्रवर्धन वीडियो वितरण प्रवर्धक और स्थायीकृत प्रवर्धक	इ0	12.5%	-
8543 70 69	----	अन्य	इ0	12.5%	-
	---	ग्राफिक इक्विलाइजर और संश्लेख़ण रिसीवर :			
8543 70 71	----	ग्राफिक इक्विलाइजर	इ0	12.5%	-
8543 70 72	----	संश्लेख़ण रिसीवर	इ0	12.5%	-
	---	अन्य :			
8543 70 91	----	संचार अवरोध उपकरण, स्टेटिक या मोबाइल या मैनपोर्टबल के लिए आर एफ (रेडियो आवृत्ति) शक्ति प्रवर्धक और आवाज जनित्र	इ0	12.5%	-
8543 70 92	----	सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरण या गेडजैट	इ0	12.5%	-
8543 70 93	----	वृत्तिक सौंदर्य देखरेख उपकरण	इ0	12.5%	-
8543 70 94	----	श्रव्य-दृश्य स्टिरियो इन्कोर्डस	इ0	12.5%	-
8543 70 95	----	समय कोर्ड जनित्र	इ0	12.5%	-
8543 70 99	----	अन्य	इ0	12.5%	-”;

(!!??) शीर्ख़ 8544 में, टैरिफ मद 8544 30 00, उपशीर्ख़ 8544 41, टैरिफ मद 8544 41 11 से 8544 41 90, उपशीर्ख़ 8544 49, टैरिफ मद 8544 49 11 से 8544 49 90, उपशीर्ख़ 8544 51, टैरिफ मद 8544 51 10 से 8544 51 90, उपशीर्ख़ 8544 59, टैरिफ मद 8544 59 10 से 8544 59 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

“8544 30 00	-	इस प्रकार के ज्वलन तारों के सैट और अन्य तारों के सैट जिनका उपयोग यान, वायुयान या पोत में किया जाता है	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	अन्य विद्युत चालक, जो 1000 वोल्ट से अनधिक वोल्टता के लिए है :			
8544 42	--	जिसमें अनुयोजक फिट है :			
8544 42 10	---	कागज विद्युतरोधी	कि0ग्रा0	12.5%	-
8544 42 20	---	प्लास्टिक विद्युतरोधी	कि0ग्रा0	12.5%	-
8544 42 30	---	रबर विद्युतरोधी	कि0ग्रा0	12.5%	-
8544 42 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
8544 49	--	अन्य :			
	--	अन्य विद्युत चालक, जो 80 वोल्ट से अनधिक वोल्टता के लिए है :			
	---	टेलीफोन केबल :			
8544 49 11	----	शुख़्क कोर कागज विद्युतरोधी	कि0ग्रा0	12.5%	-
8544 49 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
8544 49 20	---	कागज विद्युतरोधी	कि0ग्रा0	12.5%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
8544 49 30	---	प्लास्टिक विद्युतरोधी	कि0ग्रा0	12.5%	-
8544 49 40	---	रबर विद्युतरोधी	कि0ग्रा0	12.5%	-
8544 49 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-";

(73) अनुभाग 17 के टिप्पण 1 में, "शीर्ष सं0 9501," शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(74) अध्याय 86 के शीर्ष 8606 में,–

(i) टैरिफ मद 8606 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) टैरिफ मद 8606 30 00 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "या शीर्ष सं0 8606 20" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(75) अध्याय 87 में,–

(i) टिप्पण 4 में, "9501" अंकों के स्थान पर, "9503" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 8708 में, टैरिफ मद 8708 29 00 से 8708 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"8708 29 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-
8708 30 00	-	आरोध (ब्रेक) और सर्वो-आरोध (ब्रेक) ; उनके पुर्जे	कि0ग्रा0	12.5%	-
8708 40 00	-	गियर बाक्स और उनके पुर्जे	कि0ग्रा0	12.5%	-
8708 50 00	-	विभेदी सहित चालन-धुरी, चाहे अन्य घटकों की व्यवस्था की गई हैं या नहीं, अचालन-धुरी ; उनके पुर्जे	कि0ग्रा0	12.5%	-
8708 70 00	-	सड़क पहिए और उनके पुर्जे तथा उपसाधन	कि0ग्रा0	12.5%	-
8708 80 00	-	निलंबन प्रघात अवशोषक और उनके पुर्जे (जिनमें शाक अबजोर्बस भी हैं)	कि0ग्रा0	12.5%	-
	-	अन्य पुर्जे तथा उपसाधन :			
8708 91 00	---	रेडिएटर और उनके पुर्जे	कि0ग्रा0	12.5%	-
8708 92 00	---	खशामक (साइलेंसर) (मफलर्स) और रेचन नलिका (इग्जास्ट पाइप)	कि0ग्रा0	12.5%	-
8708 93 00	---	ग्राभ (क्लच) और उनके पुर्जे	कि0ग्रा0	12.5%	-
8708 94 00	---	अरित्रण चक्र (स्टीयरिंग व्हील), अरित्रण कालम और अरित्रण बाक्स ; उनके पुर्जे	कि0ग्रा0	12.5%	-
8708 95 00	--	इस्पित पद्धति के साथ सुरक्षा एयरबैग ; उनके पुर्जे	कि0ग्रा0	12.5%	-
8708 99 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	12.5%	-";

(76) अध्याय 88 में,–

(i) शीर्ष 8801 में, टैरिफ मद 8801 10 00 से 8801 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"8801		गुब्बारे और डिरिजिबल, ग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और अन्य अशक्तित वायुयान			
8801 00	-	गुब्बारे और डिरिजिबल, ग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और अन्य अशक्तित वायुयान :			
8801 00 10	---	ग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर	इ0	12.5%	-
8801 00 20	---	गुब्बारे	इ0	12.5%	-
8801 00 90	---	अन्य	इ0	12.5%	-";

(77) अध्याय 90 में,–

(i) टिप्पण 1 में,–

(क) खंड (क) में, "(शीर्ष सं0 4204)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "(शीर्ष सं0 4205)" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (छ) में, "(शीर्ष सं0 8481 जोड़ना है)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"(शीर्ष सं0 8481) ; शीर्ष 8486 की मशीनें और साधित्र, (जिसके अंतर्गत सुग्राहीकृत अर्द्धचालक सामग्री पर या परिपथ नमूनों के प्रक्षेपित रेखाचित्र के लिए साधित्र हैं) ;";

(ग) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ज) इस प्रकार की सर्चलाइट या स्पाटलाइट जिनका उपयोग साइकिलों या मोटर यानों के लिए किया जाता है (शीर्ष सं0 8512) ; शीर्ष 8513 के सुबाह्य लैंप ; चल भिन्न ध्वनि अभिलेखन, पुनःउत्पादन या पुनःअभिलेखन साधित्र (शीर्ष 8519) ; ध्वनि शीर्ष (शीर्ष सं0 8522) ; टेलीविजन कैमरा, अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर (शीर्ष 8525) ; रेडार उपकरण, नौ-परिवहन सहायक उपकरण या रेडियो सुदूर नियंत्रण उपकरण (शीर्ष 8526) ; आप्टिकल फाइबर, आप्टिकल फाइबर बंडल या केबल के लिए संबंधन (शीर्ष 8536) ; शीर्ष 8537 के संख्या संबंधी नियंत्रण साधित्र ; शीर्ष सं0 8539 के मोहरबंद किरणपुंज लैंप यूनिट ; शीर्ष 8544 के प्रकाशित फाइबर केबल";

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

(??) टिप्पण 2 के खंड (क) में, रूरू8485ऋ शब्दों के स्थान पर, रूरू8487ऋ शब्द रखे जाएंगे ;

(???) टिप्पण 3 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :श्

रूरू3. अनुभाग 16 के टिप्पण 3 और टिप्पण 4 के उपबंध भी इस अध्याय को लागू होंगे ।ऋ;

(?=) शीर्ख़ 9006, टैरिफ मद 9006 20 00 और टैरिफ मद 9006 62 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ख़ 9009, टैरिफ मद 9009 11 00 से 9009 99 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) शीर्ख़ 9010 में,श्

(क) स्तंभ (2) की प्रविख़्टि में, रूरू(जिनके अंतर्गत सुग्राहीकृत अर्धचालक सामग्री पर परिपथ पैटर्नों के प्रक्षेपण या रेखा चित्रण के लिए साधित्र भी है)ऋ कोख़्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) स्तंभ (2) में, टैरिफ मद 9010 41 00 से 9010 49 00 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :श्

रूरू9010 10 10		आटोमेटिक डेवलपिंग फोटोग्राफी (जिसके अंतर्गत सिनेमेटोग्राफी भी है) फिल्म या रोल में पेपर के लिए या डेवलप्ड फिल्म को आटोमेटिकली फोटोग्राफीय पेपर के रोलों में एक्सपोज करने के लिए साधित्र और उपस्कर	इ0	12.5%	-ऋ;

(=??) शीर्ख़ 9027 में, टैरिफ मद 9027 40 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=???) शीर्ख़ 9030 में,श्

(क) टैरिफ मद 9030 20 00, 9030 31 00, उपशीर्ख़ 9030 39, टैरिफ मद 9030 39 10 से 9030 39 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :श्

रूरू9030 20 00	-	कैथोड़-किरण दोलन दर्शी और कैथोड़-किरण दोलनलेखी	इ0	12.5%	-
	-	वोल्टता, धारा, प्रतिरोध या शक्ति को, मापने या जांचने के लिए अन्य यंत्र और उपकरण :			
9030 31 00	--	बहुलमापी, अभिलेखन युक्ति के बिना	इ0	12.5%	-
9030 32 00	--	बहुलमापी, अभिलेखन युक्ति के साथ	इ0	12.5%	-
9030 33	--	अन्य, अभिलेखन युक्ति के बिना :			
9030 33 10	---	अपमापी, वोल्टतामापी और वाटमापी	इ0	12.5%	-
9030 33 20	---	स्पैक्ट्रम प्रतिरोध मापी	इ0	12.5%	-
9030 33 30	---	कैपेसिटेंस मापी	इ0	12.5%	-
9030 33 40	---	आवृत्ति मापी साधित्र	इ0	12.5%	-
9030 33 50	---	मेगा मापी	इ0	12.5%	-
9030 33 90	---	अन्य	इ0	12.5%	-
9030 39 00	---	अन्य, अभिलेखन युक्ति के साथ	इ0	12.5%	-ऋ;

(ख) स्तंभ (1) में, रूरू9030 83 00ऋ टैरिफ मद के स्थान पर, रूरू9030 84 00ऋ टैरिफ मद रखी जाएगी ;

(?!) शीर्ख़ 9031 में, टैरिफ मद 9031 30 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(78) अध्याय 91 में,श्

(?) शीर्ख़ 9101 में, टैरिफ मद 9101 12 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 9106 में, टैरिफ मद 9106 20 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(79) अध्याय 92 में,श्

(?) शीर्ख़ 9203, उपशीर्ख़ 9203 00, टैरिफ मद 9203 00 10 और 9203 00 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 9204 में, टैरिफ मद 9204 10 00 और 9204 20 00 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ख़ 9209 में, टैरिफ मद 9209 10 00, 9209 20 00 और 9209 93 00 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(80) अध्याय 93 के शीर्ख़ 9306 में टैरिफ मद 9306 10 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(81) अध्याय 94 में,श्

(?) टिप्पण 3 में, रूरू(क)ऋ और रूरू(ख)ऋ कोख़्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, क्रमशः रूरू(अ)ऋ और रूरू(आ)ऋ कोख़्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(??) शीर्ख़ 9401 में, टैरिफ मद 9401 50 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :श्

	रूरू-	बेंत, आसीर, बांस और वैसी ही सामग्री की सीटें :			
9401 51 00	--	बांस और रतन की	इ0	12.5%	-
9401 59 00	--	अन्य	इ0	12.5%	-ऋ;

(???) शीर्ख़ 9403 में, उपशीर्ख़ 9403 80, टैरिफ मद 9403 80 10 और 9403 80 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :श्

	रूरू-	अन्य सामग्रियों का, जिसमें बेंत, आसीर, बांस और वैसी ही सामग्रियां हैं, फर्नीचर :			

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
9403 81 00	--	बांस और रतन की	इ0	12.5%	-
9403 89 00	--	अन्य	इ0	12.5%	-=;

(82) अध्याय 95 में,༄

(?) टिप्पण 1 में,༄

(क) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :༄

=(क) मोमबत्तियां (शीर्ख़ सं0 3406) ;=;

(ख) खंड (न) में, अंत में आने वाले, रूरूया= शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (प) में, रूरू(उनकी संघटक सामग्री के अनुसार वर्गीकृत)= कोख़्ठकों और शब्दों के स्थान पर, रूरू(उनकी संघटक सामग्री के अनुसार वर्गीकृत); या= कोख़्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (प) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :༄

=(फ) खाने-पीने के बर्तन, रसोई के बर्तन, प्रसाधन की वस्तुएं, दरी और अन्य टैक्सटाइल फर्श की बिछायतें, परिधान, बेड लिनेन, टेबल लिनेन, प्रसाधन लिनेन, रसोई लिनेन और वैसी ही वस्तुएं, जिनका (उनकी संघटक सामग्री के अनुसार वर्गीकृत) उपयोगी कार्य है ;=;

(??) टिप्पण 4 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :༄

रूरू4. टिप्पण 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शीर्ख़ 9503, अन्य बातों के साथ, एक या अधिक मदों से संयुक्त इस शीर्ख़ की वस्तुओं को लागू होता है, जिन्हें इस अनुसूची के संबंध में निर्वचन के साधारण नियमों के नियम 3(ख) के निबंधनों के अधीन सेटों के रूप में नहीं माना जा सकता है और जो पृथक् रूप से प्रस्तुत किए जाने की दशा में अन्य शीर्ख़ों में वर्गीकृत होंगी, परंतु ऐसी वस्तुएं फुटकर विक्रय के लिए एक साथ रखी जाती हैं और संयोजन में खिलौनों की अनिवार्य विशेख़ता है ।

5. शीर्ख़ सं0 9503 के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं नहीं आती हैं जिन्हें अपने डिजाइन, आकार या घटक सामग्री के कारण अनन्य रूप से पशुओं के लिए आशयित रूप में जाना जाता है, उदाहरणार्थ रूरूप्रतिरूप खिलौने= (उनका अपने समुचित शीर्ख़ में वर्गीकरण) ;=;

(???) शीर्ख़ 9501, उपशीर्ख़ 9501 00 और टैरिफ मद 9501 00 10 और 9501 00 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ख़ 9502, उपशीर्ख़ 9502 10, टैरिफ मद 9502 10 10 से 9502 99 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ख़ 9503, टैरिफ मद 9503 10 00 से 9503 41 00, उपशीर्ख़ 9503 49, टैरिफ मद 9503 49 10 से 9503 49 90, उपशीर्ख़ 9503 50, टैरिफ मद 9503 50 10, 9503 50 90, उपशीर्ख़ 9503 60, टैरिफ मद 9603 60 10, 9503 60 90, उपशीर्ख़ 9503 70, टैरिफ मद 9503 70 10, 9503 70 90, उपशीर्ख़ 9503 80, टैरिफ मद 9503 80 10 और 9503 80 90, उपशीर्ख़ 9503 90, टैरिफ मद 9503 90 10 से 9503 90 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :༄

रूरू9503		ट्राइसिकिल, स्कूटर, पैडिल कार और वैसी ही पहिएदार खिलौने; गुड़िया वाहन; गुड़िया; अन्य खिलौने; लघुकृत माप (रूरूस्केल=) प्रतिरूप और वैसे ही आमोदी-प्रमोदी प्रतिरूप, चाहे चालू हालत में हैं या नहीं, सभी प्रकार की पहेलियां			
9503 00	-	ट्राइसिकिल, स्कूटर, पैडिल कार और वैसी ही पहिएदार खिलौने; गुड़िया वाहन; गुड़िया; अन्य खिलौने; लघुकृत माप (रूरूस्केल=) प्रतिरूप और वैसे ही आमोदी-प्रमोदी प्रतिरूप, चाहे चालू हालत में हैं या नहीं, सभी प्रकार की पहेलियां :			
9503 00 10	---	काख़्ठ के	इ0	12.5%	-
9503 00 20	---	धातु के	इ0	12.5%	-
9503 00 30	---	प्लास्टिक के	इ0	12.5%	-
9503 00 90	---	अन्य	इ0	12.5%	-=;

(=?) शीर्ख़ 9504 में,༄

(क) टैरिफ मद 9504 20 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :༄

रूरू9504 20 00	-	सभी प्रकार के बिलियर्ड के लिए वस्तुएं और उपसाधन	इ0	12.5%	-=;

(ख) उपशीर्ख़ 9504 30 में टैरिफ मद 9504 30 10 से 9504 30 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :༄

रूरू9504 30 00	-	सिक्का, बैंक नोट (कागज करेंसी), बैंक कार्ड, टोकन या संदाय के अन्य साधनों से प्रचालित, बालिंग, बाउलिंग वीथि उपस्कर से भिन्न, अन्य खेल	इ0	12.5%	-
9504 30 10	---	कैरम बोर्ड, गोटियों और स्ट्राइकर सहित या उसके बिना	इ0	12.5%	-
9504 30 90	---	अन्य	इ0	12.5%	-=;

(83) अध्याय 96 में, शीर्ख़ 9614, उपशीर्ख़ 9614 90, टैरिफ मद 9614 20 00, 9614 90 10 से 9614 90 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :༄

रूरू9614 00 00	-	धूम्रपान पाइप (जिसके अंतर्गत पाइप बाउल भी हैं) और सिगार या सिगरेट धारक और उनके पुर्जे	इ0	12.5%	-=;

(84) अध्याय 97 के टिप्पण 4 में, रूरू(क)= और रूरू(ख)= कोख़्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, क्रमशः, रूरू(अ)= और रूरू(आ)= कोख़्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 66 देखिए)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—

(1) क्रम सं0 71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं0, शीर्ष और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	शीर्ष, उपशीर्ष और टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
“71क	8443	प्रतिकृति मशीन”;

(2) क्रम सं0 76 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं0, शीर्ष और प्रविष्टि, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
“76क	8508	स्वतः अंतर्विष्ट विद्युत मोटर सहित निर्वात निर्मलित्र”;

(3) क्रम सं0 77 में स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“शीर्ष 8508 के निर्वात निर्मलित्र से भिन्न, स्वतः अंतर्विष्ट विद्युत मोटर सहित विद्युत यांत्रिक घरेलू साधित्र”;

(4) क्रम सं0 81 में स्तंभ (3) में की प्रविष्टि में, “प्रतिकृति मशीन” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(5) क्रम सं0 84 में स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“अनभिलिखित आडियो कैसेट; अभिलिखित या अनभिलिखित वीडियो कैसेट; अभिलिखित या अनभिलिखित चुम्बकीय डिस्क”;

(6) क्रम सं0 85, 86, 87 और 88 में स्तंभ (2) और स्तंभ (3) की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(7) क्रम सं0 89 के सामने, स्तंभ (2) और (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र.सं., शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
“89	8525 या 8517	सेलुलर या मोबाइल फोन
89क	8527	पेजर”;

भाग 2

“केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में, क्र.सं. 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
“100	कोई भी शीर्ष	आटोमोबाइल के पुर्जे; घटक और सहायक पुर्जे
101	3808 30 40	पादप वृद्धि विनियामक
102	9603 21 00	दंत ब्रुश”।

छठी अनुसूची

इधारा 66(क) देखिएट

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,.

(1) अध्याय 16 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .कुछ नहीं. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 19 में,.

(?) टैरिफ मद 1902 11 00, 1901 19 00, 1902 20 10, 1902 20 90, 1902 30 10 और 1902 30 90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टियों के स्थान पर, .कुछ नहीं. प्रविख़्टियां रखी जाएंगी ;

(??) टैरिफ मद 1905 31 00, 1905 32 19, 1905 90 10 और 1905 90 20 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टियों के स्थान पर, .8%. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 21 में,.

(?) टैरिफ मद 2105 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .कुछ नहीं. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(??) टैरिफ मद 2106 90 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .37.5%. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 24 में,.

(?) शीर्ख़ 2401 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .42%. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(??) टैरिफ मद 2402 20 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .125 रु0 प्रति हजार. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(???) टैरिफ मद 2402 20 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .415 रु0 प्रति हजार. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(?=) टैरिफ मद 2402 20 30 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .620 रु0 प्रति हजार. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(=) टैरिफ मद 2402 20 40 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .1,005 रु0 प्रति हजार. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(=?) टैरिफ मद 2402 20 50 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .1,340 रु0 प्रति हजार. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(=??) टैरिफ मद 2402 20 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .1,645 रु0 प्रति हजार. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(=???) टैरिफ मद 2403 10 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .50%. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(?!) टैरिफ मद 2403 10 11 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .12 रु0 प्रति हजार. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(!) टैरिफ मद 2403 10 39 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .30 रु0 प्रति हजार. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(!?) टैरिफ मद 2403 91 00, 2403 99 10, 2403 99 20, 2403 99 30, 2403 99 40, 2403 99 50, 2403 99 60 और 2403 99 90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .50%. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 25 में,.

(?) टिप्पण 5 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :.

.6. शीर्ख़ 2515 और शीर्ख़ 2516 के उत्पादों के संबंध में, प्रस्तर ब्लाक को सिल्ली या टाइल में परिवर्तित करने के लिए कर्तन या चीरने या पालिश करने की प्रक्रिया या कोई अन्य प्रक्रिया .विनिर्माण. की कोटी में आएगी।.;

(??) टैरिफ मद 2503 00 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविख़्टि के स्थान पर .16%. प्रविख़्टि रखी जाएगी ;

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(6) अध्याय 28 में,.

(?) शीर्ख़ 2812 में,.

(क) टैरिफ मद 2812 10 10 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :.

.2812 10 10	---	फौसजीन (कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल डाइक्लोराइड, कार्बन आक्सीक्लोराइड, क्लोरोफोर्मिल क्लोराइड)	कि.ग्रा.	16%.;

(ख) टैरिफ मद 2812 10 20 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :.

	---	फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड :		
2812 10 21	----	फास्फोरस ट्राईक्लोराइड	कि.ग्रा.	16%
2812 10 22	----	फास्फोरस पेंटाक्लोराइड	कि.ग्रा.	16%.;

(ग) टैरिफ मद 2812 10 40 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :.

	.---	सल्फर आक्सीक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर डाइक्लोराइड और थियोनाइल क्लोराइड		
2812 10 41	----	सल्फर आक्सीक्लोराइड	कि.ग्रा.	16%

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
2812 10 42	---- सल्फर मोनोक्लोराइड	कि.ग्रा.	16%
2812 10 43	---- सल्फर डाइक्लोराइड	कि.ग्रा.	16%
2812 10 47	---- थायोनाइल क्लोराइड	कि.ग्रा.	16%ङ

(घ) टैरिफ मद 2812 10 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

.2812 10 60	--- आर्सेनुअस ट्राइक्लोराइड	कि.ग्रा.	16%ङ

(??) शीर्ष 2851 में, टैरिफ मद 2851 00 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	.--- अन्य :		
2851 00 91	---- साएनोजिन क्लोराइड	कि.ग्रा.	16%
2851 00 99	---- अन्य	कि.ग्रा.	16%ङ

(7) अध्याय 29 में,–

(?) शीर्ष 2903 में, टैरिफ मद 2903 30 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	.--- फ्ल्यूरिनेटित व्युत्पन्न :		
2903 30 11	---- 1-प्रोपेन, 1, 1,3,3,3,-पेन्टाफ्ल्यूरो - 2-(ट्राईफ्ल्यूरोमिथाइल) (पी.एफ.आई.बी.)	कि.ग्रा.	16%
2903 30 19	---- अन्य	कि.ग्रा.	16%ङ

(??) शीर्ष 2904 में, टैरिफ मद 2904 90 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

.2904 90 80	--- क्लोरोपिक्रिन (ट्राईक्लोरोनाइट्रो-मिथेन)	कि.ग्रा.	16%ङ

(???) शीर्ष 2905 में, टैरिफ मद 2905 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

.2905 19	-- अन्य :		
2905 19 10	--- 2-बुटानोल, 3, 3-डाइमेथाइल	कि.ग्रा.	16%
2905 19 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	16%ङ

(?=) शीर्ष 2918 में, टैरिफ मद 2918 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

.2918 19	-- अन्य :		
2918 19 10	--- बेंजीनएसिटिक अम्ल, अल्फा-हाइड्रोक्सी-अल्फा-फेनाइल-	कि.ग्रा.	16%
2918 19 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	16%ङ

(=) शीर्ष 2920 में,–

(क) टैरिफ मद 2920 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	.- फास्फोरोथिओइक अम्ल, एस इ2-(डाइएथिलएमिनो) एथिलट 0.0- डाइएथिल एस्टर, और थिओफास्फोरिक एस्टर (फास्फोरोथायोएट्स) और उनके लवण ; उनके हेलोजेनेटित, सल्फोनेटित, नाइट्रेटित या नाइट्रोसेटित व्युत्पन्न :		
2920 10 10	--- फास्फोरोथिओइक अम्ल, एस इ2-(डाइएथिलामिनो) एथिलट 0.0- डाइएथिल एस्टर	कि.ग्रा.	16%
2920 10 20	--- थिओफास्फोरिक एस्टर (फास्फोरोथायोएट्स) और उनके लवण ; उनके हेलोजेनेटित, सल्फोनेटित, नाइट्रेटित या नाइट्रोसेटित व्युत्पन्न	कि.ग्रा.	16%ङ

(ख) टैरिफ मद 2920 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	.-- अन्य :		
2920 90 41	---- ट्राईमिथाइल फास्फाइट	कि.ग्रा.	16%
2920 90 42	---- ट्राइएथिल फास्फाइट	कि.ग्रा.	16%
2920 90 43	---- डाइमेथाइल फास्फाइट	कि.ग्रा.	16%
2920 90 44	---- डाइएथिल फास्फाइट	कि.ग्रा.	16%
2920 90 45	---- ओ, ओ, डाइमेथाइल मेथाइल फास्फोनेट	कि.ग्रा.	16%
2920 90 47	---- (एमिनोइमिनो मेथाइल) यूरिया (1 : 1) के साथ फास्फोनिक अम्ल, मेथाइल यौगिक	कि.ग्रा.	16%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
2920 90 48	----	1-प्रोपेनेमिनियम एन,एन,एन-ट्राइमेथाइल-3- झ्1-ओ, एक्स ओ-9-आक्टाडेसेनाइल) एमिनोट-, (जेड)-मेथाइल मेथाइलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	16%
2920 90 51	----	फास्फोनिक अम्ल, झ्मेथाइल-बिस-(5-एथिल-2-मेथाइल -2-आक्सिडो-1, 3, 2-डाइओक्साफोस्फोरिनान-5- वाइ एल) मेथाइलट एस्टर	कि.ग्रा.	16%
2920 90 52	----	फास्फोनिक अम्ल, मेथाइल-(5-एथाइल-मेथाइल 2-आक्सोडो-1, 3, 2-डाइओक्साफोस्फोरियन- 5-वाई एल) मेथाइल एस्टर	कि.ग्रा.	16%
2920 90 53	----	फास्फोनिक अम्ल, प्रोपाइल-डाइमेथाइल एस्टर	कि.ग्रा.	16%
2920 90 54	----	फास्फोनस अम्ल, मेथाइल-डाइएथिल एस्टर	कि.ग्रा.	16%
2920 90 55	----	फास्फोनिक अम्ल, एथिल-	कि.ग्रा.	16%
2920 90 56	----	फास्फोनिक अम्ल, प्रोपाइल-	कि.ग्रा.	16%
2920 90 57	----	फास्फोनिक अम्ल, मेथाइल-	कि.ग्रा.	16%
2920 90 58	----	फास्फोनोक्लोराइडिक अम्ल, मेथाइल-, मेथाइल एस्टर	कि.ग्रा.	16%
2920 90 61	----	फास्फोनोथाइयोइक डाइक्लोराइड, एथिल-	कि.ग्रा.	16%
2920 90 62	----	फास्फोनिक अम्ल, मेथाइल-	कि.ग्रा.	16%
2920 90 63	----	फास्फोनिक अम्ल, मेथाइल-, डाइमेथाइल एस्टर	कि.ग्रा.	16%
2920 90 64	----	फास्फोनिक डाइक्लोराइड मेथाइल	कि.ग्रा.	16%
2920 90 65	----	फास्फोनस डाइक्लोराइड, मेथाइल	कि.ग्रा.	16%
2920 90 66	----	फास्फोनिक अम्ल, एथिल-, डाइएथिल एस्टर	कि.ग्रा.	16%
2920 90 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%उ

(=?) शीर्ष 2921 में, टैरिफ मद 2921 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :श्

.2921 19	--	अन्य :		
	---	2-क्लोरो एन,एन-डाइ-आइसोप्रोपिल एथाइलेमाइन और एथेनामाइन, 2-क्लोरो-एन, एन-डाइमेथाइल :		
2921 19 11	----	2-क्लोरो एन,एन-डाइ-आइसोप्रोपिल एथाइलेमाइन	कि.ग्रा.	16%
2921 19 14	----	एथेनामाइन, 2-क्लोरो-एन, एन-डाइमेथाइल	कि.ग्रा.	16%
2921 19 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%उ

(=??) शीर्ष 2922 में,श्

(क) टैरिफ मद 2922 11 00 और 2922 12 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :श्

.2922 11	--	मोनोएथनोलअमीन और उसके लवण :		
	---	2-हाइड्रोक्सी एन, एन-डाइआइसोप्रोपाइल एथाइलेमाइन, एन, एन-डाइएथाइल एमिनो एथिल क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड, डाइ-एथिल एमिनो एथेनोथायोल हाइड्रोक्लोराइड, डाइ-मेथाइल एमिनो एथिल क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड, डाइ-मेथाइल एमिनो एथोनोथयोल, डाइ-मेथाइल एमिनो एथेनेथायोल हाइड्रोक्लोराइड :		
2922 11 11	----	2-हाइड्रोक्सी एन, एन-डाइआइसोप्रोपाइल एथाइलेमाइन	कि.ग्रा.	16%
2922 11 12	----	एन, एन-डाइएथिल एमिनो एथिल क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	16%
2922 11 13	----	डाइएथिल एमिनो एथेनोथायोल हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	16%
2922 11 14	----	डाइमेथाइल एमिनो एथिल क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	16%
2922 11 15	----	डाइमेथाइल एमिनो एथोनोथयोल,	कि.ग्रा.	16%
2922 11 16	----	डाइमेथाइल एमिनो एथेनेथायोल हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	16%
2922 11 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%
2922 12	--	डाइथेनोलेमीन और उसके लवण :		
	---	एथिलडाइथेनोलेमीन और मेथाइलडाइथेनोलेमीन :		
2922 12 11	----	एथिलडाइथेनोलेमीन	कि.ग्रा.	16%
2922 12 12	----	मेथाइलडाइथेनोलेमीन	कि.ग्रा.	16%
2922 12 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%उ

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(ख) टैरिफ मद 2922 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

.2922 19	--	अन्य :		
2922 19 10	---	डाइएथिल एमिनो एथेनेथायोल	कि.ग्रा.	16%
2922 19 20	---	एथेनोल, 2- झबिस(1-मिथाइलएथिल)एमिनोट-	कि.ग्रा.	16%
2922 19 30	---	एथेनोथायोल, 2-(डाइएथिलएमिनो)-	कि.ग्रा.	16%
2922 19 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%ु

(=???) शीर्ष 2930 में, टैरिफ मद 2930 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	.--	अन्य :		
2930 90 91	----	एथेनोल, 2,2'–थाइओबिस-	कि.ग्रा.	16%
2930 90 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%ु ;

(?!) शीर्ष 2933 में, टैरिफ मद 2933 39 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

.2933 39 30	---	1-एजेबाइसाइक्लो (2.2.2.) आक्टेन-3-ओ एल	कि.ग्रा.	16%ु ;

(!) शीर्ष 2939 में, टैरिफ मद 2939 29 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

.2939 29	--	अन्य :		
2939 29 10	---	बेंजीनएसिटिक अम्ल, अल्फा-हाइड्रोक्सी-अल्फाफेनाइल, 1- एडेबाइसाइक्लो झ 2.2.2.ट ओक्ट - 3-वाई एल एस्टर	कि.ग्रा.	16%
2939 29 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%ु।

(8) अध्याय 32 में, टिप्पण 7 के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

स्7. टैरिफ मद 3204 19 81, 3204 19 82, 3204 19 83, 3204 19 84, 3204 19 85, 3204 19 86, 3204 19 87, 3204 19 88, 3204 19 89, 3204 19 90 के उत्पादों और शीर्ष 3206 के उत्पादों के संबंध में आधानों के लेबल लगाने, पुनःलेबल लगाने और प्रपुंज पैकों से फुटकर पैकों में पुनः पैक करने या उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणन योग्य बनाने के लिए किसी अन्य अभिक्रिया को अपनाया जाना .विनिर्माणु की कोटि में आएगा ।";

(9) अध्याय 39 में, टिप्पण 15 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

.16. शीर्ष 3920 और 3921 के उत्पादों के संबंध में, धात्वीकरण की प्रक्रिया .विनिर्माणु की कोटि में आएगी ।ु ;

(10) अध्याय 50 में, टैरिफ मद 5004 00 90, 5005 00 21, 5005 00 22, 5006 00 31, 5006 00 32, 5006 00 33 और 5006 00 39 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 51 में, शीर्ष 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112 और 5113 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(12) अध्याय 52 में, शीर्ष 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211 और 5212 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(13) अध्याय 53 में,–

(?) शीर्ष 5302 और 5304 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(??) शीर्ष 5305 की सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 5305 90 10 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(???) शीर्ष 5306 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(?=) टैरिफ मद 5308 20 00, 5308 90 10 और 5308 90 90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(=) शीर्ष 5309, 5310 और 5311 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 54 में,–

(?) शीर्ष 5401 और 5404 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(??) टैरिफ मद 5405 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(???) शीर्ष 5407 और 5408 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 55 में, शीर्ष 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515 और 5516 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 56 में, सभी टैरिफ मद (टैरिफ मद 5601 10 00, 5601 22 00, 5607 10 10, 5607 10 90, 5608 11 10 और 5608 11 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ु प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 57 में, सभी टैरिफ मद के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ऱ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(18) अध्याय 58 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 5804 30 00, 5805 00 10, 5805 00 20, 5805 00 90, 5807 10 10, 5807 10 20, 5807 10 90, 5807 90 10 और 5807 90 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ऱ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(19) अध्याय 59 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 5902 10 10 और 5902 10 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ऱ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(20) अध्याय 60 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ऱ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(21) अध्याय 61 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ऱ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(22) अध्याय 62 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ऱ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(23) अध्याय 63 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 6309 00 00, 6310 10 10, 6310 10 20, 6310 10 30, 6310 10 90, 6310 90 10, 6310 90 20, 6310 90 30, 6310 90 40 और 6310 90 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ऱ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(24) अध्याय 72 में, टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ः—

रू4. इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में, किसी शलाका, छड़, तारछड़, गोल शलाका या वैसी ही किसी समान वस्तु को चमकीली शलाका में तैयार करने या पुनः तैयार करने की प्रक्रिया .विनिर्माणऱ की कोटि में आएगी ।";

(25) अध्याय 73 में, टिप्पण 5 में, .7304 और 7305ऱ अंकों और शब्द के स्थान पर, .7304, 7305 और 7306ऱ अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(26) अध्याय 85 में, टैरिफ मद 8524 31 11, 8524 31 19, 8524 40 11, 8524 40 19, 8524 91 11, 8524 91 12, 8524 91 13 और 8524 91 19 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .8%ऱ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(27) अध्याय 87 में,—

(?) टैरिफ मद 8702 10 11, 8702 10 12, 8702 10 19, 8702 90 11, 8702 90 12, 8702 90 13 और 8702 90 19 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .24%ऱ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(??) शीर्ष 8703 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .24%ऱ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(???) टैरिफ मद 8704 10 90, 8704 31 10, 8704 31 90, 8704 32 11, 8704 32 19, 8704 32 90, 8704 90 11, 8704 90 12, 8704 90 19 और 8704 90 90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .24%ऱ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(?=) टैरिफ मद 8706 00 21 और 8706 00 39 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .24%ऱ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(=) टैरिफ मद 8706 00 43 और 8706 00 49 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर .24% + 10,000 रु0 प्रति चेसिसऱ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ

[vÉÉ®É 66(JÉ) nÉJÉA]

]É®{ÉE àÉn		àÉÉãÉ BÉEÉ ´ÉhÉïxÉ	<BÉEÉ<	¶ÉÖãBÉE BÉEÉ n®
(1)		(2)	(3)	(4)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में, ः

(1) अध्याय 1 के शीर्ष 0105 में, टैरिफ मद 0105 92 00 और 0105 93 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः

.0105 94 00	--	गैलस डोमोस्टिक्स जाति के मुर्गे	इ0ङ	

(2) अध्याय 2 में,ः

(?) शीर्ष 0208 में, टैरिफ मद 0208 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 0210 में, टैरिफ मद 0210 20 00 के पश्चात् आने वाली स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, .मांस और मांस अवशिष्टङ शब्दों के स्थान पर, .मांस या मांस अवशिष्टङ शब्द रखे जाएंगे ;

(3) अध्याय 3 में,ः

(?) शीर्ष 0301 में, टैरिफ मद 0301 93 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्मिलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :ः

.0301 94 00	--	ब्लूफिन टूनास (थुन्नुस थाईनस)	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0301 95 00	--	दक्षिणी ब्लूफिन टूनास (थुन्नुस मैकोई)	कि.ग्रा.	कुछ नहींङ

(??) शीर्ष 0302 में, टैरिफ मद 0302 66 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्मिलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :ः

.0302 67 00	--	स्वोर्डफिस (जिफियास ग्लैडियस)	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0302 68 00	--	टूथफिस (डिसोसटिकस स्प)	कि.ग्रा.	कुछ नहींङ

(???) शीर्ष 0303 में, टैरिफ मद 0303 50 00 और 0303 60 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्मिलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः

	.-	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पालासी) और कोड (गैडस मॉरथुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस), जिनके अंतर्गत यकृत और मिनांडक नहीं है		
0303 51 00	--	हेरिंग्स (क्लूपिया हैरंगस, क्लूपिया पालासी)	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0303 52 00	--	कोड (गैडस मॉरथुआ, गैडस ओगैक, गैडस मैक्रोसैफालस)	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
	-	स्वोर्डफिस (जिफियास ग्लैडियस) और टूथफिस (डिसोसटिकस स्प), जिनके अंतर्गत यकृत और मिनांडक नहीं है		
0303 61 00	--	स्वोर्डफिस (जिफियास ग्लैडियस)	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0303 62 00	--	टूथफिस (डिसोसटिकस स्प)	कि.ग्रा.	कुछ नहींङ

(?=) शीर्ष 0304 में, टैरिफ मद 0304 10 00, उपशीर्ष 0304 20, टैरिफ मद 0304 20 10 से 0304 90 00 तक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्मिलिखित उपशीर्ष और टैरिफ मद तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः

	.-	ताजा या द्रुतशीतितः		
0304 11 00	--	स्वोर्डफिस (जिफियास ग्लैडियस)	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0304 12 00	--	टूथफिस (डिसोसटिकस स्प)	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0304 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
	-	हिमशीतित कतले :		
0304 21 00	--	स्वोर्डफिस (जिफियास ग्लैडियस)	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0304 22 00	--	टूथफिस (डिसोसटिकस स्प)	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0304 29	--	अन्यः		
0304 29 10	---	हिल्सा	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0304 29 20	---	शार्क	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0304 29 30	---	सियर	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0304 29 40	---	टूना	कि.ग्रा.	कुछ नहीं

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
0304 29 50	---	कटल फिस	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0304 29 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
	-	अन्य :		
0304 91 00	--	स्वोर्डफिस (जिफियास ग्लैडियस)	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0304 92 00	--	टूथफिस (डिसोसटिकस स्प)	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0304 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहींङ

(4) अध्याय 4 में,%

(?) हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ;

(??) टैरिफ मद 0406 40 00 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :%

.- नीली-शीरामय पनीर और पेनिसिलीन रोकफोर्टी द्वारा उत्पादित शीराओं वाला अन्य पनीरङ

(5) अध्याय 5,%

(?) टैरिफ मद 0503 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 0509, उपशीर्ष 0509 00, टैरिफ मद 0509 00 10 और 0509 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(6) अध्याय 6 के शीर्ष 0603 में टैरिफ मद 0603 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

	.-	ताजा :	
0603 11 00	--	गुलाब	कि.ग्रा.
0603 12 00	--	पर्णसमूह	कि.ग्रा.
0603 13 00	--	ओरचिडस	कि.ग्रा.
0603 14 00	--	गुलदाऊदी	कि.ग्रा.
0603 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.ङ

(7) अध्याय 7,%

(?) शीर्ष 0709 में, टैरिफ मद 0709 10 00 और 0709 52 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 0711 में, टैरिफ मद 0711 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(8) अध्याय 8 में,%

(?) टिप्पण 3 के खंड (क) और खंड (ख) में .अर्थात्ङ शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, .उदाहरणार्थङ शब्द रखा जाएगा ;

(??) शीर्ष 0802 में टैरिफ मद 0802 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

.0802 60 00	-	माकाडामिया नट्स	कि.ग्रा.	कुछ नहींङ

(???) शीर्ष 0805 में, टैरिफ मद 0805 40 00 में स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर .अंगूर फल, जिसके अंतर्गत पोमेलोस भी हैङ प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(?=) शीर्ष 0810 में, टैरिफ मद 0810 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(9) अध्याय 9 में,%

(?) शीर्ष 0906 में, उपशीर्ष 0906 10, टैरिफ मद 0906 10 10 से 0906 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

	.-	जो संदलित या दलित नहीं हैं		
0906 11	--	दालचीनी (सीनामोमम जेलानिकम ब्लूम):		
0906 11 10	---	दालचीनी छाल	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0906 11 20	---	दालचीनी वृक्ष पुख्य	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0906 11 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0906 19	--	अन्य :		
0906 19 10	---	कैसिया	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
0906 19 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहींङ

(??) शीर्ष 0910, उपशीर्ष 0910 40, टैरिफ मद 0910 40 10 से 0910 50 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(10) अध्याय 10 के टिप्पण 1 में .(क)ङ और .(ख)ङ कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, .(अ)ङ और .(आ)ङ कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(11) अध्याय 11 के शीर्ष 1102 में, टैरिफ मद 1102 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(12) अध्याय 12 में,ः

(?) शीर्ष 1207 में,ः

(क) उपशीर्ष 1207 10, टैरिफ मद 1207 10 10 और 1207 10 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 1207 30, टैरिफ मद 1207 30 10 और 1207 30 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपशीर्ष 1207 60, टैरिफ मद 1207 60 10 और 1207 60 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 1209 में, टैरिफ मद 1209 26 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 1211 में, टैरिफ मद 1211 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ष 1212 में,ः

(क) उपशीर्ष 1212 10, टैरिफ मद 1212 10 10 और 1212 10 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 1212 30, टैरिफ मद 1212 30 10 और 1212 30 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(13) अध्याय 13 में,ः

(?) शीर्ष 1301 में,ः

(क) उपशीर्ष 1301 10, टैरिफ मद 1301 10 10 से 1301 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 1301 90 49 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :ः

	.--- अन्य :		
1301 90 99	---- अन्य	कि.ग्रा.	16%ङ

(??) शीर्ष 1302 में, टैरिफ मद 1302 14 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(14) अध्याय 14 में,ः

(?) टिप्पण 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :ः

.3. शीर्ष 1404 काष्ठ ऊन (शीर्ष 4405) और झाडु या ब्रुश (शीर्ष 9603) बनाने के लिए निर्मित गांठों या गुच्छों को लागू नहीं होता है ।ङ

(??) टैरिफ मद 1402 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 1403, उपशीर्ष 1403 00, टैरिफ मद 1403 00 10 और 1403 00 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ष 1404, उपशीर्ष 1404 10, टैरिफ मद 1404 10 11 से 1404 10 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(15) अध्याय 15 के शीर्ष 1515 में, टैरिफ मद 1515 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(16) अध्याय 19 में, टिप्पण 3 में, .विलेपितङ शब्द के स्थान पर, .पूर्णतः विलेपितङ शब्द रखे जाएंगे ;

(17) अध्याय 20 में,ः

(?) टिप्पण 1 में,ः

(क) खंड (ख) में, अंत में आने वाले .याङ शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :ः

.(ग) शीर्ष 1905 के बेकर के बर्तन और अन्य उत्पाद ; या

(घ) शीर्ष 2104 की समांगीकृत सम्मिश्रित खाद्य निर्मितियां ।ङ

(??) शीर्ष 2005 में, टैरिफ मद 2005 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः

	.- अन्य वनस्पतियां और वनस्पतियों का मिश्रण :		
2005 91 00	-- बांस की कोंपलें	कि.ग्रा.	16%
2005 99 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	16%ङ

(???) शीर्ष 2009 में, टैरिफ मद 2009 19 00 के पश्चात् स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :ः

.-अंगूर फल (जिसके अंतर्गत पोमेलो भी है) रस :ङ

(18) अध्याय 22 में, टिप्पण 1 के खंड (ग) में, .शीर्ष 2851ङ शब्द और अंकों के स्थान पर, .शीर्ष 2853ङ शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)

(19) अध्याय 23 में,%

(?) शीर्ष 2302 में, उपशीर्ष 2302 20, टैरिफ मद 2302 20 10 से 2302 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 2306 में, टैरिफ मद 2306 70 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(20) अध्याय 25 में,%

(?) शीर्ष 2506 में टैरिफ मद 2506 10 20, उपशीर्ष 2506 21, टैरिफ मद 2506 21 10 से 2506 29 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और उनसे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

.2506 10 20	---	चूर्ण में	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2506 20	-	क्वार्टजाइट :		
2506 20 10	---	ढेलों में	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2506 20 20	---	चूर्ण में	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2506 20 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहीं3

(??) शीर्ष 2508 में, उपशीर्ष 2508 20 टैरिफ मद 2508 20 10 और 2508 20 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 2513 में टैरिफ मद 2513 11 00 और 2513 19 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, टैरिफ मद और उनसे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

.2513		झांवा पत्थर ; रेगमार ; प्राकृतिक कुरूविद, प्राकृतिक गार्नेट और अन्य प्राकृतिक अपघर्षी, चाहे उष्मा उपचारित हो या नहीं		
2513 10 00	-	झांवा पत्थर	कि.ग्रा.	कुछ नहीं3

(?=) शीर्ष 2516 में टैरिफ मद 2516 12 00 से 2516 22 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और उनसे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

.2516 12 00	--	आरी द्वारा चीरकर या अन्यथा आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) आकार के ब्लाकों या सिल्लियों में मात्र कर्तित	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2516 20 00	-	बालुकाश्म	कि.ग्रा.	कुछ नहीं3

(=) शीर्ष 2524 में, उपशीर्ष 2524 00, टैरिफ मद 2524 00 11 से 2524 00 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

.2524 10 00	-	क्रोसिडोलाइट	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2524 90	-	अन्य :		
	---	चट्टान रूप में :		
2524 90 11	----	क्राइसोटाइल	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2524 90 12	----	एम्फीबोल	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2524 90 13	----	क्राइसोलाइट	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2524 90 14	----	एमोसाइट	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2524 90 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
	---	कच्चे फाइबर, लंबाई में तोड़े गए या धोए गए या श्रेणीकृत :		
2524 90 21	----	क्राइसोटाइल	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2524 90 22	----	एम्फीबोल	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2524 90 23	----	क्राइसोलाइट	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2524 90 24	----	एमोसाइट	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2524 90 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
	---	टुकड़े या चूर्णः		
2524 90 31	----	क्राइसोटाइल	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2524 90 32	----	एम्फीबोल	कि.ग्रा.	कुछ नहीं

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
2524 90 33	---- क्राइसोलाइट	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2524 90 34	---- एमोसाइट	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2524 90 39	---- अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
	--- अन्य :		
2524 90 91	---- अपशिष्ट	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2524 90 99	---- अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहींु

(=?) शीर्ष 2529 में,ॐ

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, .फेलस्पारु शब्द के स्थान पर, .फेल्डस्पारु शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 2529 10 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, .फेलस्पारु शब्द के स्थान पर, .फेल्डस्पारु शब्द रखा जाएगा ;

(21) अध्याय 26 में,ॐ

(?) टिप्पण 3 में, .भस्मु शब्द के स्थान पर जहां-जहां वह आता है, .धातुमल, भस्मु शब्द रखे जाएंगे ;

(??) उपशीर्ष के टिप्पण 2 में, .भस्मु शब्द के स्थान पर, .धातुमल, भस्मु शब्द रखे जाएंगे ;

(???) शीर्ष 2620 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, .भस्मु शब्द के स्थान पर, .धातुमल, भस्मु शब्द रखे जाएंगे ;

(22) अध्याय 27 में,ॐ

(?) उपशीर्ष टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :ॐ

स्3. टैरिफ मद 2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00 और 2707 40 00 के प्रयोजनों के लिए .बेंजोल बेंजीन)ु .टोलूओल (टोलून)ु .जाइलोल (जाइलीन)ु और .नेपथलीनु शब्द उन उत्पादों को लागू होते हैं जिनमें क्रमशः बेंजीन, टोलून, जाइलीन या नेपथलीन भार के आधार पर 50% से अधिक है ।-;

(??) शीर्ष 2707 में टैरिफ मद 2707 60 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(23) अनुभाग 6 के टिप्पण 1 में,ॐ

(?) पैरा (क) में, .(क)ु कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर .(अ)ु शब्द रखा जाएगा ;

(??) पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :ॐ

.(आ) पैरा (अ) के अधीन रहते हुए शीर्ष 2843, 2846 या 2852 में वर्णन के माल को उन शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है और न कि इस धारा के अन्य शीर्ष में ।ु

(24) अध्याय 28 में,ॐ

(?) टिप्पण 2 में,ॐ

(क) .अकार्बनिक आधार (शीर्ष 2838), शीर्ष 2843 से 2846 में सम्मिलित कार्बनिक उत्पादु शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, .अकार्बनिक आधार (शीर्ष 2842), शीर्ष 2843 से 2846 और 2852 में सम्मिलित कार्बनिक उत्पादु शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ङ) में, .शीर्ष 2851ु शब्द और अकों के स्थान पर, .शीर्ष 2853ु शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(??) शीर्ष 2811, टैरिफ मद 2811 23 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 2824, टैरिफ मद 2824 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ष 2826 में,ॐ

(क) उपशीर्ष 2826 11, टैरिफ मद 2826 11 10 और 2826 11 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 2826 20, टैरिफ मद 2826 20 10 और 2826 20 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ष 2827, टैरिफ मद 2827 33 00, 2827 34 00 और 2827 36 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) शीर्ष 2830, टैरिफ मद 2830 20 00 और 2830 30 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=??) शीर्ष 2833 में,ॐ

(क) टैरिफ मद 2833 23 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 2833 26, टैरिफ मद 2833 26 10 और 2833 26 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=???) शीर्ष 2835, टैरिफ मद 2835 23 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?!) शीर्ष 2836, टैरिफ मद 2836 10 00 और 2836 70 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!) शीर्ष 2838, उपशीर्ष 2838 00 टैरिफ मद 2838 00 10 से 2838 00 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(!?) शीर्ख़ 2839, टैरिफ मद 2839 20 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!??) शीर्ख़ 2841, उपशीर्ख़ 2841 10 टैरिफ मद 2841 10 10, 2841 10 90, उपशीर्ख़ 2841 20 टैरिफ मद 2841 20 10 और 2841 20 20 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!???) शीर्ख़ 2851, उपशीर्ख़ 2851 00 टैरिफ मद 2851 00 10 से 2851 00 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ख़, उपशीर्ख़ और टैरिफ मद तथा प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :๕

.2852 00 00		यौगिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, पारद का, जिसके अंतर्गत अमलगम नहीं हैं	कि.ग्रा.	16%
2853		अन्य अकार्बनिक यौगिक (जिसके अंतर्गत आसुत या चालकता जल और उसी शुद्धता का जल भी है); द्रव्य वायु (चाहे उसमें से दुर्लभ गैसें निकाल दी गई हों या नहीं); संपीडित वायु; अमलगम, बहुमूल्य धातु के अमलगम से भिन्न		
2853 00	-	अन्य अकार्बनिक यौगिक (जिसके अंतर्गत आसुत या चालकता जल और उसी शुद्धता का जल भी है) ; द्रव्य वायु (चाहे उसमें से दुर्लभ गैसें निकाल दी गई हों या नहीं); संपीडित वायु ; अमलगम, बहुमूल्य धातु के अमलगम से भिन्न :		
2853 00 10	---	आसुत या चालकता जल और उसी शुद्धता का जल	कि.ग्रा.	16%
2853 00 20	---	द्रव्य वायु, चाहे उसमें से दुर्लभ गैसों का भाग निकाल दिया गया हो या नहीं	कि.ग्रा.	16%
2853 00 30	---	संपीडित वायु	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2853 00 40	---	अमलगम, बहुमूल्य धातु के अमलगम से भिन्न	कि.ग्रा.	16%
	---	अन्य		
2853 00 91	----	साएनोजन क्लोराइड इ(सीएन) सीआईट	कि.ग्रा.	16%
2853 00 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%ऊ

(25) अध्याय 29 में,๕

(?) टिप्पण 5 में,๕

(क) .(क)ऊ .(ख)ऊ .(ग)ऊ .(घ)ऊ और .(ङ)ऊ कोख़्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, क्रमशः .(अ)ऊ .(आ)ऊ .(इ)ऊ .(ई)ऊ और .(उ)ऊ कोख़्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) इस प्रकार पुनःअक्षरांकित पैरा (इ) में,๕

(अ) .(अ)ऊ और .(आ)ऊ कोख़्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, क्रमशः .(1)ऊ और .(2)ऊ कोख़्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :๕

रू(3) उप अध्याय 11 या शीर्ख़ 2941 में वर्गीकृत उत्पादों से भिन्न समन्वय यौगिकों को उस शीर्ख़क में वर्गीकृत किया जाना है जिसमें वे अध्याय 29 में संख्याक्रम में अंत में आते हैं जो धातु कार्बन बंधों से भिन्न सभी धातुबंधों के .विदारनऊ द्वारा रचित भाग के समुचित हैं ।๛ ;

(??) टिप्पण 6 में, .पारदऊ शब्द का लोप किया जाएगा ;

(???) उपशीर्ख़ टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़ टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :๕

.उपशीर्ख़ टिप्पण :

1. इस अध्याय के किसी एक शीर्ख़ के अंतर्गत आने वाले किसी रासायनिक यौगिक के व्युत्पन्नों (या रासायनिक यौगिकों का समूह) उसी उपशीर्ख़ में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें यौगिक (या यौगिकों का समूह) किया गया है परन्तु यह तब जब कि वे किसी अन्य उपशीर्ख़ के अंतर्गत किसी विशिख़्ट रूप से नहीं आते हैं और यह कि संबंधित उपशीर्ख़ों की श्रृंखला में अन्य नाम से किसी अवशिख़्ट उपशीर्ख़ को नामित नहीं किया गया है ।

2. इस अध्याय का टिप्पण 3 इस अध्याय के उपशीर्ख़ों को लागू नहीं होगा ।ऊ

(?=) शीर्ख़ 2903 में,๕

(क) टैरिफ मद 2903 15 00 में स्तंभ (2) में की प्रविख़्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविख़्टि रखी जाएगी, अर्थात् :๕

.-- एथिलीन डाइक्लोराइड (आईएसओ) (1, 2-डाइक्लोरोथेन)ऊ ;

(ख) उपशीर्ख़ 2903 30, टैरिफ मद 2903 30 11 से 2903 30 30 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :๕

	रू-	फ्लूरीनेटित, ब्रोमिनेटित या आयोडिनेटित, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न :		
2903 31 00	--	एथिलीन डाइब्रोमाईड (आईएसओ) (1, 2-डाइब्रोमोइथेन)	कि.ग्रा.	16%
2903 39	--	अन्य :		
	---	फ्लूरीनेटित व्युत्पन्न :		

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
2903 39 11	---- 1-प्रोपेन,1,1,3,3,3 पेंटाफ्लूरो - 2 -(ट्राइफ्लूरोमेथिल) (पीएफआईबी)	कि.ग्रा.	16%
2903 39 19	---- अन्य	कि.ग्रा.	16%
2903 39 20	--- ब्रोमिनेटित व्युत्पन्न	कि.ग्रा.	16%
2903 39 30	--- आयोडिनेटित व्युत्पन्न	कि.ग्रा.	16%
2903 39 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	16%”;

(ग) टैरिफ मद 2903 51 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद रखी जाएंगी, अर्थात् :-

.2903 51 00	-- 1,2,3,4,5,6-हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन झ्एचसीएच (आईएसओ)ट, जिसके अंतर्गत लिंडेन (आईएसओ,आई एनएन) भी है	कि.ग्रा.	16%
2903 52 00	-- एल्ड्रीन(आईएसओ), क्लोरडेन (आईएसओ) और हेप्टाक्लोर (आईएसओ)	कि.ग्रा.	16%”;

(घ) उपशीर्ष 2903 62, टैरिफ मद 2903 62 10 से 2903 62 29 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

.2903 62	-- हेक्साक्लोरोबेंजीन(आईएसओ) और डीडीटी(आईएसओ) झ्क्लोफेनोटेन (आईएनएन)ट1,1,1-ट्राईक्लोरो-2, 2-बिस (पी-क्लोरोफिनाइल)इथेन) :		
2903 62 10	--- हेक्साक्लोरोबेंजीन(आईएसओ)	कि.ग्रा.	16%
	--- डीडीटी(आईएसओ) झ्क्लोफेनोटेन(आईएनएन)ट 1,1,1-ट्राईक्लोरो-2, 2-बिस (पी-क्लोरोफिनाइल)इथेन) :		
2903 62 21	---- डीडीटी- तकनीकी 75 डब्ल्यूडीपी	कि.ग्रा.	16%
2903 62 29	---- अन्य	कि.ग्रा.	16%”;

(=) शीर्ष 2905 में, टैरिफ मद 2905 15 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) शीर्ष 2906 में, टैरिफ मद 2906 14 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=??) शीर्ष 2907 में, टैरिफ मद 2907 14 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=???) शीर्ष 2908 में, टैरिफ मद 2908 10 00, उपशीर्ष 2908 20, टैरिफ मद 2908 20 10 से 2908 20 29, उपशीर्ष 2908 90, टैरिफ मद 2908 90 10 से 2908 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

	.- व्युत्पन्न जिनमें केवल हेलोजन प्रतिस्थापी हैं और उनके लवण		
2908 11 00	-- पेंटाक्लोरोफिनोल (आईएसओ)	कि.ग्रा.	16%
2908 19 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	16%
	- अन्य :		
2908 91 00	-- डाइनोसेब (आइएसओ)और उसके लवण	कि.ग्रा.	16%
2908 99	-- अन्य :		
2908 99 10	--- पैरा नाइट्रोफिनोल	कि.ग्रा.	16%
2908 99 20	--- मस्क जाइलोल	कि.ग्रा.	16%
2908 99 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	16%”;

(?!) शीर्ष 2909 में, टैरिफ मद 2909 42 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!) शीर्ष 2910 में, टैरिफ मद 2910 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

.2910 40 00	- डाइलेड्रिन (आई.एस.ओ., आई.एन.एन.)	कि.ग्रा.	16%”;

(!?) शीर्ष 2912 में, टैरिफ मद 2912 13 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!??) शीर्ष 2915 में,-

(क) टैरिफ मद 2915 22 00 और 2915 23 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 2915 34 00 और 2915 35 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

.2915 36 00	-- डाइनोसेव (आई.एस.ओ.) एसिटेट	कि.ग्रा.	16%”;

(!???) शीर्ष 2916 में, टैरिफ मद 2916 35 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

.2916 36 00	-- बिनापाक्राइल (आई.एस.ओ.)	कि.ग्रा.	16%”;

(!?=) शीर्ष 2917 में, टैरिफ मद 2917 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(!=) शीर्ष 2918 में,–

(क) टैरिफ मद 2918 16 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

.2918 18 00	--	क्लोरोबेन्जिलेट (आई.एस.ओ.)	कि.ग्रा.	16%

(ख) टैरिफ मद 2918 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

	.-	अन्य :		
2918 91 00	--	2,4,5-टी (आई.एस.ओ.) (2, 4 5- ट्रिक्लोरोफेनौक्सीएसेटिक)	कि.ग्रा.	16%
2918 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	16%

(!=?) शीर्ष 2919 में, उपशीर्ष 2919 00 में, टैरिफ मद 2919 00 10 से टैरिफ मद 2919 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

.2919		फास्फोरिक एस्टर और उनके लवण, जिनमें लैक्टोफास्फेट हैं ; उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनिकृत, नाइट्रेटिकृत या नाइट्रोसेटीकृत व्युत्पन्न		
2919 10 00	-	ट्रिस (2, 3 डाइब्रोमोप्रोपायल) फास्फेट	कि.ग्रा.	16%
2919 90	-	अन्य :		
2919 90 10	---	ग्लीसरोफासफोरिक अम्ल	कि.ग्रा.	16%
2919 90 20	---	कैल्शियम ग्लीसरोफासफेट	कि.ग्रा.	16%
2919 90 30	---	लौह ग्लीसरोफासफेट	कि.ग्रा.	16%
2919 90 40	---	सोडियम ग्लीसरोफासफेट	कि.ग्रा.	16%
2919 90 50	---	ट्राइकीसिल फासफेट	कि.ग्रा.	16%
2919 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%

(!=??) शीर्ष 2920 में, टैरिफ मद 2920 10 10 और 2920 10 20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

.2920		अधातु के अन्य अकार्बनिक अम्लों के एस्टर (जिनके अंतर्गत हाइड्रोजन हैलाइड के एस्टर नहीं हैं) और उनके लवण; उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनिकृत, नाइट्रेटिकृत या नाइट्रोसेटिकृत व्युत्पन्न		
	-	थायोफास्फोरिक एस्टर (फास्फोरोथायोएट्स) और उनके लवण ; उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनिकृत, नाइट्रेटिकृत या नाइट्रोसेटिकृत व्युत्पन्न :		
2920 11 00	--	पैराथिओन (आई.एस.ओ.) और पैराथिओन-मिथाइल (आई.एस.ओ.) (मिथाइलपैराथिओन)	कि.ग्रा.	16%
2920 19	--	अन्य :		
2920 19 10	---	फास्फोरोथायोएट्स अम्ल, एस इ2 - डाइएथिल अमीन) एथिलट ओ,ओ-डाइएथिल एस्टर	कि.ग्रा.	16%
2920 19 20	---	थायोफास्फोरिक एस्टर (फास्फोरोथायोएट्स) और उनके लवण ; उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनिकृत, नाइट्रेटिकृत या नाइट्रासेटिकृत व्युत्पन्न	कि.ग्रा.	16%
2920 19 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%

(!=???) शीर्ष 2921 में, टैरिफ मद 2921 12 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!?!) शीर्ष 2922 में, उपशीर्ष 2922 22 में, टैरिफ मद 2922 22 10 से 2922 22 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!!) शीर्ष 2924 में, टैरिफ मद 2924 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

.2924 12 00	--	फ्ल्यूरोठएसेटामाइड (आई.एस.ओ.), मोनोक्रोटोफोस (आई.एस.ओ.) और फासफामिडल (आई.एस.ओ)	कि.ग्रा.	16%

(!!?) शीर्ष 2925 में, उपशीर्ष 2925 20 में, टैरिफ मद 2925 20 10 और 2925 20 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरि मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

	.-	इमाइन और उनके व्युत्पन्न ; उनके लवण		
2925 21 00	--	क्लोरडाइमेफार्म (आई.एस.ओ.)	कि.ग्रा.	16%
2925 29	--	अन्य :		
2925 29 10	---	ग्वानिडीन नाइट्रेट	कि.ग्रा.	16%
2925 29 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(!!??) शीर्ष 2930 में,–

(क) टैरिफ मद 2930 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 2930 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

.2930 50 00	-	कैप्टाफोल (आई.एस.ओ.) और मेथामिडोफोस (आई.एस.ओ.)	कि.ग्रा.	16%”

(!!???) शीर्ष 2936 में, टैरिफ मद 2936 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!!?=) शीर्ष 2939 में, टैरिफ मद 2939 19 00, उपशीर्ष 2939.21, टैरिफ मद 2939 21 10 से 2939 29 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

.2939 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	16%
2939 20	-	सिनकना के एलकेलाइड और उनके व्युत्पन्न, उनके लवणः		
2939 20 10	---	कुनैन एलकेलाइड	कि.ग्रा.	16%
2939 20 20	---	कुनैन हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	16%
2939 20 30	---	कुनैन सल्फेट	कि.ग्रा.	16%
2939 20 40	---	क्लोरोक्वीन फास्फेट	कि.ग्रा.	16%
2939 20 50	---	बेन्जेनिएसेटिक अम्ल, अल्फा, हाइड्रौक्सी-अल्फा-फिनाइल, 1-अजाबाइसाइक्लो इ2.2.2.ट आक्ट-3-वाई.एल. एस्टर	कि.ग्रा.	16%
2939 20 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%”

(26) अध्याय 30 में,–

(?) टिप्पण 4 में,–

(क) खंड (क) में .सीवन सामग्री” शब्दों के स्थान पर, .सीवन सामग्री (जिसके अंतर्गत निर्जीवाणु अवशोष्य शल्य सीवन सामग्री या सूत) भी है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ग) में, .रक्त स्तंभक” शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

.निर्जीवाणु शल्य सीवन या तंत्र आसंजन रोक, चाहे अवशोष्य हो या नहीं ;”

(ग) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

.(ट) आस्टामी प्रयोग अर्थात् कालोस्टोमी, इलियोस्टोमी और यूनोस्टोमी पाउचों में काटे जाने के लिए पहचाने जाने वाले साधित्र और उनके आसंजक पटलिका और मुख पट्टिका ।”

(??) शीर्ष 3001 में उपशीर्ष 3001 10 की टैरिफ मद 3001 10 10 से 3001 10 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 3004 में, टैरिफ मद 3004 32 00 में, स्तंभ (2) में .और” शब्द के स्थान पर, .या” शब्द रखा जाएगा ;

(?=) शीर्ष 3006 में,–

(क) उपशीर्ष 3006 10, टैरिफ मद 3006 10 10 और 3006 10 20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

.3006 10	-	निर्जीवाणु शल्य चिकित्सीय बिडाल दंत, वैसी ही निर्जीवाणु शल्य सीवन सामग्री (जिसके अंतर्गत निर्जीवाणु अवशोष्य शल्य चिकित्सीय या दंत सूत भी है) और निर्जीवाणु उत्तक आसंजक चिकित्सीय घाव बंद करने के लिए; निर्जीवाणु लेमिनेरिया और निर्जीवाणु लेमिनेरिया टेन्ट ; निर्जीवाणु अवशोष्य शल्य चिकित्सीय या दंत रक्त स्तंभक; निर्जीवाणु शल्य चिकित्सीय या दंत आसंजन रोक, चाहे अवशोष्य हों या नहीं :		
3006 10 10	---	निर्जीवाणु, चिकित्सीय बिडाल दंत और वैसी ही निर्जीवाणु शल्य सीवन सामग्री, (जिसके अंतर्गत निर्जीवाणु अवशोष्य शल्य क्रिया या दंत सूत भी है) और घाव बंद करने के लिए निर्जीवाणु उत्तक आसंजक	कि.ग्रा.	16%
3006 10 20	---	निर्जीवाणु लेमिनेरिया और निर्जीवाणु लेमिनेरिया टेन्ट, निर्जीवाणु अवशोष्य चिकित्सीय या दंत रक्त स्तंभक, निर्जीवाणु चिकित्सीय या दंत आसंजन रोक, चाहे अवशोष्य हो या नहीं	कि.ग्रा.	16%”

(ख) टैरिफ मद 3006 80 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

	.-	अन्य :		
3006 91 00	--	ओसटोमी प्रयोग के लिए पहचाने जाने वाले साधित्र	कि.ग्रा.	16%
3006 92 00	--	अपशिष्ट भेषजी	कि.ग्रा.	16%”

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)

(27) अध्याय 31 में,ॐ

(?) टिप्पण 1 में के खंड (ख) में, .(अ)ङ्क कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कही वे आते हैं, .(क)ङ्क कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(??) टिप्पण 2 में, .(अ)ङ्क .(आ)ङ्क .(इ)ङ्क और .(ई)ङ्क कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः .(क)ङ्क .(ख)ङ्क .(ग)ङ्क और .(घ)ङ्क कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(???) टिप्पण 3 में, .(अ)ङ्क .(आ)ङ्क और .(इ)ङ्क कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः .(क)ङ्क .(ख)ङ्क और .(ग)ङ्क कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(?=) टिप्पण 4 में, .(अ)ङ्क और .(आ)ङ्क कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः .(क)ङ्क और .(ख)ङ्क कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(=) शीर्ष 3102 में, टैरिफ मद 3102 70 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) शीर्ष 3103 में, टैरिफ मद 3103 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=??) शीर्ष 3104 में, टैरिफ मद 3104 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(28) अध्याय 32 में, शीर्ष 3206 की टैरिफ मद 3206 30 00 और 3206 43 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(29) अध्याय 33 में,ॐ

(?) शीर्ष 3301 में,ॐ

(क) टैरिफ मद 3301 11 00, 3301 14 00 और 3301 21 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 3301 22 में, टैरिफ मद 3301 22 10, 3301 22 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 3301 23 00 और 3301 26 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(30) अध्याय 34 में,ॐ

(?) टिप्पण 5 में,ॐ

(क) .(अ)ङ्क .(आ)ङ्क और .(इ)ङ्क कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः .(क)ङ्क .(ख)ङ्क और .(ग)ङ्क कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) .(क)ङ्क .(ख)ङ्क .(ग)ङ्क और .(घ)ङ्क कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः .(?)ङ्क .(??)ङ्क .(???)ङ्क और .(?=)ङ्क कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(??) शीर्ष 3404 में, टैरिफ मद 3404 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(31) अध्याय 37 में,ॐ

(?) शीर्ष 3702 में, टैरिफ मद 3702 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 3705 में, टैरिफ मद 3705 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(32) अध्याय 38 में,ॐ

(?) टिप्पण 1 के खंड (ग) में, .भस्मङ्क शब्द के स्थान पर, .कचरा, भस्मङ्क शब्द रखे जाएंगे ;

(??) उपशीर्ष टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :ॐ

.उपशीर्ष टिप्पण

1. टैरिफ मद 3808 50 के अंतर्गत केवल शीर्ष 3808 आएगा जिसके अंतर्गत एक या अधिक निम्नलिखित पदार्थ सम्मिलित हैं : एल्ड्रिन (आई.एस.ओ.) ; बिनापैक्राइल (आई.एस.ओ.) ; कैम्फेक्लोर (आई.एस.ओ.) ; (टोक्साफेन) ; कैप्टाफोल (आई.एस.ओ.) ; क्लोरडैन (आई.एस.ओ.) ; क्लोरडाइमेफार्म (आई.एस.ओ.) ; क्लोरोबेन्जिलेट (आई.एस.ओ.) ; डी.डी.टी.(आई.एस.ओ.) इक्लोफेनोटेन (आई.एल.एल.), 1,1,1-ट्रिक्लोरा-2-2-विस (पी-क्लोरफेनाइल) इथानेट ; डाइल्ड्रिन (आई.एस.ओ.,आई.एन.एन.), डाइनोसेब (आई.एस.ओ.), इसके लवण और इसके एस्टर ; एथिलीन डिब्रोमाइड (आई.एस.ओ.) (1,2-डिब्रोमोएथेन) ; एथिलीन डिक्लोराइड (आई.एस.ओ.) (1,2- डिक्लोरोएथेन) ; फ्लूरोएक्टामाइड (आई.एस.ओ.) ; हेप्टाक्लोर (आई.एस.ओ.); हेक्साक्लोरोबेन्जीन (आई.एस.ओ.) ; 1,2,3,4,5,6 - हेक्साक्लोसाइक्लोहेक्सेन (एच.सी.एच. (आई.एस.ओ.)), लिन्डाने (आई.एस.ओ., आई.एल.एल) के साथ ; मर्करी कंपाउंड ; मेथामिडोफोस (आई.एस.ओ.) ; मोनोक्रोटोफोस (आई.एस.ओ.) ; आक्सीरैन (एथिलीन आक्साइड) ; पैराथियन (आई.एस.ओ.) ; पैराथियन-मिथाइल (आई.एस.ओ.) ; (मिथाइल-पैराथियन) ; पेन्टोक्लोरोफिनाल (आई.एस.ओ.); फास्फामिडोन (आई.एस.ओ.) 2, 4, 5-टी (आई.एस.ओ.); (2,4,5-ट्रिक्लोरोफेनौक्सीएसेटिक अम्ल), इसके लवण और इसके एस्टर ।

2. टैरिफ मद 3825 41 00 और 3825 49 00 के प्रयोजनों के लिए, .अपशिष्ट कार्बनिक विलायकङ्क ऐसे अपशिष्ट हैं, जिनमें मुख्य रूप से कार्बनिक विलायक होते हैं, जो प्राइमरी उत्पाद के रूप में, चाहे विलायकों की वसूली के लिए आशयित हों या नहीं, यथाप्रस्तुत और प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है ;

(???) शीर्ष 3805, टैरिफ मद 3805 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ष 3808 के उपशीर्ष 3808 10 में, टैरिफ मद 3808 10 11 से 3808 10 99, उपशीर्ष 3808 20 में, टैरिफ मद 3808 20 10 से 3808 20 90, उपशी 3808 30, 3808 30 10 से 3808 40 00 में, टैरिफ मद 3808 90 10 और 3808 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ॐ

.3808 50 - एल्ड्रिन (आई.एस.ओ.) ; बनापैक्राइल (आई.एस.ओ.) ; कैम्फेक्लोर (आई.एस.ओ.) ; (टोक्साफेन); कैप्टाफोल (आई.एस.ओ.) ; क्लोरडैन (आई.एस.ओ.) ; क्लोरडाइमेफार्म (आई.एस.ओ.) ; क्लोरोबेन्जिलेट (आई.एस.ओ.) ; डी.डी.टी.(आई.एस.ओ.) (क्लोफेनोटेन (आई.एल.एल.), 1,1,1-ट्रिक्लोरा-2-2-विस (पी-क्लोरफेनाइल)

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
	इथाने) ; डाइल्ड्रिन (आई.एस.ओ.,आई.एन.एन.), डाइनोसेब (आई.एस.ओ.), इसके लवण और इसके एस्टर ; एथिलीन डिब्रोमाइड (आई.एस.ओ.) (1,2-डिब्रोमोएथेन) ; एथिलीन डिक्लोराइड (आई.एस.ओ.) (1,2- डिक्लोरोएथेन) ; फ्लूरोएक्टामाइड (आई.एस.ओ.) ; हेप्टाक्लोर (आई.एस.ओ.); हेक्साक्लोरोबेन्जीन (आई.एस.ओ.); 1,2,3,4,5,6 - हेक्साक्लोसाइक्लोहेक्सेन इ्रएच.सी.एच. (आई.एस.ओ.)ट, लिन्डाने (आई.एस.ओ., आई.एल.एल) के साथ ; मर्करी कंपाउंड; मेथामिडोफोस (आई.एस.ओ.) ; मोनोक्रोटोफोस (आई.एस.ओ.) ; आक्सीरैन (एथिलीन आक्साइड) ; पैराथियन (आई.एस.ओ.) ; पैराथियन-मिथाइल (आई.एस.ओ.) ; (मिथाइल-पैराथियन); पेन्टोक्लोरोफिनाल (आई.एस.ओ.); फास्फोमिडोन (आई.एस.ओ.) 2, 4, 5-टी (आई.एस.ओ.) ; (2,4,5-ट्रिक्लोरोफेनौक्सीएसेटिक अम्ल), इसके लवण और इसके एस्टर ।		
3808 50 00	- एल्ड्रिन (आई.एस.ओ.) ; बनापैक्राइल (आई.एस.ओ.) ; कैम्फेक्लोर (आई.एस.ओ.) ; (टोक्साफेन) ; कैप्टाफोल (आई.एस.ओ.) ; क्लौरडैन (आई.एस.ओ.) ; क्लोरडाइमेफार्म (आई.एस.ओ.) ; क्लोरोबेन्जिलेट (आई.एस.ओ.) ; डी.डी.टी.(आई.एस.ओ.) इ्रक्लोफेनोटेन (आई.एल.एल.), 1,1,1-ट्रिक्लोरा-2-2-विस (पी-क्लोरफेनाइल) इथानेट ; डाइल्ड्रिन (आई.एस.ओ.,आई.एन.एन.), डाइनोसेब (आई.एस.ओ.), इसके लवण और इसके एस्टर ; एथिलीन डिब्रोमाइड (आई.एस.ओ.) (1,2-डिब्रोमोएथेन) ; एथिलीन डिक्लोराइड (आई.एस.ओ.) (1,2- डिक्लोरोएथेन) ; फ्लूरोएक्टामाइड (आई.एस.ओ.) ; हेप्टाक्लोर (आई.एस.ओ.); हेक्साक्लोरोबेन्जीन (आई.एस.ओ.) ; 1,2,3,4,5,6 - हेक्साक्लोसाइक्लोहेक्सेन इ्रएच.सी.एच. (आई.एस.ओ.)ट, लिन्डाने (आई.एस.ओ., आई.एल.एल) के साथ ; मर्करी कंपाउंड ; मेथामिडोफोस (आई.एस.ओ.) ; मोनोक्रोटोफोस (आई.एस.ओ.) ; आक्सीरैन (एथिलीन आक्साइड) ; पैराथियन (आई.एस.ओ.) ; पैराथियन-मिथाइल (आई.एस.ओ.) ; (मिथाइल-पैराथियन) ; पेन्टोक्लोरोफिनाल (आई.एस.ओ.); फास्फोमिडोन (आई.एस.ओ.) 2, 4, 5-टी (आई.एस.ओ.); (2,4,5-ट्रिक्लोरोफेनौक्सीएसेटिक अम्ल), इसके लवण और इसके एस्टर ।	कि.ग्रा.	16%
	-- अन्य :		
3808 91	- कीटनाशी :		
3808 91 11	---- एलुनिमियन फास्फाइट (उदाहरण के लिए फास्टोक्सिंग)	कि.ग्रा.	16%
3808 91 12	---- कैल्सियम साइनाइट	कि.ग्रा.	16%
3808 91 13	---- डी.डी.वी.पी. (डाइमिथाइल - डाइक्लोरो-विनाइ-फास्फेट)	कि.ग्रा.	16%
3808 91 21	---- डाइ जिनल	कि.ग्रा.	16%
3808 91 22	---- मिथाइल ब्रोमाइड	कि.ग्रा.	16%
3808 91 23	---- डाइ मैथोए, तकनीकी श्रेणी	कि.ग्रा.	16%
3808 91 24	---- मैलाथिओन	कि.ग्रा.	16%
3808 91 31	---- एन्डोसल्फेन तकनीकी श्रेणी	कि.ग्रा.	16%
3808 91 32	---- क्वीनान फास	कि.ग्रा.	16%
3808 91 33	---- आईसोप्रोटुरोन	कि.ग्रा.	16%
3808 91 34	---- फैन्थिओन	कि.ग्रा.	16%
3808 91 35	---- साइपरमैथिरीन, तकनीकी श्रेणी	कि.ग्रा.	16%
3808 91 36	---- टेलेथिरीन	कि.ग्रा.	16%
3808 91 37	---- सिन्थेटिक पाइरेथ्रेम	कि.ग्रा.	16%
	-- अन्य		
3808 91 91	---- मक्खियों, मच्छरों आदि कीड़ों के लिए प्रतिकर्क्षी	कि.ग्रा.	16%
3808 91 92	---- कीटनाशी संसेचित या लेपित कागज उदाहरणार्थ डीडीटी लेपित	कि.ग्रा.	16%
3808 91 99	---- अन्य	कि.ग्रा.	16%
3808 92	--- कवकनाशी :		
3808 92 10	--- मानिब	कि.ग्रा.	16%
3808 92 20	--- सोडियम पेंटाक्लोरोफेनिड (सेंटोब्राइट)	कि.ग्रा.	16%
3808 92 30	--- थिराम (ट्रेटामिथाइल थअयूरम डाइसल्फाइड)	कि.ग्रा.	16%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
3808 92 40	---	जीनिब	कि.ग्रा.	16%
3808 92 50	---	ताम्र आक्सीक्लोराइड	कि.ग्रा.	16%
3808 92 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%
3808 93	--	शाकनाशी अंकुरणरोधी उत्पाद और पादपवृद्धि विनियामक :		
3808 93 10	---	क्लोरोमिथाइल फेनोजी एसेटिक अम्ल (एम.सी.पी.ए.)	कि.ग्रा.	16%
3808 93 20	---	2 : 4 डाइक्लोरो फेनोजी एसेटिक अम्ल और उसके एस्टर	कि.ग्रा.	16%
3808 93 30	---	डेब्रेनिक अम्ल	कि.ग्रा.	16%
3808 93 40	---	पादप वृद्धि विनियामक	कि.ग्रा.	16%
3808 93 50	---	खरपतवार नाशी और खरपतवार मारक कर्मक	कि.ग्रा.	16%
3808 93 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%
3808 94 00	--	विसंक्रामक	कि.ग्रा.	16%
3808 99	--	अन्य :		
3808 99 10	---	नाशक मार्ग जो अन्यत्र विनिर्दिख़्ट और सम्मिलित नहीं हैं	कि.ग्रा.	16%
3808 99 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%ु

(=) टैरिफ मद 3821 00 00 में, स्तंभ (2) में की प्रविख़्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविख़्टि रखी जाएगी, अर्थात्:श्

.सूक्ष्म जीवों (जिसके अंतर्गत वायरस और उसी प्रकार के सम्मिलित हैं) या पादप, मानव या पशु कोशिकाओं के विकास या अनुरक्षण के लिए तैयार संवर्ध मीडियाु

(=?) शीर्ख़ 3824 में,श्

(क) उपशीर्ख़ 3824 20, टैरिफ मद 3824 20 10 से 3824 20 90 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 3826 60 90, उपशीर्ख़ 3824 71, टैरिफ मद 3824 71 10, 3824 71 90, उपशीर्ख़ 3824 79, टैरिफ मद 3824 79 10 और 3824 79 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :श्

.3824 60 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	-	मिथेन इथेन या प्रोपेन के हेलोजेनेटेड व्युत्पन्न वाले मिश्रण :		
3824 71 00	--	क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले, चाहे उनमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन (एच.सी.एफ.सी.), परफ्लोरो कार्बन (पी.एफ.सी.) या हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (एच.एफ.सी) हो या न हो	कि.ग्रा.	16%
3824 72 00	--	ब्रोमोक्लोरोडिफ्लुओरोमेथेन वाले, ब्रोमोक्लोरोडिफ्लुओरोमेथेन, या डिब्रोमोटेट्राफ्लुरोथेन	कि.ग्रा.	16%
3824 73 00	--	हाइड्रोब्रोमोफ्लुओरोकार्बन (एच.बी.एफ.सी.) वाले	कि.ग्रा.	16%
3824 74 00	--	हाइड्रोब्रोमोफ्लुओरोकार्बन (एच.बी.एफ.सी.) वाले, चाहे जाफ्लुओरोकार्बन वाले या नहीं (पी.एफ.सी.) या हाइड्रोफ्लुओरोकार्बन (एच.एफ.सी.), किंतु क्लोरोफ्लुओरोकार्बन (सी.एफ.सी.) के बिना	कि.ग्रा.	16%
3824 75 00	--	कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले	कि.ग्रा.	16%
3824 76 00	--	1,1,1- ट्रिक्लोरोएथेन वाले (मिथाइल क्लोरोफार्म)	कि.ग्रा.	16%
3824 77 00	--	ब्रोमोमेथेन (मिथाइल ब्रोमाइड) वाले या ब्रोमोक्लोरोमेथेन	कि.ग्रा.	16%
3824 78 00	--	पाफ्लूओरोकार्बन (पी.एफ.सी) वाले या हाइड्रोफ्लूओरोकार्बन (एच.एफ.सी.) वाले, किंतु क्लोरोफ्लुओरोकार्बन (सी.एफ.सी.) के बिना या हाइड्रोक्लोरोफ्लुओरोकार्बन (एच.सी.एफ.सी)	कि.ग्रा.	16%
3824 79 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	-	आक्सीरेन (इथिलेन आक्साइड), पालीग्रोमिनेटेड बाइफिनाइल (पी.बी.बी.)		
3824 81 00	--	पोलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल (पी.सी.बी.)	कि.ग्रा.	16%
3824 82 00	--	पोलीक्लोरोनेडेट टरफिनाइल (पी.सी.बी) या ट्राइस (2,3-डाइब्रोमोप्रोफाइल) फास्फेट :	कि.ग्रा.	16%
3824 83 00	--	ट्रिस के साथ (2,3-बाइब्रोमोप्रोपाइल) फास्फेट	कि.ग्रा.	16%

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)

(33) अध्याय 39 में,–

(?) टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :–

.2. इस अध्याय में निम्नलिखित नहीं आते हैं–

(क) शीर्ख़ 2710 या 3403 की स्नेहक निर्मितियां ;

(ख) शीर्ख़ 2712 या 3404 के मोम ;

(ग) पृथक रासायनिक रूप से परिभाख़ित कार्बनिक यौगिक (अध्याय 29) ;

(घ) हर्पिन और उसके लवण (शीर्ख़ 3001);

(ङ) घोल (कोलोडिइनस से भिन्न) जिसके वाख़्पशील कार्बनिक विलायक में शीर्ख़ 3901 से 3913 में विनिर्दिख़्ट कोई उत्पाद हो जब विलायक का भार घोल के भार से 50% अधिक हो (शीर्ख़ 3208) ; शीर्ख़ 3212 का स्टांपिंग पण्य ;

(च) कार्बनिक सतह क्रियाशील या शीर्ख़ 3402 की विनिर्मितियां ;

(छ) रन गोंद और एस्टर गोंद (शीर्ख़ 3806) ;

(ज) खनिज तेलों के लिए निर्मित योज्यम (जिसके अंतर्गत गैसोलीन है) या वैसे ही प्रयोजनों जैसे कि खनिज तेल के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य द्रवों के लिए निर्मित योज्यम (शीर्ख़ 3811) ;

(झ) पालीग्लीकोल्स पर आधारित हाइड्रोलिक द्रव्य विनिर्मिति, अध्याय 39 के सिलिकोन या अन्य पालीमर (शीर्ख़ 3819) ;

(ट) प्लास्टिकों के पृथ़्ठक पर नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक (शीर्ख़ 3822) ;

(ठ) अध्याय 40 के प्रयोजनों के लिए यथा परिभाख़ित संश्लिख़्ट रबड़ या उसकी वस्तुएं ;

(ड) जीनसाजी या साज (शीर्ख़ 4201) या शीर्ख़ 4202 के ट्रंक, सूटकेस, हैंडबैग या अन्य आधान ;

(ढ) अध्याय 46 के संग्रथ, खपची की चीजें या अन्य वस्तुएं ;

(ण) शीर्ख़ 4814 के भित्ति आच्छद ;

(त) अनुभाग 11 के माल (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तुएं) ;

(थ) अनुभाग 12 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ जूतादि, सिर का पहनावा, छाते, धूपछाते, चलने के लिए छड़ियां चाबुक, घोड़े के चाबुक और उनके भाग) ;

(द) शीर्ख़ 7117 के नकली आभूख़ण ;

(ध) अनुभाग 16 की वस्तुएं (मशीनें और यांत्रिक या विद्युत साधित्र) ;

(न) अध्याय 17 के वायुयानों या यानों के पुर्जे ;

(प) अध्याय 90 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ, प्रकाशिक अवयव, चश्मे के फ्रेम, ड्राइंग यंत्र) ;

(फ) अध्याय 91 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ बड़ी घड़ी या घड़ी केस) ;

(ब) अध्याय 92 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ वाद्ययंत्र या उनके पुर्जे) ;

(भ) अध्याय 94 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ फर्नीचर, लैंप और प्रकाश फिटिंगें, प्रदीप्त चिह्न, पूर्व संविरचित निर्माण) ;

(म) अध्याय 95 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ खिलौने, खेल, क्रीडा के सामान) ; या

(य) अध्याय 96 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ ब्रुश, बटन, स्लाइड, बंधाक, कंघे, धूम्रपान पाइपों के लिए मुखिकाएं या डंडिया, सिगरेट होल्डलर या वैसी ही वस्तुओं के भाग, लेखनी नोदन पेंसिलें) ;

(??) उपशीर्ख़ टिप्पण 1 में के खंड (क) के उपखंड (1) में, .अर्थात्ु शब्द के स्थान पर,ु उदहरणार्थु शब्द रखे जाएंगे ;

(???) शीर्ख़, 3907 में, टैरिफ मद 3907 60 90 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख़्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

.3907 70 00	-- बहु (लेक्टिक अम्ल)	कि.ग्रा	16%ु

(?=) शीर्ख़ 3920 के उपशीर्ख़ 3920 72 की टैरिफ मदों 3920 72 10 से 3920 72 90 तक और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ख़ 3924 के स्तंभ (2) में, .प्रसाधनु शब्द के स्थान पर, .स्वास्थ्य संबंधी या प्रसाधनु शब्द रखे जाएंगे ;

(34) अध्याय 40 में,–

(?) टिप्पण 4 के खंड (क) में, .5 (ख)ु अंक, कोख़्ठक और अक्षर के स्थान पर .5 (ख)ु अंक, कोख़्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(??) टिप्पण 5 में, .(क)ु और .(ख) .कोख़्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, .(अ)ु और .(आ)ु कोख़्ठक और अक्षर क्रमशः रखे जाएंगे ;

(???) शार्ख़ 4010 के उपशीर्ख़ 4010 13 में, टैरिफ मदों 4010 13 10 और 4010 13 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)

(35) अध्याय 41 में,ऽ

(?) टिप्पण 1 के खंड (ग) में, .कुरंग केङ्ग शब्दों के पश्चात्, .ऊंटों के (जिनके अंतर्गत ड्रौमेडरी भी हैं)ङ्ग शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(??) शीर्ख़ 4103 के उपशीर्ख़ 4103 10 में, टैरिफ मदें 4103 10 10 से 4103 10 90 तक और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(36) अध्याय 42 में,ऽ

(?) शीर्ख़ 4204 के उपशीर्ख़ 4204 00 की टैरिफ मदों 4204 00 10 से 4204 00 99 तक और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 4206 के उपशीर्ख़ 4206 10 की टैरिफ मदों 4206 10 10 से 4206 90 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ख़, टैरिफ मदें और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ऽ

.4206		तांत (रेशम कीट तांत से भिन्न) की बर्क साजी चर्म, वस्ति या कंडरा की वस्तुएं		
4206 00 10	---	रैक्टड के लिए	कि.ग्रा.	16%
4206 00 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16% ङ्ग

(37) अध्याय 43 में,ऽ

(?) शीर्ख़ 4301 में, टैरिफ मद 4301 70 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 4302 में, टैरिफ मद 4302 13 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(38) अध्याय 44 में,ऽ

(?) उपशीर्ख़ टिप्पण में,ऽ

(क) .4403 41 से 4403 49 तक, 4407 24 से 4407 29 तक, 4408 31 से 4408 39 तक और 4412 13 से 4412 99 तकङ्ग के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :ऽ

.टैरिफ मद 4403 41 00, उपशीर्ख़ 4404 49, टैरिफ मद 4407 21 00 से 4407 28 00, उपशीर्ख़ 4407 29, 4408 31, 4408 39 और 4412 31;ङ्ग

(ख) .सागवान, तवारी,ङ्ग शब्दों के स्थान पर, .तवारी, सागवान,ङ्ग शब्द रखे जाएंगे ;

(??) शीर्ख़ 4402 के उपशीर्ख़ 4402 00 में, टैरिफ मद 4402 00 10 और 4402 00 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ख़ और टैरिफ मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :ऽ

.4402 10	-	काख़्ठ चारकोल (जिसके अंतर्गत कोश या दृढ़फल चारकोल है) चाहे संपीडित है या नहीं :		
4402 10 10	---	बांस के	मी.	
4402 90	-	अन्य :		
4402 90 10	---	नारियल कोश	मी.	
4402 90 90	---	अन्य	मी.ङ्ग	

(???) शीर्ख़ 4407 में,ऽ

(क) टैरिफ मद 4407 24 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ऽ

.4407 21 00	--	महोगनी (स्विटेनिया की सभी जातियां)	घ.मी.	कुछ नहीं
4407 22 00	--	विरोला, इंबुइआ और बल्सा	घ.मी.	कुछ नहींङ्ग

(ख) मद 4407 26 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविख़्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :ऽ

.4407 27 00	--	सपेली	घ.मी.	कुछ नहीं
4407 28 00	--	इरोको	घ.मी.	कुछ नहींङ्ग

(ग) मद 4407 92 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविख़्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :ऽ

.4407 93 00	--	मैपिल के (एसर एस.पी.पी.)	घ.मी.	कुछ नहीं
4407 94 00	--	चेरी के (प्रुनुस एस.पी.)	घ.मी.	कुछ नहीं
4407 95 00	--	भऱ्म के (फैक्सीनस एस.पी.पी.)	घ.मी.	कुछ नहींङ्ग

(?=) शीर्ख़ 4408 में, प्रविख़्टि के स्तंभ (2) में, .अन्य समान प्रकार की पटलित काख़्ठङ्ग शब्दों के स्थान पर .समान प्रकास की पटलित काख़्ठङ्ग शब्द रखे जाएंगे ;

(=) शीर्ख़ 4409 के उपशीर्ख़ 4409 20 में, टैरिफ मद 4409 20 10 से 4409 20 90 तक और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मदें और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ऽ

	.-	अशंकुधारी :		
4409 21 00	--	बांस के	कि.ग्रा.	16%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
4409 29	--	अन्य :		
4409 29 10	---	समतलित, जिहिन्त,खांचित, रिपेटित, मिस्पेतित्र, गीत, संगीत और उसी प्रकार के किंतु जो और संचित नहीं किए गए हैं	कि.ग्रा.	16%
4409 29 20	---	बीडिंग और संचित (जिसमें सांचित, स्कर्टिंग और अन्य सांचित बोर्ड है)	कि.ग्रा.	16%
4409 29 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%"

(=?) शीर्ख़ 4410 में, टैरीफ मद 4410 21 00, 4410 29 00, उपशीर्ख़ 4410 31 की टैरिफ मद 4410 31 10 से 4410 31 90, उपशीर्ख़ 4410 32 की टैरिफ मद 4410 32 10 से 4410 32 90, उपशीर्ख़ 4410 39 की टैरिफ मद 4410 39 90, उपशीर्ख़ 4410 90 की टैरिफ मद 4410 90 10 से 4410 90 99 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ख़, उपशीर्ख़, टैरिफ मदें और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

".4410		काख़्ठ या अन्य काख़्ठ सामग्री के कण बोर्ड और इसी प्रकार के बोर्ड (उदाहरणार्थ, चमकदार स्ट्रैंड रेशा बोर्ड और वेफर बोर्ड) चाहे वे रेजिन या अन्य कार्बनिक बंधन पदार्थ से संपीडित हैं या नहीं		
	-	काख़्ठ का :		
4410 11	-	कण बोर्ड :		
4410 11 10	---	सपाट कण बोर्ड	कि.ग्रा.	16%
4410 11 20	---	रोधन बोर्ड और हार्ड बोर्ड	कि.ग्रा.	16%
4410 11 30	---	बेनिर कण बोर्ड जिसके किसी अग्रभाग पर सजावटी बेनिर नहीं है	कि.ग्रा.	16%
4410 11 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%
4410 12	--	ओरिएन्टेड स्ट्रैंड बोर्ड :		
4410 12 10	---	अकर्मित या बालू से चमकाए गए से अन्यथा और कर्मित नहीं	कि.ग्रा.	16%
4410 12 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%
4410 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	16%
4410 90	-	अन्य :		
4410 90 10	---	सपाट कण बोर्ड	कि.ग्रा.	16%
4410 90 20	---	रोधन बोर्ड और हार्ड बोर्ड	कि.ग्रा.	16%
4410 90 30	---	बेनिर कण बोर्ड जिसके किसी अग्रभाग पर सजावटी बेनिर नहीं है	कि.ग्रा.	16%
4410 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%"

(=??) शीर्ख़ 4411 में, उपशीर्ख़ 4411 11 की टैरिफ मद 4411 11 10, 4411 11 90, उपशीर्ख़ 4411 19 की टैरिफ मद 4411 19 10, 4411 19 90, उपशीर्ख़ 4411 21 की टैरिफ मद 4411 21 10, 4411 21 90, उपशीर्ख़ 4411 29 की टैरिफ मद 4411 29 90, उपशीर्ख़ 4411 31 की टैरिफ मद 4411 31 10, 4411 31 90, उपशीर्ख़ 4411 39 की टैरिफ मद 4411 39 10, 4411 39 90, उपशीर्ख़ 4411 91 की टैरिफ मद 4411 91 10 से 4411 91 90, उपशीर्ख़ 4411 99 की टैरिफ मद 4411 99 10 से 4411 99 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ख़, उपशीर्ख़, टैरिफ मदें और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

".4411		काख़्ठ के अन्य काख़्ठ सामग्री के फाइबर बोर्ड, चाहे रेजिन या अन्य कार्बनिक पदार्थों से बंधित हैं या नहीं		
	-	मध्यम सघनता वाले फाइबर बोर्ड (एम.डी.एफ.):		
4411 12 00	--	5 मिमी से अधिक मोटाई के	कि.ग्रा.	16%
4411 13 00	--	5 मिमी से अधिक किंतु 9 मिमी से अनधिक मोटाई के	कि.ग्रा.	16%
4411 14 00	--	9 मिमी से अधिक मोटाई के	कि.ग्रा.	16%
	-	अन्य :		
4411 92	--	0.8 ग्राम/घन सेमी. से अधिक घनत्व के जो यंत्र कर्मित या तल आच्छादित नहीं हैं :		
4411 92 11	----	हार्डबोर्ड	कि.ग्रा.	16%
4411 92 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	-	अन्य :		
4411 92 21	----	हार्डबोर्ड	कि.ग्रा.	16%
4411 92 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
4411 93	--	0.5 ग्राम/घन सेमी. से अधिक किंतु 0.8 ग्राम/घन सेमी. से अनधिक घनत्व के :		
	---	जो यंत्र कर्मित या तल आच्छादित नहीं हैं :		
4411 93 11	----	प्रतिरोधन बोर्ड	कि.ग्रा.	16%
4411 93 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	---	अन्य :		
4411 93 21	----	प्रतिरोधन बोर्ड	कि.ग्रा.	16%
4411 93 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%
4411 94	--	0.5 ग्राम /घन सेमीं से अधिक घनत्व के, जो यंत्र कर्मित या तल आच्छादित नहीं हैं :		
4411 94 11	----	प्रतिरोधन बोर्ड	कि.ग्रा.	16%
4411 94 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	---	अन्य :		
4411 94 21	----	प्रतिरोधन बोर्ड	कि.ग्रा.	16%
4411 94 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%ऊ

(=??) शीर्ख 4412,उपशीर्ख 4412 13, टैरिफ मद 4412 13 10 से 4412 13 90, उपशीर्ख 4412 14, टैरिफ मद 4412 14 10 से 4412 14 90, उपशीर्ख 44 19 टैरिफ मद 4412 19 10 से 4412 19 90, उपशीर्ख 4412 22, टैरिफ मद 4412 22 10 से 4412 22 90, उपशीर्ख 4412 23, टैरिफ मद 4412 23 10 से 4412 23 90, उपशीर्ख 4412 29, टैरिफ मद 4412 29 10 से 4412 29 90, उपशीर्ख 4412 92, टैरिफ मद 4412 92 10 से 4412 92 90, उपशीर्ख 4412 93, टैरिफ मद 4412 93 10 से 4412 93 90, उपशीर्ख 4412 99, टैरिफ मद 4412 99 10 से 4412 99 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ख, उपशीर्ख, टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :श्

.4412		प्लाइवुड, पृख़्ठावृत्त पैनल और वैसे ही पट्टित काख़्ठ		
4412 10 00	-	बांस के	घ.मी.	16%
	-	अन्य प्लाइवुड, जिसमें केवल काख़्ठ की चादरें हैं (बांस से भिन्न) प्रत्येक प्लाई की मोटाई 6 मिमी. से अधिक नहीं हैः		
4412 31	--	उपशीर्ख टिप्पण 1 से इस अध्याय में विनिर्दिख़्ट कटिबंधीय काख़्ठ की कम से कम एक प्लाई वाली, अर्थातः- अबुरा, अकाजौ, डीयफ्रिक, एफरोर्मोसिया, अको, अलान, अंडीरोबा, एनिग्रे, एवोडिर, एजोब, बार्लो, बाल्सा, बोस क्लेयर, बोस फोन्से, कटिवो, सेड्रो, दबेमा, गहरी लाल मेरंती, डिबेटु, डौजी, फ्रेमाइर, फ्रीजो, फ्रोमेजर, फुमा, जिरोगगांग, लोम्बा, इम्बुइया, ईपे, इरोको, जेबोटी, जेलुटांग, जेक्विटिबा, जोंगकांग, कपुर, केम्पास, केर्युंग, फोसिपो, कोटिबे, कोटो, हल्का लाल मेरंटी, लिंबा, लौरो, मक्रंदुबा, महगोनी, मकोरे, मंडियोग्विरा, मेनसोनिया, मेंगकुलंग, मेरंटी बकऊ, मेरावान, मेरबाओ, मेरपोह, मेरसवा, मोआबी, नियागांव, न्याटोह, ओबेची, ओकौमे, ओंजाबिली, ओरै, ओवनकोल, ओजिबो, पडौक, पालडऊ, पालिस्साद्रे दी गुवाटेमाला, पालिस्सांद्रे दी पारा, पालिस्सांद्रे दी रियो, पालिस्सांद्रे दी रोज, पाऊ एमोरेतो, पाऊ मार्फिम, पुलई, पुनाह, क्वारूबा, रेमिन, सपेली, साक्वी-साक्वी, सेपेटिर, सिपो, सुकुपिरा, सुरेन, तौरी, टीक, टियामा, तोला, विरोला, सफेद लाऊन, सफेद मेरंती, सफेद सेरेया, पीला मेरंतीः		
4412 31 10	---	सजावटी प्लाइवुड	घ.मी.	16%
4412 31 20	---	टी चेस्ट पैनल या सूप, सेट में पैक किए हुए	घ.मी.	16%
4412 31 30	---	अन्य टीक चेस्ट पैनल	घ.मी.	16%
4412 31 40	---	सामुद्रिक और वायुयान प्लाइवुड	घ.मी.	16%
4412 31 50	---	ऐसे प्लाइवुड की कटिंग और सजावट जिसकी चौड़ाई 5 सेमी. से अधिक नहीं है	घ.मी.	16%
4412 31 90	---	अन्य	घ.मी.	16%
4412 32	--	अन्य, जिसमें अशंकुधारी काख़्ठ की कम से कम एक बाह्य इकाई है :		
4412 32 10	---	सजावटी प्लाइ	घ.मी.	16%
4412 32 20	---	टी चेस्ट पैनल या सूप, सेट में पैक किए हुए	घ.मी.	16%
4412 32 30		सामुद्रिक और वायुयान प्लाइवुड	घ.मी.	16%
4412 32 40	---	ऐसे प्लाइवुड की कटिंग और सजावट जिसकी चौड़ाई 5 सेमी. से अधिक नहीं है	घ.मी.	16%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
4412 32 90	---	अन्य	घ.मी.	16%
4412 39	--	अन्य :		
4412 39 10	---	सजावटी प्लाइवुड	घ.मी.	16%
4412 39 20	---	टी चेस्ट पैनल या सूप, सेट में पैक किए हुए	घ.मी.	16%
4412 39 30	---	सामुद्रिक और वायुयान प्लाइवुड	घ.मी.	16%
4412 39 40	---	ऐसे प्लाइवुड की कटिंग और सजावट जिसकी चौड़ाई 5 सेमी. से अधिक नहीं है	घ.मी.	16%
4412 39 90	---	अन्य	घ.मी.	16%
	-	अन्य :		
4412 94 00	--	ब्लाक बोर्ड, लेमी बोर्ड और बैटन बोर्ड	घ.मी.	16%
4412 99	--	अन्य :		
4412 99 10	---	सजावटी प्लाइवुड	घ.मी.	16%
4412 99 20	---	टी चेस्ट पैनल या सूप, सेट में पैक किए हुए	घ.मी.	16%
4412 99 30	---	सामुद्रिक और वायुयान प्लाइवुड	घ.मी.	16%
4412 99 40	---	ऐसे प्लाइवुड की कटिंग और सजावट जिसकी चौड़ाई 5 सेमी. से अधिक नहीं है	घ.मी.	16%
4412 99 90	---	अन्य	घ.मी.	16%ु

(?!) शीर्ख 4418 में,ः—

(क) स्तंभ (2) के सामने प्रविख्टि में .सजावटी काख्ठ पैनलु शब्दों के स्थान पर, .फर्श के पैनलु शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 4418 30 00 और उससे संबंधित प्रविख्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 4418 50 00 और उससे संबंधित प्रविख्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :ः—

.4418 60 00	-	पार्श्व और किरणपुंज	कि.ग्रा.	16%
	-	समंजित फर्श पैनल		
4418 71 00	--	मोजाइक फर्श के लिए	कि.ग्रा.	16%
4418 72 00	--	अन्य बहु पर्त वाली	कि.ग्रा.	16%
4418 79 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	16%ु

(39) अध्याय 46 में,ः—

(?) टिप्पण 1 में, .बांस केु शब्दों के स्थान पर .बांस के, रैटेन केु शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(??) शीर्ख 4601 में, उपशीर्ख 4601 20 की टैरिफ मद 4601 20 10 से 4601 91 00 और उनसे संबंधित प्रविख्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः—

	.-	वनस्पति सामग्री के पायदान, चटाई और पर्दे :		
4601 21 00	--	बांस के	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
4601 22 00	--	रैटेन के	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
4601 29 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
4601 92 00	--	बांस के	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
4601 93 00	--	रैटेन के	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
4601 94 00	--	अन्य वनस्पति सामग्री के	कि.ग्रा.	कुछ नहींु

(???) शीर्ख 4602 में, उपशीर्ख 4602 10 की टैरिफ मद 4602 10 11 से 4602 10 90 और उनसे संबंधित प्रविख्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः—

	.-	वनस्पति सामग्री के :		
.4602 11 00	--	बांस के	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
4602 12 00	--	रेटैन के	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
4602 19	---	अन्य :		
	---	ताड़ की पत्तियों के :		
4602 19 11	----	टोकरियां	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
4602 19 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
4602 19 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहींु

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(40) अध्याय 47 में, शीर्ख़ 4706 में, टैरिफ मद 4706 20 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :&

.4602 30 00	-	अन्य, बांस के	कि.ग्रा.	कुछ नहींऽ

(41) अध्याय 48 में,&

(?) टिप्पण 2 में, खंड (ढ) में .(अनुभाग 15)ऽ कोख़्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर .(साधारणतया अनुभाग 14 या 15)ऽ कोख़्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(??) टिप्पण 9 में,&

(क) खंड (क) के उपखंड (?) में, .अर्थात्ऽ शब्द के स्थान पर, .उदाहरणार्थऽ शब्द रखा जाएगा ;

(ख) .कागज या पेपर बोर्डऽ से आरंभ होने वाले और .वर्गीकृत किए जाएंगेऽ पर समाप्त होने वाले पैरा में, .4815ऽ अंकों के स्थान पर .4823ऽ अंक रखे जाएंगे ;

(???) शीर्ख़ 4802 में, टैरिफ मद 4802 30 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ख़ 4809 में, उपशीर्ख़ 4809 10 की टैरिफ मद 4809 10 10 और 4809 10 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ख़ 4814 में, टैरिफ मद 4814 30 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) टैरिफ मद 4815 00 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=??) शीर्ख़ 4816 में, टैरिफ मद 4816 10 00 और 4816 30 00 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=???) शीर्ख़ 4823 में, टैरिफ मद 4823 12 00 और 4823 19 00 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ख़ और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :&

.4823		अन्य कागज, पेपर बोर्ड, सेलूलोस बैडिंग और सेलूलोस फाइबर के जाल जो आमाप या आकृति कर्तित में हैं ; कागजी लुगदी, कागज, पेपर बोर्ड, सेलूलोस बैडिंग या सेलूलोस फाइबर के जाल की अन्य वस्तुएंऽ		

(?!) शीर्ख़ 4823 में, टैरिफ मद 4823 60 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :&

	.-	ट्रे, डिश, प्लेट, कप और पेपर या पेपर बोर्ड की वैसी ही वस्तुएं		
4823 61 00	--	बांस के	कि.ग्रा.	16%
4823 69 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	16%ऽ

(42) अनुभाग 11 में,&

(?) टिप्पण 1 में,&

(क) खंड (क) में, .शीर्ख़ 0503ऽ शब्द और अंकों के स्थान पर, .शीर्ख़ 0511ऽ शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ड) में, .(उदाहरणार्थ वैडी, राजपट्टियां और वैसी ही वस्तुएं जो चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय, दंत चिकित्सीय या पशु चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए है, निर्जीवाणु शल्य चिकित्सीय सीवन सामग्री)ऽ कोख़्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(??) टिप्पण 13 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :&

.13. इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, इस संपूर्ण अनुसूची में जहां लागू होऽ प्रत्यावर्तित सूतऽ से फिलामेंट सूत अभिप्रेत है इसके अंतर्गत संव्यूतित सूत से भिन्न संश्लिख़्ट टैक्सटाइल सामग्री के मोनो फिलामेंट भी हैं जो इसकी मूल लंबाई के तीन गुना तक विस्तारित करने पर टूटता नहीं है और जो इसकी मूल लंबाई के दोगुने तक इसकी मूल लंबाई के डेढ़ गुना से अनधिक विस्तारित किए जाने के पश्चात् पांच मिनट के भीतर उसी रूप में आ जाता है ।

14. जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, विभिन्न शीर्ख़ों के टेक्सटाइल वस्त्रों को चाहे वे फुटकर विक्रय के लिए सेटों में रखे गए हों उनके अपने शीर्ख़ों में वर्गीकृत किया जाना है । इस टिप्पण के प्रयोजनों के लिए .टेक्सटाइल वस्त्रऽ से शीर्ख़ 6101 से 6114 और शीर्ख़ 6201 से 6211 के वस्त्र अभिप्रेत हैं । ऽ ।

(???) उपशीर्ख़ टिप्पण 1 में,&

(क) खंड (क) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (क) से खंड (ट) को खंड (क) से खंड (झञ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(ग) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (ग) में (ड) से (झञ) पर .परिभाख़ाऽ शब्दों, कोख़्ठकों और अंकों के स्थान पर, .(घ) से (ज) परऽ .परिभाख़ाऽ शब्द और कोख़्ठक रखे जाएंगे ;

(43) अध्याय 50 में, शीर्ख़ 5003, उपशीर्ख़ 5003 10, टैरिफ मद 5003 10 10 से 5003 10 90, उपशीर्ख़ 5003 90, टैरिफ मद 5003 90 10 से 5003 90 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :&

.5003 00	--	रेशम अपशिख़्ट (जिसके अंतर्गत रीलन के लिए अनुपयुक्त काया, अपशिख़्ट सूत और गार्नेटित स्टाक है):		
5003 00 10	---	शहतूत रेशम अपशिख़्ट	कि.ग्रा.	कुछ नहीं

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
5003 00 20	---	टसर अपशिख़्ट	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
5003 00 30	---	एरी अपशिख़्ट	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
5003 00 40	---	मोंगा अपशिख़्ट	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
5003 00 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहींउ

(44) अध्याय 51 के टिप्पण 1 में,—

(क) खंड (ख) में, .ऊंटउ शब्द के स्थान पर, .ऊंट (जिसके अंतर्गत एकककुद्र उख़्ट्र भी है)उ कोख़्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ग) में, .शीर्ख़ 0503उ शब्द और अंकों के स्थान पर, .शीर्ख़ 0511उ शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(45) अध्याय 52 में,—

(?) शीर्ख़ 5208 में, उपशीर्ख़ 5208 53, टैरिफ मद 5208 53 10 से 5208 53 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 5210 में,—

(क) उपशीर्ख़ 5210 12, टैरिफ मद 5210 12 10 और 5210 12 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ख़ 5210 22, टैरिफ मद 5210 22 11 से 5210 22 29 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपशीर्ख़ 5210 42, टैरिफ मद 5210 42 10 से 5210 42 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपशीर्ख़ 5210 52, टैरिफ मद 5210 52 10 से 5210 52 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ख़ 5211 में, टैरिफ मद 5211 19 00, उपशीर्ख़ 5211 21, टैरिफ मद 5211 21 10, से 5211 21 90, उपशीर्ख़ 5211 22, टैरिफ मद से 5211 22 10 से 5211 22 90, उपशीर्ख़ 5211 29, टैरिफ मद 5211 29 10 से 5211 29 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

.5211 19 00	--	अन्य फैब्रिक	व.मी.	8%
5211 20	-	विरंजित :		
5211 20 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5211 20 20	---	धूनित या कंकतकृत सूत के कैनवेस (जिसके अंतर्गत डक भी है)	व.मी.	8%
5211 20 30	---	फ्लानेलेट	व.मी.	8%
5211 20 40	---	साड़ी	व.मी.	8%
5211 20 50	---	क्रेप फैब्रिक जिसके अंतर्गत क्रेप चेक भी है	व.मी.	8%
5211 20 60	---	ट्वील फैब्रिक	व.मी.	8%
	--	अन्य :		
5211 20 91	----	जरी बार्डर की साड़ी	व.मी.	8%
5211 20 92	----	डेढ़सूती, दो सूती, सेरेटोनस और ओसमबर्ग	व.मी.	8%
5211 20 99	----	अन्य	व.मी.	8%उ

(46) अध्याय 53 में,—

(?) शीर्ख़ 5304, उपशीर्ख़ 5304 10, टैरिफ मद 5304 10 10 से 5304 90 00 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 5305 में उपशीर्ख़ 5305 11 की टैरिफ मद 5305 11 10 से 5305 29 00, उपशीर्ख़ 5305 90 की टैरिफ मद 5305 90 10 और 5305 90 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ख़, उपशीर्ख़, टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

.5305		नारियल, अकाबा (मनीला हेंप या म्यूजा टेक्सटाइल भी), रेमी और अन्य वनस्पति टेक्सटाइल फाइबर जो अन्यत्र विनिर्दिख़्ट या सम्मिलित नहीं हैं, अपरिख़्कृत या प्रसंस्कृत किंतु अनकते ; इन फाइबरों के टो, नायल और अपशिख़्ट (जिसके अंतर्गत सूत अपशिख़्ट और गार्नेटित स्टाक है)		
5305 00	-	नारियल, अकाबा (मनीला हेंप या म्यूजा टेक्सटाइल भी), रेमी और अन्य वनस्पति टेक्सटाइल फाइबर जो अन्यत्र विनिर्दिख़्ट या सम्मिलित नहीं हैं, अपरिख़्कृत या प्रसंस्कृत किंतु अनकते ; इन फाइबरों के टो, नायल और अपशिख़्ट (जिसके अंतर्गत सूत अपशिख़्ट और गार्नेटित स्टाक है):		
5305 00 10	---	कयर के ब्रिस्टल फाइबर	कि.ग्रा.	8%
5305 00 20	---	कयर के मैट्रेस फाइबर	कि.ग्रा.	8%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
5305 00 30	---	कर्लड या मशीन टिवस्टेड कयर के फाइबर	कि.ग्रा.	8%
5305 00 40	---	कयर के पिथ	कि.ग्रा.	8%
5305 00 50	---	अबाका के	कि.ग्रा.	8%
5305 00 90	---	अन्य के	कि.ग्रा.	8%ङ

(47) अध्याय 54 में,—

(?) शीर्ख, अध्याय शीर्ख .मानव निर्मित फिलामेंट,ङ के स्थान पर .मानव निर्मित फिलामेंट ; पट्टियां और वैसी ही मानव निर्मित टेक्सटाइल सामग्रीङ रखा जाएगा ;

(??) टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

.1. इस पूरी अनुसूची में रु मानव निर्मित फाइबर- पद से कार्बनिक बहुलकों के स्टेपल फाइबर या फिलामेंट अभिप्रेत हैं जो या तो—

(क) पालीमाइन. पालिएस्टर, पालियोलेफिल या पालीयूरेथेन जैसे पालीमर उत्पादों के कार्बनिक विकल्पों के बहुलकक से या पाली के (फिनाइल एसीटेट) हाइड्रोलिसेस से निर्मित इस प्रक्रिया से उत्पादित पालीमर के रासायनिक रूपांतरण (उदाहरणार्थ पाली (बिनाइल एस्कोहल) की विनिर्माण प्रक्रियाओं से उत्पादित किए गए हैं ; या

(ख) क्यूपरा मोनियम रेयन (क्यूपरो) या विस्कोस रेयन जैसे पालीमर उत्पादों के कार्बनिक बहुलकों (उदाहरणार्थ सेलुलोस) के विघटन या रासायनिक अभिक्रिया या सेलुलोस एसीटेट या एलीनेट जैसे पालीमर उत्पादों के प्राकृतिक, कार्बनिक बहुलकों के रासायनिक रूपांतरण (उदाहरणार्थ सेलुलोस सेसीन और अन्य प्रोटीन या एल्जीनिक ऐसिड) की,

विनिर्माण प्रक्रियाओं से उत्पादित किए गए हैं ;

फाइबर के संबंध में प्रयुक्त रुसंश्लिख्ट- और रुकृत्रिम- पदों से (क) पर परिभाख़ित संश्लिख्ट रु फाइबर-, (ख) पर यथा परिभाख़ित कृत्रिम : फाइबर अभिप्रेत हैं । पट्टि और शीर्ख 5404 या 5405 की वैसी ही मदों को मानव निर्मित फाइबर के रूप में नहीं समझा जाता है ।

.मानव निर्मितङ .संश्लिख्टङ और .कृत्रिमङ पदों के .टेक्सटाइल सामग्रीङ के संबंध में प्रयुक्त किए जाने पर वही अर्थ होंगे ।

(???) शीर्ख 5402 में,—

(क) उपशीर्ख 5402 10, टैरिफ मद 5402 10 10 और 5402 10 90 और उनसे संबंधित प्रविख्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

	.-	नायलान या पालिएमाइट का उच्च लगिख्णुता सूत :		
5402 11 10	---	एरामाइड के	कि.ग्रा	16%
5402 19	--	अन्य :		
5402 19 10	---	नायलान टायर	कि.ग्रा	16%
5402 19 90	---	अन्य	कि.ग्रा	16%ङ

(ख) टैरिफ मद 5402 33 00 और उससे संबंधित प्रविख्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

.5402 34 00	--	पालीप्रोपीलीन के	कि.ग्रा	16% ङ

(ग) टैरिफ मद 5402 41 00 से 5402 49 00 और उनसे संबंधित प्रविख्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

.5402 44 00	--	इलास्टोमेरिक	कि.ग्रा	16%
5402 45 00	--	अन्य, नायलान या अन्य पालिएमाइट का	कि.ग्रा	16%
5402 46 00	--	अन्य पालिएस्टर का, भागतः अभिविन्यस्त	कि.ग्रा	16%
5402 47 00	--	अन्य पालिएस्टर का	कि.ग्रा	16%
5402 48 00	--	अन्य, पालिप्रोपीलीन का	कि.ग्रा	16%
5402 49 00	--	अन्य	कि.ग्रा	16%ङ

(?=) शीर्ख 5403 में, टैरिफ मद 5403 20 00 और उससे संबंधित प्रविख्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ख 5404 में, टैरिफ मद 5404 10 00 और उससे संबंधित प्रविख्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ख, टैरिफ मद और प्रविख्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

	.-	मोनोफिलामेंट :		
5404 11 00	--	इलास्टोमैरिक	कि.ग्रा.	16%
5404 12 00	--	अन्य, पालीप्रोपीलीन का	कि.ग्रा.	16%
5404 19	-	अन्य :		
5404 19 10	---	संश्लिख्ट सूत की कैटगट अनुकृति, रोगाणुरहित न की गई	कि.ग्रा.	16%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
5404 19 20	---	पट्टी और संश्लिष्ट फाइबर की वैसी ही सामग्री	कि.ग्रा.	16%
5404 19 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%”

(=?) शीर्ष 5406, टैरिफ मद 5406 10 00 और 5406 20 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

5406		मानवनिर्मित फिलामेंट सूत (सिलाई के धागे से भिन्न) फुटकर विक्रय के लिए रखा गया		
“5406 00	-	मानवनिर्मित फिलामेंट सूत (सिलाई के धागे से भिन्न) फुटकर विक्रय के लिए रखा गया :		
5406 00 10	---	संश्लिष्ट फिलामेंट सूत	कि.ग्रा.	16%
5406 00 20	---	कृत्रिम फिलामेंट सूत	कि.ग्रा.	16%”

(48) अध्याय 55 में,—

(?) शीर्ष 5501 में, टैरिफ मद 5501 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“5501 40 00	-	पालीप्रोपीलीन के	कि.ग्रा.	16%”

(??) शीर्ष 5503 में, टैरिफ मद 5503 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

	“-	नायलान के या अन्य पालिएमाइड के		
5503 11 00	--	एरामिड्स के	कि.ग्रा.	16%
5503 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	16%”

(???) शीर्ष 5513 में, टैरिफ मद 5513 22 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 42 00 और 5513 43 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ष 5514 में,—

(क) उपशीर्ष 5514 13 की टैरिफ मद 5514 13 10 और 5514 13 20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 5514 29 00 से 5514 39 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“5514 29 00	--	अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	8%
5514 30	-	विभिन्न रंगों के सूत के :		
5514 30 11	----	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का 3-धागा या 4-धागा ट्वील जिसके अंतर्गत क्रास है	व.मी.	8%
5514 30 12	----	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर, सादा व्यूति के	व.मी.	8%
5514 30 13	----	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	8%
5514 30 19	----	अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	8%”

(=) शीर्ष 5515 में, उपशीर्ष 5515 92 की टैरिफ मद 5515 92 10 से 5515 92 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(49) अध्याय 56 में,—

(?) टिप्पण 1 के खंड (ड) में, “(अनुभाग 15)” कोष्ठकों, शब्द और अंकों के स्थान पर, “(साधारणतया अनुभाग 14 और 15)” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(??) शीर्ष 5604 में, उपशीर्ष 5604 20 की टैरिफ मद 5604 20 10 और 5604 20 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 5607 में, उपशीर्ष 5607 10 की टैरिफ मद 5607 10 10 और 5607 10 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(50) अध्याय 57 में, शीर्ष 5702 में, टैरिफ मद 5702 49 90, उपशीर्ष 5702 51, टैरिफ मद 5702 51 10 से 5702 51 40, उपशीर्ष 5702 52 की टैरिफ मद 5702 52 10 से 5702 52 90, उपशीर्ष 5702 59 की टैरिफ मद 5702 59 10 से 5702 59 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“5702 49 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5702 50	-	अन्य, जो रोंआ सन्निर्माण के नहीं हैं, अनिर्मित :		
	---	मानव निर्मित टेक्सटाइल सामग्री के :		
5702 50 21	---	कालीन, कारपेटिंग और रग	व.मी.	8%
5702 50 22	----	पायदान और चटाई	व.मी.	8%

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
5702 50 29	---- अन्य	व.मी.	8%
	--- अन्य टैक्सटाइल सामग्री के :		
5702 50 31	---- दरी और अन्य फर्श विछायतें, दरियों से भिन्न सूती	व.मी.	8%
5702 50 32	---- रेशम की दरियां और अन्य फर्श विछायतें	व.मी.	8%
5702 50 33	---- पायदान और अन्य वैसे ही माल	व.मी.	8%
5702 50 39	---- अन्य	व.मी.	8%ऊ

(51) अध्याय 58 में, शीर्ष 5803 के उपशीर्ष 5803 10 की टैरिफ मद 5803 10 10 से 5803 10 90, उपशीर्ष 5803 90 की टैरिफ मद 5803 90 10 से 5803 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

.5803 00	- गाज, 5806 शीर्ष के संकीर्ण फैब्रिक से भिन्न :		
	--- सूत की :		
5803 00 11	---- अविरंजित	व.मी.	8%
5803 00 12	---- विरंजित	व.मी.	8%
5803 00 13	---- रंजित थान	व.मी.	8%
5803 00 14	---- रंजित सूत	व.मी.	8%
5803 00 15	---- छपे हुए	व.मी.	8%
5803 00 19	---- अन्य	व.मी.	8%
	--- अन्य टैक्सटाइल सामग्री के:		
5803 00 91	---- रेशम या रेशम अपशिष्ट के	व.मी.	8%
5803 00 92	---- संश्लिष्ट फाइबर के	व.मी.	8%
5803 00 93	---- कृत्रिम फाइबर के	व.मी.	8%
5803 00 99	---- अन्य	व.मी.	8%ऊ

(52) अध्याय 59 में, टिप्पण 5 के खंड (ज) में, .(अनुभाग 15)ऊ कोष्ठकों, शब्द और अंकों के स्थान पर, .(साधारणतया अनुभाग 14 या 15)ऊ कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(53) अध्याय 60 में, शीर्ष 6005 की टैरिफ मद 6005 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(54) अध्याय 61 में,–

(?) शीर्ष 6101 में, उपशीर्ष 6101 10 की टैरिफ मद 6101 10 10 से 6101 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 6103 में, टैरिफ मद 6103 11 00, 6103 12 00, उपशीर्ष 6103 19 की टैरिफ मद 6103 19 10 से 6103 21 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

.6103	पुरुषों और लड़कों के सूट, जोड़ा, जेकेट, ब्लेजर, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवर आल, ब्रीच और निकर (तरण परिधान से भिन्न बुने या क्रोशियाकृत)		
6103 10	- सूट :		
6103 10 10	--- रेशम के	इ.	8%
6103 10 20	--- सूत के	इ.	8%
6103 10 30	--- कृत्रिम फाइबर के	इ.	8%
6103 10 90	--- अन्य	इ.	8%ऊ

(???) शीर्ष 6104 में, टैरिफ मद 6104 11 00, 6104 12 00 और 6104 21 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ष 6107 में, उपशीर्ष 6107 92 की टैरिफ मद 6107 92 10 और 6107 92 20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ष 6111 में, टैरिफ मद 6111 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) शीर्ष 6114 में, टैरिफ मद 6114 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=??) शीर्ष 6115 में, टैरिफ मद 6115 11 00, 6115 12 00, उपशीर्ष 6115 19 की टैरिफ मद 6115 19 10 से 6115 19 90, उपशीर्ष 6115 20 की टैरिफ मद 6115 20 10 से 6115 93 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

.6115	- पेंटी हौज, टाइट, स्टाकिंग, मोजे और अन्य हौजरी, (उदाहरणार्थ बेरीकोश वीन के लिए स्टाकिंग और न लगे तलों के जूतादि हैं), बुने या क्रोशियाकृत		
6115 10 00	- ग्रोजुएटेड कंप्रेशन हौजरी उदाहरणार्थ वेरीकोश वीन के लिए स्टाकिंग	इ.	8%
6115 21	-- अन्य पेंटी हौज और टाइट :		

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
6115 21 00	-- संश्लिष्ट फाइबर के, जिसके प्रति एकल सूत का माप 67 डेसीटैक्स से कम है	इ.	8%
6115 22 00	-- संश्लिष्ट फाइबर के, जिसके प्रति एकल सूत का माप 67 डेसीटैक्स से कम है	इ.	8%
6115 29	---- अन्य टेक्सटाइल सामग्री के :		
6115 29 10	--- रेशम के	इ.	8%
6115 29 20	--- ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के	इ.	8%
6115 29 30	--- कृत्रिम फाइबर के	इ.	8%
6115 29 90	--- अन्य	इ.	8%
6115 30 00	--- अन्य स्त्रियों की पूरी लंबाई या घुटने तक की लंबाई की हौजरी जिसके प्रति एकल सूत का माप 67 डेसीटैक्स से कम है	इ.	8%
6115 94 00	-- ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के	पीए	8%
6115 95 00	-- सूत के	पीए	8%
6115 96 00	-- संश्लिष्ट फाइबर के	पीए	8%"

(=???) शीर्ष 6117 में, उपशीर्ष 6117 20 की टैरिफ मद 6117 20 10 से 6117 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(55) अध्याय 62 में,—

(?) शीर्ष 6203 में, टैरिफ मद 6203 21 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 6205 में, टैरिफ मद 6205 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 6207 में, टैरिफ मद 6207 92 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ष 6209 में, टैरिफ मद 6209 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ष 6211 में, टैरिफ मद 6211 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) शीर्ष 6213 में, टैरिफ मद 6213 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(56) अध्याय 63 में,—

(?) शीर्ष 6302 में टैरिफ मद 6302 52 00 और 6302 92 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 6303 में टैरिफ मद 6303 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 6306 में,—

(क) टैरिफ मद 6306 11 00 और 6306 21 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 6306 29 90, 6306 31 00, उपशीर्ष 6306 39 की टैरिफ मद 6306 39 10 से 6306 49 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

.6306 29 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	8%
6306 30 00	- पाल	कि.ग्रा.	8%
6306 40 00	- वातिल गद्दे	इ.	8%"

(57) अध्याय 64 में,—

(?) शीर्ष 6401 में, उपशीर्ष 6401 91 की टैरिफ मद 6401 91 10 और 6401 91 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 6402 में, उपशीर्ष 6402 30 की टैरिफ मद 6402 30 10 और 6402 30 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 6403 में, टैरिफ मद 6403 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(58) अध्याय 65 में,—

(?) टैरिफ मद 6503 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 6506 में, टैरिफ मद 6506 92 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(59) अध्याय 66 में, शीर्ष 6603 के उपशीर्ष 6603 10 में, टैरिफ मद 6603 10 10 और 6603 10 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(60) अध्याय 68 में,—

(?) शीर्ख़ 6802 में, टैरिफ मद 6802 22 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 6811 में, टैरिफ मद 6811 10 00, उपशीर्ख़ 6811 20 की टैरिफ मद 6811 20 10 से 6811 20 90, उपशीर्ख़ 6811 30 की टैरिफ मद 6811 30 10 से 6811 90 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
“6811 40	- जिसमें एसबेस्टास है :		
6811 40 10	--- एसबेस्टास - सीमेंट की चादरें	कि.ग्रा.	16%
6811 40 20	--- एसबेस्टास - सीमेंट की टाइलें	कि.ग्रा.	16%
6811 40 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	16%
	- जिसमें एसबेस्टास नहीं हैः		
6811 81 00	-- नालीदार चादरें	कि.ग्रा.	16%
6811 82 00	-- अन्य चादरें, पैनल, टाइलें और वैसी ही वस्तुएं	कि.ग्रा.	16%
6811 83 00	-- ट्यूब पाइप और ट्यूब या पाइप फिटिंग	कि.ग्रा.	16%
6811 89 00	-- अन्य वस्तुएं	कि.ग्रा.	16%”;

(???) शीर्ख़ 6812 में, टैरिफ मद 6812 50 00, उपशीर्ख़ 6812 60 की टैरिफ मद 6812 60 11 से 6812 70 00, उपशीर्ख़ 6812 90 की टैरिफ मद 6812 90 11 से 6812 90 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
“6812 80 00	- क्रोसीडोलाइट के	कि.ग्रा.	16%
	- अन्य :		
6812 91 00	-- वस्त्र, वस्त्र उपसाधन, जूतादि और सिर के पहनावे	कि.ग्रा.	16%
6812 92	-- पेपर, मिल बोर्ड और फेल्ट :		
	--- मिलबोर्ड :		
6812 92 11	---- एसबेस्टास	कि.ग्रा.	16%
6812 92 19	---- अन्य	कि.ग्रा.	16%
6812 92 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	16%
6812 93 00	-- संपीडित एसबेस्टास फाइबर जोड, चादरों या रोलों में	कि.ग्रा.	16%
6812 99	-- अन्य :		
	--- लैगिंग योगिक :		
6812 99 11	---- एसबेस्टास	कि.ग्रा.	16%
6812 99 19	---- अन्य	कि.ग्रा.	16%
	--- एसबेस्टास पैकिंग जोड़ और गास्केट :		
6812 99 21	---- पैकिंग जोड़	कि.ग्रा.	16%
6812 99 22	---- गास्केट	कि.ग्रा.	16%
6812 99 90	---- अन्य	कि.ग्रा.	16%”;

(?=) शीर्ख़ 6813 में, टैरिफ मद 6813 10 00, उपशीर्ख़ 6813 90 की टैरिफ मद 6813 90 10 और 6813 90 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
“6813 20	-- जिसमें एसबेस्टास हैः		
6813 20 10	--- ब्रेक लाइनिंग्स और पैड	कि.ग्रा.	16%
6813 20 90	--- एसबेस्टास की घर्ख़ण सामग्री	कि.ग्रा.	16%
	-- जिसमें एसबेस्टास नहीं हैः		
6813 81 00	-- ब्रेक लाइनिंग्स और पैड	कि.ग्रा.	16%
6813 89 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	16%”;

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(61) अध्याय 70 में,ऽ

(?) उपशीर्ख़ टिप्पण में, .उपशीर्ख़ 7013 21 और 7013 31ऊ शब्दों और अंकों के स्थान पर, .उपशीर्ख़ 7013 22, 7013 33, 7013 41ऊ शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(??) टैरिफ मद 7012 00 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ख़ 7013, टैरिफ मद 7013 10 00 से 7013 39 00, उपशीर्ख़ 7013 91, टैरिफ मद 7013 91 10, 7013 91 90, उपशीर्ख़ 7013 99, टैरिफ मद 7013 99 10 और 7013 99 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ख़, उपशीर्ख़, टैरिफ मद तथा प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ऽ

.7013		इस प्रकार के कांच का, जिसका उपयोग मेज, रसोईघर, टॉयलेट, कार्यालय की अंतरंग सजावट या ऐसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता हो (उनसे भिन्न जो शीर्ख़ 7010 या 7018 में हैं)		
7013 10 00	-	कांच सिरेमिक का	कि.ग्रा.	16%
	-	कांच सिरेमिक से भिन्न स्टेमवेयर पीने के गिलास :		
7013 22 00	--	शीशा क्रिस्टल के	कि.ग्रा.	16%
7013 28 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	-	पीने के गिलास, कांच सिरेमिक से भिन्न :		
7013 33 00	--	शीशा क्रिस्टल के	कि.ग्रा.	16%
7013 37 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	-	कांच सिरेमिक से भिन्न मेज पर (पीने के गिलासों से भिन्न) या रसोई प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले किस्म के कांच का सामान :		
7013 41 00	--	शीशा क्रिस्टल	कि.ग्रा.	16%
7013 42 00	--	ऐसा कांच जिसके फुलाव का लीनीयर कोएफिशैन्ट 5 !10^6 प्रति कैल्विन से अधिक नहीं और तापमान 0 डिग्री सें.ग्रे. से 300 डिग्री सें.ग्रे. की रेंज में हो	कि.ग्रा.	16%
7013 49 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	-	अन्य कांच का सामान :		
7013 91 00	--	शीशा क्रिस्टल के	कि.ग्रा.	16%
7013 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	16%ऊ

(62) अध्याय 71 में,ऽ

(?) टिप्पण 2 में .(क)ऊ और .(ख)ऊ कोख़्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, .(अ)ऊ और .(आ)ऊ कोख़्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(??) टिप्पण 4 में .(क)ऊ .(ख)ऊ और .(ग)ऊ .2(ख)ऊ को छोड़कर, कोख़्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, .(अ)ऊ .(आ)ऊ और .(इ)ऊ कोख़्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(???) टिप्पण 9 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :ऽ

स्9. शीर्ख़ 7113 के प्रयोजनों के लिए .आभूख़ण की वस्तुएंऊ पद से अभिप्रेत हैं : ऽ

(क) वैयक्तिक श्रृंगार की कोई छोटी चीज (उदाहरणार्थ अंगूठी, ब्रासलेट, हार, ब्रुच, कान की बाली, घड़ी की चेनें, फोब, पेन्डेंट, टाई पिन, कफलिंक, पोशाक स्टड, धार्मिक या अन्य मेडल और अधिचिन्ह) ; और

(ख) वैयक्तिक उपयोग की इस प्रकार की वस्तुएं जिन्हें सामान्य रूप से जेब में हैंड बैग में या शरीर पर वहन किया जाता है (उदाहरणार्थ सिगार या सिगरेट केस या स्नफ बाक्स, कैचो या पिल बाक्स, पाउडर बाक्स, चेन पर्स या जपने की माला)।

इन वस्तुओं को उदाहरणार्थ प्राकृतिक या कलचरी मोती, बहुमूल्य या उपबहुमूल्य रत्नों, संश्लिख़्ट या पुनर्निर्मित बहुमूल्य या अर्धमूल्य रत्नों, कछुए के खोल, सीप, हाथी दांत, प्राकृतिक या पुनर्निर्मित अम्बर, जेट या शंख के साथ संयुक्त या सेट किए जा सकते हैं ।";

(?=) उपशीर्ख़ टिप्पण 2 में .4(ख)ऊ अंक, कोख़्ठक और अक्षर के स्थान पर, .4(आ)ऊ अंक, कोख़्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(63) अध्याय 72 में,ऽ

(?) शीर्ख़ 7225 में, उपशीर्ख़ 7225 20, टैरिफ मद 7225 20 11 से 7225 20 29 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 7226 में, टैरिफ मद 7226 93 00 और 7226 94 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ख़ 7229 में, टैरिफ मद 7229 10 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(64) अध्याय 73 में,ऽ

(?) शीर्ख़ 7304 में, उपशीर्ख़ 7304 10, टैरिफ मद 7304 10 11 से 7304 10 29, उपशीर्ख़ 7304 21, टैरिफ मद 7304 21 10, 7304 21 90, उपशीर्ख़ 7304 29, टैरिफ मद 7304 29 10, 7304 29 90, उपशीर्ख़ 7304 31, टैरिफ मद 7304 31 11 से 7304 31 39, उपशीर्ख़ 7304 39, टैरिफ मद 7304 39 11 से 7304 49 00, उपशीर्ख़ 7304 51, टैरिफ मद 7304 51 10 से 7304 51 30, उपशीर्ख़ 7304 59, टैरिफ मद 7304 59 10 से 7304 90 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद तथा प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ऽ

	.-	इस प्रकार की लाइन पाइप जिसका उपयोग तेल और गैस पाइप लाइन के लिए किया जाता है :		

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
7304 11	---	जंगरोधी इस्पात के :		
7304 11 10	---	नलिकाएं और पाइप	कि.ग्रा.	16%
7304 11 20	---	नलिकाओं और पाइपों के लिए ब्लैंक	कि.ग्रा.	16%
7304 11 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%
7304 19	--	अन्य :		
7304 19 10	---	नलिकाएं और पाइप	कि.ग्रा.	16%
7304 19 20	---	नलिकाओं और पाइपों के लिए ब्लैंक	कि.ग्रा.	16%
7304 19 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	-	इस प्रकार की केसिंग, नलिका और प्रबेधन पाइप जिसका प्रयोग तेल या गैस के प्रबेधन के लिए किया जाता है :		
7304 22 00	--	जंगरोधी इस्पात के प्रबेधन पाइप	कि.ग्रा.	16%
7304 23	--	अन्य प्रबेधन पाइप :		
7304 23 10	---	लौह	कि.ग्रा.	16%
7304 23 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%
7304 24 00	--	अन्य, जंगरोधी इस्पात	कि.ग्रा.	16%
7304 29	--	अन्य :		
7304 29 10	---	लौह	कि.ग्रा.	16%
7304 29 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	-	अन्य, गोलाकार अनुप्रस्थ काट के लौह या अयस्क इस्पात के :		
7304 31	---	शीत कर्ख़ण या शीत वेलित (शीत पुनर्परिवर्तित):		
	---	114.3 मिमी बाह्य व्यास तक के :		
7304 30 11	----	लौह	कि.ग्रा.	16%
7304 31 19	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	---	114.3 मिमी से ऊपर किन्तु 219.1 मिमी तक बाह्य व्यास के :		
7304 31 21	----	लौह	कि.ग्रा.	16%
7304 31 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	---	219.1 मिमी से अधिक व्यास :		
7304 31 31	----	लौह	कि.ग्रा.	16%
7304 31 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%
7304 39	--	अन्य :		
	---	114.3 बाह्य व्यास तक के :		
7304 39 11	----	लौह	कि.ग्रा.	16%
7304 39 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	---	114.3 मिमी से ऊपर किन्तु 219.1 मिमी तक बाह्य व्यास के :		
7304 39 21	----	लौहे	कि.ग्रा.	16%
7304 39 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	---	219.1 मिमी से अधिक व्यास :		
7304 39 31	----	लौह	कि.ग्रा.	16%
7304 39 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	-	अन्य, गोलाकार अनुप्रस्थ काट के लोहे या अयस्क इस्पात के :		
7304 41 00	--	शीत कर्ख़ण या शीत वेल्लित (शीत पुनर्परिवर्तित)	कि.ग्रा.	16%
7304 49 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	16%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
	-	अन्य, अयस्क इस्पात के गोलाकार अनुप्रस्थ काट के :		
7304 51	--	शीत कर्ख़ण या शीत वेल्लित (शीत पुनर्परिवर्तित) :		
7304 51 10	---	114.3 बाह्य व्यास तक के	कि.ग्रा.	16%
7304 51 20	---	114.3 मिमी से ऊपर किन्तु 219.1 मिमी तक बाह्य व्यास के	कि.ग्रा.	16%
7304 51 30	---	219.1 मिमी से अधिक व्यास के	कि.ग्रा.	16%
7304 59	--	अन्य :		
7304 59 10	---	114.3 बाह्य व्यास तक के	कि.ग्रा.	16%
7304 59 20	---	114.3 मिमी से ऊपर किन्तु 219.1 मिमी तक बाह्य व्यास के	कि.ग्रा.	16%
7304 59 30	---	219.1 मिमी से अधिक व्यास के	कि.ग्रा.	16%
7304 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	16%ः

(??) शीर्ख़ 7306 में, उपशीर्ख़ 7306 10, टैरिफ मद 7306 10 11 से 7306 10 29, उपशीर्ख़ 7306 20, टैरिफ मद 7306 20 10 से 7306 20 90, उपशीर्ख़ 7306 30, टैरिफ मद 7306 30 10 से 7306 50 00, उपशीर्ख़ 7306 60, टैरिफ मद 7306 60 10 और 7306 60 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद तथा प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :&

	.-	इस प्रकार की लाइन पाइप जिसका उपयोग तेल और गैस पाइप लाइन के लिए किया जाता है :		
7306 11 00	--	वेल्ड की गई जंगरोधी इस्पात की	कि.ग्रा.	16%
7306 19	--	अन्य :		
	---	गाल्वनिकृत पाइप :		
7306 19 11	----	लौह	कि.ग्रा.	16%
7306 19 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	---	अगाल्वनिकृत पाइप :		
7306 19 21	----	लौह	कि.ग्रा.	16%
7306 19 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%
	-	इस प्रकार की केसिंग और नलिका जिसका उपयोग तेल या गैस के प्रबेधन के लिए किया जाता है :		
7306 21 00	--	वेल्ड की गई जंगरोधी इस्पात की	कि.ग्रा.	16%
7306 29	--	अन्य :		
7306 29 11	----	लौह	कि.ग्रा.	16%
7306 29 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%
7306 30	-	अन्य, वेल्ड की गई लोहे या अमिश्रधातु इस्पात की गोलाकार अनुप्रस्थ काट :		
7306 30 10	---	लौह	कि.ग्रा.	16%
7306 30 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%
7306 40 00	-	अन्य, वेल्ड की गई जंगरोधी इस्पात की गोलाकार अनुप्रस्थ काट की	कि.ग्रा.	16%
7306 50 00	-	अन्य, वेल्ड की गई, अन्य अमिश्रधातु इस्पात की गोलाकार अनुप्रस्थ काट की	कि.ग्रा.	16%
	-	अन्य, वेल्ड की गई, अगोलाकार अनुप्रस्थ काट :		
7306 61 00	--	वर्गाकार या आयताकार अनुप्रस्थ काट की	कि.ग्रा.	16%
7306 69 00	--	अन्य, अर्गोलाकार अनुप्रस्थ काट	कि.ग्रा.	16%
7306 90	-	अन्य :		
7306 90 11	----	लौह	कि.ग्रा.	16%
7306 90 19	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%
7306 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%ः

(???) शीर्ख़ 7314 में, टैरिफ मद 7314 13 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ख़ 7319 में, उपशीर्ख़ 7319 10 टैरिफ मद 7319 10 10 से 7319 10 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ख़ 7321 में, उपशीर्ख़ 7321 13, टैरिफ मद 7321 13 10 से 7321 13 90, उपशीर्ख़ 7321 83, टैरिफ मद 7321 83 10 और 7321 83 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद तथा प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :&

.7321 19	--	अन्य, जिसके अंतर्गत ठोस ईंधन के लिए साधित्र भी है :		
7321 19 10	---	कुकर और रसोई के स्टोव	इ0	16%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
7321 19 90	---	अन्य स्टोव और साधित्र	इ0	16%
7321 89	--	अन्य, जिसके अंतर्गत ठोस ईंधन के लिए साधित्र भी हैं :		
7321 89 10	---	चीनीमिट्टी के तंदूर (लोहे या इस्पात की बोडी वाले ओवन और मिट्टी के ग्रेट्स)	कि.ग्रा.	16%
7321 89 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%ङु

(65) अध्याय 74 में,ः—

(?) टिप्पण 1 के खंड (च) में, .किन्तुङु शब्द से आरंभ होने वाले और .अधिक नहीं हैंङु शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 7401 में, टैरिफ मद 7401 10 00 और 7401 20 00 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद तथा प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ः—

.7401 00	-	तांबे की मैट ; सिमेंट तांबा (पूर्वक्षेपित तांबा) :		
7401 00 10	---	तांबे की मैट	कि.ग्रा.	16%
7401 00 90	---	सिमेंट तांबा (पूर्वक्षेपित तांबा)	कि.ग्रा.	16%ङु

(???) शीर्ख़ 7403 में, उपशीर्ख़ 7403 23 की मद 7403 23 10 और 7403 23 20 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ख़ 7407 में, उपशीर्ख़ 7407 22 टैरिफ मद 7407 22 10 और 7407 22 20 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ख़ 7414 में, उपशीर्ख़ 7414 20 टैरिफ मद 7414 20 10 से 7414 20 90, उपशीर्ख़ 7414 90 टैरिफ मद 7414 90 10 से 7414 90 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) टैरिफ मद 7416 00 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=??) शीर्ख़ 7417 में, उपशीर्ख़ 7417 00 टैरिफ मद 7417 00 11 से 7417 00 99 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(66) अध्याय 78 में,ः—

(?) शीर्ख़ 7803 में, उपशीर्ख़ 7803 00, टैरिफ मद 7803 00 11, से 7803 00 30 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 7805 में, उपशीर्ख़ 7805 00, टैरिफ मद 7805 00 10 और 7805 00 20 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(67) अध्याय 79 में, शीर्ख़ 7906 में, उपशीर्ख़ 7906 00, टैरिफ मद 7906 00 10 और 7906 00 20 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(68) अध्याय 80 में,ः—

(?) टिप्पण 1 के खंड (घ) में, .शीर्ख़ 8004ङु शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाले और .नहीं कर लेते हैंङु शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 8004 में, उपशीर्ख़ 8004 00, टैरिफ मद 8004 00 10 और 8004 00 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) टैरिफ मद 8005 00 00 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ख़ 8006 में, उपशीर्ख़ 8006 00, टैरिफ मद 8006 00 10 और 8004 00 20 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(69) अध्याय 81 में,ः—

(?) शीर्ख़ 8101 में, उपशीर्ख़ 8101 95, टैरिफ मद 8101 95 10 और 8101 95 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ख़ 8112 में, उपशीर्ख़ 8112 30, टैरिफ मद 8112 30 10 से 8112 30 90, उपशीर्ख़ 8112 40, टैरिफ मद 8112 40 10 से 8112 40 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(70) अध्याय 83 में, टैरिफ मद 8311 90 00 के स्तंभ (2) में की प्रविख़्टि में .जिनके अंतर्गत पुर्जे हैंङु शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(71) अनुभाग 16 में,ः—

(?) टिप्पण 1 के खंड (ख) में .शीर्ख़ 4204ङु शब्द और अंकों के स्थान पर .शीर्ख़ 4205ङु शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(??) टिप्पण 2 के खंड (क) और (ग) में .8485ङु अंकों के स्थान पर .8487ङु अंक रखे जाएंगे ;

(72) अध्याय 84 में,ः—

(?) टिप्पण 1 में खंड (ङ) और (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :ः—

.(ङ) शीर्ख़ 8508 के वैक्यूम क्लीनर ;

(च) शीर्ख़ 8509 के विद्युत यांत्रिक घरेलू साधित्र ; शीर्ख़ 8525 के अंकीय कैमरे ; या

(छ) हस्तप्रचालित यांत्रिक मार्जित्र जिसमें मोटर नहीं लगी है (शीर्ख़ 9603) ।ङु

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)

(??) टिप्पण 2 में,–

(क) .अनुभाग 16ङ शब्दों से आरंभ होने वाले और .समूह केङ शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

.अनुभाग 16 के टिप्पण 3 के प्रवर्तन के अधीन रहते हुए और इस अध्याय के टिप्पण 9 के अधीन रहते हुए ऐसी किसी मशीन या साधित्र को जो शीर्ष 8401 से 8424 तक या शीर्ष 8486 के किसी एक या अधिक शीर्ष में के वर्णन के और उसके साथ ही शीर्ष 8425 से 8480 तक में से किसी एक या अन्य के शीर्ष में के वर्णन के अनुरूप है, यथास्थिति, शीर्ष 8401 से 8424 के समुचित शीर्ष के अधीन या शीर्ष 8486 के अधीन और न कि 8425 से 8480 के अधीन, वर्गीकृत किया जाएगा ।ङ;

(ख) .(शीर्ष 8443 या 8471)ङ कोष्ठक, शब्द और अंकों के स्थान पर, .(शीर्ष 8443)ङ कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(???) टिप्पण 5 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :–

.5.(अ) शीर्ष 8471 के प्रयोजनों के लिए .स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीनङ पद से अभिप्रेत है ऐसी मशीन जो :–

(?) प्रक्रमण प्रोग्राम या प्रोग्रामों को और कम से कम उस डाटा को जो प्रोग्राम के निष्पादन के लिए तुरंत आवश्यक है संग्रहण करने के लिए समर्थ है ;

(??) उपयोक्ता की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रोग्रामित किए जाने के लिए सक्षम है ;

और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

(???) उपयोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट अंकगणितीय संगणना करने के लिए समर्थ है ; और

(?=) मानव मध्यक्षेप के बिना ऐसे प्रक्रमण प्रोग्राम को जो प्रक्रमण कार्य दौरान तर्कसंगत विनिश्चय द्वारा उनके निष्पादन को उपांतरित करने की अपेक्षा करते हैं, निष्पादित करने के लिए समर्थ है ।

(आ) स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीने ऐसे तंत्र के रूप में हो सकती हैं जिनमें पृथक् इकाइयों की परिवर्ती संख्या है ।

(इ) पैरा (ई) और (उ) के अधीन रहते हुए कोई इकाई किसी स्वचालित डाटा प्रक्रमण तंत्र का भाग समझी जाएगी, यदि वह निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करती है :

(?) वह किसी स्वचालित डाटा प्रक्रमण तंत्र में एकमात्र रूप से या मुख्यतः उपयोग की जाने वाली किस्म की है ;

(??) वह केन्द्रीय प्रक्रमण यूनिट से या प्रत्यक्षतः अथवा एक या अधिक अन्य यूनिटों के माध्यम से संयुक्त होने योग्य है ;

(???) वह ऐसे रूप (कोड या संकेत) में जो उस तंत्र द्वारा उपयोग मे लाया जा सकता है डाटा प्रतिगृहीत या परिदत्त करने मे समर्थ है ।

पृथकतः प्रस्तुत ऐसी स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीनों की यूनिटें शीर्ष 8471 में वर्गीकृत की जाएंगी ।

तथापि, की-बोर्ड, एक्स-वाई समन्वय निवेश युक्तियां और डिस्क भंडारण यूनिटें, जो ऊपर शर्त (??) और (???) का समाधान करती हैं, सभी दशाओं में शीर्ष 8471 की यूनिटों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे ।

(ई) शीर्ष 8471 के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं जब वे पृथक्तः प्रस्तुत किए जाते हैं भले ही वे पैरा (इ) में उपवर्णित शर्तों को पूरा करते हों :

(?) प्रिंटर, प्रतिलिपि मशीन, अनुलिपि मशीन, चाहे वे संयुक्त हों या नहीं ;

(??) पारेषण या ध्वनि, छाया या अन्य डाटा के प्रतिग्रहण के लिए उपस्कर जिसके अंतर्गत तार या बेतार नेटवर्क में संचार के लिए उपस्कर भी हैं (जैसे किसी स्थानीय या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क) ;

(???) लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन ;

(?=) टेलीविजन कैमरा, अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर ;

(=) मोनिटर और प्रक्षेपित्र, जिनमें टेलीविजन प्रतिग्रहण उपस्कर न लगे हों ।

(उ) मशीनें जिनमें कोई स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीन लगी हो या उसके सहयोग से कार्य कर रही हों और डाटा प्रक्रमण से भिन्न कोई विनिर्दिष्ट कृत्य कर रही हों, अपने कृत्यों से समुचित शीर्षों में वर्गीकृत किया जाएगा या उसके न हो सकने पर शेष शीर्षों में वर्गीकृत किया जाएगाङ

(?=) टिप्पण 8 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

.9.(अ) अध्याय 85 के टिप्पण 8 के खंड (क) और (ख), इस टिप्पण और शीर्ष 8486 में उपयोग किए गए .अर्धचालक युक्तियांङ और .इलैक्ट्रोनिक एकृकीत परिपथङ पदों को भी क्रमशः लागू होंगे । तथापि इस टिप्पण और शीर्ष 8586 के प्रयोजनों के लिए, .अर्धचालक युक्तियांङ के अंतर्गत फोटो सुग्राही अर्धचालक युक्तियां और प्रकाश उत्सर्जन डायोड भी आते हैं ।

(आ) इस टिप्पण और शीर्ष 8486 के प्रयोजनों के लिए .चपटे पैनल प्रदर्शों का विनिर्माणङ पद के अंतर्गत किसी चपटे पैनल में सबस्ट्रेट का निर्माण आता है । इसके अंतर्गत कांच का विनिर्माण या चपटे पैनल में मुद्रित परिपथ बोर्डों या अन्य इलैक्ट्रोनिक संघटकों का संयोजन नहीं आता है ।ङ।

.चपटे पैनल प्रदर्शङ पद के अंतर्गत कैथोड-रे टयूब नहीं आती है ।

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)

(इ) शीर्ख़ 8486 में निम्नलिखित के लिए उपयोग की जाने वाली एकमात्र रूप से या मुख्यतः उपयोग की जाने वाली किस्म की मशीनें और उपस्कर सम्मिलित नहीं हैं :

(?) मास्क और रेटिकल का विनिर्माण और मरम्मत ;

(??) अर्धचालक या इलैक्ट्रानिक एकीकृत परिपथों का संयोजन ; और

(???) बाउल, वेफर, अर्धचालक युक्तियों, इलेक्ट्रानिक एकीकृत परिपथों और चपटे पैनल प्रदर्शों को उठाना, संभलाइ करना, लदाई या उतराई करना।

(ई) अनुभाग 16 के टिप्पण 1 और अध्याय 84 के टिप्पण 1 के अधीन रहते हुए शीर्ख़ 8486 में वर्णन की मशीनें और उपस्कर उस शीर्ख़ में वर्गीकृत किए जाएंगे न कि इस अनुसूची के किसी अन्य शीर्ख़ में ।ु

(=) उपशीर्ख़ टिप्पण 1 में .टिप्पण 5(आ)ु शब्द, अंक, कोख़्ठक और अक्षर के स्थान पर, .टिप्पण 5(इ)ु शब्द, अंक, कोख़्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(=?) शीर्ख़ 8418 में,ॐ

(क) टैरिफ मद 8418 22 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 8418 50 00 के स्तंभ (2) में की प्रविख़्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविख़्टि रखी जाएगी, अर्थात् :ॐ

.भंडारण और प्रदर्शन के लिए अन्य फर्नीचर (चेस्ट, कैबिनेट, प्रदर्शन काउंटर, शोकेस और उसी प्रकार की वस्तुएं जो प्रशीतन या शीतन उपस्कर से सहयुक्त है)ु ;

(ग) टैरिफ मद 8418 61 00 के स्तंभ (2) में की प्रविख़्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविख़्टि रखी जाएगी, अर्थात् :ॐ

.शीर्ख़ 8415 की वायु शीतन मशीनों से भिन्न ऊख़्मा पम्पु ।

(=??) शीर्ख़ 8425 में टैरिफ मद 8425 20 00 और उससे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=???) शीर्ख़ 8428 में उपशीर्ख़ 8428 50 टैरिफ मद 8428 50 10 से 8428 50 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?!) शीर्ख़ 8442 में,ॐ

(क) स्तंभ (2) में की प्रविख़्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविख़्टि रखी जाएगी, अर्थात् :ॐ

.प्लेटें, मुद्रण संघटकों को तैयार करने या बनाने के लिए मशीनरी, उपकरण और उपस्कर (शीर्ख़ 8456 से 8465 के मशीन और औजारों से भिन्न) ; प्लेटें, बेलन और अन्य मुद्रण संघटक ; मुद्रण प्रयोजनों के लिए तैयार की गई प्लेटें, बेलन और लिथोमुद्रण परस्तर (उदाहरणार्थ समतल, कणित या पालिशकृत)ु ;

(ख) टैरिफ मद 8442 10 00, उपशीर्ख़ 8442 20, टैरिफ मद 8442 20 10 से 8442 20 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपशीर्ख़ 8442 30 के स्तंभ (2) में की प्रविख़्टि में, .अन्य मशीनरीु शब्दों के स्थान पर, .मशीनरीु शब्द रखा जाएगा ;

(घ) उपशीर्ख़ 8442 50, टैरिफ मद 8442 50 10 से 8442 50 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद तथा प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ॐ

.8442 50	-	प्लेटें, बेलन और अन्य मुद्रण संघटक ; मुद्रण प्रयोजनों के लिए तैयार की गई प्लेटें, बेलन और लिथोमुद्रण प्ररस्तर (उदाहरणार्थ समतल, कणित या पालिशकृत) :		
8442 50 10	---	प्लेटें और बेलन	कि.ग्रा.	16%
8442 50 20	---	लिथो मुद्रण प्लेटें	कि.ग्रा.	16%
	---	मुद्रण प्रयोजनों के लिए तैयार की गई प्लेटें, बेलन और लिथोमुद्रण परस्तर :		
8442 50 31	----	वस्त्र मुद्रण मशीन के लिए प्लेट और बेलन	कि.ग्रा.	16%
8442 50 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	16%
8442 50 40	---	ब्लॉक बनाने के लिए उच्च्व पालिशकृत तांबे के चादर	कि.ग्रा.	16%
8442 50 50	---	प्रसंस्करण ब्लॉक बनाने के लिए उच्च्व पालिशकृत जस्ते के चादर	कि.ग्रा.	16%
8442 50 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%ु

(!) शीर्ख़ 8443, टैरिफ मद 8443 11 00 से 8443 51 00, उपशीर्ख़ 8443 59, टैरिफ मद 8443 59 10 से 8443 59 90, उपशीर्ख़ 8443 60 टैरिफ मद 8443 60 10 से 8443 60 90, उपशीर्ख़ 8443 90, टैरिफ मद 8443 90 10 और 8443 90 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ख़, उपशीर्ख़, टैरिफ मद तथा प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ॐ

.8443		शीर्ख़ 8442 के प्लेटों, बेलनों और अन्य मुद्रण संघटकों के द्वारा मुद्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुद्रण मशीनरी ; अन्य प्रिंटर, प्रतिलिपि मशीनें और अनुलिपि मशीनें चाहे वे सहयुक्त हों या नहीं उनके पूर्जे और उपसाधन		
	-	शीर्ख़ 8442 के प्लेटों, बेलनों और अन्य मुद्रण संघटकों के द्वारा मुद्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुद्रण मशीनरी :		
8443 11 00	--	ऑफसेट मुद्रण मशीनरी, रील चढ़ी	इ0	16%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
8443 12 00	--	ऑफसेट मुद्रण मशीनरी, चादर चढ़ी कार्यालय की किस्म की (22 सें.मी. से अनधिक एक भुजा की और 36 सें.मी. से अनधिक अन्य भुजा की चादरें उपयोग करने के लिए बिना मुड़ी अवस्था में)	इ0	16%
8443 13 00	--	अन्य ऑफसेट मुद्रण मशीनरी	इ0	16%
8443 14 00	--	लेटरप्रेस मुद्रण मशीनरी, रील चढ़ी,फ्लेक्सोग्राफी मुद्रण को छोड़कर	इ0	16%
8443 15 00	---	लेटरप्रेस मुद्रण मशीनरी, रील चढ़ी से भिन्न, फ्लेक्सोग्राफी मुद्रण को छोड़कर	इ0	16%
8443 16 00	--	फ्लेक्सोग्राफिक्स मुद्रण मशीनरी	इ0	16%
8443 17 00	--	ग्रवूर मुद्रण मशीनरी	इ0	16%
8443 19 00	--	अन्य :		
	-	अन्य प्रिंटर, प्रतिलिपि मशीन और अनुलिपि मशीन चाहे संयुक्त हो या नहीं :		
8443 31 00	--	मशीने जो मुद्रण, प्रतिलिपि या अनुलिपि पारेख्रण के दो या दो से अधिक कृत्य करते हैं, किसी स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीन या किसी नेटवर्क से संबंध जोड़ने में समर्थ हैं	इ0	16%
8443 32 00	--	अन्य, किसी स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीन या किसी नेटवर्क से संबंध जोड़ने में समर्थ हैं	इ0	16%
8443 39	--	अन्य :		
8443 39 10	---	फ्लैट बेड प्रिंटिंग प्रेस	इ0	16%
8443 39 20	---	प्लेटन प्रिंटिंग प्रेस	इ0	16%
8443 39 30	---	प्रूफ प्रेस	इ0	16%
	---	पुनरावृत्त शब्दों या डिजाइन या रंग के लिए मशीनरी :		
8443 39 41	----	सूती वस्त्र की	इ0	16%
8443 39 49	----	अन्य	इ0	16%
	-	मुद्रण के लिए उपसाधन के उपयोग के लिए मशीनें :		
8443 39 51	----	स्वचालित पोख़क और चादर परिदान मशीन	इ0	16%
8443 39 52	----	श्रृंखला संख्यांकन मशीन	इ0	16%
8443 39 53	----	फोल्डर, गुजमनोज परफोरेटर और स्टेपलर	इ0	16%
8443 39 59	----	अन्य	इ0	16%
	-	पुर्जे और उपसाधन :		
8443 91 00	--	शीर्ख़ 8442 के प्लेटों, बेलनों और अन्य मुद्रण संघटकों के द्वारा मुद्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुद्रण मशीनरी के पुर्जे और उपसाधन :	कि.ग्रा.	16%
8443 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	16%ऽ

(!?) शीर्ख़ 8448 में उपशीर्ख़ 8448 41 टैरिफ मद 8448 41 10 से 8448 41 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!??) शीर्ख़ 8456, टैरिफ मद 8456 30 00, 8456 91 00, उपशीर्ख़ 8456 99, टैरिफ मद 8456 99 10 और 8456 99 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ख़, टैरिफ मद तथा प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ऽ

.8456 30 00	-	विद्युत उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा प्रचालित	इ0	16%
8456 90	-	अन्य :		
8456 90 10	---	अर्धचालक सामग्री पर शुख़्क निक्षारण पैटर्न के लिए	इ0	16%
8456 90 20	---	विद्युत रासायनिक मशीन	इ0	16%
8456 90 90	---	अन्य	इ0	16%ऽ

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(!???) शीर्ष 8469, टैरिफ मद 8469 11 00, 8469 12 00, उपशीर्ष 8469 20, टैरिफ मद 8469 20 10, 8469 20 90, उपशीर्ष 8469 30, टैरिफ मद 8469 30 10 और 8469 30 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

.8469		शीर्ष 8443 के प्रिंटरों से भिन्न टाइपराइटर ; शब्द प्रसंस्करण मशीनें		
8469 00	-	शीर्ष 8443 के प्रिंटरों से भिन्न टाइपराइटर ; शब्द प्रसंस्करण मशीनें :		
8469 00 10	---	शब्द प्रसंस्करण मशीन	इ0	16%
8469 00 20	---	स्वचालित टाइपराइटर	इ0	16%
8469 00 30	---	ब्रेल टाइपराइटर विद्युत	इ0	कुछ नहीं
8469 00 40	---	ब्रेल टाइपराइटर गैरविद्युत	इ0	कुछ नहीं
8469 00 90	---	अन्य टाइपराइटर विद्युत या गैरविद्युत	इ0	16%ङ

(!?=) शीर्ष 8470 में उपशीर्ष 8470 40, टैरिफ मद 8470 40 10 और 8470 40 20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!=) शीर्ष 8471 में,–

(क) टैरिफ मद 8471 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 8471 30 में और टैरिफ मद 8471 30 90 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के पश्चात् .अंकीयङ शब्द, जहां-जहां वह आता है, का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 8471 50 00 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के पश्चात् .अंकीयङ शब्द का लोप किया जाएगा ;

(!=?) शीर्ष 8472 में, टैरिफ मद 8472 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!=??) शीर्ष 8485, टैरिफ मद 8485 10 00 और 8485 90 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, टैरिफ मद तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

.8486		अर्धचालक बाउल या वेफर, अर्धचालक युक्तियों, इलेक्ट्रानिक एकीकृत परिपथ या चपटे पैनल प्रदर्शों के विनिर्माण के लिए एकमात्र रूप से या मुख्यतः प्रयोग किए जाने वाले प्रकार की मशीनें और उपस्कर ; इस अध्याय के टिप्पण 9(ग) में विनिर्दिष्ट मशीनें और उपस्कर ; पुर्जे और उपसाधन		
8486 10 00	-	बाउल या वेफर के विनिर्माण के लिए मशीनें और उपस्कर	इ0	16%
8486 20 00	-	अर्धचालक युक्तियों, इलेक्ट्रानिक एकीकृत परिपथ के विनिर्माण के लिए मशीने और उपस्कर	इ0	16%
8486 30 00	-	चपटे पैनल प्रदर्शो के विनिर्माण के लिए	इ0	16%
8486 40 00	-	इस अध्याय के टिप्पण 9(ग) में विनिर्दिष्ट मशीनें और उपस्कर	इ0	16%
8486 90 00	-	पुर्जे और उपसाधन	कि.ग्रा.	16%
8487		मशीनरी के पुर्जे जिनमें विद्युत संबंधक, प्रतिरोधक, कुंडलियां, संबंध या अन्य विद्युत की वस्तुएं अंतर्विष्ट न हों, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है		
8487 10 00	-	पोत या नौका नोदक और उसके लिए ब्लेड	इ0	16%
8487 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	16%ङ

(72) अध्याय 85 में,–

(?) टिप्पण 1 में,–

(क) खंड (ख) के अंत में आने वाले .याङ शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

.(ग) शीर्ष 8486 की मशीनें और उपस्कर,

(घ) चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले किस्म के निवात उपस्कर (अध्याय 90) ; या

(ङ) अध्याय 94 का विद्युत उपचारित फर्नीचर ।ङ

(??) टिप्पण 3 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

.(क) किसी भार के फर्श पालिशकरित्र, खाद्य पेख़णित्र और मिश्रण और रस या वनस्पति रस निख़्कख़ित्र ;ङ

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)

(???) टिप्पण 4, 5, 6, 7 और 8 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :৵

स्4.शीर्ष 8523 के प्रयोजनों के लिए :৵

(क) ठोस अवस्था ; अवाष्प्रशील भंडारण युक्तियां (उदाहरणार्थ ; .फ्लैश मेमोरी कार्ड3 या .फ्लैश इलैक्ट्रानिक भंडारण कार्ड3) किसी मुद्रित परिपथ बोर्ड पर आरूढ़ स्वीकृत परिपथों के रूप में एक या अधिक फ्लैश मेमोरी (उदाहरणार्थ3 फ्लैश .ई[2]पीआरओएम3)वाले उसी कक्ष में अंतर्विष्ट साकेट से जुड़ने वाली भंडारण युक्तियां है । उनमें किसी एकीकृत परिपथ के रूप में कोई नियंत्रक और विविक्त अक्रियाशील संघटक जैसे – संधारित और प्रतिरोधक, सम्मिलित है ;

(ख) .स्मार्ट कार्ड3 पद से ऐसे कार्ड अभिप्रेत हैं जिन पर चिपों के रूप में एक या अधिक इलैक्ट्रानिक एकीकृत परिपथों में इकोई माइक्रोप्रोसेसर, संयोगी पहुंच मेमोरी (आरएएम) या रीड ओनली मेमोरी (आरओएम)ट से एक उन पर आरूढ़ है । इन कार्डों में संबंध कोई चुंबकीय पट्टी या कोई आरूढ़ एंटीना हो सकेगा किन्तु कोई अन्य क्रियाशील या अक्रियाशील परिपथ अवयव न हो । 3 ।

5. शीर्ष 8534 के प्रयोजनों के लिए3 मुद्रित परिपथ3 वे परिपथ हैं जो किसी मुद्रण प्रक्रिया (उदाहरणार्थ, समुदभरण, लेपन, निक्षारण)द्वारा अथवा फिल्म परिपथ तकनीक चालक अवयवों, संबंधों या अन्य मुद्रित संघटकों (उदाहरणार्थ प्रेरकत्व, प्रतिरोधित सधारित्र) द्वारा किसी विद्युतरोधी आधार पर अकेले या किसी पूर्वनिश्चित पैटर्न के अनुसार उन अवयवों से भिन्न जो किसी विद्युत संकटों से उत्पन्न, दिष्कृत, मांडुलित या प्रवर्धित कर सकते हैं (उदाहरणार्थ अर्धचालक अवयव) अभिप्राप्त किए जाते हैं ।

.मुद्रित परिपथ3 पद के अंतर्गत ऐसे परिपथ नहीं हैं जो उन अवयवों से भिन्न, जो मुद्रण प्रक्रिया के दौरान अभिप्राप्त होते हैं, अवयवों से संयुक्त है और न ही इसके अंतर्गत व्यक्तिगत, विविक्त प्रतिरोधक, संधारित्र या प्रेरकत्व नहीं है । तथापि, मुद्रित परिपथों में अमुद्रित संबंधन अवयव फिर हो सकेंगे ।

पतले या मोटी फिल्म परिपथ, जिनमें एक ही प्रोद्योगिक प्रक्रिया के दौरान अभिप्राप्त अक्रिय और सक्रिय अवयव समाविष्ट हैं ।

6. शीर्ष 8536 के प्रयोजन के लिए, .प्रकाशीय फाइबरों3, प्रकाशीय फाइबर लडों या केबलों के लिए संबंधक से ऐसे संबंधक अभिप्रेत हैं जो किसी अंकीय लाइन प्रणाली में सिरे से सिरे तक प्रकाशीय फाइबरों के साथ यांत्रिक रूप से संयुक्त हैं । वे, कोई अन्य कृत्य जैसे किसी संकेत का प्रवर्धन, पुनरुपादन या उपान्तरण, नहीं करते हैं ।

7. शीर्ष 8537 के अंतर्गत टेलीविजन प्रतिग्राहियों या अन्य विद्युत उपस्कर (शीर्ष 8543) के दूरस्थ नियंत्रण के लिए कोर्डलेस अवरक्त युक्तियां सम्मिलित नहीं हैं ।

8. शीर्ष 8541 और 8542 के प्रयोजनों के लिए :

(क) डायोड, ट्रांजिस्टर और उसी प्रकार की अर्धचालक युक्तियां वे अर्धचालक युक्तियां हैं जिनका प्रचालन किसी विद्युत क्षेत्र के उपयोजन पर प्रतिरोधकता में परिवर्तनों पर आधारित हैं ;

(ख) .इलैक्ट्रानिक एकीकृत परिपथ3 हैं :৵

(?) मोनोलिथिक एकीकृत परिपथ, जिनमें परिपथ अवयव (डायोड, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र, प्रेरकत्त्व आदि) अधिक संख्या में (अनिवार्य रूप से) और किसी अर्धचालक या यौगिक अर्धचालक सामग्री (उदाहरणार्थ डोप्डड, सिलिकान, गैलियम, आरसीनाइड, सिलिकान जर्ममेनियम, इंडियन फास्फाइड) की सतह पर सृजित किए जाते हैं और अपृथक रूप से सहयोजित होते हैं ;

(??) संकर एकीकृत परिपथ, जिनमें पतली या मोटी फिल्मी प्रौद्योगिकी द्वारा अभिप्रेत अक्रिय अवयव (प्रतिरोधित्र, संघारित्र, प्रेरक्त्व आदि) और सक्रिय अवयव (डायोड, ट्रांजिस्टर, मोनोलिथिक एकीकृत परिपथ आदि) अर्धचालक प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त, अंतर संबंधों या अंतरसंबंधन केबलों द्वारा किसी एकल प्रतिरोधक सबस्ट्रेट (कांच, सैरेमिक आदि) पर सभी अभाज्य आशयों और प्रयोजनों से संयुक्त हैं । इन परिपथों में विविक्त संघटक भी सम्मिलित हो सकते हैं ;

(???) सभी अमान्य आशयों और प्रयोजनों से संयुक्त, चाहे एक या अर्ध प्रतिरोधक सबस्ट्रेट से हों या नहीं, सीसे के फ्रेम के साथ या उसके बिना, किन्तु किसी अन्य सक्रिय या अक्रिय परिपथ अवयव सहित दो या अधिक अंतर संबंधित मोनोलिथिक एकीकृत परिपथों से अंतर्विष्ट बहुचिपस्कीकृत परिपथ।

इस टिप्पण में परिभाषित वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए शीर्ष 8541 और 8542 इस अनुसूची में किसी अन्य शीर्ष पर, शीर्ष 8523 की दशा के सिवाय, जो उन्हें किसी प्रतिनिर्देश द्वारा विशिष्ट रूप से उनके कृत्य में अंतर्गत लाया जा सकेगा, अधिमानता लेंगे ।

9. शीर्ष 8548 के प्रयोजनों के लिए .भुक्तशेष प्राथमिक सेल, भुक्तशेष प्राथमिक बैटरियां और भुक्तशेष विद्युत संचायक वे हैं जो उनके टूटने, कर्तन या टूटने-फूटने या अन्य कारणों से उस रूप में न तो उपयोग किए जाने के लिए और न ही पुनःचार्ज किए जाने के लिए सक्षम हैं ।

10. शीर्ष 8523 के प्रयोजनों के लिए ध्वनि या अन्य परिघटनाओं का .अभिलेखन3 विनिर्माण की कोटि में आता है ।

(?=) उपशीर्ष टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :৵

.उपशीर्ष टिप्पण :

.उपशीर्ष 8527 12 के अंतर्गत केवल अंतःनिर्मित प्रवर्धक सहित, अंतःनिर्मित लाउडस्पीकर के बिना ऐसे कैसेट प्लेयर आते हैं जो विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत के बिना चलने में असमर्थ हैं और जिनकी विमाएं 170 मिमी. ! 100 मिमी. ! 45 मिमी. से अधिक नहीं है ।3

(=) अनुपूरक टिप्पण में, .85243 अंकों के स्थान पर .85233 अंक रखे जाएंगे;

(=?) शीर्ष 8505 में, टैरिफ मद 8505 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=??) टैरिफ मद 8507 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :৵

.8508		वैक्यूम क्लीनर		
	–	स्वतः अंतर्विष्ट विद्युत मोटर सहित :		
8508 11 00	--	1,500 वाट से अनधिक शक्ति का और 20 लिटर से अनधिक क्षमता के एक धुले थैले या अन्य पात्र सहित	इ0	16%

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
8508 19 00	-- अन्य	इ0	16%
8508 60 00	- अन्य वैक्यूम क्लीनर	इ0	16%
8508 70 00	- पुर्जे	कि.ग्रा.	16%ऄ

(=???) शीर्ख 8509 में,%

(क) स्तंभ (2) में की प्रविख्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविख्टि रखी जाएगी, अर्थात् :%

.शीर्ख 8508 के वैक्यूम क्लीनरों से भिन्न विद्युत यांत्रिक घरेलू साधित्र, स्वतः अंतर्विख्ट विद्युत मोटर सहितऄ

(ख) टैरिफ मद 8509 10 00 से 8509 30 00 और उनसे संबंधित प्रविख्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?!) शीर्ख 8517 में, उपशीर्ख 8517 11, टैरिफ मद 8517 11 10, 8517 11 90 उपशीर्ख 8517 19, टैरिफ मद 8517 19 11 से 8517 30 00, उपशीर्ख 851 50, टैरिफ मद 8517 50 10 से 8517 50 99, उपशीर्ख 8517 80, टैरिफ मद 8517 80 10 से 8517 80 90, उपशीर्ख 8517 90, टैरिफ मद 8517 90 10 और 8517 90 90 तथा उनसे संबंधित प्रविख्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ख, उपशीर्ख, टैरिफ मद तथा प्रविख्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

.8517	टेलीफोन सेट, जिसके अंतर्गत सेलूलर नेटवर्क के लिए या अन्य बेतार नेटवर्क के लिए टेलीफोन भी हैं ; पारेख़ण या आवाज छाया या अन्य डाटा को ग्रहण करने के लिए अन्य उपस्कर जिसके अंतर्गत तार या बेतार नेटवर्क में संचार के लिए उपस्कर भी हैं (जैसे स्थानीय या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क), शीर्ख 8443, 8525, 8527 या 8528 के पारेख़ण या ग्रहण करने के उपस्कर से भिन्न		
	- टेलीफोन सेट, जिसके अंतर्गत सेलूलर नेटवर्क के लिए या अन्य बेतार नेटवर्क के लिए टेलीफोन भी हैं :		
8517 11	-- कोर्डलेस हैंडसेट सहित लाइन टेलीफान सेट :		
8517 11 10	--- पुश बटन टाइप	इ0	16%
8517 11 90	--- अन्य	इ0	16%
8517 12	-- सेलूलर नेटवर्क के लिए या अन्य बेतार नेटवर्क के लिए टेलीफोन :		
8517 12 10	--- पुश बटन टाइप	इ0	16%
8517 12 90	--- अन्य	इ0	16%
8517 18	-- अन्य :		
8517 18 10	--- पुश बटन टाइप	इ0	16%
8517 18 90	--- अन्य	इ0	16%
	- पारेख़ण या आवाज छाया या अन्य डाटा को ग्रहण करने के लिए अन्य उपस्कर जिसके अंतर्गत तार या बेतार नेटवर्क में संचार के लिए उपस्कर भी हैं (जैसे स्थानीय या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क) :		
8517 61 00	-- आधार केन्द्र	इ0	16%
8517 62	-- आवाज, छाया या अन्य आंकड़ों को ग्रहण करने, संपरिवर्तन करने और पारेख़ण या पुनरुत्पादन के लिए मशीनें जिसके अंतर्गत स्वीचिंग और रूटिंग उपस्कर भी हैं :		
8517 62 10	--- पीएलसीसी उपकरण	इ0	16%
8517 62 20	--- आवाज प्रबलता टेलीग्राफी	इ0	16%
8517 62 30	--- मोडेम (मोडुलेटर-डिमोडुलेटर)	इ0	16%
8517 62 40	--- उच्च बिट दर अंकीय अभिदाता लाइन प्रणाली (एचडीएसएल)	इ0	16%
8517 62 50	--- अंकीय लूप वाहक प्रणाली (डीएलसी)	इ0	16%
8517 62 60	--- तुल्यकालिक अंकीय अनुक्रम प्रणाली(एसडीएच)	इ0	16%
8517 62 70	--- बहुविधिक अंकीय बहुविधिक	इ0	16%
8517 62 90	--- अन्य	इ0	16%
8517 69	-- अन्य :		
8517 69 10	--- आईएसडीएन प्रणाली	इ0	16%
8517 69 20	--- आईएसडीएन टर्मिनल अडेप्टर	इ0	16%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
8517 69 30	---	राऊटर्स	इ0	16%
8517 69 40	---	! 25 पैडस	इ0	16%
8517 69 50	---	अभिदाता अंतिम उपस्कर	इ0	16%
8517 69 60	---	इंटरनेट का लाभ लेने के लिए सेट टॉप बॉक्स	इ0	16%
8517 69 70	---	टेलीफोन के लिए संलग्नक	इ0	16%
8517 69 90	---	अन्य	इ0	16%
8517 70	-	पुर्जे :		
8517 70 10	---	पोपुलेटेड भारित या भरित मुद्रित सर्किट बोर्ड	कि.ग्रा.	16%
8517 70 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	16%ङ

(!) शीर्ष 8519 में, टैरिफ मद 8519 10 00, 8519 93 00, उपशीर्ष 8519 99, टैरिफ मद 8519 99 10 से 8519 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :&

.8519		ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण		
8519 20 00	-	सिक्कों, बैंक नोट, बैक कार्डों, टोकनो या संदाय की अन्य युक्ति द्वारा प्रचालित उपकरण	इ0	16%
8519 30 00	-	टर्नटेबल (रिकार्ड डेक)	इ0	16%
8519 50 00	-	टेलीफोन उत्तरण मशीन	इ0	16%
	-	अन्य उपकरण :		
8519 81 00	--	चुंबकीय, प्रकाशीय या अर्धचालक माध्यम का उपयोग करते हुए	इ0	16%
8519 89	--	अन्य :		
8519 89 10	---	आडियो काम्पेक्ट डिस्क प्लेयर	इ0	16%
8519 89 20	---	काम्पेक्ट डिस्क चेंजर जिसके अंतर्गत मिनी डिस्क प्लेयर या लेजर डिस्क प्लेयर भी है	इ0	16%
8519 89 30	---	टाइम कार्ड रिकार्डर	इ0	16%
8519 89 40	---	एमपी-3 प्लेयर	इ0	16%
8519 89 90	---	अन्य	इ0	16%ङ

(!?) शीर्ष 8520 में, टैरिफ मद 8520 10 00 से 8520 32 00, उपशीर्ष 8520 33, टैरिफ मद 8520 33 10, 8520 33 90, उपशीर्ष 8520 39, टैरिफ मद 8520 39 10, 8520 39 90, उपशीर्ष 8520 90, टैरिफ मद 8520 90 10, 8520 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!??) शीर्ष 8523 में, उपशीर्ष 8523 11, टैरिफ मद 8523 11 11 से 8523 11 29, उपशीर्ष 8523 12, टैरिफ मद 8523 12 11 से 8523 12 29, उपशीर्ष 8523 20, टैरिफ मद 8523 20 10 से 8523 30 00, उपशीर्ष 8523 90, टैरिफ मद 8523 90 10 से 8523 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :&

.8523		ध्वनि अभिलेखन या अन्य परिघटनाओं के लिए चाहे अभिलिखित किया गया हो या नहीं डिस्क, टेप, ठोस अवस्था अचल भंडारण युक्तियां .स्मार्ट कार्डङ और अन्य मीडिया, जिसके अंतर्गत डिस्कों के उत्पादन के लिए मेट्रिसिस और मास्टर्स भी हैं किन्तु जिसमें अध्याय 37 के उत्पाद नहीं हैं		
	-	चुंबकीय मीडिया		
8523 21 00	--	चुंबकीय पट्टियों से युक्त कार्ड	इ0	16%
8523 29	--	अन्य :		
8523 29 10	---	ऑडियो कैसेट	इ0	16%
8523 29 20	---	वीडियो कैसेट	इ0	16%
8523 29 30	---	वीडियो चुंबकीय टेप जिसके अंतर्गत वे भी हैं जिनमें हब और रील, रोल, पेन केक्स और जुंबोरोल में हों	इ0	16%
8523 29 40	---	3/4ङ और 1ङ वीडियो कैसेट	इ0	16%
8523 29 50	---	वीटाकैम, वीटाकैम एसपी/एम ⅏ वीएचएस टाइप वीसीआर के साथ कार्य करने के लिए समुचित 1/2ङ वीडियो कैसेट	इ0	16%

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
8523 29 60	--- अन्य वीडियो कैसेट और टेप 3/4ड्ड और 1ड्ड वीडियो कैसेट	इ0	16%
8523 29 70	--- सभी किस्म की चुंबकीय डिस्क	इ0	16%
8523 29 80	--- कार्ट्रिज टेप	इ0	16%
8523 29 90	--- अन्य	इ0	16%
8523 40	- प्रकाशीय मीडिया :		
8523 40 10	- अभिलेख के उत्पादन के लिए मैट्रिसेस ; तैयार अभिलेख ब्लैंक	इ0	16%
8523 40 20	- कार्ट्रिज टेप	इ0	16%
8523 40 30	- अंकीय वीसीआर के साथ कार्य करने के लिए समुचित 1/2ड्ड वीडियो कैसेट	इ0	16%
8523 40 40	- काम्पेक्ट डिस्क (ऑडियो)	इ0	16%
8523 40 50	- काम्पेक्ट डिस्क (वीडियो)	इ0	16%
8523 40 60	- काम्पेक्ट डिस्क के लिए स्टेम्पर उत्पादन के लिए ब्लैंक मास्टर डिस्क (अर्थात् सबस्ट्रेट)	इ0	16%
8523 40 70	- सीडी ऑडियो, सीडी वीडियो और सीडी रोम के लिए स्टेम्पर	इ0	16%
8523 40 80	- अंकीय वीडियो डिस्क	इ0	16%
8523 40 90	- अन्य	इ0	16%
	- अर्धचालक मीडिया :		
8523 51 00	- ठोस अवस्था अवाष्पशील भंडारण युक्ति	इ0	16%
8523 52 00	- स्मार्ट कार्ड	इ0	16%
8523 59 00	- अन्य	इ0	16%
8523 80	- अन्य :		
8523 80 10	--- ग्रामोफोन रिकार्ड	इ0	16%
8523 80 20	--- सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर	इ0	कुछ नहीं
8523 80 30	--- आडियो-विजुअल न्यूज या आडियो-विजुअल वियूज	इ0	16%
8523 80 40	- बालकों की वीडियो फिल्म	इ0	16%
8523 80 50	- शैक्षिक प्रकृति की वीडियो टेप	इ0	16%
8523 80 60	- 2-डी/3-डी कंप्यूटर ग्राफिक्स	इ0	16%
8523 80 90	- अन्य	इ0	16%ड्ड

(!???) शीर्ख 8524 में, उपशीर्ख 8524 10, टैरिफ मद 8524 10 10, 8524 10 90, उपशीर्ख 8524 31, टैरिफ मद 8524 31 11 से 8524 31 90, उपशीर्ख 8524 32, टैरिफ मद 8524 32 10, 8524 32 90, उपशीर्ख 8524 39, टैरिफ मद 8524 39 10 से 8524 39 90, उपशीर्ख 8524 40, टैरिफ मद 8524 40 11 से 8524 40 90, उपशीर्ख 8524 51, टैरिफ मद 8524 51 11 से 8524 51 90, उपशीर्ख 8524 52, टैरिफ मद 8524 52 11 से 8524 52 90, उपशीर्ख 8524 53, टैरिफ मद 8524 53 11 से 8524 60 00, उपशीर्ख 8524 91, टैरिफ मद 8524 91 11 से 8524 91 90, उपशीर्ख 8524 99, टैरिफ मद 8524 99 10 से 8524 99 99 और उनसे संबंधित प्रविख्टियों का लोप किया जाएगा ;

(!?=) शीर्ख 8525 में, उपशीर्ख 8525 10, टैरिफ मद 8525 10 10 से 8525 10 90, उपशीर्ख 8525 20, टैरिफ मद 8525 20 11 से 8525 40 00 और उनसे संबंधित प्रविख्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ख, उपशीर्ख, टैरिफ मद और प्रविख्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :ॐ

.8525	रेडियो प्रसारण या टेलीविजन के लिए पारेख़ण उपस्कर, चाहे उसमें ग्रहण उपस्कर या ध्वनि अभिलेखन और पुनरूत्पादन उपस्कर लगा हो या नहीं ; टेलीविजन कैमरा, अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा		
8525 50	- पारेख़ण उपस्कर :		
8525 50 10	-- रेडियो प्रसारण पारेख़क	इ0	16%
8525 50 20	-- टीवी प्रसारण पारेख़क	इ0	16%
8525 50 30	-- प्रसारण उपकरण उपप्रणाली	इ0	16%
8525 50 40	-- संचार जैमिंग उपकरण	इ0	16%
8525 50 50	-- बेतार माइक्रोफोन	इ0	16%

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
8525 50 90	-- अन्य		
8525 60	- पारेख़ण उपस्कर जिसमें ग्रहण उपस्कर लगा हो :		
	-- दुतरफा रेडियो संचार उपस्कर :		
8525 60 11	---- वाकी टाकी सेट	इ0	निःशुल्क
8525 60 12	---- समुद्री रेडियो संचार उपस्कर	इ0	निःशुल्क
8525 60 13	---- अव्यवसायी रेडियो उपस्कर	इ0	निःशुल्क
8525 60 19	---- अन्य	इ0	निःशुल्क
	--- अन्य :		
8525 60 91	---- वीएएसटी टर्मिनल्स	इ0	निःशुल्क
8525 60 92	---- अन्य सैटेलाइट संचार उपकरण	इ0	निःशुल्क
8525 60 99	---- अन्य	इ0	निःशुल्क
8525 80	- टेलीविजन कैमरा, अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर :		
8525 80 10	--- टेलीविजन कैमरा	इ0	16%
8525 80 20	--- अंकीय कैमरा	इ0	16%
8525 80 30	--- वीडियो कैमरा रिकार्डर	इ0	16%
8525 80 90	- अन्य	इ0	16%ऊ

(!=) शीर्ख़ 8527 में, टैरिफ मद 8527 12 00 से 8527 39 00, उपशीर्ख़ 8527 90, टैरिफ मद 8527 90 11 से 8527 90 90 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ख़, उपशीर्ख़, टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :&

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
.8527	रेडियो प्रसारण के लिए ग्रहण उपस्कर चाहे वह ध्वनि अभिलेखन के साथ या पुनरूत्पादन उपस्कर के साथ या किसी घड़ी के साथ उसी स्थान में संयुक्त हो या नहीं		
	- शक्ति की बाह्य स्रोत के बिना चलने में समर्थ रेडियो प्रसारण ग्राही		
8527 12 00	-- जेबाकार रेडियो कैसेट प्लेयर	इ0	16%
8527 13 00	-- ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण के साथ संयुक्त अन्य उपकरण	इ0	16%
8527 19 00	-- अन्य	इ0	16%
	-- शक्ति के बाह्य स्रोत के बिना चलने में असमर्थ इस प्रकार के रेडियो प्रसारण ग्राही जिनका उपयोग मोटर यानों में किया जाता है :		
8527 21 00	-- जो ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण के साथ संयुक्त हैं	इ0	16%
8527 29 00	-- अन्य	इ0	16%
	- अन्य :		
8527 91 00	-- जो ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण के साथ संयुक्त हैं	इ0	16%
8527 92 00	-- जो ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण के साथ संयुक्त नहीं है किन्तु घड़ी के साथ संयुक्त है	इ0	16%
8527 99	-- अन्य :		
	--- रेडियो संचार ग्राही :		
8527 99 11	---- रेडियो पेजर	इ0	16%
8527 99 12	---- डिमोड्यूलेटर्स	इ0	16%
8527 99 19	---- अन्य	इ0	16%
8527 99 90	--- अन्य	इ0	16%ऊ

(!=?) शीर्ख़ 8528 में, उपशीर्ख़ 8528 12, टैरिफ मद 8528 12 11 से 8528 12 99, उपशीर्ख़ 8528 13, टैरिफ मद 8528 13 10 से 8528 13 90, उपशीर्ख़ 8528 21, टैरिफ मद 8528 21 10 से 8528 22 00, उपशीर्ख़ 8528 30, टैरिफ मद 8528 30 10 से 8528 30 30 और उनसे संबंधित प्रविख़्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ख़, उपशीर्ख़, टैरिफ मद और प्रविख़्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :&

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
.8528	मोनिटर और प्रक्षेपित्र, जिनमें टेलीविजन ग्राही उपस्कर, न लगे हों ; टेलीविजन के लिए ग्राही उपस्कर, चाहे उसमें रेडियो प्रसारण ग्राही या ध्वनि या वीडियो अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपस्कर लगे हों या नहीं		

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
	-	कैथोड-रे ट्यूब मोनिटर :		
8528 41 00	--	शीर्ख़ 8471 की किसी स्वचालित आंकडा प्रसंस्करण प्रणाली में एकमात्र रूप से या मुख्यतः उपयोग की गई प्रकार की	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो
8528 49 00	--	अन्य	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो
	-	अन्य मोनिटर्स :		
8528 51 00	--	शीर्ख़ 8471 की किसी स्वचालित आंकडा प्रसंस्करण प्रणाली में एकमात्र रूप से या मुख्यतः उपयोग की गई प्रकार की	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो
8528 59 00	--	अन्य	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रतिसेट, जो भी अधिक हो
	-	प्रक्षेपित्र :		
8528 61 00	--	शीर्ख़ 8471 की किसी स्वचालित आंकडा प्रसंस्करण प्रणाली में एकमात्र रूप से या मुख्यतः उपयोग की गई प्रकार की	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो
8528 69 00	--	अन्य	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो
	-	टेलीविजन के लिए ग्राही उपस्कर चाहे उसमें रेडियो प्रसारण ग्राही या ध्वनि या वीडियो अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपस्कर लगा हो या नहीं :		
8528 71 00	--	जो वीडियो प्रदर्शन या स्क्रीन को सम्मिलित किए जाने के लिए अभिकल्पित नहीं है :	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो
8528 72	--	अन्य, रंगीन :		
8528 72 11	----	36 से0मी0 तक के स्क्रीन आकार के टेलीविजन सैट	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो
8528 72 12	----	36 से0मी0 से अधिक किंतु 54 से0मी0 से अनधिक स्क्रीन आकार के टेलीविजन सैट	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो
8528 72 13	----	54 से0मी0 से अधिक किंतु 68 से0मी0 से अनधिक स्क्रीन आकार के टेलीविजन सैट	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो
8528 72 14	----	68 से0मी0 से अधिक किंतु 74 से0मी0 से अनधिक स्क्रीन आकार के टेलीविजन सैट	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो
8528 72 15	----	74 से0मी0 से अधिक किंतु 87 से0मी0 से अनधिक स्क्रीन आकार के टेलीविजन सैट	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो
8528 72 16	----	87 से0मी0 से अधिक किंतु 105 से0मी0 से अनधिक स्क्रीन आकार के टेलीविजन सैट	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो
8528 72 17	----	105 से0मी0 से अधिक स्क्रीन आकार के टेलीविजन सैट	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो
8528 72 18	----	63 से0मी0 से कम स्क्रीन आकार के लिक्विड क्रिस्टिल प्रदर्श टेलीविजन सैट	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
8528 72 19	----	अन्य	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो
8528 73	--	अन्य, श्वेत और श्याम या अन्य एकवर्ण :		
8528 73 10	----	25 से0मी0 से कम स्क्रीन आकार के लिक्विड क्रिस्टल प्रदर्श टेलीविजन सैट	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो
8528 73 90	---	अन्य	इ0	16% या 34,000 रु0 प्रति सेट, जो भी अधिक हो”

(!=??) शीर्ष 8535 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “फ्यूज” शब्द के स्थान पर, “फ्यूज और अन्य संबंधक” शब्द रखे जाएंगे ;

(!=???) शीर्ष 8536 में,—

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“विद्युत परिपथों के स्विचन या संरक्षण के लिए या विद्युत परिपथों तक या उनमें संबंधन के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरणार्थ स्विच, रिले, फ्यूज, प्रोत्कर्ष निरोधक, प्लग, सोकट, लैम्पहोल्डर, जंक्शन बाक्स) जो 1,000 वोल्ट से अनधिक वोल्टता के लिए है ; आप्टिकल फाइबर, आप्टिकल फाइबर बंडल या केबल के लिए संबंधन।”

(ख) टैरिफ मद 8536 69 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“8536 70 00	-	आप्टिकल फाइबर, आप्टिकल फाइबर बंडल या केबल के लिए संबंधन	कि0 ग्रा0	16%”

(!?!) शीर्ष 8542, उपशीर्ष 8542 10, टैरिफ मद 8542 10 10 से टैरिफ मद 8542 21 00, उपशीर्ष 8542 29, टैरिफ मद 8542 29 10 से टैरिफ मद 8542 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“8542		इलैक्ट्रानिक एकीकृत परिपथ		
	-	इलैक्ट्रानिक एकीकृत परिपथ :		
8542 31 00	--	प्रोसेसर और कन्ट्रोलर, चाहे मैमोरी से जुड़े हों या नहीं, संपरिवर्तक, लोजिक सर्कट, प्रवर्धक, क्लाक और समय सर्कट या अन्य सर्कट	इ0	16%
8542 32 00	--	मैमोरी	इ0	16%
8542 33 00	--	प्रवर्धक	इ0	16%
8542 39	--	अन्य :		
8542 39 10	---	सिम कार्ड	इ0	16%
8542 39 20	---	मैमोरी कार्ड	इ0	16%
8542 39 90	---	अन्य	इ0	16%
8542 90 00	-	पुर्जे	कि.ग्रा.	16%”

(!!) शीर्ष 8543 में, टैरिफ मद 8543 11 00, उपशीर्ष 8543 19 और टैरिफ मद 8543 19 10 से टैरिफ मद 8543 19 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“8543		ऐसी विद्युत मशीनें और उपकरण, जिनके विशेष कृत्य हैं और जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं		
8543 10	-	कण त्वरक :		
8543 10 10	---	अर्धचालक सामग्री के स्नेहन के लिए आयोन रोपक	इ0	16%
8543 10 20	---	वेन ग्राफ, काक-क्राफ्ट, वाल्टन त्वरक	इ0	16%
8543 10 30	---	सायको सायक्लोट्रान्स, सायक्रोट्रान्स	इ0	16%
8543 10 90	---	अन्य, जिसमें सायक्रोट्रान्स है	इ0	16%”

(!!?) शीर्ष 8543 में टैरिफ मद 8543 40 00, 8543 81 00, उपशीर्ष 8543 89 और टैरिफ मद 8543 89 10 से 8543 89 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“8543 70	-	अन्य मशीन और उपकरण :		
8543 70 11	----	सामीप्य कार्ड और टैग	इ0	16%

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
8543 70 12	---- धातु डिटेक्टर	इ0	16%
8543 70 13	---- खान डिटेक्टर	इ0	16%
8543 70 19	---- अन्य	इ0	16%
	--- श्रव्य विशेष्ा प्रभावी उपस्कर :		
8543 70 21	---- अंकीय रिवरविरेटर्स	इ0	16%
8543 70 22	---- मिश्रित तंत्र या कंसोल्स	इ0	16%
8543 70 29	---- अन्य	इ0	16%
	--- वीडियो विशेष्ा प्रभावी उपकरण :		
8543 70 31	---- वीडियो मिश्रित तंत्र या कंसोल्स	इ0	16%
8543 70 32	---- वीडियों प्रभावी तंत्र	इ0	16%
8543 70 33	---- अंकीय परत मशीन	इ0	16%
8543 70 34	---- पेन्ट बाक्स	इ0	16%
8543 70 35	---- वीडियो टाइपराइटर	इ0	16%
8543 70 36	---- वीडियो मैटिंग मशीन	इ0	16%
8543 70 39	---- अन्य	इ0	16%
	--- संपादन नियंत्रण यूनिट :		
8543 70 41	---- तीन वीडियो संपादन मशीन से अधिक मशीन का नियंत्रण करने वाला कंप्यूटरीकृत संपादन तंत्र	इ0	16%
8543 70 42	---- अन्य वीडियो नियंत्रण मशीन	इ0	16%
8543 70 49	---- अन्य	इ0	16%
8543 70 50	-- रंग सुधारक	इ0	16%
	--- प्रवर्धक :		
8543 70 61	---- प्रसारण प्रवर्धक	इ0	16%
8543 70 62	---- मर्यादित प्रवर्धन वीडियो वितरण प्रवर्धक और स्थायीकृत प्रवर्धक	इ0	16%
8543 70 69	--- अन्य	इ0	16%
	---- ग्राफिक इक्विलाइजर और संश्लेष्ाण रिसीवर :		
8543 70 71	---- ग्राफिक इक्विलाइजर	इ0	16%
8543 70 72	---- संश्लेष्ाण रिसीवर	इ0	16%
	--- अन्य :		
8543 70 91	---- संचार अवरोध उपकरण, स्टेटिक या मोबाइल या मैनपोर्टबल के लिए आर एफ (रेडियो आवृत्ति) शक्ति प्रवर्धक और आवाज जनित्र	इ0	16%
8543 70 92	---- सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरण या गजेट	इ0	16%
8543 70 93	---- वृत्तिकयूटी देखरेख उपकरण	इ0	16%
8543 70 94	---- श्रव्य-दृश्य स्टिरियो इन्कोर्डस	इ0	16%
8543 70 95	---- समय कोर्ड जनित्र	इ0	16%
8543 70 99	---- अन्य	इ0	16%";

(!!??) शीर्ष्ा 8544 में, टैरिफ मद 8544 30 00, उपशीर्ष्ा 8544 41, टैरिफ मद 8544 41 11 से 8544 41 90, उपशीर्ष्ा 8544 49, टैरिफ मद 8544 49 11 से 8544 49 90, उपशीर्ष्ा 8544 51, टैरिफ मद 8544 51 10 से 8544 51 90, उपशीर्ष्ा 8544 59, टैरिफ मद 8544 59 10 से 8544 59 90 और उनसे संबंधित प्रविष्ि्टयों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष्ा, टैरिफ मद और प्रविष्ि्टयां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

.8544 30 00	- इस प्रकार के ज्वलन तारों के सैट और अन्य तारों के सैट जिनका उपयोग यान, वायुयान या पोत में किया जाता है	कि0ग्रा0	16%
	- अन्य विद्युत चालक, जो 1000 वोल्ट से अनधिक वोल्टता के लिए है :		
8544 42	-- जिसमें अनुयोजक फिट है :		
8544 42 10	--- कागज विद्युतरोधी	कि0ग्रा0	16%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
8544 42 20	---	प्लास्टिक विद्युतरोधी	कि0ग्रा0	16%
8544 42 30	---	रबर विद्युतरोधी	कि0ग्रा0	16%
8544 42 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16%
8544 49	-	अन्य :		
	--	अन्य विद्युत चालक, जो 80 वोल्ट से अनधिक वोल्टता के लिए है :		
	---	टेलीफोन केबल :		
8544 49 11	----	शुष्क कोर कागज विद्युतरोधी	कि0ग्रा0	16%
8544 49 19	----	अन्य	कि0ग्रा0	16%
8544 49 20	---	कागज विद्युतरोधी	कि0ग्रा0	16%
8544 49 30	---	प्लास्टिक विद्युतरोधी	कि0ग्रा0	16%
8544 49 40	---	रबर विद्युतरोधी	कि0ग्रा0	16%
8544 49 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	16%ऊ

(73) अनुभाग 17 के टिप्पण 1 में, .शीर्ष सं0 9501,ऊ शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(74) अध्याय 86 के शीर्ष 8606 में,%

(?) टैरिफ मद 8606 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) टैरिफ मद 8606 30 00 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, .या शीर्ष सं0 8606 20ऊ शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(75) अध्याय 87 में,%

(?) टिप्पण 4 में, .9501ऊ अंकों के स्थान पर, .9503ऊ अंक रखे जाएंगे ;

(??) शीर्ष 8708 में, टैरिफ मद 8708 29 00 से 8708 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

.8708 29 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	16%
8708 30 00	-	आरोध (ब्रेक) और सर्वो-आरोध (ब्रेक) ; उनके पुर्जे	कि0ग्रा0	16%
8708 40 00	-	गियर बाक्स और उनके पुर्जे	कि0ग्रा0	16%
8708 50 00	-	विभेदी सहित चालन-धुरी, चाहे अन्य घटकों की व्यवस्था की गई हैं या नहीं, अचालन-धुरी ; उनके पुर्जे	कि0ग्रा0	16%
8708 70 00	-	सड़क पहिए और उनके पुर्जे तथा उपसाधन	कि0ग्रा0	16%
8708 80 00	-	निलंबन प्रघात अवशोषक और उनके पुर्जे (जिनमें शाक अबजोर्बस भी हैं)	कि0ग्रा0	16%
	-	अन्य पुर्जे तथा उपसाधन :		
8708 91 00	--	रेडिएटर और उनके पुर्जे	कि0ग्रा0	16%
8708 92 00	--	खनाशक (साइलेंसर) (मफलर्स) और रेचन नलिका (इक्झास्ट पाइप)	कि0ग्रा0	16%
8708 93 00	--	ग्राम (क्लच) और उनके पुर्जे	कि0ग्रा0	16%
8708 94 00	--	अरित्रण चक्र (स्टीयरिंग व्हील), अरित्रण कालम और अरित्रण बाक्स ; उनके पुर्जे	कि0ग्रा0	16%
8708 95 00	--	इस्पित पद्धति के साथ सुरक्षा एयरबैग ; उनके पुर्जे	कि0ग्रा0	16%
8708 99 00	--	अन्य	कि0ग्रा0	16%ऊ

(76) अध्याय 88 में, शीर्ष 8801 में, टैरिफ मद 8801 10 00 से 8801 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :%

.8801		गुब्बारे और डिरिजिबल, ग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और अन्य शक्ति रहित वायुयान		
8801 00	-	गुब्बारे और डिरिजिबल, ग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और अन्य शक्ति रहित वायुयान :		
8801 00 10	---	ग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर	इ0	कुछ नहीं
8801 00 20	---	गुब्बारे	इ0	कुछ नहीं
8801 00 90	---	अन्य	इ0	कुछ नहींऊ

(77) अध्याय 90 में,%

(?) टिप्पण 1 में,%

(क) खंड (क) में, .(शीर्ष सं0 4204)ऊ कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, .(शीर्ष सं0 4205)ऊ कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(ख) खंड (छ) में, .(शीर्ष सं0 8481 जोड़ना है)ऽ कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

.(शीर्ष सं0 8481) ; शीर्ष 8486 की मशीनें और साधित्र, (जिसके अंतर्गत सुग्राहीकृत अर्धचालक सामग्री पर या परिपथ नमूनों के प्रक्षेपित रेखाचित्र के लिए साधित्र हैं) ;

.(ग) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

.(ज) इस प्रकार की सर्चलाइट या स्पाटलाइट जिनका उपयोग साइकिलों या मोटर यानों के लिए किया जाता है (शीर्ष सं0 8512) ; शीर्ष 8513 के सुबाह्य लैंप ; चल भिन्न ध्वनि अभिलेखन, पुनःउत्पादन या पुनः अभिलेखन साधित्र (शीर्ष 8519) ; ध्वनि शीर्ष (शीर्ष सं0 8522) ; टेलीविजन कैमरा, अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर (शीर्ष 8525) ; रेडार उपकरण, नौ-परिवहन सहायक उपकरण या रेडियो सुदूर नियंत्रण उपकरण (शीर्ष 8526) ; आप्टिकल फाइबर, आप्टिकल फाइबर बंडल या केबल के लिए संबंधन (शीर्ष 8536) ; शीर्ष 8537 के संख्या संबंधी नियंत्रण साधित्र ; शीर्ष सं0 8539 के मोहरबंद किरणपुंज लैंप यूनिट ; शीर्ष 8544 के प्रकाशित फाइबर केबलऽ

(??) टिप्पण 2 के खंड (क) में, .8485ऽ शब्दों के स्थान पर, .8487ऽ शब्द रखे जाएंगे ;

(???) टिप्पण 3 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

.3. अनुभाग 16 के टिप्पण 3 और टिप्पण 4 के उपबंध भी इस अध्याय को लागू होंगे ;

(?=) शीर्ष 9006, टैरिफ मद 9006 20 00 और टैरिफ मद 9006 62 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ष 9009, टैरिफ मद 9009 11 00 से 9009 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=?) शीर्ष 9010 में,—

(क) स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, .(जिनके अंतर्गत सुग्राहीकृत अर्धचालक सामग्री पर परिपथ पैटर्नों के प्रक्षेपण या रेखा चित्रण के लिए साधित्र भी हैं)ऽ कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 9010 10 00 से 9010 49 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :—

.9010 10 00	आटोमेटिक डेवलपिंग फोटोग्राफी (जिसके अंतर्गत सिनेमेटोग्राफी भी है) फिल्म या रोल में पेपर के लिए या डेवलप्ड फिल्म को आटोमेटिकली फोटोग्राफीय पेपर के रोलों में एक्सपोज करने के लिए साधित्र और उपस्कर	इ0	16%ऽ

(=??) शीर्ष 9027 में, टैरिफ मद 9027 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=???) शीर्ष 9030 में,—

(क) टैरिफ मद 9030 20 00, 9030 31 00, उपशीर्ष 9030 39, टैरिफ मद 9030 39 10 से 9030 39 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

.9030 20 00	-	कैथोड़-किरण दोलन दर्शी और कैथोड़-किरण दोलनलेखी	इ0	16%
	-	वोल्टता, धारा, प्रतिरोध या शक्ति को, मापने या जांचने के लिए अन्य यंत्र और उपकरण :		
9030 31 00	--	बहुलमापी, अभिलेखन युक्ति के बिना	इ0	16%
9030 32 00	--	बहुलमापी, अभिलेखन युक्ति के साथ	इ0	16%
9030 33	--	अन्य, अभिलेखन युक्ति के बिना :		
9030 33 10	---	अपमापी, वोल्टतामापी और वाटमापी	इ0	16%
9030 33 20	---	स्पैक्ट्रम प्रतिरोध मापी	इ0	16%
9030 33 30	---	कैपेसिटेंस मापी	इ0	16%
9030 33 40	---	आवृत्ति मापी साधित्र	इ0	16%
9030 33 50	---	मेगा मापी	इ0	16%
9030 33 90	---	अन्य	इ0	16%
9030 39 00	--	अन्य, अभिलेखन युक्ति के साथ	इ0	16%ऽ

(ख) स्तंभ (1) में, .9030 83 00ऽ टैरिफ मद के स्थान पर, .9030 84 00ऽ टैरिफ मद रखी जाएगी ;

(?!) शीर्ष 9031 में, टैरिफ मद 9031 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(78) अध्याय 91 में,—

(?) शीर्ष 9101 में, टैरिफ मद 9101 12 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 9106 में, टैरिफ मद 9106 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(79) अध्याय 92 में,—

(?) शीर्ष 9203, उपशीर्ष 9203 00, टैरिफ मद 9203 00 10 और 9203 00 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(??) शीर्ष 9204 में, टैरिफ मद 9204 10 00 और 9204 20 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(???) शीर्ष 9209 में, टैरिफ मद 9209 10 00, 9209 20 00 और 9209 93 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(80) अध्याय 93 के शीर्ष 9306 में टैरिफ मद 9306 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(81) अध्याय 94 में,६

(?) टिप्पण 3 में, .(क)ङ और .(ख)ङ कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, क्रमशः .(अ)ङ और .(आ)ङ कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(??) शीर्ष 9401 में, टैरिफ मद 9401 50 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् ः६

	.-	बेंत, आसीर, बांस और वैसी ही सामग्री की सीटें :		
9401 51 00	--	बांस और रतन की	इ0	16%
9401 59 00	--	अन्य	इ0	16%ङ

(???) शीर्ष 9403 में, उपशीर्ष 9403 80, टैरिफ मद 9403 80 10 और 9403 80 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् ः६

	.-	अन्य सामग्रियों का, जिसमें बेंत, आसीर, बांस और वैसी ही सामग्रियां हैं, फर्नीचर :		
9403 81 00	--	बांस और रतन की	इ0	16%
9403 89 00	--	अन्य	इ0	16%ङ

(82) अध्याय 95 में,६

(?) टिप्पण 1 में,६

(क) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् ः६

.(क) मोमबत्तियां (शीर्ष सं0 3406) ;ङ

(ख) खंड (न) में, अंत में आने वाले, .याङ शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (प) में .उनकी संघटक सामग्री के अनुसार वर्कीकृत)ङ कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर .(उनकी संघटक सामग्री के अनुसार वर्गीकृत); याङ कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(घ) खंड (प) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ः६

.(फ) खाने-पीने के बर्तन, रसोई के बर्तन, प्रसाधन की वस्तुएं, दरी और अन्य टेक्सटाइल फर्श की बिछायतें, परिधान, बेड लिनेन, टेबल लिनेन, प्रसाधन लिनेन, रसोई लिनेन और वैसी ही वस्तुएं, जिनका (उनकी संघटक सामग्री के अनुसार वर्गीकृत) उपयोगी कार्य है ;ङ

(??) टिप्पण 4 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् ः६

.4. टिप्पण 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शीर्ष 9503, अन्य बातों के साथ, एक या अधिक मदों से संयुक्त इस शीर्ष की वस्तुओं को लागू होता है, जिन्हें इस अनुसूची के संबंध में निर्वचन के साधारण नियमों के नियम 3(ख) के निबंधनों के अधीन सेटों के रूप में नहीं माना जा सकता है और जो पृथक् रूप से प्रस्तुत किए जाने की दशा में अन्य शीर्षों में वर्गीकृत होंगी, परंतु ऐसी वस्तुएं फुटकर विक्रय के लिए एक साथ रखी जाती हैं और संयोजन में खिलौनों की अनिवार्य विशेषता है ।

5. शीर्ष सं0 9503 के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं नहीं आती हैं जिन्हें अपने डिजाइन, आकार या घटक सामग्री के कारण अनन्य रूप से पशुओं के लिए आशयित रूप में जाना जाता है, उदाहरणार्थ .प्रतिरूप खिलौनेङ (उनका अपने समुचित शीर्ष में वर्गीकरण) ;ङ

(???) शीर्ष 9501, उपशीर्ष 9501 00 और टैरिफ मद 9501 00 10 और 9501 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(?=) शीर्ष 9502, उपशीर्ष 9502 10, टैरिफ मद 9502 10 10 से 9502 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(=) शीर्ष 9503, टैरिफ मद 9503 10 00 से 9503 41 00, उपशीर्ष 9503 49, टैरिफ मद 9503 49 10 से 9503 49 90, उपशीर्ष 9503 50, टैरिफ मद 9503 50 10, 9503 50 90, उपशीर्ष 9503 60, टैरिफ मद 9603 60 10, 9503 60 90, उपशीर्ष 9503 70, टैरिफ मद 9503 70 10, 9503 70 90, उपशीर्ष 9503 80, टैरिफ मद 9503 80 10, 9503 80 90, उपशीर्ष 9503 90, टैरिफ मद 9503 90 10 से 9503 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् ः६

.9503		ट्राईसिकिल, स्कूटर, पैडिल कार और वैसी ही पहिएदार खिलौने ; गुडिया वाहन ; गुडिया ; अन्य खिलौने ; लघुकृत माप (.स्केलङ) प्रतिरूप और वैसे ही आमोदी-प्रमोदी प्रतिरूप, चाहे चालू हालत में हैं या नहीं, सभी प्रकार की पहेलियां		
9503 00	-	ट्राईसिकिल, स्कूटर, पैडिल कार और वैसी ही पहिएदार खिलौने ; गुडिया वाहन ; गुडिया ; अन्य खिलौने ; लघुकृत माप (.स्केलङ) प्रतिरूप और वैसे ही आमोदी-प्रमोदी प्रतिरूप, चाहे चालू हालत में हैं या नहीं, सभी प्रकार की पहेलियां :		
9503 00 10	---	काष्ठ के	इ0	16%
9503 00 20	---	धातु के	इ0	16%
9503 00 30	---	प्लास्टिक के	इ0	16%
9503 00 90	---	अन्य	इ0	16%ङ

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)

(=?) शीर्ष 9504 में,—

(क) टैरिफ मद 9504 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
.9504 20 00	-	सभी प्रकार के बिलियर्ड के लिए वस्तुएं और उपसाधन	इ0	16%”

(ख) उपशीर्ष 9504 30, टैरिफ मद 9504 30 10 से 9504 30 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
.9504 30 00	-	सिक्का, बैंक नोट (कागज करेंसी), बैंक कार्ड, टोकन या संदाय के अन्य साधनों से प्रचालित, बालिंग, बाउलिंग वीथि उपस्कर से भिन्न, अन्य खेल	इ0	16%
9504 30 10	---	कैरम बोर्ड, गोटियों और स्ट्राइकर सहित या उसके बिना	इ0	16%
9504 30 90	---	अन्य	इ0	16%”

(83) अध्याय 96 में,—

(?) शीर्ष 9614, टैरिफ मद 9614 20 00, उपशीर्ष 9614 90, टैरिफ मद 9614 90 10 से 9614 90 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
.9614 00 00		धूम्रपान पाइप (जिसके अंतर्गत पाइप बाउल भी हैं) और सिगार या सिगरेट धारक और उनके पुर्जे	इ0	16%”।

आठवीं अनुसूची

(धारा 71 देखिए)

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की प्रथम अनुसूची में,—

(1) उपशीर्ष 5208 53, टैरिफ मद 5208 53 10, 5208 53 20 और 5208 53 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(2) उपशीर्ष 5210 12, टैरिफ मद 5210 12 10 और 5210 12 90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(3) उपशीर्ष 5210 22, टैरिफ मद 5210 22 11 से 5210 22 29 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(4) उपशीर्ष 5210 42, टैरिफ मद 5210 42 10 से 5210 42 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(5) उपशीर्ष 5210 52, टैरिफ मद 5210 52 10 से 5210 52 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(6) शीर्ष 5211 में, टैरिफ मद 5211 19 00, उपशीर्ष 5211 21, टैरिफ मद 5211 21 10 से 5211 21 90, उपशीर्ष 5211 22, टैरिफ मद 5211 22 10 से 5211 22 90, उपशीर्ष 5211 29, टैरिफ मद 5211 29 10 से 5211 29 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
“5211 19 00	-- अन्य फैब्रिक	वर्ग मी0	8%
5211 20	-- विरंजित :		
5211 20 10	--- शर्टिंग फैब्रिक	वर्ग मी0	8%
5211 20 20	--- धूनित या कंकतकृत सूत के कैनवास (डक समेत)	वर्ग मी0	8%
5211 20 30	--- फ्लानेलेट	वर्ग मी0	8%
5211 20 40	--- साड़ी	वर्ग मी0	8%
5211 20 50	--- क्रैप फैब्रिक (जिसके अंतर्गत ट्वील फ्रेब्रिक है)	वर्ग मी0	8%
5211 20 60	--- ट्वील फैब्रिक	वर्ग मी0	8%
	--- अन्य :		
5211 20 91	---- जरी बार्डर की साड़ी	वर्ग मी0	8%
5211 20 92	---- डेढ़सूती, दोसूती, सैरेटोनस और ओसमबर्ग	वर्ग मी0	8%
5211 20 99	---- अन्य	वर्ग मी0	8%”

(7) टैरिफ मद 5513 22 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 42 00 और 5513 43 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(8) उपशीर्ष 5514 13, टैरिफ मद 5514 13 10 और 5514 13 20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(9) टैरिफ मद 5514 29 00 से टैरिफ मद 5514 39 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“5514 29 00	-- अन्य व्यूतित फैब्रिक	वर्ग मी0	8%
5514 30	-- विभिन्न रंगों के सूत के :		
5514 30 11	---- पालिएस्टर स्टेपल फाइबर, सादा व्यूति के	वर्ग मी0	8%
5514 30 12	---- पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का 3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील भी है	वर्ग मी0	8%
5514 30 13	---- पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का अन्य व्यूतित फैब्रिक	वर्ग मी0	8%
5514 30 19	---- अन्य व्यूतित फैब्रिक	वर्ग मी0	8%”

(10) उपशीर्ष 5515 92, टैरिफ मद 5515 92 10 से 5515 92 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(11) शीर्ष 5803 में, उपशीर्ष 5803 10, टैरिफ मद 5803 10 10 से 5803 10 90, उपशीर्ष 5803 90, टैरिफ मद 5803 90 10 से 5803 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“5803 00	- गाज, शीर्ष सं0 5806 के संकीर्ण फैब्रिक से भिन्न :		
	--- सूत की :		
5803 00 11	---- अविरंजित	वर्ग मी0	8%
5803 00 12	---- विरंजित	वर्ग मी0	8%
5803 00 13	---- रंजित थान (पीस)	वर्ग मी0	8%
5803 00 14	---- रंजित सूत	वर्ग मी0	8%
5803 00 15	---- छपे हुए	वर्ग मी0	8%
5803 00 19	---- अन्य	वर्ग मी0	8%
	--- अन्य टैक्सटाइल सामग्री की :		
5803 00 91	---- रेशम या रेशम अपशिष्ट के	वर्ग मी0	8%
5803 00 92	---- संश्लिष्ट फाइबर के	वर्ग मी0	8%
5803 00 93	---- कृत्रिम फाइबर के	वर्ग मी0	8%
5803 00 99	---- अन्य	वर्ग मी0	8%”।

नौवीं अनुसूची

(धारा 73 देखिए)

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की अनुसूची में, क्रम सं0 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

क्र. सं.	माल का वर्णन	शुल्क की अतिरिक्त दर
.4	मानव निर्मित फिलामेंट ; पट्टी और मानव निर्मित टेक्सटाइल सामग्री की वैसी ही, अर्थात् सभी माल जो अध्याय 54 के अंतर्गत आता है ।।	

website: http://indiabudget.nic.in

दसवीं अनुसूची

(धारा 74 देखिए)

वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में, टैरिफ मद 5402 42 00 और 5402 43 00 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्‌ :—

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
“5402 46 00	--	अन्य, पालिएस्टर का, भागतः अभिविन्यस्त	कि0ग्रा0	1%
5402 47 00	--	पालिएस्टर का, अन्य	कि0ग्रा0	1%”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ख़ 2006-2007 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है । खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पख़्ट करते हैं ।

नई दिल्ली;
28 फरवरी, 2006

पी० चिदम्बरम

ड्डड्डड्डड्डड्डड्डड्डड्डड्डड्डड्ड

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के

अधीन

राख़्ट्रपति की सिफारिश

झवित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम के, लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 28 फरवरी, 2006 के पत्र सं० फा० 2(11)-बी०(डी०)/2006 का हिंदी अनुवादट

राख़्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विख़य-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन, वित्त विधेयक, 2006 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

2. यह विधेयक लोक सभा में 28 फरवरी, 2006 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा ।